माला, खंड 4, अंक

23 अगस्त, 1991

माद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. 63
Date 2-6-92

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 4 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 23 अगस्त, 1991/1 भाद्र, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
59	नीचे से 12	श्री "मृत्युंजय" के पश्चात् "नायक" पढ़िये।
69	नीचे से 10	"सामान्य" के स्थान पर "आम" पढ़िये।
74	नीचे से 12	"लुप्त" के स्थान पर "मतदाता सूची में शामिल न किये गये" पढ़िये।
79	1	"कहवा" के स्थान पर "कॉफी" पढ़िये।
79	3	"कच्चे कहवे" के स्थान पर "अपरिष्कृत कॉफी" पढ़िये।
93	16	"ऋण ग्रामीण राहत योजना" के स्थान पर "ग्रामीण ऋण राहत योजना" पढ़िये।
96	नीचे से 7	"बचिग" के स्थान पर "बंचिंग" पढ़िये।
101	3	"तापती" के स्थान पर "ताप्ती" पढ़िये।
101	नीचे से 9	"श्री वत्तात्रेय बंडारु" के स्थान पर "श्री दत्ता- बंडारु" पढ़िये।
105	7	"झास्ये" के स्थान पर "झात्ये" पढ़िये।

148	12	"डा०कार्तिकेस्वर पात्र" के स्थान पर "डा०कार्तिकेश्वर पात्र" पढ़िये।
186	17 20 22 24	"बाई-पासों" के स्थान पर "उप-मार्ग" पढ़िये।
187	1	"ट्रक मार्ग" के स्थान पर "ट्रक बेज" पढ़िये।
187	9	"ट्रक वेज" के स्थान पर "ट्रक बेज" पढ़िये।
196	नीचे से 1	"या" के स्थान पर "क्या" पढ़िये।
215	7	"तम्काबालू" के स्थान पर "तम्काबालू" पढ़िये।
215	नीचे से 3	"सावत" के स्थान पर "सावंत" पढ़िये।
292	13	"रथगन" के स्थान पर "स्थगन" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 4 — पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 31 — शुक्रवार, 23 अगस्त, 1991/1 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
नियम सम्बन्धी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 528, 529, 531 और 532	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	25—248
तारांकित प्रश्न संख्या : 530, 533 से 542 और 544 से 548	25—43
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4049 से 4060, 4062 से 4252, 4254 से 4273 और 4275 से 4282	43—248
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) सोवियत संघ में घटनायें	
श्री माधव सिंह सोलंकी ...	249—250

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री द्वारा 19 अगस्त, 1991 को "न्यूजवीक" पत्रिका को दिया गया साक्षात्कार			
श्री माधव सिंह सोलंकी	....	....	334—3?
सोवियत संघ की जनता को बधाई			250—26
सभा पटल पर रखे गए पत्र			260—26
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति			260
सभा का कार्य		....	266—270
उपासना स्थल (विशेष उपबंध) विधेयक		....	271—2
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव (स्वीकृत)			
श्री एस० बी० चव्हाण			272
			289—29
श्री जसवंत सिंह			271—27
श्री राम नाईक			276—27
श्री शरद दिघे			279—28
श्री सोमनाथ चटर्जी			281—28
श्री राम नगीना मिश्र		....	285
श्री भगवान शंकर रावत	...	...	285—28
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	...		286—28
पीठासीन अधिकारी द्वारा आधे घण्टे की चर्चा के स्थगन के बारे में घोषणा			29
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92			292—298
उद्योग मन्त्रालय			
श्री राम कापसे			292—296
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	...	...	296—298
15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा उपासना स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु उपाय किए जाने के बारे में संकल्प-वापस लिया गया			298—347
श्री एम० एम० जैकब			298—304
			315—317

श्री चिन्मयानन्द स्वामी .... 305—314

श्री बायनस अबेदिन 317

बेरोजगारी के बारे में संकल्प ... ... 318—334

श्री तेज नारायण सिंह ... . 318—321

श्री बल्लभ पाणिग्राही ... . 321—325

प्रो० प्रेम धूमल .... 325—328

श्री मोहन सिंह .... 328—330

श्री एम० रमन्ना राय .... 330—333

श्री ई० अहमद .... 333—334

लोक सभा

शुक्रवार, 23 अगस्त, 1991/1 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व साथी प्रो० राजा राम शास्त्री के दुखद निधन की सूचना देनी है, जिन्होंने 1971-77 (पांचवीं लोकसभा) के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का इस सदन में प्रतिनिधित्व किया।

सुविख्यात शिक्षाविद्, सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता प्रो० शास्त्री काशी विद्यापीठ से, पहले प्रोफेसर के रूप में और उसके बाद 1964-71 के दौरान वाइस चांसलर के रूप में सम्बद्ध रहे थे। प्रो० शास्त्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य भी थे। वे विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक संगठनों से विभिन्न पदाधिकारी के रूप में सम्बद्ध रहे थे।

प्रो० शास्त्री ने कई पुस्तकें भी लिखीं। उन्हें उनकी कृतियां 'समाज विज्ञान' तथा 'स्वराज दर्शन' के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया।

उनके शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उन्हें पद्म विभूषण' से अलंकृत किया गया था ।

प्रो० राजाराम शास्त्री का, 87 वर्ष की आयु में 21 अगस्त, 1991 को राजधानी में देहावसान हो गया ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और सभा की ओर से संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं भेजते हैं ।

अब सभा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी ।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तम्बाकू का निर्यात

*528. **श्री एस० एम० लालजन बाशा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य से कितने-कितने मूल्य का कितना-कितना तम्बाकू निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने तम्बाकू का निर्यात करने का विचार है; और

(ग) तम्बाकू के निर्यात के लिए नये बाजारों का पता लगाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तम्बाकू बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 1990-91 के दौरान 209.16 करोड़ रु० मूल्य का 70,375 मी० टन तम्बाकू निर्यात किया गया । निर्यात के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं । किन्तु, यह उल्लेख किया जा सकता है कि चूंकि एफ० सी० वी० तम्बाकू की उपज मुख्यतया आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में होती है इसलिए उसकी खरीद तथा निर्यात का कार्य आन्ध्र प्रदेश के व्यापारी ही करते हैं जहां तक गैर-एफ सी वी तम्बाकू का संबंध है, जो कि देश के विभिन्न भागों में उगाया जाता है, इसका निर्यात अधिकांशतया बम्बई के निर्यातक करते हैं ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात के लिए 74,000 मी० टन (लगभग) मात्रा का लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) विश्वभर में धूम्रपान विरोधी अभियान चल रहा है। इसलिए, तम्बाकू का निर्यात बढ़ाना कोई सरल कार्य नहीं है। फिर भी, इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि पहले से ही स्थापित बाजारों को बनाए रखा जाए और नए बाजारों का पता लगाया जाए। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए तम्बाक बोर्ड प्रतिवर्ष व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों को भेजने, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने, विदेशी बाजारों में प्रचार-सामग्री के वितरण का कार्य करता रहा है और समय-समय पर विदेशों से व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों को आमंत्रित करता है तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करता है।

श्री एस० एम लालजान बाशा : भारत की विश्व बाजार में तम्बाकू निर्यात की भागेदारी 30 प्रतिशत से गिर कर 7 प्रतिशत रह गई है। इसके क्या कारण हैं? क्या यह सत्य है कि निर्यात में कमी गुंटूर से घटिया किस्म के तम्बाकू के निर्यात के कारण हुई हैं। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्या है?

श्री पी० चिदम्बरम : सारे संसार में धूम्रपान के विरुद्ध अभियान छिड़ा हुआ है। इसलिए तम्बाकू के निर्यात को बढ़ावा देना आसान काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि घटिया किस्म के तम्बाकू का निर्यात तम्बाकू-निर्यात के गिरने के लिए जिम्मेदार है। हमारा निर्यात इसलिए कम हुआ, क्योंकि दूसरे तम्बाकू उत्पादक देशों के पास निर्यात के लिए तम्बाकू के पर्याप्त फालतू भण्डार हैं। वे अपना अतिरिक्त भण्डार निर्यात कर रहे हैं। जहां तक निर्यात की मात्रा का सम्बन्ध है, तो पिछले वर्ष हमारा कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा, जब हमने 70375 टन तम्बाकू का निर्यात किया। इस वर्ष हमारी योजना 74000 टन तम्बाकू निर्यात करने की है। हमें गंभीर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु क्योंकि विश्व बाजार में कीमतें काफी अधिक हैं; इसलिए प्रति यूनिट आय काफी होती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने तम्बाकू निर्यात में और वृद्धि करेंगे। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में हमारी निष्पादन पिछले वर्ष के पहले चार महीनों से काफी अच्छा रहा है।

श्री एस० एम० लालजान बाशा : क्या तम्बाकू निर्यात का कोई आर्डर गुंटूर को देने का प्रस्ताव है, क्योंकि गुंटूर में उत्तम क्वालिटी का तम्बाकू पैदा होता है।

श्री पी० चिदम्बरम : जहां तक एफ० सी० वरजीनीया तम्बाकू का सम्बन्ध है; इसका 80 प्रतिशत उत्पादन आंध्र प्रदेश में तथा 15 प्रतिशत उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसका अधिकतर भाग निर्यात होता है। आंध्र प्रदेश के प्रत्येक हिस्से के बारे में तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार गुंटूर प्रमुख तम्बाकू उत्पादक केन्द्र है। इस लाभ का एक बड़ा अंश गुंटूर को प्राप्त होता है। वरजीनिया तम्बाकू अधिकतर निर्यात होता है तथा इससे सारे देश को लाभ हो रहा है।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अब कहा है कि वर्ष 1990-91 के दौरान 70,375 टन तम्बाकू का निर्यात किया गया तथा इस वर्ष का लक्ष्य 74,000 टन का है; अर्थात् इसमें 40 लाख किलोग्राम की बढ़ोतरी। क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि जबकि तम्बाकू बोर्ड ने वर्ष 1991-92 के लिए 1200 लाख किलोग्राम उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, उत्पादन समिति ने इसे बढ़ाकर 1450 लाख किलोग्राम कर दिया है,

जिससे किसानों के हितों को आघात पहुंचेगा तथा व्यापारियों को लाभ होगा ? पिछले वर्ष उन्होंने औसतन 33 रु० प्रति किलोग्राम की दर से तम्बाकू खरीदा। व्यापारियों ने तम्बाकू बोर्ड तथा उत्पादन समिति पर तम्बाकू के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के लिए काफी दबाव डाला है, जिससे कि किसानों के हितों को आघात पहुंचेगा। क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करके यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगी कि 1200 लाख किलोग्राम के लक्ष्य का ही अनुपालन किया जाये ? पिछले उत्पादन को देखते हुए मूल लक्ष्य ही काफी अधिक है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चाय व्यापार निगम की तरह ही क्या वे तम्बाकू व्यापार निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, जो कि कठिन समय में तम्बाकू उत्पादकों से तम्बाकू खरीद कर उसका निर्यात कर सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 1 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से उपकर लगाना चाहती है तथा इतनी ही राशि सरकार और किसानों से एकत्रित करके आवर्ती निधि (रिवोल्विंग फंड) स्थापित करके तम्बाकू व्यापार निगम को संचालित करेगी।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही रुचिकर प्रश्न पूछा है। जहां तक एफ० सी० वरजीनिया तम्बाकू का सम्बन्ध है, आज जब उत्पादक तम्बाकू बोर्ड को अपने फार्म में तम्बाकू उत्पादन करने के लिए आवेदन करता है, तो उसे लाईसैंस मिल जाता है। इसके लिए बहुत से किसान तम्बाकू बोर्ड को अपना आवेदन भेजते हैं; मुझे विश्वास है कि किसान आवेदन करते समय अपने हित का ध्यान रखेंगे। अतः यह ठीक नहीं है कि कोई किसानों को तम्बाकू का उत्पादन करने के लिए बाध्य कर रहा है। किसान स्वयं तम्बाकू उगाने के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही है कि यूनिट मूल्य कम नहीं होने चाहिए, जो कि एक स्वागत योग्य बात है। परन्तु पिछले वर्ष और इस वर्ष की यूनिट वैल्यू को देखिए। वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 में प्रति किलोग्राम यूनिट वैल्यू क्रमशः 16.33, 16.59 तथा 11.09 रुपए रही। परन्तु इस वर्ष नीलामी प्रणाली की वजह से यह बढ़कर 33.00 रुपए हो गई है। अब यह बढ़ा हुआ मूल्य तम्बाकू उत्पादकों के लिए लाभकारी है। परन्तु गहन प्रतियोगिता के कारण यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह मूल्य हमेशा 33.00 रुपए पर बना रहेगा। हमें तम्बाकू उत्पादन के इच्छुक किसानों के हितों को सन्तुलित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि यूनिट मूल्य कम न हों। हमें देश के हितों को ध्यान में रखना है, क्योंकि देश को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इस विषय में अन्तिम निर्णय लेने से पहले हम इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : तम्बाकू व्यापार निगम के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इस विषय पर आ रहा हूं। जब हम अन्तिम निर्णय लेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। मैं नहीं जानता कि एक के हित की रक्षा के लिए दूसरे के हित को बलि चढ़ाया जा सकता है। मैं यह भी नहीं समझता कि आप की ऐसी कोई आकांक्षा है।

जहां तक तम्बाकू व्यापार निगम का सम्बन्ध है, तो वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु अगर आप चाय व्यापार निगम के साथ तुलना करना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता कि चाय

व्यापार निगम के असुखद अनुभव को तम्बाकू व्यापार निगम के प्रस्ताव के साथ दोहराया जाये। मेरे विचार में वर्तमान प्रणाली बहुत अच्छी है। हमने नीलामी प्रणाली अपना रखी है, जिससे कि प्रति यूनिट अधिकतम मूल्य मिलता है। फिर भी अगर आवश्यक हुआ तो हम भविष्य में इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : महोदय, पिछले महीने स्वास्थ्य तथा तम्बाकू उत्पादन और तम्बाकू सेवन विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था; तथा उसके पश्चात् माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने इस विचार को समर्थन दिया था कि तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र कम किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र को कम किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी-अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि 1200 लाख किलोग्राम तम्बाकू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : मैं जानता हूं कि निर्यात केवल 74 हजार टन होता है। इसलिए जानना चाहता हूं कि तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत जो क्षेत्र आता है; उसमें क्या कमी की जायेगी जिस विचार का माननीय राज्य मंत्री पहले ही समर्थन कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटेश्वरलू, आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : जी हां, महोदय, मैंने प्रश्न ही पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है, मंत्री महोदय आप उत्तर दीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र में कमी की जायेगी। मैं नहीं जानता कि किस वक्तव्य तथा किस राज्य मंत्री का हवाला दिया जा रहा है।

श्री मानी भट्टाचार्य : महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या छोटे किसानों को भी तम्बाकू का यूनिट मूल्य मिल रहा है। वास्तव में आपने जो मूल्य बताया है वह नीलामी मूल्य है परन्तु जहां तक कूच बिहार क्षेत्र में जो कि तम्बाकू उत्पादक जिला है, मेरे निजी अनुभव का सम्बन्ध है तो वहां पर तम्बाकू उत्पादकों तथा किसानों को अपने उत्पादन को बड़ी ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जांच करके स्थिति में सुधार करने की कोशिश करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है तथा जो कुछ इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश के संसद सदस्यों सहित अब तक मैंने लोगों से सुना है, उससे यही पता चलता है कि नीलामी प्रणाली से किसानों को बहुत अधिक लाभ हुआ है। नीलामी प्रणाली के कारण ही यूनिट मूल्य में वृद्धि हुई है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई विशेष मामला है, तो मैं उस पर निश्चित तौर पर विचार करूंगा। मेरे विचार में माननीय सदस्य के साथ बैठे उनके साथी समर्थन में सिर हिला रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि नीलामी प्रणाली के तम्बाकू उत्पादकों को लाभ हुआ है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि चीन

जैसे देशों ने कुछ भारतीय कम्पनियों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित कम्पनियों, को सूची में शामिल किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं इसे इकट्ठा करके अपने साथी को दे सकता हूं।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी

*529. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम को गैर-सरकारी क्षेत्र में देने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके गैर-सरकारी क्षेत्र में जाने के बाद इसके कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ?

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली परिवहन निगम में 41253 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री गया प्रसाद कोरी : इस सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा कि इसमें कितने कर्मचारी स्थायी हैं और कितने अस्थायी है ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : ठीक है, महोदय, मैं सदस्य महोदय को यह सूचित करना चाहूंगा कि मेरे पास अभी इसकी सूचना नहीं है। मैंने सोचा कि माननीय सदस्य इसकी अपेक्षा अनेक महत्वपूर्ण मसलों के बारे में अधिक चिंतित थे। परन्तु मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं कितने स्थायी है और कितने अस्थायी हैं।

[हिन्दी]

श्री गया प्रसाद कोरी : इस सम्बन्ध में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए मैं पूछता हूं यानि उनकी संख्या पूछ रहा था।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरे पास अभी इसकी इन्फर्मेशन नहीं है।

श्री राम प्रसाद कोरी : क्या जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधा दी जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, दिल्ली परिवहन निगम के अनुसार वे सभी सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं । मैं सूचित करना चाहूंगा कि दिल्ली परिवहन निगम के साथ समझौते में केवल तकनीकी बातें ही शामिल होती हैं ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने कहा कि निजीकरण नहीं हो रहा है । अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि यह बैकडोर से किया जा रहा है । अभी मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली के अन्दर 3,500 प्राइवेट बसों को परमिट दिए जा रहे हैं । इनकी दिल्ली प्रशासन की जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसने तीन साल पहले जब यह समझौता होने लगा तो यह प्रस्ताव पास किया कि इस तरह का निजीकरण दिल्ली में अलाउ नहीं किया जाएगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव के बाद क्योंकि एस.टी.ए. सेमी ज्यूडीशियल बॉडी है, आप उस पर कोई फैसला लाद नहीं सकते । इसमें मेरा सीधा सवाल है कि क्यों आपने ऐसी अडरटेकिंग प्राइवेट वालों को दी है ? आज जो डी.टी.सी. की बस टिकट का एक रुपया लेती है, उस पर सवारी को पांच रुपया देना पड़ेगा इस बैकडोर से निजीकरण करने के कारण । क्या यह सारी नीति दिल्ली सप्रशासन से, दिल्ली से, दिल्ली चुने हुए एम. पीज से बात करने के बाद तय हुई या यूं ही इसको लागू किया जाएगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सातवी योजना के अन्त तक दिल्ली की जरूरत 7,500 बसों की थी । आज हमारे पास डी.टी.सी. और प्राइवेट बसें सिर्फ 5,000 हैं । हम पिछले 10-15 दिन से दिल्ली प्रशासन और दिल्ली के जितने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, इन सबसे बात कर रहे हैं और क्योंकि दिल्ली में बसों की कमी के कारण यात्रियों को असुविधाएं हो रही हैं, हमने यह फैसला लिया कि हम क्यों नहीं दिल्ली प्रशासन से कहें कि हम दिल्ली में 3000 तक प्राइवेट बस वालों को परमिट दें, जो बसें दिल्ली प्रशासन के नीचे चलेंगी, डी.टी.सी. के अंडर चलेंगी और इस प्रकार हम दिल्ली के लोगों को सुविधा दे सकेंगे ।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । मैंने एक सीधा सवाल पूछा है कि दिल्ली प्रशासन की एक्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एक प्रकार की कैबिनेट होती है, उसका यह प्रस्ताव तीन साल पहले भी आया था, आपकी कांग्रेस कंट्रोल्ड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की एक्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके जयप्रवेश चन्द्र जी सी.ई.सी. थे । *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप कह रहे हैं तो, ये प्रस्ताव के होते हुए बैकडोर से निजी-करण कैसे कर सकते हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : यह कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है । हम डी. टी. सी. को बन्द नहीं करेंगे ।

/

श्री मदन लाल खुराना : यह जो आप 3000 प्राइवेट बसों को लाएंगे, तो यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, ऐसे नहीं कहिए। ऐसे सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री मदन लाल खुराना : परन्तु मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि मैं यह अनुभव करता हूं कि वह दिल्ली के लोगों के बारे में उतने ही चिंतित हैं जितना कि मैं। अब मैं दिल्ली के उन लोगों की सहायता करना चाहूंगा जो सचमुच में कष्ट उठा रहे हैं। मैं संक्षिप्त-सी पृष्ठभूमि देना चाहूंगा। अगर आप एक स्कूटर और दिल्ली परिवहन निगम को समान दूरी के लिए लें, तो दिल्ली परिवहन निगम की बस के लिए आप 50 पैसे और जबकि स्कूटर के लिए लगभग 15 रुपये देते हैं। अगर आपको 15 से 30 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करनी पड़े तो आप स्कूटर के लिए लगभग 24 रुपये देते हैं। अगर मैं, आरामदायक सीट की स्थिति तथा बिना खड़े हुए तथा उस दूरी के लिए 1 से 4 रुपये वसूलकर, बस सेवा प्रदान करने में समर्थ होता तो मेरा विचार है दिल्ली के लोग बहुत खुश होते। यह कोई गलत बात नहीं है। मैं दिल्ली परिवहन निगम को बंद अथवा किसी व्यक्ति की छटनी नहीं कर रहा हूं। मैं दिल्ली के लोगों की वह आवश्यकता पूरी कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7,500 बसों की जरूरत है। जहां तक महानगर परिषद के निर्णय का सम्बन्ध है, आपने जगप्रवेश चन्द्र के नाम का उल्लेख किया है—शायद वे निर्णय ले चुके हैं। लेकिन आज की जरूरत है कि दिल्ली के लोगों को 7,500 बसें चाहिये, जो मैं उन्हें दे नहीं सकता। केवल एक ही रास्ता मेरे पास बचा है वह यह कि मैं निजी संचालकों को उन शर्तों को पूरा करने के लिए मजूरी दूं जो अब पेश की जायेंगी ताकि कोई व्यक्ति उसका फायदा न उठा सके।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। (**व्यवधान**) मैं यह कहता हूं कि एस.टी.ए. एक सेमी ज्यूडीशियल बॉडी है। दिल्ली प्रशासन ने जो निर्णय किया हुआ है, जब तक उस निर्णय को नहीं बदलेंगे, तब तक लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी ?

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक दफा जब दिल्ली में डी.टी.यू हुआ करती थी और बसों की संख्या बहुत कम होती थी, उन दिनों दिल्ली में जनसंघ की हकूमत थी और हमने एक एडवर्टाइजमैंट दिया था कि अगर कोई प्राइवेट बस अपनी चलाना चाहता है, क्योंकि सोल एजेंट तो डी.टी.सी ही रहेगी ट्रांसपोर्ट की दिल्ली में, अगर कोई चलाना चाहे तो डी.टी.सी. के अंतर्गत चला सकता है लेकिन उसे 750 रुपये डी.टी.सी. को देने होंगे। इस तरह सरकार को पैसे भी मिले, बसें भी उनके अंडर चलीं और ट्रांसपोर्ट की समस्या भी हल हो गयी।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिये, प्रश्न क्या है।

श्री कालका दास : मैं वहीं आ रहा हूं। अभी मंत्री जी ने बताया कि तीन हजार बसें दिल्ली में आने वाली हैं, प्राइवेट बसों को अनुमति देंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनसे ऐसा कोई चार्ज लेंगे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे आप 3000 बसें दिल्ली में लगाना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, क्या उनमें शैड्यूल्ड कास्ट्स के ऑपरेटर्स को जैसे उनका कोटा साढ़े 22 परसेंट निश्चित है, उसके अनुसार रिजर्वेशन देंगे। क्या ऐसी कोई योजना है कि शैड्यूल्ड कास्टस के बस ऑपरेटर्स को भी उसमें शामिल किया जायेगा।

श्री जगदीश टाईटलर : हां, बिल्कुल हैं। पूरे शैड्यूल्ड कास्टस, एक्स सर्विसमैन, कोआपरेटिव्ज आदि का जो भी कोटा बंधा हुआ है, उसमें से किसी का एक परसेंट भी काटा नहीं जायेगा।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या ऐसी कोई योजना आपके पास है कि आप उनसे कुछ चार्ज करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले लम्बा भाषण दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि मेरा दूसरा सवाल रह गया।

श्री कालका दास : मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जो बसें आप चलाने जा रहे हैं, क्या प्राइवेट ऑपरेटर्स से डी.टी.सी. कुछ चार्ज करेगी या नहीं।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : हम पहले ही उस पर काम कर रहे है। हमने अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्री आर्क फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, पिछले 8-10 दिनों से हम भी मंत्री जी का यह बयान पढ़ रहे हैं कि 3000 नई बसें अगले तीन महीनों के अंदर दिल्ली की सड़कों पर वे चलाने जा रहे हैं। तीन हजार नई बसों का मतलब है कि लगभग 300 करोड़ रुपये : अब वे निजी हों या सार्वजनिक हों, लेकिन 300 करोड़ रुपया चाहिये और 300 बसें जब बनायेंगे तो किसी न किसी कारखाने में, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था सरकार ने की है कि अगले 3 महीनों में दिल्ली में 3000 बसें पहुंचाने का इंतजाम कर लिया जायेगा और कहां से रुपये का इंतजाम होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा तीन महीने में होगा।

श्री आर्क फर्नान्डीज : जी हां, इनका बयान अखबारों में आ रहा है।

श्री मदन लाल खुराना : विदिन थ्री मन्थस, इतनी बसें आ जायेंगी दिल्ली के अन्दर, ऐसा कहा जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, जहां तक चेसिस का सम्बन्ध है, हम दिल्ली प्रशासन के लोग पहले ही निर्माताओं के सम्पर्क में हैं तथा उन्होंने आश्वासन दिया है उन्हें यह चेसिस दे दिया जायेगा।

जहां तक वित्त का सम्बन्ध है, यह हमारा काम नहीं है। वे व्यक्ति जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के सारे सघों निजी संचालकों ने कहा है कि 'हम अपना प्रबन्ध बैंकों अथवा अपने साधनों के माध्यम से कर लेंगे।

जहां तक बस की बाडी के निर्माण का सवाल है वह सम्भवतः दूसरा प्रश्न है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : लैट मी स्पीक मदन लाल जी, मैं बोल रहा हूं। आप मुझे जवाब तो देने दीजिये मैं उनको जवाब दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री मदनलाल खुराना : आप तो मुझे डांट हे है अध्यक्ष जी, आप देखिये ये किस तरह से मेरे साथ ।बहेव कर रहे हैं। **(व्यवधान)** मैं आपकी पार्टी का नहीं हू जो आप मुझे डांट देंगे। **(व्यवधान)**

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे नहीं मालूम था कि मैं जार्ज फर्नान्डीज साहब को जवाब दे रहा हूं और आप उनका जवाब नहीं सुनना चाहते। मैं उनको जवाब दे रहा हू, मगर जवाब देते समय, आप स्पीकर साहब से डिस्टर्ब करने लग गए, इसीलिए मैंने निवेदन किया कि आप जरा दो मिनट चुप रहकर जार्ज फर्नान्डीज साहब के प्रश्न का जवाब सुन लीजिये। वही मैं बता रहा हूं। **(व्यवधान)** इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था बौडी बनाने के बारे में, इस देश के प्राइवेट ओपरेटर्स ने हमारे साथ आकर बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि ऐसी फोर्मालिटीज 7 स्टेटस में हैं कि जहां अगले 3-4 महीनों में, आफ्टर द परमिट इज अवैलेबल, वे बसें सड़कों पर ला सकेंगे।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, बसों के निजीकरण के कारण दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की छटनी की क्या कोई आशंका है? दिल्ली परिवहन निगम बसों की आपूर्ति नहीं कर सकता जिसके लिए, यह बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रहा है। इसके पास अपने कर्मचारियों को काम देने के लिए पर्याप्त बसें नहीं हैं परिणामतः उनकी छटनी हो रही है।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरा ऐसा विचार नहीं है। चालकों और संवाहकों की कमी है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कृपा करके वे बताएं कि आपने जो एक निश्चित संख्या दे दी है कि इतने कर्मचारी काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इसमें अस्थायी कर्मचारी है, इनके नियुक्तिकरण करने की आपकी क्या योजना है? और जो पदोन्नति अभी तक नहीं हुई है, वे कितने समय में आप कर देंगे?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं पहले प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहूंगा क्योंकि उस समय मेरे पास आंकड़े नहीं थे। जहां तक दिल्ली परिवहन निगम का सम्बन्ध है सभी 41,253

कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। दिल्ली परिवहन निगम में कर्मचारियों की छंटनी करने को मेरी कोई योजना नहीं है। कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति एक अलग बात है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, दिल्ली परिवहन निगम में इस समय 1,000 अस्थायी कर्मचारी हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य को चुनौती देता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 530, श्री विजय कुमार यादव।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता है। आप क्या से क्या कर रहे हैं। आप अपने मन से सब करते हैं। मैंने आपको अलाऊ किया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हो गया, बहुत हो गया।

बैंकों में कदाचार/धोखाधड़ी के मामले

[अनुवाद]

*531. **श्री राम कापसे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के दौरान अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कदाचार/धोखाधड़ी के कितने मामले प्रकाश में आये/पकड़े गये और प्रत्येक बैंक में ऐसे मामलों में कितनी-कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ख) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि को वापस प्राप्त करने और बैंकों में ऐसे कदाचारों/धोखाधड़ी के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 1-1-91 से 30-6-91 (अद्यतन उपलब्ध) तक की अवधि के दौरान सूचित किये गये/पता लगाए गए धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या; इनमें अन्तर्ग्रस्त राशियों और वसूल की गई राशियां बैंकवार अनुबंध में दी गई है।

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक समय-समय पर धोखाड़ियों को रोकने और उनका तुरंत पता लगाने के लिए कदम उठाते हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नानुसार हैं :—

(i) बैंकों द्वारा निरीक्षण, लेखा परीक्षा और आवधिक विवरणों के माध्यम से नियंत्रणतंत्र को सुदृढ़ बनाना।

(ii) नियमित आधार पर बहियों के मिलान और अन्तर-शाखा खातों के समाधान में बकायों का निपटान करना ।

(iii) अन्य बैंकों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति ।

(iv) बड़ी धोखाधड़ियों की जांच-पड़ताल और छानबीन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष का गठन ।

(v) धोखाधड़ियों के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से चेतावनी नोटिस का परिचालन ।

(vi) परिचालन कार्य से सम्बद्ध अधिकारी को यथोचित प्रशिक्षण ।

(vii) भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों द्वारा संहित कारंवाई; और

(vii) सतर्कता मामलों को बैंक के निदेशकों की समिति और निदेशक मंडलों द्वारा पुनरीक्षा ।

अनुबन्ध

भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 1-1-1991 से 30-6-1991 (अद्यतन उपलब्ध) तक की अवधि के लिए धोखाधड़ियों, इनमें अन्तर्ग्रस्त राशि और वसूल की गई राशि की बैंकवार स्थिति ।

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि
1.	भारतीय स्टेट बैंक	242	140.51	20.48
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8	47.32	15.78
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8	0.26	—
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4	76.15	3.00
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	14	4.21	0.03
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	5	5.15	1.00
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2	0.04	—
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	5	3.13	—
9.	इलाहाबाद बैंक	17	21.44	0.29
10.	आन्ध्रा बैंक	19	190.53	—
11.	बैंक आफ बड़ौदा	30	188.03	18.03
12.	बैंक आफ इण्डिया	56	490.22	6.93
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5	73.34	—

1	2	3	4	5
14.	केनरा बैंक	71	352.29	4.63
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	32	37.21	1.15
16.	कारपोरेशन बैंक	14	5.78	0.44
17.	देना बैंक	3	0.48	—
18.	इंडिया बैंक	31	143.11	24.68
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	31	8.83	1.44
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	4	80.40	0.95
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4	4.51	—
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक		187.58	14.74
23.	पंजाब नेशनल बैंक		4.82	—
24.	सिंडिकेट बैंक		267.24	24.19
25.	यूनियन बैंक		23.42	11.79
26.	यूनाइटेड बैंक		5.84	—
27.	यूको बैंक		339.23	27.32
28.	विजया बैंक		37.92	14.43
		147	2744.99	191.30

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से उच्च अधिकारियों, स्टाफ के सदस्य तथा सोसायटी के सदस्यों का इन धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त होने के बारे में श्रेणीवार विवरण जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य ने 1991 की फिगर्स पूछी हैं। इन छः महीने में धोखाधड़ी के 747 केसेस हैं और 27 करोड़ 44.99 लाख रुपए की धनराशि इन्वाल्व है। इसमें से करीब 2 करोड़ रुपए की हमारी रिकवरी हो गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक ऑफीसर इन्वाल्व हैं। जो हमारे विजिलैंस के बैंक ऑफीसर्स हैं, उनके द्वारा विजिलेंस का इन्टरनल सिस्टम है, जिसके जरिये हम यह विजिलेंस करते हैं। छः महीने की फिगर्स पूछी थीं, सो हमने आपको बता दीं।

श्री राम कापसे : अध्यक्ष जी, जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल पूछा था कि कैटेगरी-वाइज इसमें अदर्स कितने हैं, स्टाफ मेम्बर्स कितने हैं, मेम्बर ऑफ सोसायटी कितने हैं? इस तरह का सवाल मैंने पूछा था, लेकिन मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। जो पहले बताया था वही बता रहे हैं। जो लिखा हुआ है, वही बता रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर अभी आपके पास जानकारी है तो आप उन्हें बाद में जानकारी दे सकते हैं।

श्री राम कापसे : महोदय, 29 करोड़ रुपये की धनराशि इसमें शामिल है तथा 2 करोड़ रुपये की धनराशि वापिस कर दी गई है और पिछले तीन वर्षों से यही क्रम जारी है। वर्ष 1988 में यह राशि 30 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1989 में यह 50 करोड़ रुपये की थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका और कितने व्यक्ति बैंक से सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इन धोखाधड़ी के मामलों में उच्च अधिकारी भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, जो माननीय सदस्य ने पूछा है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बैंक में फ्रॉड केसेस के बारे में जो प्रासीजर है, उसके अनुसार सी.बी.आई. के अन्तर्गत लगभग 480 मामले चल रहे हैं और वे अंडर इन्वेस्टीगेशन हैं, 566 केसेस अदालत में है और माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसमें कितने लोगों के ऊपर एक्शन लिया है, तो नंबर ऑफ एम्प्लाइज कन्विक्टिड 1986 में 51 हैं 1987 में 88 है 1988 में 99 है और 1989 में 72 हैं। इतने लोगों की कन्विक्शन हुई है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों की संख्या	1986	1987	1988	1989
जिन्हें कम सजा दी गई	683	944	706	747
कर्मचारियों की संख्या जिन्हें निलंबित किया गया अथवा नौकरी हटा दिया गया	291	351	292	287

श्री राम कापसे : वापसी की गति इतनी धीमी क्यों है ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : ये केसेस सी.बी.आई. के अन्तर्गत इन्वेस्टीगेशन में है देकर इज ला आफ प्रोसीजर। ऐसा तो नहीं है कि इसको जल्दी से जल्दी हम कर दें। आपको बताया है कि 480 केसेज सी.बी.आई में अन्डर इनवेस्टीगेशन हैं, 566 केसेस अदालत के तहत हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह जानने के लिए कोई विशेष जांच-पड़ताल की गई है कि भारतीय स्टेट बैंक में हुई धोखाधड़ी की घटनाएं 242 अर्थात् अन्य बैंकों की तुलना में जहां केवल 31 या 44 या 17 ही हुई हैं, अधिक क्यों है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय स्टेट बैंक में घटित हुए धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने के लिए कोई जांच-पड़ताल की गई है या नहीं तथा, जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है, 490 लाख रुपये की इतनी बड़ी धनराशि की बैंक आफ इंडिया में धोखाधड़ी क्यों हुई है, जो अन्य बैंकों की तुलना में बहुत बड़ी धनराशि है। अगर जांच-पड़ताल की गई है तो धोखाधड़ी के इतने अधिक मामलों के क्या परिणाम निकले हैं ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : मैंने पहले ही कहा है कि इनटरनली हमारे जो जनरल मैनेजर्स के रैंक के हैं उन सबको विजिलैंस कमिश्नर के समक्ष में बुलाते हैं। वह भी ऐसा नहीं है कि सेम बैंक के हों, पहले परम्परा थी। लेकिन पर्टीकुलर उस बैंक का न बनाकर दूसरे बैंक का सेम स्टेटस का आफिसर होता है और उसमें टाइम टू टाइम चैक होता है।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि स्टेट बैंक में ये केसेस ज्यादा क्यों होते हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : अन्य बैंकों के मुकाबले यह बहुत अधिक है।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : स्टेट बैंक बहुत बड़ा बैंक है नेचुरली इसमें ज्यादा केसस होंगे।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से यह देखा गया है कि 6 महीने की अवधि में अन्तर्ग्रस्त राशि 27.4 करोड़ रुपये है तथा वसूली गई धनराशि 1.91 करोड़ रुपये थी।

अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कुछ अन्य बैंकों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य जांच अधिकारी की नियुक्ति एक उपचारात्मक कदम है।

सरकार द्वारा किए गए इन सभी उपायों के अतिरिक्त सरकार राष्ट्रीयकृत बैंक में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए अलग जांच विभाग स्थापित करने पर विचार क्यों नहीं करती ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : यह तो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। इन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिये ताकि इस तरह के केसेस का जल्दी निपटारा हो सके।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : यह प्रतीत होता है कि धनराशि बहुत अधिक है तथा संख्या बहुत बड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह पता लगाना है कि किस प्रकार की धोखाधड़ी होती है तथा क्या आठ तरीकों के अलावा जो उन्होंने धोखाधड़ी की जांच के लिए सुझाये हैं, उनका यह विचार है कि इसकी जांच करने के लिए कुछ नये उपाय जरूरी हैं ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या पहली अवधि के मुकाबले इस अवधि में धोखाधड़ी अधिक हुई है तथा, यदि ऐसा है तो, इस अधिक धोखाधड़ी के क्या कारण पाये गये हैं ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : पहले हमारे बैंकों की संख्या कम थी और आफ्टर नैशनलाईजेशन हमारे भारत में बहुत बैंक हैं और उनकी ब्रान्चेज भी बहुत हैं। आपने देखा होगा कि बैंकों में जो कुछ धोखाधड़ी के मामले हैं, खासकर बैंकों का सैनसिटिव मामला है, दो-तीन इनसीडैन्टस में आपने देखा होगा, हम उनके बारे में उपाय कर रहे हैं। साथ-साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वैस्ट है। वहां भी ला एंड आर्डर की प्रोबलम है। कि बैंकों के ब्रान्चेज वहीं पर होंगे जहां पर जनरल उद्योग धन्धे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम आईसोलेटेड क्षेत्र में बैंक स्थापित करेंगे इसमें सबसे बड़ी समस्या ला एंड आर्डर को मेनटेन करने की है जो स्टेटस की भी जवाबदारी है। इसके अलावा हमारे यहां रिजर्व बैंक की एक समिति है, प्रबन्धक उसके अध्यक्ष हैं और स्टेटस के डी. आई. जी., आई. जी. भी उसके मैम्बर्स हैं . तो टाइम टू टाइम उसमें कैसे इसको रोका जाए, इसमें ऐसी बात होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं जानना चाहता था कि इस अवधि में उनके द्वारा सूचित धोखाधड़ी के मामलों की संख्या पिछली अवधि से अधिक है। क्या स्थिति चिंताजनक है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री दलबीर सिंह, वे जानना चाहते हैं कि अब धोखाधड़ी के मामले ज्यादा क्यों हैं।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अब इसमें हम तो ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की कि ब्रान्च भी बहुत ज्यादा है, डबल हो गई हैं, सारे नैशनल बैंक्स की।

[अनुवाद]

किंतु हम अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने यहां पर जानकारी रखी है, उसमें यह बताया जा रहा है कि बैंकों में 6 महीने में 27 करोड़ रुपये की अफरातफरी हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे इस निवेदन से वह इन्कार करेंगे कि कुल मिलाकर आज देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, इसमें से किसी भी बैंक ने अपने पिछले तीन साल से लेकर 5 साल की बैलेंस शीट रीकन्साइल नहीं की और अपनी बैलेंस शीट में आडिट रिपोर्ट में यह बात बताई है कि रीकन्सीलेशन नहीं हुआ है ? कुछ बैंकों ने जितना भी मुनाफा दिखाने की बात की है, कुछ तो घाटे में हैं, जिन्होंने भी मुनाफा दिखाने की बात की है, उन्होंने अपने एकाउण्टस को फर्ज करके जो रकम का आना है, वह न दिखाते हुए, जो पैसा गया है, वह न बताते हुए अपने एकाउण्ट्स को फर्ज

करते क्या उन्होंने मुनाफा दिखाने का काम नहीं किया है ? अन्त में, क्या मंत्री जी मेरी इस बात से इन्कार करेंगे कि आपने 27 करोड़ 6 महीने का लिखा है तो मैं आरोप लगाता हूं, इस सदन में कि कुल राष्ट्रीयकृत बैंक साल में दो हजार करोड़ रुपये की लूट कर रहे हैं, सबसे उच्च स्तर पर, क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं और क्या आप इसकी जांच करने को तैयार हैं ?

श्री दलबीर सिंह : यह बिल्कुल गलत है। टाइम टू टाइम हमारी बैलेंस शीट बनती है और इसमें कोई फोर्ज का मामला भी नहीं है। जो माननीय सदस्य ने बैलेंस शीट के लिए कहा है तो इसके लिए सेपरेट नोटिस इसमें देना चाहिए। बैंकों का **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मेरा कहना है कि बैंकों के तुलन-पत्र निरर्थक होते हैं। इस देश में राष्ट्रीयकृत बैंक सबसे बड़े ठग है। **(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मेरे विचार से मेरा यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था में सब कुछ सही है। किन्तु मैं सविनय यह भी कहना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा कि उचित जांच किए बिना ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाएं। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सजग रहेंगे; जो हम सभी बातों पर विचार करेंगे और इस मामले में कुछ कमी हुई तो, मैं सभा को विश्वास में लूंगा। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या मंत्री इस पर सहमत हैं कि सारे मामले पर आवास समिति विचार करें ? **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस संसद की कोई आर्थिक समिति नहीं है जो इस मामले पर विचार करे। इस पर विचार करने के लिए इस सभा में कोई समिति नहीं है। सरकार का कोई लेखा-परीक्षा विभाग नहीं है कोई नहीं है जो बैंकों का लेखा जोखा जांचे। वे खुद ही मुख्तार हैं। उच्चतम स्तर पर ये बैंक लोगों को ठग रहे हैं।

2000 करोड़ रुपये की राशि का मामला है। मैं यह पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं **(व्यवधान)** इस संबन्ध मे मैं माननीय वित्त मंत्री से अपना असंतोष व्यक्त करता हूं। अगर इस मुद्दे पर मैं गलत सिद्ध हुआ तो मैं संसद की अपनी शीट छोड़ने को तैयार हूं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : वित्त मंत्री यह सुझाव मानने को तैयार क्यों नहीं है कि आवास समिति इन आरोपों की जांच करें ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, मैं आपके प्रश्नों को अनुमति दूंगा। किन्तु कृपया ऐसे मत करें। मैंने श्री हरिन पाठक का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्रा बैंक में 19 केस रजिस्टर हुए हैं, फ्राड के जिनमें।

[अनुवाद]

इन मामलों में 190·53 लाख रुपए फंसे हुए हैं और अभी तक एक रुपया भी वसूला नहीं गया।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, 19 केसेज में जो दो करोड़ रुपए इन्वाल्व है, उसमें क्यों अभी तक एक पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है ? दूसरे, 19 केसेज में से कितने केसेज कोर्ट में पड़े हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब उन्होंने दिया है कि केसेज पैंडिंग पड़े हुए हैं।

श्री हरिन पाठक : महोदय, एक पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री दलबीर सिंह : उन्होंने आन्ध्र बैंक के बारे में पूछा है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए वे अलग से नोटिस दें।

श्री हरिन पाठक : आपने वक्तव्य में सूचना दी है। इसमें 190.53 लाख रुपए हैं और एक भी रुपया वसूला नहीं गया। इसका क्या कारण है ? अदालत में कितने मामले लम्बित पड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : महोदय 480 केसेज हैं, इसी में से सी.बी.आई. के द्वारा अन्डर इन्वैस्टीगेशन हैं और 566 कसेज अदालत में चल रहे हैं। इसमें सारा ऐसा कुछ नहीं है। इन्वाल्वमेंट इतनी जल्दी मालूम हो जाएगा।····(व्यवधान)···सभी बैंक्स का है और उसमें माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए बैंक का भी हैं।····(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, कृपया ऐसा मत करें। मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री के० वी० तंगकाबालू : माननीय मंत्री द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल 2744.99 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। यह सही नहीं है। भारत में और भारत के बाहर धोखाधड़ी के कई मामले हो रहे हैं। मेरी सूचना के अनुसार विशेषतः इण्डियन ओवर सीज बैंक के संबंध में, पी.टी फाइव स्टार प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर ने 130 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। किन्तु वक्तव्य में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार इन वर्षों में क्या कर रही है। क्या उन्होंने कोई कार्यवाही की है ? मैं जानना चाहूंगा कि सरकार कोई कार्यवाही करेगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। अगर कोई विशेष प्रश्न हो तो उन्हें जानकारी एकत्र करनी होगी।

(व्यवधान)

श्री के० वी० तंगकाबालू : महोदय, पी.टी. फाइव स्टार प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर ने 130 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार कोई कार्यवाही कर रही है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई सूचना है ?

श्री दलबीर सिंह : इसके लिए मुझे अलग नोटिस चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, नेशनलाइज्ड बैंक में हो रहे फ्राड की चर्चा हम सदन में कई बार कर चुके हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है और इन बैंकों के ऊपर किसी का नियन्त्रण नहीं है। पार्लियामेंट का भी नियन्त्रण नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटी-आन-पब्लिक-अंडरटेकिंग इसको एग्जामिन नहीं कर सकती है। मैं जब चेयरमैन था, तो नेशनलाइज्ड बैंक को एग्जामिन करने का कोशिश किया तो एक ही जवाब मिला कि एक सिक्रेसी क्लाज है, जिसके कारण आप इसको एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, एन्क्वायरी नहीं कर सकते हैं और रिपोर्ट यह है कि फ्राड बढ़ता जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, इस फ्राड को चैक करने के लिए पार्लियामेंट की कोई कमेटी या पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी में इसको एग्जामिन कर सकेंगे ? जब हम ने इसको पब्लिक अन्डरटेकिंग में चैक करने की कोशिश की तो एग्जामिन करने नहीं दिया और कहा कि बैंक आउट-आफ-बाउन्स हैं, कोई एग्जामिन नहीं कर सकता है। इसीलिए यह फ्राड बढ़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ ऐसा करेंगे कि हम इसको एग्जामिन कर सकें ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड में बैंक, का सिस्टम है, सिक्रेसी मैंनटेन करके, जो डिपाजिटर्स हैं, अगर बीच में फ्राड किया या कुछ किया, तो लाज बने हुए हैं, कोई क्रिमिनल माना जाएगा, उसको सजा मिलेगी।

[अनुवाद]

यह एक अत्यंत कठिन स्थिति है। (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मैं नहीं जानता कि इस मामले की जांच के लिए इस सभा की एक समिति क्यों नहीं बनाई जा सकती ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री वी० धनञ्जय कुमार : क्या मंत्री यह बतायेंगे कि सुप्रचारित ऋण मेलों के कारण क्या गड़बड़ी या धोखाधड़ी के कुछ मामले हुए हैं, यदि हों तो कितने ?

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है और आपको बैठ जाना चाहिए ।

हाँ, मंत्री महोदय ।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : यह एक अति विशिष्ट प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि इन मामलों में से क्या कोई ऋण मेलों से संबन्धित है । (व्यवधान)

श्री राम नाईक : उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । उन्होंने श्री पुजारी को हटा दिया है, जो इन ऋण मेलों के कर्ता-धर्ता थे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न को व्यक्तिगत रूप देने की अनुमति नहीं दे रहा ।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : यह व्यक्तिगत नहीं है । आपको मेरा बचाव करना होगा । उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री राम कापसे : महोदय, प्रश्न बहुत विशिष्ट है किन्तु उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार कृपया बैठ जाएं ।

श्री राम कापसे : प्रश्न किसी भी तरह व्यक्तिगत नहीं बनाया गया । उन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । यह प्रश्न बहुत अलग है । उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए । जब आप प्रश्न को स्वीकृत कर देते हैं तो मंत्री को उत्तर देना होगा । वे कम से कम यह तो कह सकते हैं कि मेरे पास सूचना नहीं है । उन्हें बोलना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किन्तु क्या उन्होंने कुछ कहा या नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनके पास विश्लेषित सूचना नहीं है ।

श्री श्रीकांत जेना : मंत्री ने कहा है कि गोपनीयता के कारण, सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति या सभा की कोई समिति बैंकों के कार्यकलाप की जांच नहीं कर सकती । हम एक बैंक, स्विस बैंक के गोपनीय खातों के बारे में सुनते हैं । किन्तु मैं जानना चाहता हूं, हमारे देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में । क्या इस ससद को बैंकों के कार्यकलापों विधि की जांच करने का अधिकार है या नहीं, और अगर नहीं है तो, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम विचार कर के गोपनीयता के खण्ड में संशोधन कर सकते हैं । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या संसद या इस संसद की समिति बैंकों के कार्यकलापों की जांच कर सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : शायद, यह एक बड़ा नीतिगत मुद्दा है । सरकार को इस पर विचार करना होगा और फिर कुछ करना होगा ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : सरकार का रुख क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ?

श्री मनमोहन सिंह : यह एक मुख्य नीतिगत प्रश्न है । मैं सविनय कहता हूं कि अन्य अवसर आएँगे, जब ये प्रश्न उठाए जा सकते हैं । किन्तु इस प्रश्न को उठाने के लिए प्रश्न काल उचित समय नहीं है । (व्यवधान)

[हिंदी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, इन्होंने सदन का अपमान किया है, इनको सदन से माफी मांगनी चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आप का पथ प्रदर्शित करूंगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आप वहां क्यों खड़े हैं ? मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, मैं आपका इस बारे में मार्ग दर्शन कर सकता हूं । आप वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय इस विषय पर भी विचार कर सकते हैं ।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में, नीति सम्बन्धी विषयों पर विचार नहीं किया जाता । कृपया आप यह समझ लें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, आप मंत्री महोदय को बचा रहे हैं । इनको अभी जवाब देना चाहिए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कालका दास, आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आपको हमारे हितों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक मैंने बिलकुल ऐसा ही किया है । मैं आपका पथ प्रदर्शन करूंगा । कृपया बैठ जाइए । अब, अगला प्रश्न लिया जाए ।

कन्याकुमारी से एर्णाकुलम तक अन्तर्देशीय जलमार्ग

*532. श्री एन० डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कन्याकुमारी से एर्णाकुलम तक एक अन्तर्देशीय जलमार्ग खोलने की व्यवहार्यता की जांच की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : केन्द्र सरकार ने पश्चिमी तट-नहर (कोवलम/त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम कोट्टापुरम-कासेरमोड़) पर नौचालन के लिए जलीय सर्वेक्षण और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराएं हैं । अध्ययनों से पता चला है कि विवलान के दक्षिणी अर्थात् विवलान-कोवलम खंड और कोट्टापुरम के उत्तरी खंड अर्थात् कोट्टापुरम-कासेरमोड़ खंड राष्ट्रीय जलमार्ग मानकों के अनुरूप जलमार्गों का विकास करने में कई समस्याएं पैदा करते हैं । कन्याकुमारी से त्रिवेन्द्रम तक अन्तर्देशीय जलमार्ग खोलने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया है ।

श्री एन० डेनिस : माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि कन्याकुमारी से एर्णाकुलम तक एक अन्तर्देशीय जलमार्ग खोलने की व्यवहार्यता की कोई जांच नहीं की गई है । कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच तथा वहां से एर्णाकुलम और अन्य स्थानों तक अन्तर्देशीय जलमार्ग उपलब्ध हो । से इस देश के दक्षिण-पश्चिम भाग की आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी ।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, श्री मनमोहन सिंह इस ओर आ गए है । क्या इस बात की अनुमति दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस की अनुमति दी जा सकती है । मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं ।

श्री राम नाईक : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, किन्तु इसे नजरअन्दाज किया जा सकता है ।

श्री एन० डेनिस : परिवहन के इस सस्ते और लोकप्रिय तरीके से गरीब लोगों के, जिनमें उस क्षेत्र के मछुआरे जो बहुत बड़ी संख्या में वहां रहते हैं, भी शामिल है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा । इस परियोजना को कुछ क्षेत्रों के दरारों को भरके और जहां नहरें नहीं हैं वहां नहरों का निर्माण करके आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है ।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार कन्याकुमारी से त्रिवेन्द्रम और वहां से एर्णाकुलम तथा अन्य स्थानों तक के लिए जल्द से जल्द एक अन्तर्देशीय जल-मार्ग खोलने की परियोजना को कार्यान्वित करेगी ?

श्री जगदीश टाईटलर : इस सम्बन्ध में फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है । हमने

किसी व्यवहार्यता की जांच भी नहीं की है। त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक नहर का एक हिस्सा संकीर्ण है, और वहां उथला पानी है। कुछ स्थानों पर कोई नहर नहीं है, कुछ स्थानों पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है कुछ स्थानों पर गाद जमा है और कुछ स्थानों पर सम्पत्ति के मालिक का ही पता नहीं है। अतः जहां तक त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक अन्तर्देशीय जलमार्ग खोलने का संबन्ध है सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

मूल प्रस्ताव क्विलोन से कोट्टापुरम, जो पश्चिम तटीय नहर है, तक का था। इसमें चम्पाकारा और उद्योग मंडल भी शामिल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करते हैं तो इसका अर्थ है कि वे सभा को सम्बोधित कर रहे हैं। यदि वे सदस्य को सम्बोधित करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, अनुमानित लागत 42.80 करोड़ रुपये थे और विधेयक को अक्तूबर, 1989 में पारित कर दिया गया था। किन्तु लोक सभा भंग होने से यह अप्रभावी हो गया था। यहां तक कि भूतपूर्व मन्त्री श्री उन्नीकृष्णन ने केवलान-क्विलोन-कोट्टापुरम से वडागरा तक के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी जिसकी अनुमानित लागत 410 करोड़ रुपयों से अधिक था। यदि मैं कासरगोड से त्रिवेन्द्रम तक के पूरे प्रस्ताव को लूं तो कुल लागत एक हजार करोड़ रुपयों से अधिक होती और आठवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 131 करोड़ रुपयों का प्रावधान है।

श्री एम॰ डेनिस : उत्तर से ऐसा जान पड़ता है कि यह आधे रास्ते में क्विलोन अथवा किसी अन्य स्थान पर रुक जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह परियोजना तब पूर्ण होगी यदि इसे कन्याकुमारी राष्ट्रीय टर्मिनल तक बना दिया जाये। पहले त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच ए॰ वी॰ एन॰ नहर थी जिसके द्वारा स्थायी रूप से अन्तर्देशीय जल मार्ग सेवा उपलब्ध थी। कुछ स्थानों में कुछ दरारें हो गई थीं जिन्हें बन्द नहीं किया गया था। इन स्थानों का नवीनीकरण किया गया है अतः अन्तर्देशीय जलमार्ग सेवा को रोक दिया गया। यदि इन दरारों को भर दिया जाये तो कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच तथा वहां से उत्तरी एर्णाकुलम और अन्य स्थानों के लिए एक लाभकारी अन्तर्देशीय जलसेवा खोली जा सकती है।

क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वे कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम तथा वहां से अन्य स्थानों के लिए अन्तर्देशीय जल मार्ग खोलने की व्यवहार्यता की जांच करेंगे अथवा नहीं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस पर एक अति आवश्यक विषय की तरह विचार किया जायेगा और क्या इसे कार्यान्वयन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री जगदीश टाईटलर : यह प्रश्न पहले भी दो-तीन बार उठाया जा चुका है क्योंकि यह सम्बन्धित माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य है। मैं केवल अनन्था विक्टोरिया मार्थाण्डम नहर, जिसे ए.वी.एम नहर कहा जाता है, के बारे में सूचना दे रहा हूं। त्रिवेन्द्रम से आठ किलोमीटर में उथला पानी है तथा छोटा मार्ग है; इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। कक्कामूला से पावडीमुक्कु तक की दूरी के बीच कोई नहर नहीं है। इसी प्रकार, यदि थोड़ा और आगे, कराचल

से पूवर, तक जायें तो वहां भी कोई नहर नहीं है। अतः कुछ स्थानों पर कोई नहर नहीं है; कुछ स्थानों पर यह बहुत छिछली है; कई स्थानों पर इस नहर का निर्माण 1860 में हुआ था, अधिकतर इस नहर में गाद जमा हो गया है और कोई नहर मौजूद नहीं है। बहुत से लोगों ने इस की सीमा का अतिक्रमण किया है। कोलाचल पोर्ट से नागरकोयल तक के फासले में, हम नहीं जानते कि पहले यहां कोई नहर मौजूद थी अथवा नहीं और यदि कोई नहर थी, तो हमें उसके बारे में मालूम नहीं है क्योंकि लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर दिया है।

मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं, कि यदि हम यह नहर बना भी लें तो हमें कई सुविधाओं, जैसे सड़कों इत्यादि की दशा में काफी सुधार करना होगा। अतः वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यह किसी भी तरह सम्भव नहीं है और वास्तविक व्यवहार्यता को देखते हुए भी इसे कार्यान्वित करना समझदारी नहीं होगी।

श्री ए० चार्ल्स : केवल अन्तर्देशीय जलमार्ग व्यवस्था की परियोजना से ही केरल की मदद की जा सकती है। माननीय मन्त्री जी द्वारा दिया गया उत्तर वास्तव में निराशाजनक है क्योंकि मैं पिछले पांच वर्षों से इसके लिए निवेदन कर रहा हूं। अन्तर्देशीय जल मार्ग के विकास में दक्षिण क्विलोन से कोवलम तक की दूरी में कई समस्याएं सामने आती है। आठवीं लोकसभा के अन्तिम दिन कोट्टापुरम से क्विलोन तक की दूरी को जलमार्ग में सम्मिलित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। यहाँ तक कि मन्त्री महोदय भी इस बात से सहमत थे कि कोई समस्या नहीं है, मैंने निवेदन किया है कि क्विलोन से त्रिवेन्द्रम की दूरी को भी राष्ट्रीय जल मार्ग के दूसरे चरण में शामिल किया जाये और इसे कार्यान्वित किया जाये। मुख्य मुद्दा है कि जब इसकी घोषणा हो तो यह कोट्टापुरम से त्रिवेन्द्रम तक की हो, माननीय मन्त्री महोदय ने तब सभा में यह स्पष्ट कहा था कि ऐसा कर दिया जायेगा। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या इस वायदे का मान रखकर इसे पूरा किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मन्त्री महोदय को उत्तर देने का समय दें।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, वह विधेयक पिछली संसद में व्यपगत हो गया था। मैंने इसे पहले ही मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ भेज दिया है। जहां तक क्विलोन से कोट्टापुरम की दूरी का प्रश्न है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जहां तक क्विलोन और त्रिवेन्द्रम के बीच की दूरी का प्रश्न है, यह दूरी 78 किलोमीटर की है जिसके लिए दो सुरंगों के विस्तृत परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके लिए 46। करोड़ रुपये की आवश्यकता है इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है और आर्थिक रूप से भी यह सम्भव नहीं है।

श्री पी० सी० चाक्को : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि धनराशि के अभाव में, त्रिवेन्द्रम -कासरगोड जलमार्ग को बनाना सम्भव नहीं है। इस पर सहमति हो गई थी कि तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो गया था और पिछली सरकार ने एक निर्णय ले लिया था। अतः क्या माननीय मन्त्री जी और सरकार इस जलमार्ग को बनाने के लिए अप्रवासी भारतीयों की धनराशि का प्रयोग करेगी क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत से अप्रवासी भारतीय रहते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार को इस परियोजना को तुरन्त

पूरा करने के लिए अप्रवासी भारतीयों की धनराशि, विशेष कर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसकी लागत बढ़ती जा रही है, का प्रयोग करने की अनुमति है। प्रति वर्ष यह 20 प्रतिशत बढ़ रहा है। अब शायद इसकी लागत 1,000 करोड़ रुपये हो जायेगी, किन्तु जिस समय यह पूरा होगी तब तक इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपये हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देने के लिए कृपया कुछ समय छोड़ें।

श्री पी० सी० चाक्को : क्या माननीय मन्त्री महोदय अप्रवासी भारतीयों की धनराशि का प्रयोग करने का विचार रखते हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : यदि अप्रवासी भारतीय आगे आकर हमारे देश के नियमों के अनुसार अपनी धनराशि का निवेश करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह नहर पूरी हो जाये। यदि अप्रवासी भारतीय किसी शर्त के बिना धनराशि उपलब्ध करा दें तो मुझे इसे स्वीकार करके प्रसन्नता होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बिहार के बीड़ी उत्पादकों द्वारा उत्पाद-शुल्क की कथित चोरी

*530. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बीड़ी उत्पादकों ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के भुगतान से बचने के लिये अपने कारखाने अपने आवासीय परिसरों में स्थानांतरित कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में संघ सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन बीड़ी निर्माताओं ने, जिनके पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस हैं, अपनी उत्पादन इकाइयों को उनके द्वारा घोषित किए गए परिसरों से ऐसे अन्य स्थानों में स्थानान्तरित कर दिया है जिनमें आवासीय परिसर भी शामिल हैं। तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की उगाही के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि माल को किसी आवासीय क्षेत्र में स्थित किसी परिसर में विनिर्मित किया जा रहा है अथवा किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किसी से परिसर में। अतः किसी कारखाने को आवासीय परिसरों में स्थानान्तरित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी करने से बचा जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यू० एस० फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्यात प्रेषणों को रोकना

*533. **श्री रवि राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन (एफ डी ए) द्वारा फरवरी और मार्च, 1991 के दौरान भारत से जहाज द्वारा भेजी गई अनेक निर्यात खेपों को जिनमें मुख्यत: खाद्य सामग्री थी, अमरीका में विभिन्न पत्तनों पर रोक लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है,

(ग) क्या सरकार ने इस मामले से सम्बद्ध कम्पनियों का पता लगाया है, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने भारत से निर्यात होने वाली सामग्री की गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

फरवरी तथा मार्च 1991 के दौरान भारत से जहाज द्वारा भेजी गई 188 निर्यात खेपों को जिनमें मुख्यत: खाद्य मदे थी, संयुक्त राज्य में विभिन्न पत्तनों पर रोक लिया गया था।

रोकी गई मुख्य मदों में शामिल है : चावल (कीड़े तथा कृन्तक गन्दगी की वजह से) प्रशिशिक्षित श्रिम्प तथा अन्य मछली (सैल-मोनेला सहित सड़न एव जन्तु बाधा की बजह से, पीतल का सामान तथा धातु का सामान (सीसे का अंश होने की वजह से) ममाले (पशु गन्दगी तथा कीड़े की बजह से (सत) अनिवार्य लेबिल न लगे होने की वजह से) तथा ईसबगोल की भूसी से कुछ मामले (कीड़े पड़ने की बजह से)।

अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों की सूची अमरीकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन द्वारा प्रकाशित की गई है। इन खेपों को अमरीकी पत्तनो पर रोके जाने का यह अभिप्राय नहीं है कि उन खेपों का अस्वीकार कर दिया गया है। रोके जाने का अभिप्राय यह है कि इन खेपो की स्वत: निकासी नहीं होती है अपितु इनकी निकासी परीक्षण करन के बाद की जाती है और अगर आवश्यक होता है तो इनकी निकासी सुधार करने के बाद की जाती है।

खाद्य उत्पादों की रोकी गई अधिकांश खेपें निर्यात निरीक्षण अभिकरण, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय अथवा फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशालय द्वारा किये जाने वाले अनिवार्य निर्यात निरीक्षण के कार्य क्षेत्र के भीतर आती थी। कुछ मामलों में निर्यातकों को संसाधन में क्वालिटी नियंत्रण (आईपीक्यूसी) योजना के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देन के लिए प्राधिकृत किया गया है। अगर रोकी गई इन खेपों को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है तब सम्बन्धित निरीक्षण अभिकरण के दोषी अधिकारियों (अगर उन्होंने खेप को प्रमाणित किया था) अथवा निर्यातकर्त्ता फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। तथापि, साथ ही साथ स्रोत पर जन्तुबाधा/सदूषण को कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तदनुसार अमरीकी पत्तनों पर रोकी गई खेपों की सूची तथा रोके जाने के कारण सम्बन्धित व्यापार एसोसिएशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा सरकारी अभिकरणों को भेज दिए गए हैं ताकि निर्यातक अमरीका में किए जाने वाले आयातों के संबंध में अमरीकी सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्यात खेपों की क्वालिटी को सुधारने की आवश्यकता को उसके अनुरूप बना सकें।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उद्योग के साथ इस वांछनीयता पर चर्चा कर रहा है क्या समुद्री उत्पाद की क्वालिटी प्रमाणित करने के लिए जो एजेंसियां परस्पर स्वीकार्य होंगी, उनके सम्बन्ध में अमरीकी एफ डी ए के साथ कोई समझौता ज्ञापन किया जाए। मूल रसायन, भेषजीय तथा प्रसाधन निर्यात सम्वर्धन परिषद ने उद्योग के साथ ऐसे उपायों पर चर्चा की है जिससे कि कीड़े की गन्दगी आदि को कम करने के लिए ईसबगोल की भूसी के सम्बन्ध में भंडारण सुविधाओं में सुधार लाया जा सके। मसाला बोर्ड ने प्रमुख निर्यातकों के साथ, इनमें वे निर्यातक भी शामिल है जिनकी खेपे रोकी गई थी, बैठक की है जिससे कि खेपों के अवरोधन को दूर करन के लिए उपाय तैयार किए जा सकें कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से कहा गया है कि वह भी इसी प्रकार कार्यवाही करें।

केरल में आयुध कारखाने की स्थापना

*534. श्री ए० चार्ल्स : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल में एक आयुध कारखाना स्थापित करने का अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस मामले में क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख)केरल के मुख्यमंत्री ने जनवरी, 1988 में यह अनुरोध किया था कि पैकेजों, उनके इनर लाइनरों तथा कंटेनरों और बाहरी खोलों के उत्पादन के लिए केरल के कण्णनूर जिले में आयुध निर्माणी संगठन के अधीन ही एक रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित की जाए।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि ऐसी कम तकनॉलाजी वाली तथा कम मूल्य वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए सिविल क्षेत्र में ही क्षमता उपलब्ध है इसलिए आयुध निर्माणियों में उनके सम्बन्ध में कोई नई क्षमता स्थापित नहीं की जाए।

निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता

*535. श्रीमती महेन्द्र कुमारी, श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में और 1991-92 के दौरान अब तक मुफ्त कानूनी सहायता योजना से राज्यवार, कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सभी न्यायालयों द्वारा निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धनों को दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता योजना का क्षेत्र बढ़ाने के लिए संघ सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1990-91 और 1991-92 (जून, 1991 तक) के दौरान विधिक सहायता स्कीम के माध्यम से क्रमशः लगभग 1.80 लाख व्यक्तियों और 0.18 लाख व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया। राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में अन्तर्विष्ट है।

(ख) से (घ) प्रत्येक नागरिक को जिसकी वार्षिक आय 6,000/- रुपए से कम है, उच्च न्यायालय तक मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है और उच्चतम न्यायालय के मामलों में यह सीमा 9,000/- रुपए तक है। किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, पायावरी जाति, के व्यक्तियों महिलाओं और बच्चों की बाबत देश के सभी न्यायालयों के समक्ष आय के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं है।

प्राप्त अनुभव के आधार पर, राज्य बोर्डों को अधिक लोक अदालतें आयोजित करने, सलाह केन्द्र खोलने और विधिक साक्षरता कार्यक्रम का प्रसार करने की व्यवस्था करने की सलाह दी जा रही है। ऐसा उनमें प्रेरणा जागृत करके और केन्द्रीय समिति द्वारा जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों के माध्यम से किया जा रहा है।

विवरण

अप्रैल 91 से जून, 91 के दौरान विधिक सहायता कायदाग्राहियों की संख्या

(30.5.1991 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित)

राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	इसके अन्तर्गत आने वाली अवधि मास और वर्ष	साधारण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग	महिला	बालक	योग
हरियाणा	4/91 से 5/91	49	4	—	—	31	—	84
कर्नाटक	—यथोक्त	339	—	—	—	—	—	339
मध्य प्रदेश	—यथोक्त	1,590	1,027	615	—	--	—	3,232
उड़ीसा	—यथोक्त	352	207	89	—	256	2	906
तमिलनाडु	4/91 से 5/91	4,974	899	441	—	2,492	—	8,806
उत्तर प्रदेश	4/91 से 5/91	2,450	567	117	492	374	195	4,195
पांडिचेरी	4/91 से 6/91	16	205	1	108	—	—	330
कुल योग		9,770	2,909	1,263	600	3,153	197	17.892

अप्रैल 90 से मार्च 91 तक के दौरान विधिक सहायता फायदाग्राहियों की संख्या

राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	अन्तर्वंत आने वाली अवधि अवधि मास और वर्ष	साधारण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग	महिला	बालक	योग
आंध्र प्रदेश	4/90 से 8/90	274	61	27	135	89	6	592
गोवा	4/90 से 12/90	21	—	—	—	19	—	40
गुजरात	4/90 से 12/90	464	153	93	—	281	4	995
हरियाणा	4/90 से 3/90	263	41	2	36	94	3	439
जम्मू और कश्मीर	—यथोक्त—	129	43	4	8	280	10	474
कर्नाटक	—यथोक्त—	1,348	508	81	—	684	1	2,622
मध्य प्रदेश	—यथोक्त—	14,631	8,594	6,834	—	—	—	30,059
मणिपुर	1/90 से 1[illegible]/91	8	—	—	—	—	—	8
उड़ीसा	4/90 से 3/91	2,532	1,628	1,112	—	1,932	10	7,214
राजस्थान	—यथोक्त—	—	2,993	1,413	731	1,153	155	6.445
तमिलनाडु	—यथोक्त—	32,380	4,748	283	—	7,017	1,102	45,530
उत्तर प्रदेश	—यथोक्त—	45,358	13,085	2,059	15,154	4,177	1,283	81,116
दिल्ली	4/90 से 1/91	1,303	71	2	—	691	—	2,067
पाण्डीचेरि	4/90 से 3/90	65	908	7	465	—	—	1,445
उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति	4/90 से 12/90	348	12	32	—	97	2	491
कुल योग		99,124	3 ,845	11,949	16.529	16,514	2,576	1,79 537

कर्नाटक सरकार को दीर्घावधि ऋण

* 536. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य को दीर्घावधि ऋण मंजूर करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, ताकि वह वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य की वित्तीय समस्याओं से निपट सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है;

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये; और

(च) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी ऋण राशि देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटुखे) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि 1-4-90 को बकाया रह गई 66.56 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता की वसूली का छोड़ दिया जाए या विकल्प के तौर पर उसे 20 वर्ष अधिक अवधि में देय दीर्घावधि ऋण मे बदल दिया जाए।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि अग्रिम योजना सहायता को समायोजन करने का सिद्धान्त सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है और कर्नाटक को किसी भी प्रकार की छूट देने से 1990-91 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं के निधिकरण की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) इस वर्ष केन्द्रीय योजना सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए सहायता, पश्चिमी घाटों के विकास हेतु विशेष सहायता, अल्प बचतों का संग्रहण आदि जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार को संभावित अन्तरणों का ऋण घटक कुल 650 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि यह 1990-91 में 440.42 करोड़ रुपए था।

राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण हेतु विश्व बैंक से सहायता

[हिन्दी]

*537. **श्री राम टहल चौधरी**
श्री तेज नारायण सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए आंशिक वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का पुर्ननिर्माण करने और उन्हें चौड़ा करने के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई है,

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत राजमार्गों की कितनी लम्बाई शामिल की जा रही है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है, और

(ङ) यह कार्य किस एजेन्सी को सौंपे जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) उन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न है, जिनके लिए पहले ही विश्व बैंक के साथ ऋण पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। एक विवरण संलग्न है।

(ग) विश्व बैंक ऋण सहायता के लिए बिहार से किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को शामिल नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	रा०रा० संख्या	लागत (करोड़ रु०)
1.	रा०रा० 8 पर मुख्य दिल्ली-बम्बई कोरीडोर में अहमदाबाद और बदोवरा शहरों को जोड़ने वाले एक नए दोहरे कैरिजवे एक्सप्रेसवे का निर्माण।	8	157.20
2.	मुरथल से करनाल (50-130 कि.मी.) तक चार लेन बनाना और मौजूदा कैरिजवे को सुदृढ़ करना।	1	40.16
3.	सरहिन्द से जालधर (292.25-372.7 कि. मी) तक चार लेन बनाना और मौजूदा कैरिजवे को सुदृढ़ करना।	1	67.58
4.	एक अतिरिक्त दो लेन कैरिजवे का प्रावधान और 27/8 से 67 कि. मी. तक की मौजूदा 2 लेन को सुदृढ़ करना तथा 67-160/2 कि. मी. तक सुदृढ़ करना।	45	68.49
5.	वाराणसी शहर के 2 लेन वाले बाईपास तथा गंगा नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण।	2	49.92
6.	मुख्य कलकत्ता-दिल्ली कोरीडोर में ग्रेड इंटर-सैक्शन पर नई 2 लेन सड़क और धनकुनी और पालसीट केन्द्रों को जोड़ने वाले सर्विस-रोड का निर्माण।	2	54.17

[अनुवाद]

गढ़वाल और चमोली क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

*538. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में गढ़वाल और चमोली क्षेत्रों की कौन-सी विकास योजनायें अथवा परियोजनायें चल रही हैं;

(ख) इन दो क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने गढ़वाल में श्रीनगर से बद्रीनाथ तक के मार्ग को चौड़ा करने हेतु सहायता देने का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में गढ़वाल और चमोली क्षेत्रों में कोई विकासात्मक स्कीमें अथवा परियोजनाएं जारी नहीं हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)
1	2	3
	कृषि	
1.	हिमालय जलविभाजक प्रबंध परियोजना	31.2
	बिजली	
2.	उत्तर प्रदेश बिजली परियोजना	350.00
3.	उत्तर प्रदेश, शहरी विकास कार्यक्रम	150.00
4.	पहली तकनीशियन शिक्षा परियोजना	260.00
5.	छठी जनसंख्या परियोजना	124.6

बेरोजा का आयात

[हिन्दी]

*539. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में बेरोजा का करोड़ों रुपए मूल्य का विशाल भंडार होने के बावजूद इस का आयात किया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी मुद्रा संकट को ध्यान में रखते हुए बेरोजा का आयात बन्द करने और हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध बेरोजा का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं । यह मद सीमित अनुमेय सूची में शामिल है । अतः इसका आयात लघु क्षेत्र के वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा जीवन रक्षक औषधियों और उपस्करों के विनिर्माण में लगे प्रयोक्ताओं के लिए लागू प्रक्रियाओं के अनुसार जारी एक्जिम स्क्रिप या विशेष लाइसेन्सों पर ही किया जा सकता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बैंकों में डकैतियां

*540. **श्री विलास राव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1991 से आज तक देश में कितनी बैंक डकैतियां हुई;

(ख) विभिन्न बैंकों में, बैंकवार कितने व्यक्ति मारे गए और कितनी-कितनी धनराशि लूट गई;

(ग) मृत कर्मचारियों के परिवारों को कुल कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) गिरफ्तार किये गये बैंक डकैतों से कितनी धनराशि वसूल की गई और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ख) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार 1.4.1991 से 9.8.1991 तक की अवधि के दौरान हुई बैंक डकैतियों/लूटपाटों की संख्या, उनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त राशि और वसूल की गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । ऐसे सभी मामलों की पुलिस द्वारा कानून के तहत जांच की जाती है । ऊपर बताए गए अनुसार वसूल की गयी धनराशि पुलिस द्वारा सम्बन्धित मामलों में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम है और उसमें गिरफ्तार व्यक्तियों से वसूल की गई राशि भी शामिल होती है ।

(ग) मारे गए छः व्यक्तियों में से चार बैंक कर्मचारी और दो जनता के लोग थे । बैंक कर्मियों के परिवार को दी गई राहत राशि 3 लाख रुपए थी और जनता के लोगों को दी गई राहत राशि 2 लाख रुपये थी ।

विवरण

बैंक का नाम	डकैतियों/लूटपाटों की संख्या	मारे गए व्यक्ति	अन्तंग्रस्त राशि (रु० लाख में)	वसूल की गई राशि (रु० लाख में)
1	2	3	4	5
1. इलाहाबाद बैंक	8	शून्य	7.96	0.50
2. बैंक आफ इण्डिया	5	—	9.64	—
3. बैंक आफ बड़ौदा	1	—	2.00	—
4. केनरा बैंक	3	—	4.59	1.00
5. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	4	—	3.23	—
6. इण्डियन बैंक	1	—	0.79	—
7. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1	—	3.70	3.22
8. पंजाब नेशनल बैंक	6	—	20.01	6.00
9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3	—	5.82	—
10. यूको बैंक	1	—	0.94	—
11. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1	—	0.23	—
12. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	3	—	4.28	—
13. भारतीय स्टेट बैंक	1	—	0.91	—
14. स्टेट बैंक आफ पटियाला	1	5	2.00	—
15. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	3	1	0.06	—
जोड़	41	6	66.16	10.72

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन मुकदमे

*541. श्री काशीराम राणा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायालयवार गत 5 से 10 वर्षों तक की अवधि से कितने मुकदमे निर्णयाधीन हैं; और

(ख इन मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के अतिरिक्त, मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विभिन्न उपाय, जैसे कि विधि के सामान्य प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, विशेष न्यायापीठों की स्थापना, प्रक्रियात्मक सुधार आदि किए गए हैं । बकाया मामला विषयक समिति (मालीमथ समिति) की जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की अवस्था का अध्ययन किया, रिपोर्ट में अंतर्विष्ट

विभिन्न सिफारिशें, सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों को, जैसे कि राज्य सरकार, केन्द्रीय मंत्रालय और उच्च न्यायालयों को उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई है ।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

न्यायालय का नाम	पांच वर्ष से दस वर्ष के बीच लंबित मामलों की संख्या (31-12-1990 को)
उच्चतम न्यायालय	18113 (केवल नियमित सुनवाई वाले मामले)
उच्च न्यायालय	
1. इलाहाबाद	156512
2. आंध्र प्रदेश	4554
3. मुंबई	35036
4. कलकत्ता	718241
5. दिल्ली	25800
6. गुवाहाटी	2414
7. गुजरात	19259*
8. हिमाचल प्रदेश	3516*
9. जम्मू-कश्मीर	6753@
10. कर्नाटक	10409@
11. केरल	5878
12. मध्य प्रदेश	3601
13. मद्रास	44564
14. उड़ीसा	4666
15. पटना	7131@
16. पंजाब और हरियाणा	16919
17. राजस्थान	14286
18. सिक्किम	23

*30-6-1990 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामले दर्शित करता है ।

**30-6-1989 को उच्च न्यायालय में लंबित मामले दर्शित करता है ।

@31-12-1989 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामले दर्शित करता है ।

नशीले पदार्थों का आगम

[अनुवाद]

*542. **श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में नशीले पदार्थों के आगम को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) स्वापक औषध द्रव्यों को देश में न आने देने के लिए 1985 से अनेक विधायी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—

(I) स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 नामक एक विस्तृत विधेयक बनाया गया था और इससे देश में लागू कर दिया गया था। इसे वर्ष 1989 में संशोधित किया गया था ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके।

(II) स्वापक औषध और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988, जिसमें बिना मुकदमा चलाए अभियुक्तों की अधिक से अधिक 2 वर्ष के लिए निवारक नजरबंदी की व्यवस्था है, बनाया गया था।

(III) स्वापक औषध तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक शीर्ष समन्वित तथा प्रवर्त्तन एजेंसी अर्थात स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का सृजन किया गया था और इसे बाद में सुदृढ़ बना दिया गया था। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने सभी केन्द्रीय और राज्य प्रवर्त्तन एजेंसियों/विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया है।

(IV) स्वापक सेल, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों तथा कुछ पुलिस संगठनों में सृजित किए गए हैं।

(V) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (आई० सी० पी० ओ०-इन्टरपोल), अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड, सीमा शुल्क सहयोग परिषद, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय औषध नियंत्रण कार्यक्रम, कोलम्बो प्लान ब्यूरो आदि के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

(VI) इस मामले पर अफगानिस्तान, मारिशस, पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(VII) नवम्बर, 1990 में भारत द्वारा एक क्षेत्रीय अभिसमय अर्थात् स्वापक औषध तथा मनः प्रभावी पदार्थों पर सार्क अभिसमय में हस्ताक्षर किए गए।

(VIII) भारत ने स्वापक औषध तथा मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध 1988 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को मान लिया है।

हथकरघा बुनकरों को लच्छी धागों की सप्लाई

*544. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लच्छी धागों के मूल्य में हुई भारी वृद्धि का हथकरघा बुनकरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर लच्छी धागे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां, हैं

(ख) 3-8-1991 से 17-8-1991 तक कोयम्बटूर बाजार में हैंक यार्न की भारित औसत कीमतें 54.01 रु० प्रति किग्रा. से बढ़कर 57.11 रु० प्रति किग्रा. हो गई है। कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति 10,20,30 और 40 के काउन्टों में बनी हुई है जिनकी हथकरघा क्षेत्र में भारी मांग है। कोयम्बटूर बाजार में इन काउन्टों की 3-8-1991 और 17-8-1991 की स्थिति अनुसार कीमतें नीचे की तालिका में दी गई है :

काउन्ट	सूती हैंक यार्न कोयम्बटूर बाजार	
	3-8-1991	17-8-1991
10 काउन्ट	36.73	39.48
20 काउन्ट	49.00	52.08
30 काउन्ट	56.33	59.53
40 काउन्ट/42 काउन्ट	59.77	64.11

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार के स्थाई प्रबन्ध किए हुए हैं जिनसे विभिन्न उपायों के जरिए हथकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर हैंक यार्न की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जा सके जैसे (1) हैंक यार्न दायित्व योजना जिसके अन्तर्गत प्रत्येक यार्न उत्पादक को सिविल खपत के लिए पैक किए जाने वाले कुल यार्न में से कम से कम 50 प्रतिशत यार्न हैंक के रूप में पैक करना जरूरी होता है; (2) हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना तथा मौजूदा बुनकर सहकारी कताई मिलों की क्षमता का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन. सी. डी. सी) के जरिए ऋण सहायता; (3) बुनकरों को उचित कीमतों पर हैंक यार्न की सप्लाई करने के मुख्य उद्देश्य से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना, (4) हथकरघा बुनकरों को सप्लाई करने के लिए सहकारी तथा राज्य क्षेत्र की मिलों द्वारा निर्मित हैंक यार्न की बिक्री कीमतों को विनियमित करने के लिए राज्य स्तरीय हैंक यार्न कीमत निर्धारण समिति की स्थापना; तथा (5) हथकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर यार्न उपलब्ध कराने के लिए सादे रील हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट देना तथा डबल क्रास रील हैंक यार्न पर रियायती दर पर उत्पाद शुल्क लगाना।

यार्न की कीमतों में हाल ही में उछाल आने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने देश में कताई उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि निकायों के साथ एक बैठक आयोजित की थी जिसमें उनसे उदारता बरतने तथा यार्न की कीमतों को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी राज्य क्षेत्र की मिलों के यार्न उत्पादन की मानीटरी करें तथा हैंक यार्न की सप्लाई कीमतों और वितरण के बारे में वस्त्र के प्रभारी सचिव के स्तर पर नियमित रूप से राज्य स्तरीय समीक्षा करें। मुख्य मंत्रियों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे जिलाधीशों को जिलों में यार्न के व्यापारियों के स्टाक तथा यार्न की बिक्री कीमतों की नियमित रूप से जांच करने का आग्रह करें ताकि यार्न की जमाखोरी को रोका जा सके। केन्द्रीय सरकार ने स्वयं भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम को ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि वह 40 और उससे कम के काउन्टों के यार्न का उत्पादन बढ़ाएं जिनकी कीमतों में वृद्धि होने से हथकरघा बुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने सूती यार्न के निर्यात की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है हालांकि भुगतान संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को निर्देश दे दिया गया है कि वह राज्यों में हथकरघा बुनकरों और एजेंसियों के लिए अपने यार्न सप्लाई के प्रचालन बढ़ाएं। वस्त्र आयुक्त को भी जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाने के उद्देश्य से यार्न व्यापारियों की जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करने हेतु सुरक्षा उपाय

*545. **श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए सरकार ने कोई सुरक्षा उपाय किये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं होने के प्रमुख कारण क्या हैं, और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(I) बेहतर ज्यामितियों, बाई पास बनाकर, 2/4 लेन बनाकर बेहतर इंटर-सैक्शन इत्यादि द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों में लगातार सुधार करना।

(II) ड्राईवरों के प्रशिक्षण और लाईसेंस देने, सड़क पर चलने हेतु वाहन की क्षमता की आवधिक जांच, विशेषतया सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर स्तर के वाहनों का निर्माण, ट्रकों की ओवरलोडिंग रोकने के उपायों के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम में और कड़े प्रावधान करना।

(III) राष्ट्रीय तथा राज्यीय स्तर सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन।

(IV) पैदल यात्रियों सहित सभी वर्ग के सड़क प्रयोगकर्ताओं में बेहतर जागरुकता पैदा करने के अभियान चलाए गए।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ ड्राईवरों का दोष, वाहनों में मैकनिकल दोष, यात्रियों का दोष, खराब मौसम, सड़क की कमियां और अन्य विविध कारण जैसे व्यक्ति-रहित रेलवे फाटक और मिली-जुली यातायात परिस्थितियां भी शामिल हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रकिया है और उनमें सुधार तथा कमियों को दूर करने की स्कीमों पर कार्रवाई, आपसी प्राथमिकता, विभिन्न योजना अवधियों में धन की उपलब्धता इत्यादि पर निर्भर करती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तम्बाकू कम्पनियों को वित्तीय सहायता

*546. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक तम्बाकू कम्पनियों का वित्तपोषण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक बैंक ने कम्पनियों को कम्पनी-वार कितनी धनराशि की सहायता दी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जून 1988, 1989 और जून 1990 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादकों के लिए बकाया अग्रिमों की राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपए में) राशि
जून, 1988	302
जून, 1989	355
जून, 1990	373

जहां तक बैंक-वार ब्यौरे का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुल 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक की ऋण सीमाओं का लाभ प्राप्त करने वाली तम्बाकू कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बैंकों के बारे में सूचना उपलब्ध है। दिसम्बर, 1988, दिसम्बर 1989 और दिसम्बर 1990 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार स्वीकृत सीमायें (कार्यशील पूंजी, और सावधि ऋण) और कुल बकाया रकमें संलग्न विवरण में दी गई हैं। जहां तक कम्पनी-वार सूचना का संबन्ध है, बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के अनुसार उनके ग्राहकों अथवा उनकी गतिविधियों के अनुसार उनके ग्राहकों अथवा उनकी गतिविधियों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

विवरण

दिसम्बर 1988, 1989 और 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंक-वार मंजूर की गई सीमा (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) और तम्बाकू कम्पनियों के कुल बकाये को दर्शाने वाला विवरण

(रु० करोड़ में)

क्रम सं० बैंक	1988		1989		1990	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1. केनरा बैंक	9.8	5.9	9.6	7.4	53.6	65.6
2. सिंडिकेट बैंक	7.6	6.9	9.2	11.6	23.6	03.7
3. कारपोरेशन बैंक	1.0	0.7	3.8	2.7	10.3	02.6
4. इण्डियन ओवरसीज बैंक	28.2	17.6	32.9	18.1	17.1	05.4
5. भारतीय स्टेट बैंक	39.5	25.5	34.9	22.3	30.7	27.2
6. इलाहबाद बैंक	1.0	0.8	1.5	1.2	2.5	2.5
7. विजया बैंक	4.7	3.0	4.5	3.6	10.3	8.4
8. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—	—	—	—	2.7	—
9. बैंक आफ बड़ौदा	2.5	0.7	2.8	1.3	11.4	—
10. बैंक आफ इण्डिया	2.0	—	4.7	0.2	3.5	—
11. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1.0	0.2	1.0	—	1.5	1.7
12. न्यू बैंक आफ इण्डिया	—	—	5.4	5.4	5.4	4 8
13. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	10.8	6.0	13.8	2.5	15.8	2.9
14. यूको बैंक	2 0	0.8	—	—	—	—
15. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	0.5	0.1	—	—	—	—
जोड़	110.6	68.2	124.1	76.3	188.4	127.8

रुपए में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात

547. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये का अवमूल्यन होने के बाद नकद प्रतिपूर्ति सहायता वापस लिये जाने के कारण रुपए में भुगतान करने वाले देशों को होने वाला निर्यात संकट में पड़ गया है;

(ख) क्या रुपए के अवमूल्यन के कारण भारत और सोवियत संघ के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) रुपया भुगतान वाले देशों को निर्यात करने वाले कुछ निर्यातकों ने नगद मुआवजा सहायता वापस लेने के बाद उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन दिये हैं। लेकिन, रुपया भुगतान करने वाले देशों को होने वाला निर्यात संकट में नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

548 **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अन्य राज्यों की तुलना में वाणिज्यक बैंकों द्वारा प्रति व्यक्ति कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) उड़ीसा में लघु उद्योगों और कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों का ऋण-जमा अनुपात कितना है ; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में लघु उद्योगों को कितनी सहायता दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में अन्य राज्यों की तुलना में, वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति निवेश अनुबन्ध में दिया गया है। किसी राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात बैंक की कुल जमा राशियो तथा उस राज्य में ऋण संवितरण पर आधारित होता है। अत: घटक वार ऋण जमा अनुपात उपलब्ध नहीं है। मार्च, 1991 को स्थिति के अनुसार उड़ीसा में ऋण जमा अनुपात 76.5 प्रतिशत था।

(ग) दिसम्बर, 1987, दिसम्बर, 1988 तथा सितम्बर, 1989 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिम क्रमश : 177 करोड़ रुपए, 188 करोड़ रुपए तथा 224 करोड़ रुपए थे।

विवरण

मार्च 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा राज्यवार प्रति व्यक्ति निवेश को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का निवेश (रुपए लाख में)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रतिव्यक्ति निवेश
1. आन्ध्र प्रदेश	1,46,380	23
2. अरुणाचल प्रदेश	577	71
3. असम	53,761	218
4. बिहार	1,72,668	202
5 गोवा	1,513	113
6. गुजरात	1,32,831	327
7. हरियाणा	48,385	298
8. हिमाचल प्रदेश	17,095	339
9. जम्मू और कश्मीर	26,635	363
10. कर्नाटक	1,10,357	246
11. केरल	98,077	329
12. मध्य प्रदेश	1,40,718	222
13. महाराष्ट्र	2,16,131	290
14. मणिपुर	4,840	273
15. मेघालय	8,431	493
16 नागालैण्ड	6,892	621
17. उड़ीसा	86,470	278
18. पंजाब	57,444	292
19. राजस्थान	1,20,347	275
20. सिक्कम	757	172
21. तमिलनाडु	1,53,126	274
22. त्रिपुरा	5,047	198
23. उत्तर प्रदेश	2,79,232	207
24. पश्चिम बंगाल	1,59,223	244

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

4049. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात के लिए भारत और जापान के बीच हुए पांच वर्ष के समझौते को रद्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। और

(ग) जापान को लौह अयस्क किस मूल्य पर सप्लाई किया जाता है और इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वर्ष के दौरान जापान को जिस कीमत पर लौह अयस्क का निर्यात हो रहा है वह 13.12 अमरीकी डालर और 25.99 अमरीकी डालर एफ.ओ. बी. प्रति टन के बीच रही। यह कीमत अयस्क की किस्म और गुणवत्ता तथा लदान स्थितियों, समुद्री किराए आदि पर निर्भर करती है। जापान को वर्ष 1991-92 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के लिए भारतीय निर्यातकों को जो कीमत वृद्धि प्राप्त हुई है वह वही थी जो कि जापान स्टील मिल्स ने अन्य निर्यात करने वाले देशों को दी है।

एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के नये उत्तरदायित्व

4050. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में "अन्डर-स्टाफ्ड एम० आर० टी० पी० सी० में नो: एक्सेप्ट न्यू रेसपोंनसिबिलीटीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बदली हुई परिस्थिति में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) औद्योगिक नीति पर वक्तव्य के अनुसार एकाधिकारिक अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित तथा नियमित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ नवशक्ति प्राप्त एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को स्वप्रेरणा से या वैयक्तिक उपभोक्ताओं या उपभोक्ता श्रेणियों से एकाधिकारिक, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर जांच आरम्भ करने के लिए अधिकार दिया जायेगा।

(घ) औद्योगिक नीति पर वक्तव्य में उल्लिखित व्यापारिक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग को सौंपे जाने वाले अतिरिक्त दायित्वों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में उपयुक्त संशोधनों के द्वारा प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी। एम० आर० टी० पी० आयोग को इन अतिरिक्त दायित्वों को निभाने के लिए उपयुक्त रूप से साधन सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे।

यूरोप में बन्द पड़ी पटसन मिलों का अधिग्रहण

4051. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप में बन्द पड़ी पटसन मिलों का अधिग्रहण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा जोखिम उठाने का औचित्य क्या है जबकि अपने देश के अन्दर बीसियों पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ग) विदेशी मुद्रा में इस प्रयोजनार्थ कितना खर्च करना पड़ेगा; और

(घ) यह प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। निजी क्षेत्र की एक पटसन मिल ने सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) यूरोप में एक पटसन मिल की स्थापना करके वहां पटसन फैब्रिक के बढ़ रहे बाजार का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है ताकि भविष्य में टैरिफ प्रतिबन्धों के लागू होने की किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

(ग) इस परियोजना पर 4.0 लाख पौंड लागत आने का अनुमान है। ऐसा अनुमान है कि 5 वर्ष की अवधि के भीतर इस परियोजना से निवल विदेशी मुद्रा का अर्जन होने लगेगा।

(घ) कुछ शर्तों पर इस प्रस्ताव का अनुमोदन विदेश में संयुक्त उद्यम सम्बन्धी अन्तर-मन्त्रालयी समिति की बैठक में किया गया था।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में अ. जा./अ. ज. जा. के कर्मचारियों की पदोन्नति

4052. डा० पी० वल्लल पेरुमान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के का. ज्ञापन संख्या 30612/3/78—संस्थापन (एस. सी. टी.) दिनांक 9-2-1982 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को देय और अनुमत्य प्रतिनिधित्व/शेयर अखिल भारतीय सेवा परीक्षा, 1989 द्वारा लिपिकीय संवर्ग से जे. एम. जी. स्केल—1 में पदोन्नतियां की थीं।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और बकाया पदों को पूरा भरने की क्या योजनाएं है;

(ग) क्या बैंक का अखिल भारतीय सेवा परीक्षा, 1989 के अन्तर्गत अ. जा./अ. ज. जा. के अभ्यार्थियों को उसी दिनांक से देय प्रतिनिधित्व देने का विचार है जिससे अन्य अभ्यार्थियों को पदोन्नत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या बैंक ने अ. ज. जा. के बकाया पदों को भरने के लिए ही विशेष परीक्षा ली है; और

(च) यदि हां, तो उक्त परीक्षा के फलस्वरूप भरे गये रिक्त पदों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) से (च) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसने दो चरणों में 136 रिक्त पदों को भरा था जो इस प्रकार हैं :—

इन तारीख से	अ. जा.	अ. ज. जा.	सामान्य
1-11-90	5	9	54
29-12-90	4	50	14
जोड़	9	59	68

चूंकि लिपिक से जे एम. जी. एस.—1 कैडर में पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग में सबसे पुरानी बकाया रिक्तयां थी अतः उसने 18-11-90 को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक विशेष अखिल भारत सेवा परीक्षा का आयोजन किया और 50 अ. ज. जा. के अभ्यर्थियों को 29-12-90 से पदोन्नति दी। चूंकि यह रिक्तयां अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थी। अतः इन्हें विशेष पदोन्नति प्रक्रिया के माध्यम से भरा गया क्योंकि ऐसे अभ्यार्थी सामान्य पदोन्नति प्रक्रिया से मिल नहीं रहे थे। उनकी पदोन्नति की तारीखों को पूर्व दिनांकित करना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बचतें जुटाया जाना

4053. **श्री अमल दत्त : क्या वित्तमंत्री** यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आम जनता से बचतें जुटाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) अब तक इस दिशा में चलाये गये अभियान और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने आम जनता के लिए 1 जुलाई, 1989 को आवास ऋण खाता योजना के नाम से ऋण-सह-बचत योजना शुरू की है जिसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और कुछ चुनी हुई आवास वित्त कम्पनियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। आवास ऋण खाता योजना के अन्तर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत में कहीं भी आवास/फ्लैट/अपार्टमेंट नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या चुनी हुई आवास वित्त कम्पनियों में अपना खाता खोल सकता है। न्यूनतम अंशदान 30/-रु० प्रतिमाह है और योजना के अन्तर्गत बचत की जाने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आवास ऋण खाता योजना के अन्तर्गत जमाराशियों पर मिलने वाले ब्याज की दर 10 प्रतिशत होगी जो कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि रूप में बढ़ेगी, योजना के अन्तर्गत आवास ऋण के लिए पात्र होने के वास्ते न्यूनतम बचत अवधि 5 वर्ष है।

राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवास ऋण खाता योजना के अन्तर्गत 5 लाख खाते खोले गए थे जिसमें जून, 1991 के अन्त तक 92 करोड़ रुपये की कुल राशि जमा थी।

बीड़ी का निर्यात

4054. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा देश-वार कितनी मात्रा में बीड़ी निर्यात किया गया; और

(ख) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) तथा (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई बीड़ी की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा (मी० टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1988-89	462	2.10
1989-90	1478	2.90
1990-91	351	3.21

उपर्युक्त निर्यात का देश-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मात्रा टनों में)

देश	1988-89	1989-90	1990-91
अफगानिस्तान	15	46	24
आस्ट्रेलिया	—	1	—
बहरीन	12	11	24
कनाडा	—	—	1
जापान	1	—	—
कुवैत	2	8	—
मलेशिया	7	13	7
नीदरलैण्ड्स	—	1	—
ओमान	36	21	15
कतर	76	126	6

1	2	3	4
सिंगापुर	7	6	9
साउथ अरेबिया	89	13	45
यू०ए०ई०	158	1223	170
यू०एस०ए०	1	3	3
पश्चिमी जर्मनी	58	—	—
साउथ कोरिया	—	6	—
कुल :	462	1478	351

कार्पोरेशन बैंक का कार्यकरण

4055. **श्री कालका दास** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अप्रैल, 1990 तथा 13 मई, 1990 को प्रकाशित पत्रिका "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में क्रमशः "ऐन अनडिस्कलोज्ड लायबल्टी" तथा कार्पोरेशन बैंक्स क्रेडिट पोर्टफोलियो अनहेल्दी" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूरे मामले की कोई छानबीन कराई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और बैंक के कार्यकरण में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ये समाचार अशोध्य ऋणों, रुग्ण ऋण पोर्टफोलियो तथा ऋणों की मंजूरी में अनियमितताओं और अवरुद्ध अग्रिमों के कारण बैंक को अघोषित देनदारियों के बारे में थे।

(ग) इन मुद्दों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की गई थी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की जांच से पता चलता है कि अधिकतर आरोप बहुत पहले मंजूर किए गए अग्रिमों के संबन्ध में हैं, जिन पर इसने अब अपनी जांच रिपोर्ट में पहले ही टिप्पणी की है। जांच से, कुछ अग्रिमों के सम्बन्ध में मंजूरी से पहले तथा मंजूरी के बाद की निर्धारित प्रक्रियाओं से कुछ हटकर कार्य करने का पता चला है। अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने के सबन्ध में बैंक द्वारा अनुपालन की गई कार्यविधि तथा प्रक्रिया की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की गयी और बैंक को परामर्श दिया गया कि जब कभी किसी खाते के अवरुद्ध होने के लक्षण दिखाई दें तो स्टाफ की जिम्मेदारी की जांच की जाए और इस कार्य के लिए ऋणों को बट्टे खाते डाले जाने तक इन्तजार न किया जाए। कारपोरेशन बैंक ने भारतीय स्वर्ण बैंक को सूचित किया है कि इसने इसे बताई गई चूकों/विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्य तथा उपलब्धियां

4056. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-

वार कच्ची सामग्री गारन्टी योजना के अन्तर्गत अभावग्रस्त क्षेत्रों में सूत के डिपों की स्थापना करने के मामले में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा किए गए कार्यों और इनके परिणामस्वरूप निगम को हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : भारत सरकार ने अगस्त 1989 में मिल-गेट कीमत पर कमी वाले और अन्य क्षेत्रों को यार्न की सप्लाई के लिए एक विशेष योजना मंजूर की थी। इस योजना को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन. एच. डी. सी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। योजना समयबद्ध और मात्राबद्ध थी जोकि केवल एक बार के लिए ही थी। योजना के अन्तर्गत एन. एच डी. सी. को एक वर्ष की अवधि में यार्न की 1 लाख गांठें सप्लाई करनी थी। योजना की अवधि को बाद में बढ़ाया गया था और मार्च 1991 में यह समाप्त हो गई थी। योजना के अन्तर्गत, एन एच. डी. सी. ने 23 राज्यों में अपने डिपों के माध्यम से 89 करोड़ रु० से अधिक मूल्य की 1.15,525 गांठें, 1451 बैग तथा 1,02,462 किग्रा. यार्न की सप्लाई की। राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। एन. एच. डी. सी. द्वारा मिल गेट कीमत पर यार्न सप्लाई करने के लिए सप्लाई किए गए यार्न के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता दी जानी थी।

एन. एच. डी. सी. जयपुर, कोचीन, कलकत्ता और क्वीलोन में 4 विपणन काम्पलैक्स चला रहा है। दो काम्पलैक्स अहमदाबाद और हैदराबाद में भी स्थापित किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	सप्लाई किए गए यार्न की मात्रा			मूल्य लाख रु० में
		गांठें	बैग	किग्रा	
1.	आंध्र प्रदेश	10910.00	—	—	939.12
2.	असम	5344.00	—	—	473.66
3.	बिहार	5686.00	—	—	416.98
4.	गुजरात	297.50	—	—	26.34
5.	हरियाणा	3217.50	125.00	900.00	211.27
6.	जम्मू तथा काश्मीर	298.00	—	55220.25	53.51
7.	कर्नाटक	9289.00	—	—	793.26
8.	केरल	426.00	—	—	33.09
9.	मध्य प्रदेश	10812.20	—	26456.50	932.23
10.	महाराष्ट्र	3049.00	—	2000.00	244.34
11.	मणिपुर	598.00	—	7950.30	66.36
12.	मिजोरम	20.00	—	—	1.41
13.	मेघालय	42.00	—	—	2.54

1	2	3	4	5	6
14.	नागालैंड	172.00	—	—	2.05
15.	उड़ीसा	5616.00	—	100.00	470.52
16.	पांडिचेरी	108.00	—	—	7.72
17.	राजस्थान	1713.00	1075.00	3500.00	137.50
18.	सिक्किम	134.50	—	--	0.43
19.	तमिलनाडु	21724.00	—	---	1501.44
20.	हिमाचल प्रदेश	40.00	—	—	3.29
21.	त्रिपुरा	1009.50	—	—	84.38
22.	उत्तर प्रदेश	25393.00	251.00	5435.00	1611.65
23.	प० बंगाल	9626.27	--	—	908.23
	योग :	115525.97	1451.00	102462.05	8921.32

सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

[हिन्दी]

4057. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई है;

(ख) उनके विरुद्ध किन मामलों की जांच की गई है, और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 1.7.90 और 30.6.91 के बीच सेना के कमीशन अफसरो के विरुद्ध जांच की थी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 12 मामलों की जांच की और इसमें सेना के 15 अफसर अन्तर्ग्रस्त पाए गए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जिन आरोपों की जांच-पड़ताल की गई थी उनका सम्बन्ध टेण्डर आमंत्रित किए जाने, सामान की खरीद परिवहन के लिए ठेकों की मजूरी वाहनों को किराए पर लिए जाने, स्थानीय खरीद में अनियमितता, रिश्वत लेने तथा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां रखने आदि से था।

जांच के चार मामलों में, जिनमें सेना के पांच अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं, जांच कार्य पूरा कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट सेना मुख्यालय को अगली कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी है। इन अफसरों में से एक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है।

शेष 8 मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

पशु मांस का निर्यात

[अनुवाद]

4058. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, मानव उपभोग के लिए कितने मूल्य पशु मांस का निर्यात किया गया;

(ख) बड़ी मात्रा में आयात करने वाले देशों का नाम क्या है;

(ग) किस-किस पशु का कितना कितना मांस निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसी पहचान प्रक्रिया शुरू की है जिससे यह ठीक पता लग सके कि मांस किस पशु का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निर्यात किए गए पशु मांस की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

मात्रा : मी० टन में
मूल्य लाख रुपये में

वर्ष	भैंस का मांस		भेड़/बकरी का मांस		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1988-89	60695	8700	6496	2179	67191	10879
1989-90 *[अ]	61764	9014	7474	2883	69238	11897
1990-91 *[अ]	62456	10576	8682	3497	71138	14073

*(अ) अनन्तिम

स्रोत: डी. जी सी. आई. एन. एस. कलकत्ता, एपीडा, नई दिल्ली।

प्रमुख आयातक देश मलयेशिया, यू.ए.ई. जार्डन, मारिशस तथा साऊदी अरब हैं !

(घ) तथा (ङ) : मांस के निर्यात की अनुमति उस प्रदेश के विनिर्दिष्ट वेटिरनरी प्राधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है जहां पर मांस का उत्पादन होता है ऐसे जानवरों की किस्म को जिनसे मांस प्राप्त होता है इस प्रमाणपत्र से सुनिश्चित किया जाता है।

जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

4059. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम ने विभिन्न योजनाओं के लिए राजस्थान को वर्ष-वार और योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता दी; और

(ख) वित्तीय सहायता के लिए जीवन बीमा निगम के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने राजस्थान सरकार की प्रतिभूतियों में 25 करोड़ रुपए लगाए।

विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम राजस्थान राज्य में निवेश

वर्ग	वर्ष के दौरान		
	1988-89	1989-90	1990-91
	(लाख रुपए)		
1. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	1655.00	2072.56	2500.00
2. भूमि विकास बैंक ऋणपत्र	192.00	175.00	190.00
3. राज्य बिजली बोर्ड को ऋण :	1200.00	1400.00	1400.00
4. सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्यों को ऋण	387.00	416.00	407.00
5. शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां, आवास बोर्ड और अन्य प्राधिकरण	250.00	300.00	400.00
6. जल आपूर्ति योजनाओं के लिए नगर पालिकाएं	319.00	*1167.00	403.00
7. राज्य बिजली बोर्ड नियमित क्षेत्र :	1864.00	2237.00	2674.00
8. कम्पिनियों (पब्लिक, सहकारी और निजी क्षेत्र) को शेयर, ऋणपत्र और ऋण	411.19	1618.39	7092.50
	6278.19	9385.95	15066.50

* इसमें योजना आयोग के आवंटन के अलावा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और साधारण बीमा निगम के सहयोग में बिसालपुर जल आपूर्ति परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए राजस्थान जल आपूर्ति और मल-जल निगम को दिया गया 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण शामिल है,

मानव-निर्मित तथा संश्लिष्ट तन्तु धागे और स्टेपल रेशे के विक्रय मूल्य का अध्ययन

[अनुवाद]

4060. **श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) से विभिन्न मानव निर्मित तथा संश्लिष्ट तन्तु धागे और स्टेपल रेशों से सम्बन्धित लागत और उचित विक्रय मूल्य के अध्ययन करने के लिए कहा है;

(ख) क्या बी. आई. सी. पी. का विस्कोस तन्तु धागे और मिश्रित धागे के सम्बन्ध में भी ऐसे अध्ययन करने का प्रस्ताव है जैसा कि उपभोक्ता उद्योगों ने बार-बार अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे अध्ययन के अभाव में सरकार उपभोक्ताओं के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) यह सत्य है कि सरकार ने विभिन्न मानव निर्मित और सिन्थेटिक स्टेपल फाईबर तथा विस्कोस फिलामेंट यार्न सहित फिलामेंट यार्न की लागत तथा उचित बिक्री मूल्य के अध्ययन का कार्य बी०आई०सी पी० को सौंप दिया है। ब्लेंडिड यार्न के सम्बन्ध में ऐसा कोई अध्ययन करने का कार्य बी०आई०सी०पी० को नहीं दिया गया है। फिर भी सरकार इन अध्ययनों के बारे में खुले दिमाग से विचार करती है और यदि आवश्यकता पड़ी तो ब्लेंडिड यार्न के सम्बन्ध में भी उपयुक्त अवस्था पर अध्ययन कराया जा सकता है।

विदेश दौरों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना

4062. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान सांस्कृतिक दलों, केन्द्र व राज्य सरकारों के मंत्रियों तथा अधिकारियों, सहकारी निकायों और भारतीय पर्यटकों के विदेशी दौरों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा जारी की गई है,

(ख) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा के संकट को देखते हुए इस प्रकार के दौरों को बहुत कम करने तथा केवल महत्वपूर्ण अधिकारियों तथा व्यवसायिक प्रयोजनों तक सीमित करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सरकार के विभिन्न विभागों को अधिकारियों के विदेश दौरों को कम से कम किए जाने हेतु निदेश जारी कर दिए गए हैं। वास्तव में, जब तक विदेशी सहायता, व्यापार और विदेश नीति से सम्बन्धित कोई विशेष मामला न हो, सामान्यत: अधिकारियों को विदेश यात्रा की मंजूरी दी जाती।

गाजीपुर अफीम कारखाना

[हिन्दी]

4063. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर जिले में अफीम कारखाना कब स्थापित किया गया था और अब तक कितनी बार इसकी मरम्मत की जा चुकी है; और

(ख) सरकार ने उक्त कारखाने से गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना लाभ कमाया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गाजीपुर जिले में अफीम के कारखाने की स्थापना 1820 में की गई थी और जब कभी भी आवश्यकता प्रतीत हुई है इसकी मरम्मत करके इसे ठीक-ठाक करवा दिया गया। गत वर्षों में; कुछेक इमारतों में वर्ष 1982, 1983 और 1985 में बड़े पैमाने में मरम्मत कार्य (छोटी-मोटी मरम्मतों को छोड़ कर) करवाया गया था।

(ख) इस कारखाने से गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार अर्जित किए गए लाभ तथा हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	लाभ (लाख रुपयों में)	हानि (लाख रुपयों में)
1988-89	—	232·26
1989-90	459.14	—
1990-91	699.49	—

(उपर्युक्त आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है)

निर्यात संवर्धन परिषदों को प्राप्त निविदाएं

[अनुवाद]

4064. **श्री माण्ये गोवर्धन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक निर्यात संवर्धन परिषदों को कितने मूल्य की निविदायें प्राप्त हुई;

(ख) भारतीय पार्टियों द्वारा ऐसी निविदाओं के अब तक कितने मूल्य के आदेश प्राप्त किए गये हैं; और

(ग) क्या हाल के उदारीकरण और विनियमन समाप्ति के कारण निर्यात संवर्धन परिषदों के निष्क्रिय हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन

परिषदें सामान्यतया विदेशी क्रेताओं से निविदाएं प्राप्त नहीं करती हैं । निर्यात संवर्धन परिषदें केवल निविदा सूचना के नोटिस तथा व्यापार सम्बन्धी पूछताछ प्राप्त करती हैं । इन्हें इन परिषदों के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाता है । चूंकि सदस्यों को इन निविदाओं की स्वीकृति सम्बन्धित सूचना देन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः परिषदें ऐसी निविदाओं के लिए भारतीय पार्टियों द्वारा प्राप्त निविदाओं/आदेशों के मूल्य से सम्बन्धित सूचना नहीं रखती है ।

(ग) जी, नहीं ।

सी० सी० आई० का निर्यात सौदा

4065. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री** अतारांकित प्रश्न सं० 328 के लिए 14 मार्च, 1990 तथा अ०ता०प्र० स० 665 के लिए 27 फरवरी 1991 को दिए गए उत्तरों के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की जांच इस बीच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में दोषारोपित अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

पहाड़ी इलाकों में सड़कों के विकास के लिए केरल को धनराशि का आवंटन

4066. **श्री पी० सी० थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रख-रखाव के लिए केरल को केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी राशि आवंटित की गई है, और

(ख) क्या केरल में कोट्टायम जिले में मेलुकावु के पहाड़ी इलाकों में कोलोर्ना, इरुमापरा, नेल्लापारा के आदिवासी इलाकों को जोड़ने के लिए सड़कों के विकास हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि आवंटित करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अभी तक सड़कों के निर्माण/विकास के लिए निधियां दी गई है न कि उनके रख-रखाव के लिए। गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि से केरल सरकार को आबंटित कुल राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाख रु०)
1988-89	10.06
1989-90	135.016
1990-91	150.00

(ख) और (ग) : केरल सरकार ने बढ़ाई हुई केन्द्रीय सड़क निधि जिसमें अभी वास्तविक रूप से वृद्धि नहीं हुई है, के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के तहत राज्य सड़कों के विकास के लिए 103.117 करोड़ रु० की लागत वाली 81 स्कीमों का प्रस्ताव किया है लेकिन केरल के कोटटायम जिले के मेलूकावू के पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कें राज्य सरकार द्वारा इसमें शामिल नहीं की गई है।

बैंकों में स्थानान्तरण नीति

4067. **श्री रोशन लाल** : क्या वित्त मंत्री यह, बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को इस आशय के कोई निर्देश जारी किये हैं कि यदि पति-पत्नी दोनों सेवा में हों तो उन्हें एक स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्देश को सभी बैंकों द्वारा सख्ती से लागू/पालन किया जा रहा है;

(ग) पंजाब नेशनल बैंक के दरभंगा क्षेत्रीय/जोनल प्रबन्धक के कार्यकलापों में ऐसे कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(घ) इन आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सेवारत दम्पत्ति सामान्य पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकें इसके लिए सरकार ने 12.8.1987 को कुछ मार्ग-निर्देश जारी किए हैं जिनमें बैंकों से कहा गया है कि पति-पत्नी दोनों यदि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत हैं तो उन्हें एक ही स्टेशन पर या पास के स्टेशन पर तैनात किया जाए बशर्ते कि प्रशासनिक सुविधा हो, रिक्त पद उपलब्ध हों; सरकार के विद्यमान अनुदेशों का पालन हो रहा हो और यूनियनों आदि से समझौता हो। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसे अनुरोधों पर मार्ग-निर्देशों, स्थानांतरण नीतियों आदि के आलोक में विचार करते हैं।

(ग) और (घ) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उनके दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसे दो अनुरोध लम्बित हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण वह इन्हें स्वीकार नहीं कर सका है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ता

4068. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ विभागों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी दिसम्बर, 1983 से विशेष ड्यूटी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को अखिल भारतीय स्थानांतरण उत्तरदायित्व की परवाह किए बिना विशेष ड्यूटी भत्ता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व वाले केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारी उनकी पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनाती पर नवम्बर, 1983 से विशेष (ड्यूटी) भत्ता लेने के हकदार हैं। तथापि, विशेष (ड्यूटी) भत्ता मंजूर किए जाने की पूरी स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है।

केरल में बेपोर और अजीक्कल पत्तनों का विकास

4069. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को छोटे पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत विकास हेतु "बेपोर और अजीक्कल' पत्तनों को सम्मलित करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इन प्रस्तावों के ब्योरे इस प्रकार है :—

बेपोर पत्तन	—	चरण I	1500 लाख रु०
	—	चरण II	5750 लाख रु०
		योग	7250 लाख रु०
अजीक्कल पत्तन	—	चरण I	1400 लाख रु०
	—	चरण II	4000 लाख रु०
		योग	5400 लाख रु०

(ग) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए राज्यों में लघु/मध्यम पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता (यदि कोई हो) की मात्रा के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है।

कर्नाटक में बैंक नोट मुद्रणालय

4070. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में बैंक नोट मुद्रणालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां तो क्या परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है,

(ग) इस परियोजना में कुल कितना पूंजी निवेश होगा; और

(घ) परियोजना की ताजा स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। परियोजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना के अनुमोदन के समय कुल अनुमानित निवेश 4:7 करोड़ रुपए था, जिसमें सीमा-शुल्क शामिल नहीं है।

(घ) सिविल निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। उपस्करों की आपूर्ति के लिए आदेश की व्यवस्था करने संबन्धी कार्य किया जा रहा है परियोजना का पहला चरण जून, 1993 तक और संपूर्ण परियोजना के 1994-95 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

नोएडा निर्यात संवर्धन क्षेत्र की निर्यात क्षमता

4071. श्री किशोरी लाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोएडा निर्यात संवर्धन क्षेत्र की निर्यात संबन्धी क्षमता का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और अन्य निर्यात संवर्धन क्षेत्रों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है, और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र से निर्यात संवर्धन हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कार्यरत 6 ई पी जोनों का तुलनात्मक निर्यात-निष्पादन नीचे दिया गया है।

क्र० सं०	ई पी जोनों का नाम	निर्यात मूल्य (करोड़ों रु० में)
1.	कांडला एफ टी जेड	456 55
2.	सांताक्रुज इलैक्ट्रोनिक्स ई पी जेड	389.92
3.	मद्रास ई पी जेड	61.32
4.	नोएडा ई पी जेड	44.58
5.	फाल्टा ई पी जेड	24·95
6.	कोचीन ई पी जेड	5 46
		981.88

नोएडा ई पी जोन सहित सभी ई पी जोनों के कार्य निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष 1991-92 में नोएडा ई पी जोन से 90 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य है।

(ग) ई पी जोन एककों तथा 100% निर्यात अभिमुख एककों के लिए हाल ही में कई प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है जिसमें नोएडा सहित सभी निर्यात संसाधन जोनों से निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

केरल में काजू बोर्ड स्थापित करना

4072. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या वाणिज्य मंत्री 28 दिसम्बर, 1990 को अतारांकित प्रश्न 438 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच केरल में एक काजू बोर्ड स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क), (ख) तथा (ग) जी, नहीं। काजू बोर्ड की स्थापना का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है। सरकार कोई निर्णय लेने से पहले पूरी तरह जांच कर रही है। इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा यह बताना सम्भव नहीं है।

कम्पनियों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[हिंदी]

4073. **श्री मृत्युंजय** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 233(ख) के अधीन किन-किन कम्पनियों को सरकार द्वारा लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) क्या सरकार का इन रिपोर्टों को सार्वजनिक बनाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) कलेंडर वर्ष 1988, 89, 90 के दौरान लगभग 1500 कम्पनियों की लागत परीक्षा की गई। इस प्रकार की सूचना को संकलित करने में किए गए प्रयत्न इससे प्राप्त होने वाले लाभों के अनुरूप नहीं होंगे। तथापि, पिछले तीन वर्षों में जिन कम्पनियों को लागत परीक्षा की गई उनकी संख्या दर्शाने वाली उद्योगवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख की उपधारा 10 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उस कम्पनी को जिसके लागत लेखाओं की अधिनियम की धारा 233 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा हो चुकी है, निर्देश दें कि वह रिपोर्ट दिए जाने के बाद प्रथमबार होने वाली वार्षिक साधारण बैठक की सूचना के साथ इसके सदस्यों की उक्त रिपोर्ट का पूर्ण भाग या ऐसे भाग को जैसा कि निर्दिष्ट हो परिचालित करें।

विवरण

क्र० सं०	उद्योग	उन कम्पनियों की संख्या जिन पर कलेन्डर वर्षों के दौरान लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए गए थे। 1990	1989	1988
1	2	3	4	5
1.	सीमेंट	—	43	33
2.	साइकिलें	—	4	4
3.	रबड़ टायर व ट्यूब्स	—	14	9
4.	कास्टिक सोडा	—	19	11
5.	रूम एयरकंडीशनर्स	—	17	2
6.	रेफरीजरेटर्स	—	5	3
7.	आटोमोबाइल बैटरीज़	—	4	3
8.	बिजली के लैम्प	—	10	8
9.	बिजली के पंखे	—	6	5
10.	बिजली की मोटरें	—	16	13
11.	मोटर वाहन	1	20	18
12.	ट्रैक्टर	—	7	8
13.	एलम्यूनियम	—	7	10
14.	वनस्पति	—	27	24
15.	बल्क ड्रग्स	—	47	31
16.	चीनी	—	55	51
17.	बच्चों का दुग्ध आहार	—	5	1
18.	औद्योगिक अलकोहल	—	23	24
19.	जूट का सामान	—	33	33
20.	कागज	—	55	65
21.	रेयन	—	6	4
22.	डाइयां	—	13	12
23.	सोडा एश	—	5	—
24.	नाइलोन	—	5	7

1	2	3	4	5
25.	पोलिएस्टर	—	6	8
26.	सूती वस्त्र	—	240	225
27.	शुष्क बैटरी सैल	—	7	5
28.	सल्फ्यूरिक एसिड	—	22	21
29.	स्टील के ट्यूब व पाइप	—	20	15
30.	बिजली से चलने वाले पम्प	—	12	16
31.	डीजल इंजन	—	12	6
32.	इलैक्ट्रिक केबल्स एण्ड कंडक्टर्स	—	19	16
33.	बियरिंग	—	7	9
34.	दुग्ध आहार	—	5	—
		1	796	700

करबी अंगलौंग जिला (असम) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 39

[अनुवाद]

4074. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला करबी अंगलौंग (असम) के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 39 का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों के विनिर्देशों के अनुरूप है,

(ख) यदि नहीं, तो सड़क के उक्त हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्गों के विनिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, और

(ग) इस परियोजना के वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितनी धनराशि निर्धारित करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 37 जिला करबी अंगलौंग में से नहीं गुजरता है। इस जिले में से केवल राष्ट्रीय राजमार्ग 36 तथा 39 गुजरते हैं। राष्ट्रीयराजमार्ग 39 सामान्यत: 2 लेन विशिष्टताओं के अनुरूप है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 के वे खण्ड जो 2 लेन की रा० रा० विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं है, उनको आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, के दौरान चरणों में 2 लेन का बनाने के लिए विचार करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के दौरान करबी अंगलौंग जिले में रा०रा० 36 और 39 का सुधार करने के लिए 202 लाख रुपये की राशि का अनन्तिम प्रस्ताव किया गया है, बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

कारपोरेशन बैंक द्वारा दिल्ली में वसूल न होने वाले दिये गये ऋण

4075. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कारपोरेशन बैंक की शाखाओं द्वारा वसूल न होने वाले दिए गए ऋणों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1989, 1990 और 1991 के अन्त में वापस न होने वाला कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक के ऋण प्रबन्धक में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बैंकों के ऋण संस्थाएं होने के नाते, कुछेक अग्रिमों के अवरुद्ध होने का जोखिम इस प्रणाली में ही निहित है। पर्याप्त ऋण मूल्यांकन की कमी, संवितरण बाद के अप्रभावी पर्यवेक्षण, उद्योग में मंदी के रुख, प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसे कुछ आन्तरिक और बाह्य कारणों से अग्रिम अवरुद्ध बन सकते हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि खाते के फार्मों अनुसार जिनका अनुसरण सभी बैंकों द्वारा किया जाना अपेक्षित है तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार, बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और साथ ही अवरुद्ध अग्रिमों की मात्रा को बताने से कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके लिए उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों की संतुष्टि के अनुसार प्रावधान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे कारपोरेशन बैंक की शाखाओं में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन अथवा अग्रिम प्रबन्धन में भ्रष्ट प्रचालनों के बारे में दृष्टांत नहीं मिला है। तथापि, कुछेक अग्रिमों के बारे में मंजूरी से पूर्व अथवा बाद की सामान्य प्रक्रियाओं से हटकर कार्रवाई किए जाने के मामले भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में आये हैं तथा बैंक को सुधार के कदम करने का परामर्श किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सूचित किया है कि उसने दिल्ली में कारपोरेशन बैंक की किसी शाखा के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

निर्यातोन्मुख इकाइयां

4076. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित की गयी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितनी इकाइयों ने वाणिज्य स्तर पर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है; और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 से संबन्धित अभिमुख एककों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य	अनुमोदित एककों की संख्या	ऐसे एककों की संख्या जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है
1.	आन्ध्र प्रदेश	120	14
2.	असम	4	—
3.	बिहार	1	—
4.	गुजरात	52	4
5.	हरियाणा	29	—
6.	हिमाचल प्रदेश	9	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	5	—
8.	कर्नाटक	61	5
9.	केरल	7	—
10.	मध्य प्रदेश	33	—
11.	महाराष्ट्र	83	12
12.	उड़ीसा	7	2
13.	पंजाब	7	2
14.	राजस्थान	24	1
15.	सिक्किम	1	1
16.	तमिलनाडु	156	10
17.	उत्तर प्रदेश	47	1
18.	पश्चिम बंगाल	17	—
19.	दिल्ली	6	5
20.	गोवा, दमन तथा द्वीप	13	1
21.	पांडिचेरी	3	3
		685	61

लोकसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार

4077. श्री आर० गंगा गोविन्दाराजुलु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में कितने व्यक्तियों ने नामांकन-पत्र भरे; और

(ख) इनमें से कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए और कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

शिलांग में अनुसूचित बैंकों द्वारा किसानों को दिया गया ऋण

4078. **श्री पीटर जी० मरबनियांग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग संसदीय क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित बैंकों द्वारा वर्ष 1987, 1988, 1989 और 1990 के दौरान किसानों को बैंक-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि का ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा किसानों से बैंक-वार और वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि का ऋण वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, कृषि तथा उससे सम्बद्ध गतिविधियों के लिए वार्षिक ऋण योजना के कार्यान्वयन के मेघालय राज्य से सम्बंधित जिलावार आंकड़े नीचे दिए हैं :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष

जिला	1987 लक्ष्य	1987 उपलब्धि	1988 लक्ष्य	1988 उपलब्धि	1989 लक्ष्य	1989 उपलब्धि	1990 लक्ष्य	1990 उपलब्धि
पूर्वी खासी हिल्स	3.10	1.88	3.52	2.86	3.56	0.76	3.28	उ०
पश्चिमी खासीहिल्स	1.21	0.93	1.49	1.26	2.08	0.38	1.23	उ०
पूर्वी गारो हिल्स	0.44	0.21	0.59	0 37	0.90	0.85	1.04	उ०
पश्चिमी गारो हिल्स	1.07	0.17	1.61	0.85	2 22	1.37	2.47	उ०
जेन्तिया हिल्स	0.33	0.20	0·58	0.19	1.52	0.20	0.88	उ०
जोड़ :	6.15	3.50	7.80	5.53	10.28	3.36	8.90	उ०

उ० प्र० उपलब्ध नहीं ।

वर्ष 1987, 1988, 1989 के लिए मेघालय राज्य के संबन्ध में सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंक की प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मांग	वसूल
जून, 1987	5.51	1.67
जून, 1988	6.22	2.02
जून, 1989	6.24	1.44

[हिन्दी]

जवाहरलाल नेहरू पत्तनन्यास की ओर देय बकाया राशि

4079. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन (न्हावा सेवा पत्तन) न्यास द्वारा राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको) को उसकी सेवा शुल्क का भुगतान अभी भी किया जाना शेष है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बकाया राशि का सिडको को कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

4080. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आबंटित धनराशि कितनी है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य-वार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या और मंजूर की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उद्योग मंत्रालय में विकास आयुक्त (लघु उद्योग), जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना को कार्यान्वित करता है, ने सूचित किया है कि राज्यों को वर्ष 1991-92 के लिए लक्ष्य मई और जून 1991 में ही दिये गए हैं और यह योजना अभी चल रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों की संख्या और उनको मंजूर की गई ऋण की राशि सहित सम्पूर्ण विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् ही उपलब्ध होगा।

विवरण

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या और

मंजूर की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण ।

		1989-90		1990-91	
क्रम सं०	राज्य केन्द्र शासित प्रदेश	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों की जिन्हें ऋण मंजूर किए गए ।	मंजूर की गई राशि (रुपये लाख में)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों की संख्या जिन्हें ऋण मंजूर किए गए ।	मंजूर की गई राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	884	186.88	1166	254.73
2.	असम	518	134.98	NR	NR
3.	बिहार	1263	296.19	2265	550.58
4.	गुजरात	387	48.51	248	30.89
5.	हरियाणा	241	42.12	420	75.84
6.	हिमाचल प्रदेश	102	20.85	98	21.51
7.	जम्मू एवं कश्मीर	9	1.90	NR	NR
8.	कर्नाटक	708	128.00	1009	172.61
9.	केरल	130	22.86	NR	NR
10.	मध्य प्रदेश	658	132.73	NR	NR
11	महाराष्ट्र	921	159.61	1002	170.03
12.	मणिपुर	252	77.65	279	90.10
13	मेघालय	90	17.54	90	17.54
14.	नागालैंड	57	12.69	57	12.69
15	उड़ीसा	836	183.06	755	179.77
16.	पंजाब	731	180.37	NR	R
17.	राजस्थान	869	119.82	879	172.35
18.	सिक्किम	6	1.60	12	2.70
19.	तमिलनाडु	599	92.51	414	70.36
20.	त्रिपुरा	37	11.25	NR	NR
21.	उत्तर प्रदेश	1563	325.94	1107	237.54
22.	पश्चिम बंगाल	433	96.57	NR	NR
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	16	3.76	22	4.71

1	2	3	4	5	6
25.	चंडीगढ	3	0.65	3	0.65
26.	दादर नगर हवेली	7	1.15	—	—
27.	गोआ	1	0.30	NR	NR
28.	मिजोरम	109	29.95	136	36.86
29.	पांडिचेरी	43	3.86	40	4.26
30.	लक्षद्वीप	20	3.75	12	2.80
31.	दमन एवं दीव	—	—	1	0.15
	कुल	11493	2337.09	10012	2109.67

सूचना अप्राप्त

आंकड़े अनन्तिम

स्रोत: विकास आयुक्त (लघु उद्योग); उद्योग मंत्रालय।

मुम्बई-गोआ राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव के लिए आवंटित धनराशि

[अनुवाद]

4081. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई-गोआ राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव और मरम्मत के लिए वर्ष 1991-92 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, और

(ख) राजमार्ग के मरम्मत कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : **(क)** सामान्य मरम्मत, आवधिक नवीनीकरण, बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मत कार्यों के बदले बंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-17 के रख-रखाव और मरम्मत के लिए 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र और गोवा राज्यों को 230 लाख रु० का आवंटन किया गया है।

(ख) रख-रखाव और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष भर से कार्य-कलाप किए जाते हैं।

विजया बैंक द्वारा ऋण देने में अनियमितताएं

[हिंदी]

4082. **श्री हरपाल पंवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लापी डिस्क का निर्माण करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1990 के दौरान विजया बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया है और उन्हें दिये गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंक द्वारा उन्हें ऋण देने के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विजया बैंक ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1990 के दौरान किसी ऐसी कम्पनी का वित्त पोषण नहीं किया है जो फ्लापी डिस्क बनाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

लोह अयस्क का निर्यात

[अनुवाद]

4083. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क की वर्तमान निर्यात दर क्या है;

(ख) क्या निर्यात की व्यापक संभावनायें हैं क्योंकि अनेक देशों में लौह अयस्क की मांग तेजी से बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) इस समय जिस दर पर लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है उसकी रेंज (ढेले और चूरा) और अयस्क की क्वालिटी तथा साथ ही लदान दशाएं, समुद्री भाड़ा आदि पर निर्भर करते हुए 12.95 अमरीकी डालर और 25.99 अमरीकी डालर के बीच है।

(ख) लौह-अयस्क की मांग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर करती है। लौह-अयस्क की मांग के अनुमान में काफी बदलाव आता रहता है, परन्तु भारत से लौह-अयस्क की मांग को कम से कम चालू स्तरों पर बनाए रखने की आशा है। भारत में बुनियादी संरचना सम्बन्धी बाधाओं के कारण भी लौह-अयस्क के निर्यात की संभावना सीमित हैं।

(ग) दीर्घकालीन संविदाओं को सुकर बनाने और बाजार विविधीकरण के अलावा सरकार ने लौह-अयस्क सहित सभी निर्यातों के लिए एक्जिम स्क्रिप का लाभ तथा संसाधित खनिजों के निर्यात के लिए आय कर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के तहत लाभ दिया है। इसके अलावा, रेडी मूल का लौह-अयस्क गैर-सरणीबद्ध कर दिया गया है और अब गोआ-निर्यातक, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और पश्चिमी यूरोप के अपने परम्परागत बाजारों के अतिरिक्त चीन और यूरोप को गोआ-मूल का लौह अयस्क सीधा निर्यात कर सकते हैं।

(घ) आठवीं योजनावधि के दौरान लौह-अयस्क का निर्यात प्रति वर्ष 33 मिलियन से 36

मिलियन टन के बीच होने का अनुमान है ।

उद्योगपतियों पर उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

4084. **श्री राम निहोर राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस शीर्षस्थ भारतीय उद्योगपतियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) इन उद्योगपतियों के विरुद्ध उत्पाद शुल्क के कितने मामले अदालत में लम्बित हैं;

(ग) सरकार इन उद्योगपतियों से उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इन उद्योगपतियों से उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रहीं हैं; और

(घ) इन उद्योगपतियों से उत्पाद शुल्क की बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में लागू दांडिक-नियम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) लगभग 260.39 करोड़ रुपए है ।

(ख) 288

(ग) बकाया रकमें आमतौर पर कोर्ट के मामलों के साथ और उन मामलों के साथ जुड़ी हैं जो सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण के पास पड़े हैं और अधिकांश मामलों में वसूलियों को स्थगित कर दिया गया है । अदालतों/सीगेट मे जल्दी सुनवाई करने और वसूली के खिलाफ स्थगन आदेश रद्द करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है । महत्व-पूर्ण विषयों और बड़ी रकमों के मामलों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष सक्षम वकीलों की नियुक्ति की जाती है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

4085 **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद से आम उपयोग की अधिकतर चीजों की कीमतें बढ़ गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चीजों की बजट-पूर्व तथा बजटोत्तर कीमतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम उपयोग की चीजों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए तथा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व और उसके पश्चात्, सामान्य उपयोग की वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों के ब्यौरे (आधार : 1981-82=100) संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए । किए जा रहे उपायों में सख्त राजकोषीय अनुशासन बरतना मुद्रापूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण रखना, आवश्यक संवेदनशील वस्तुओं की मांग और पूर्ति की अधिक प्रभावी व्यवस्था करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना, शामिल हैं ।

विवरण

बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व और उसके पश्चात् थोक मूल्य सूचकांकों में घटबढ़ (1981-82=100)

	मदें/समूह	20.7.91 को (बजट पूर्व)	27.7.91 को (बजट के बाद)	3.8.9 क (नवीनतम उपलब्ध)
	1	2	3	4
	सभी वस्तुएं	198.8	201.9	203.4
1.	प्राथमिक वस्तुएं	209.1	211.2	213.6
	खाद्य वस्तुएं	229.4	231.7	235.5
	दालों से भिन्न अनाज	189.2	191.1	193 5
	दालें	243.6	244.1	245.3
	फल एवं सब्जियां	253.4	256.7	26[illegible].9
	सब्जियां	282.2	286.0	305.6
	फल	240.1	243.2	246.1
	दूध	235.3	236.0	235.0
	अंडे, मछली व मांस	221.5	222.1	228.7
	मसाले व गर्म मसाले	267.[illegible]	370.1	370.0
	चाय	276.8	288.9	296.9
	काफी	274.4	284.6	282.2
2.	ईंधन, पावर, बिजली व स्नेहक	189.5	196.8	196.8
	कोयला खनन	232.7	232.7	232.7
	खनिज तेल	170.1	181.9	181.9
	बिजली	216.7	216.7	216.7
3.	विनिर्मित उत्पाद	194 7	197.6	198.8
	चीनी	148.3	162 3	162.3
	खांडसारी	162.1	159.6	157.1
	गुड़	179.9	178 6	180.3

1	2	3	4
खाद्य तेल	260.2	261.4	263.3
वस्त्र	180.9	181.9	182.4
कागज व कागज उत्पाद	237.3	237.3	241.5
रसायन व रसायनिक उत्पाद	157.0	166.2	1673
उर्वरक	99.1	136.2	136.2
सीमेंट	207.3	207.3	207.3
लोहा व इस्पात	20.67	207.2	207.2

महाराष्ट्र के सिन्नार ताल्लुक में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार

4086 **डा० वसंत पवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्नार ताल्लुक औद्योगिक सहकारी बसाहत मर्यादित, सिन्नार, महाराष्ट्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में सिनार केन्द्र में पहले ही बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ महाराष्ट्र और भारतीय स्टेट बैंक की एक-एक शाखा कार्यरत है। विशेष रूप से सिनार ताल्लुका औद्योगिक सहकारी बसाहत मर्यादित में बैंकिंग सुविधाए उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा हरियाणा को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

4087. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) राज्य सरकारों को गांवों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा हरियाणा को वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो गांवों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर ऋण प्रदान करने वाली एजेंसियां कितनी हैं और उक्त अवधि के दौरान हरियाणा में कितने ग्रामीण लोगों को इससे लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) ऋणदात्री संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों (जिसके अन्तर्गत निवेश और उत्पादन निवेश और उत्पादन ऋण दोनों आते हैं, के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड गांवों के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) ये सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) संभवत: माननीय सदस्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का हवाला दे रहे हैं जिसके अन्तर्गत सरकारी बजट से सब्सिडी प्रदान की जाती है और बैंकों द्वारा ऋण संवितरित किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में हरियाणा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों, जिन्हें सहायता दी गई है, की संख्या से सम्बन्धित विवरण नीचे दिया गया है :—

परिवारों की संख्या

वर्ष	कुल वास्तविक लक्ष्य	कुल परिवार जिन्हें सहायता दी गई
1988-89	45802	58388
1989-90	21110	55657
1990-91	17236	34179

होसुर में जर्म प्लाज्म संस्थान

[अनुवाद]

4088. **श्री बी० राजा रवि वर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को होसुर में जर्म प्लाज्म संस्थान की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत होसुर में लगाए जाने वाले मलबरी जर्म प्लाज्म स्टेशन के एक भाग के रूप में सिल्कवर्म एंड मलबरी जिनेटिक्स स्कूल स्थापित करने का अनुरोध किया था। अनुरोध पर विचार किया गया था और राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि इस पर सहमत होना सम्भव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड मैसूर तथा बरहामपुर स्थित अपने प्रमुख अनुसन्धान संस्थानों में मलबरी तथा सिल्कवर्म जिनेटिक्स में पहले ही अध्ययन आयोजित कर रहा था। तमिलनाडु राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अधीन सेरी-बायोटेक केन्द्र बैंगलूर में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

निर्यात हेतु वस्त्र तैयार करने के लिए नयी तकनीकें

4089. **श्री के० बी० आर० चौधरी** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश से वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्यात के लिए अच्छे किस्म के वस्त्रों को तैयार करने हेतु बुनकरों को शिक्षित करने के लिए कोई संस्थान खोला गया है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी आयातकर्त्ताओं की इच्छा के अनुकूल वस्त्रों को तैयार करने के लिए अपनाई गई नई तकनीकों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार ने वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं (1) रियायती शुल्क पर अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देकर उद्योग का आधुनिकीकरण, (2) परिधान निर्यातकों के लिए जरूरी ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट आदि का उदारीकृत आयात, (3) क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा अध्ययन दौरों का आयोजन, (4) बढ़ी हुई तथा उदारीकृत आर. ई. पी. लाईसेंस योजना (जिसे अब एक्जिमस्क्रिप योजना के नाम से जाना जाता है), तथा (5) प्रमुख विदेशी मुद्रा के बदले रुपये के मूल्य का समायोजन आदि। सरकार द्वारा किए गए उपाय आंध्र प्रदेश सहित भारत के प्रत्येक भाग पर लागू होते है। भारत में वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान रेशम कृषक और रेशम बुनकर सहकारी समिति लि० (सेरीफेड) को 5 लाख रु० की राशि रिलीज की गई। इसके अलावा हैदराबाद और विजयवाड़ा में चल रहे बुनकर सेवा केन्द्र घरेलू तथा निर्यात दोनों प्रकार के बाजारों के लिए हथकरघा बुनकरों को तकनीकी सेवा तथा डिजाइन सम्बन्धी अन्तर्निविष्टयां प्रदान कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ नामक एक निकाय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में विद्युत करघा सेवा केन्द्र खोला है जो कि विद्युत करघा बुनकरों को तकनीकी मार्गदर्शन देता है ताकि वे अपने उत्पादों की क्वालिटी को बेहतर बना सकें। यह केन्द्र विद्युत करघा बुनकरों को यार्न के परीक्षण तथा डिजाइन के विकास में भी सहायता प्रदान करता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया का अध्ययन

4090. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री 22 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिये भेजे गये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्ययन दल में कोई चमड़ा विशेषज्ञ नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) अध्ययन दल में चमड़ा विशेषज्ञ को शामिल किए बिना उक्त योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के विषय पर निर्णय कैसे लिया गया;

(घ) क्या टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक के विचार हेतु अपने आधुनिकीकरण एवं नवीकरण सम्बन्धी संशोधित व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि जिस दल ने टाफको के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सहायता उपलब्ध कराने की पुनर्वास योजना की जांच की थी, उसमें योग्य तकनीकी अधिकारी शामिल थे, जिन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता प्राप्त अनेक चमड़ा परियोजनाओं के चलाने का अनुभव प्राप्त था। उसके अलावा संयंत्र के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा विचार किया गया था, जिनकी रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) संशोधित प्रस्ताव का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विश्लेषण किया था तथा एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी, जिस पर विचार किया जा रहा है।

मताधिकार से वंचित लोग

4091. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित लोक सभा के चुनावों के दौरान बहुत से लोग मताधिकार से वंचित रखे गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे लोगों की कुल संख्या क्या है;

(ग) लुप्त मतदाताओं की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक थी; और

(घ) इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा मतदान के दौरान निर्वाचन नामावलियों में नाम न होने सम्बन्धी कुछ शिकायतें, निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों का राज्यवार (संघ राज्य क्षेत्रवार सहित) ब्यौरा देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। चूंकि की गई शिकायतों से इस बात का पूरा विवरण नहीं मिलता है, अतः यह पता लगाना संभव नहीं है कि निर्वाचन नामावलियों में नाम न होने के कारण वस्तुतः कितने लोग मतदान करने से वंचित रह गए थे, और इसी कारण से यह बताना भी संभव नहीं है कि किस राज्य में मतदाताओं के नाम न होने की संख्या सबसे अधिक थी।

निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, भारत के संविधान अनुच्छेद 324 के अधीन सरकार में निहित न होकर निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसका पुनरीक्षण करने के लिए व्यापक उपबन्ध हैं। सामान्यतया नामावलियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य के बारे में जन प्रसार और अन्य साधनों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है और निर्वाचन आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र मतदाताओं का नामांकन हो जाए हर संभव प्रयास किया जाता है।

विवरण

राज्यवार विवरण जिसमें निर्वाचक नामावलियों से नामों के छूट जाने के बारे में निर्वाचन आयोग से प्राप्त शिकायतें दर्शित हैं

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	शिकायतों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके निर्वाचन नामावलियों में नाम न होने के बारे में कहा गया है
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	25
2.	अरूणाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	असम	2	6
4.	बिहार	13	(8 शिकायतों में छूटे नामों के बारे में उल्लेख नहीं है)
5.	गोवा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	गुजरात	2	उल्लेख नहीं
7.	हरियाणा	6	23 (संपूर्ण परिक्षेत्र/मोहल्ला की बाबत 4 शिकायतें)
8.	हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	कर्नाटक	3	7
10.	केरल	175	विनिर्दिष्ट शिकायतें-338 साधारण शिकायत-संख्या विनिर्दिष्ट नहीं है
11.	मध्य प्रदेश	5	लगभग 500 व्यक्ति
12.	महाराष्ट्र	21	35
13.	मणिपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
14.	मेघालय	कुछ नहीं	उल्लेख नहीं
15.	मिजोरम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
16.	नागालैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
17.	उड़ीसा	3	विनिर्दिष्ट शिकायतें-3 व्यक्ति
18.	राजस्थान	1	बाजारों के अनेक नामों के छूट जान के बारे में स्वामी अग्निवेश, अध्यक्ष, बंधुआ मुक्ति मोर्चा की शिकायत

1	2	3	4
19.	सिक्किम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20.	तमिलनाडु	17	विनिर्दिष्ट शिकायतें-14 व्यक्ति साधारण शिकायत संख्या विनिर्दिष्ट नहीं
21.	त्रिपुरा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
22.	उत्तर प्रदेश	25	5,000 से अधिक
23.	पश्चिम बंगाल	58	विनिर्दिष्ट शिकायतें-1250 व्यक्ति साधारण शिकायत संख्या विनिर्दिष्ट नहीं
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं
25.	चंडीगढ़	कुछ नहीं	कुछ नहीं
26.	दादरा और नागर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
27.	दमन और दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं
28.	दिल्ली	90	225 (संपूर्ण मोहल्ला/परिक्षेत्र की बाबत 16 शिकायतें)
29.	लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं
30.	पांडिचेरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं

राज्य परिवहन निगम तथा गैर सरकारी संचालकों के अन्तर्गत बसें

[हिन्दी]

4092. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्य परिवहन निगमों द्वारा चलाई जा रही बसों की कुल संख्या क्या है,

(ख) निजी प्रचालकों द्वारा चलाई जा रही बसों की संख्या क्या है, और

(ग) राज्य परिवहन निगमों को प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि की हानि हो रही है, उसका राज्य-वार ब्यौरा दिया जाये ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31.3.90 की स्थिति के अनुसार राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा लगभग 76,631 बसें चलाई जा रही थीं।

(ख) निजी प्रचालकों द्वारा लगभग दो लाख बसें चलाई जा रही हैं।

(ग) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में राज्य सड़क परिवहन निगमों को हुआ मुनाफा/घाटा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

		(करोड़ रु०)		
क्रम सं०	राज्य सड़क परिवहन निगम का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
1.	आन्ध्र प्रदेश रा.स.प.नि.	+23.39	+ 2.15	— 20.63
2.	असम रा.प.नि.	— 8.70	9.22	— 12.79
3.	बिहार रा.स.प.नि.	—23.84	— 23.83	— 28.06
4.	कलकत्ता रा.प.नि.	—34.05	— 36.47	— 32.49
5.	दिल्ली परिवहन निगम	—78.88	—101.96	—119.85
6.	दक्षिण बंगाल रा.प.नि	— 1.47	— 1.91	— 4.64
7.	गुजरात रा स.प.नि	-36.35	+ 1.03	+ 6.22
8.	हिमाचल प्रदेश रा.प.नि.	— 0.50	+ 1.45	— 17.64
9.	जम्मू एवं कश्मीर रा.प.नि.	— 6.96	— 7·44	— 11.21
10.	कर्नाटक रा.स.प.नि.	— 4.99	— 54.00	— 37.70
11.	केरल रा.स.प.नि.	—14.40	+ 0.17	19.57
12.	मध्य प्रदेश रा.स.प.नि.	—13.92	— 10.95	— 19.45
13.	महाराष्ट्र रा स.प.नि	+ 0.83*	— 30.71	— 66.43
14.	मणिपुर रा.स.प.नि.	— 0.68	— 0.58	— 0.67
15.	मेघालय रा.प.नि.	— 2.69	— 2.79	— 3.36
16.	उत्तरी बंगाल रा.प.नि.	— 2.84	— 1.69	— 3.78
17.	उड़ीसा रा.स.प.नि.	— 3.92	— 6.82	— 5.85
18.	पेप्सू रा.प.नि.	14.71	— 21.48	— 19.22
19.	राजस्थान रा.स.प.नि.	+ 1.03	+ 0.10*	— 6.35
20.	त्रिपुरा रा.प.नि.	— 1.94	— 2.68*	— 2.47
21.	उत्तर प्रदेश रा.स.प.नि.	+ 0.02*	— 17.57	— 24.75

*लेखा परीक्षित आंकड़े अन्य आंकड़े अनंतिम हैं।

उत्तर प्रदेश में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः चालू करना

4093. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में, विशेषकर हाथरस और अलीगढ़ में बन्द पड़ी हुई कपड़ा मिलों के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मिलों को पुन. चालू करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं।

(ग) क्या सरकार इन मिलों को एन टी सी के अन्तर्गत अधिग्रहीत करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वस्त्र आयुक्त, बम्बई की सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पन्द्रह वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हैं। बन्द पड़ी हुई इन मिलों में से सूचना अनुसार कोई भी मिल हाथरस अथवा अलीगढ़ में स्थित नहीं है।

(ख) सरकार ने अर्थक्षम पाई गई बन्द/रुग्ण वस्त्र मिलों के पुनरूद्धार के लिए पैकेज बनाने तथा उनको कार्यान्वित करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है। सरकार ने रुग्ण वस्त्र एककों के पुनरूद्धार के लिए निवारात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारी उपायों को सुनिश्चित करने तथा उन्हें लागू करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना भी की हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रुग्ण एककों का सरकार द्वारा अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण करने से रुग्ण उद्योगों की समस्याओं का निवारण नहीं हो जाता और सरकार सिद्धान्ततः ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती।

उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कपड़ा मिलों में कुप्रबन्धन

[अनुवाद]

4094. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के कपड़ा उद्योग के अनेक मजदूर संगठन उत्पादकता बढ़ाने हेतु स्थायी प्रबन्धन व्यवस्था, कच्चा माल निवेश आदि प्रदान करने में राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों के प्रबन्धनों की असफलता के विरूद्ध संघ सरकार से अभ्यर्थना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) संघ सरकार को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में स्थित मिलों सहित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के बारे में मजदूर संघों सहित विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार एन टी सी मिलों के कार्य निष्पादन की, जिनमें एन टी सी (उ० प्र०) और एन टी सी (ए पी के के एण्ड एम) की मिलें भी शामिल हैं; समय-समय पर समीक्षा करती है और मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक उपाय करती है।

कहवा उद्योग

4095. **श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे कहवे के दाम अन्तर्राष्ट्रीय दामों के साथ नत्थी करने के कारण कहवा उद्योग मन्दी का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को लाभकारी ढंग से चलाने के लिए सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जुलाई, 1989 में काफी के अन्तर्राष्ट्रीय कोटा के स्थान के कारण काफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य गिर गए हैं। फिर भी इस वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात पर इकाई मूल्य अधिप्राप्ति अधिक रही है। इसलिए, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादकों को मिलने वाली कुल अधिप्राप्ति ज्यादा होने की संभावना है।

(ख) हाल के अवमूल्यन और सामान्य रूप से काफी के निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य के 30% तथा इंस्टैन्ट काफी के मामले में 40% के बराबर एक्जिम स्क्रिप के प्रावधान से उद्योग को बेहतर आय प्राप्त होने की संभावना है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

4096. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पश्चिमी समुद्री तट की विस्तृत द्वीपीय पट्टी जो कि बिल्कुल अनछुई रह गई है, के लिए ठेके पर मत्स्य नौका चालन, लीज पर देने और संयुक्त उद्यम के सबन्ध में एक स्पष्ट नीति बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें कारण क्या हैं ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) : सरकार ने देश के निर्यात अर्जन में वृद्धि के लिए समुद्री क्षेत्र को एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के माध्यम से मछली पालन विकास को प्रोत्साहित कर रही है ताकि प्राकृतिक संसाधनों के जरिए निर्यात उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार ने अभी एक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नई नीति की घोषणा भी की है जिसका उद्देश्य ऐसे विशाल समुद्री संसाधनों का दोहन करना है जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है।

मछली पालन संवर्धन के लिए सरकार ने कई उपदान योजनाएं घोषित की है। इनमें शामिल हैं, नए फार्म विकास, झींगा अंडजशालाओं की स्थापना, परम्परागत फार्मों में उत्पादन

बढ़ाने के लिए बीज तथा चारा क्रय करने के लिए उपदान सहायता। विविधीकृत मधुवाही को प्रोत्साहित करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए मौजूदा ट्रालरों में सुधार करने तथा जहाज पर बलास्ट फ्रीजर लगाने के लिए एक उपदान सहायता दी जाती है।

सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ऐसे जहाजों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर उच्च स्पीड डीजल तेल उपलब्ध करा रही है जो प्रत्येक जहाज से पकड़ी गई मछलियों के एफ ओ बी मूल्य का 25% निर्यात करते हैं बशर्ते कि जहाज का मालिक एम्पीडा अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत निर्यातक हो।

(ग) और (घ) विदेशी जहाजों के लिए चार्टर नीति मैरीटाइम जोन आफ इण्डिया (रेगुलेशन आफ फिशिंग फारेन वैसेल्स) एक्ट 1981 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बनाई जाती है। सरकार समय-समय पर इस नीति की समीक्षा करती है ताकि यह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त रहे।

सरकार ने अनन्य रूप से भारतीय आर्थिक जोन (ईईमी) के विस्तृत अप्रयुक्त स्रोतों का दोहन करने के लिए अभी हाल ही में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की एक नई नीति की घोषणा की है। इस नीति में विदेशी जहाजों को लम्बे समय तक पट्टे पर लेना, जहाजों का अधिग्रहण और गहरे समुद्र क्षेत्र में संयुक्त उद्यम की व्यवस्था की भी परिकल्पना की गई है।

मदोही में कालीन उद्योग को सहायता

[हिन्दी]

4097. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदोही, उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग का वार्षिक कारोबार कितना है;

(ख) क्या सरकार ने मदोही में कालीन उद्योग के कालीनों में चमक लाने के प्रयोजनार्थ कुछ मशीनों की मंजूरी दी है;

(ग) यदि हां, तो इस मशीनों को वहां कब तक प्रदान किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार मदोही में कालीन उद्योग को कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा मदोही में कालीन उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कालीनउद्योग, मदोही, उत्तर प्रदेश के वार्षिक कारोबार के आकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि मदोही-मिर्जापुर क्षेत्र के कारोबार भारत में कालीन उद्योग के कुल आकलित कारोबार का लगभग 70 प्रतिशत के बराबर है जो वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 565 करोड़ रुपये मूल्य के हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान भदोही में कालीन उद्योग को निम्नोक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

(1) आल इण्डिया कार्पेट ट्रेड फेयर कमेटी, भदोही को विदेशी क्रेताओं के लिए नई दिल्ली में फरवरी, 1991 में कालीन मेला आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में 4.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(2) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद को दिल्ली में आयोजित उक्त मेला के दौरान क्रेता-विक्रेता बैठक के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई।

(3) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद को कालीन मेला के दौरान सेमिनार आयोजित करने के लिए 50000/- रुपये की राशि भी दी गई।

(4) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद को भदोही सहित भारतीय कालीन उद्योग के संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में भी अनुदान दिए जाते हैं।

(5) भदोही में उत्पादित सहित हाथ से बने कालीनों के निर्यात पर शुल्क वापसी, एग्जिम-स्क्रिप, निर्यात पूर्व तथा निर्यात पश्चात ऋण के रूप में निर्यात प्रोत्साहन स्वीकृत किये जाते हैं।

(च) कालीन उद्योग, भदोही (उत्तर प्रदेश) के हितों की रक्षा के लिए निम्नोक्त उपाय किए गये हैं :—

(1) भदोही में एक कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

(2) कुशलता को विकसित तथा उन्नत करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए भदोही सहित उत्तर प्रदेश में अनेक कालीन प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

[अनुवाद]

4098 **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने तथा इसे अधिक प्रभावशाली बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में तथा इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है जिससे कि सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के मामले में कार्यवाही की जा सके और ऋणों की अदायगी की अवधि में छूट देने के लिए अन्तरिम सहायता दी जा सके तथा पहले के ब्याज के सम्बन्ध में रियायतें दी जा सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पिछले अनुभवों के आधार पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को, अन्य सम्बद्ध मामलों के साथ-साथ, और प्रभावी बनाने के प्रश्न पर सरकार निरंतर आधार पर विचार करती रहती है।

सातवीं योजनावधि के दौरान नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु किया गया आवंटन

4099. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सातवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इस धनराशि में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ग्रामीण विद्युतिकरण निगम (आर०ई०सी०) की विशेष कृषि परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए सातवीं योजना के दौरान किये गये पुनर्वित्त की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्वित्त को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। बैंक के विचार में, उनके संसाधनों का प्रयोग उन क्रियाकलापों के लिए होना चाहिए जहां परिसम्पत्ति सृजन हिताधिकारी स्तर पर होता हो और ग्रामीण विद्युतिकरण निगम कार्यक्रम उस स्तर पर वास्तव में एक ऋण आधारित परिसम्पत्ति सृजन क्रियाकलाप नहीं है।

विवरण

सातवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दिये गए पुनर्वित्त की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति

	वर्ष			(रुपये लाख में)	
राज्य	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
हरियाणा	132	215	213	276	259
पंजाब	699	682	341	94	189
राजस्थान	387	185	94	95	325
बिहार	84	39	13	15	—
उड़ीसा	112	158	77	56	81
पश्चिमी बंगाल	245	204	377	298	439
मध्य प्रदेश	1056	1233	1498	1409	1891

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	376	260	277	551	367
गुजरात	704	1143	918	592	381
महाराष्ट्र	2908	3433	1512	3420	3022
आन्ध्र प्रदेश	2145	2168	2486	2836	2705
कर्नाटक	844	851	1069	529	241
केरल	153	306	312	313	372
तमिलनाडु	546	646	798	1163	1622

हिन्दी माध्यम में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की परीक्षा

[हिंदी]

4100. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी **कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान की केन्द्रीय समिति ने 1989 में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की परीक्षा हिन्दी माध्यम से भी लेने का निर्णय लिया था,

(ख) क्या इस संस्थान ने प्रवेश परीक्षा और अन्तिम परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री और प्रश्न पत्र हिन्दी माध्यम में प्रदान करने का भी निर्णय किया था,

(ग) यदि हां, तो क्या ये सुविधाएं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की परीक्षा हिन्दी माध्यम से देने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है,

(घ) यदि हां, तो कब से, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की परीक्षा में निम्न प्रकार से उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के विकल्प का निर्णय लिया था :—

(I)	प्रवेश परीक्षा	— जून, 1984 से
(II)	इन्टरमीडिएट परीक्षा	— मई, 1986 से
(III)	अंतिम परीक्षा	— मई, 1987 से

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिन्दी माध्यम में जून, 1985 से दिए जा रहे हैं। संस्थान ने अध्ययन सामग्री हिन्दी माध्यम में प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं, तथापि,

कार्य की तकनीकी प्रकृति को देखते हुए इस सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं हो पायी है, परिणाम-स्वरूप इस समय अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी माध्यम में दिए जा रहे हैं।

सरकारी विभागों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी

[अनुवाद]

4101. **श्री ई० अहमद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान सरकार ने कर्मचारियों पर वेतन आवास और अन्य कल्याण उपायों के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की है,

(ग) राजस्व आय की तुलना में यह खर्च कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है,

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नियुक्त न करने तथा व्यय में कटौती करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) 1 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार संस्थापना की अनुमानित कर्मचारी संख्या 41,03,794 है) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक इसमें शामिल नहीं हैं)।

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर) के वेतन के लिए बजट प्रावधान निम्नवत् था :—

	1989-90 (संशोधित अनुमान)	1990 91 (संशोधित अनुमान)
	(करोड़ रुपए में)	
वेतन	9254.51	10,355.24

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास तथा कल्याणकारी कार्यों पर व्यय सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की मांगों के अन्तर्गत भिन्न शीर्षों में दर्ज किया जाता है। कल्याणकारी कार्यों के लिए व्यय दर्ज करने हेतु कोई अलग लेखा-शीर्ष नहीं रखा जाता है।

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के संशोधित अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वेतन पर व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 13.5 और 13.6 थी।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यकता से अधिक कर्मचारी न हों, मंत्रालयों/विभागों को स्टाफ मानकों के आधार पर अपने आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों के जरिए समय-समय पर अध्ययन करने होते हैं। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने पदों की एक

जैसी श्रेणियों के लिए पहले ही मानक नियत किए हुए हैं। वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण एकक भी मंत्रालयों, विभागों, उनके सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनके अधीन अन्य संगठनों में कर्मचारियों की आवश्यकताओं और उनकी कर्मचारी संख्या की पुनरीक्षा करने के लिए समय-समय पर अध्ययन करता है। कर्मचारी संख्या के बारे में अध्ययनों का मुख्य अभिप्राय यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारियों की संख्या फालतू न हो ताकि स्टाफ पर व्यय को कम से कम रखा जा सके।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का कार्यकरण

4102. **श्री के० तुलसिएया वान्डायार :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत दी गयी अतिरिक्त जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूर्णतया सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) इस समय एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कौन-कौन से मामले लंबित हैं तथा उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का उपर्युक्त आयोग के ढांचे में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति, 1991 का वक्तव्य इस बात पर जोर डालता है कि एकाधिकारिक, अवरोधक और अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में एम० आर० टी० पी० आयोग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए एम० आर० टी० पी० अधिनियम के उपबन्धों को मजबूत बनाया जाएगा, नव शक्ति प्राप्त एम०आर०टी०पी० आयोग को स्वप्रेरणा या वैयक्तिक उपभोक्ताओं या उपभोक्ता श्रेणियों से प्राप्त शिकायतों पर जांच कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन मानदण्डों के परिणाम स्वरूप आयोग को जो अतिरिक्त जिम्मेवारियां दी जाएंगी उन्हें एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के उपयुक्त संशोधनों के द्वारा प्रभावकारी बनाया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जाएंगे कि एम०आर०टी०पी० आयोग को उपर्युक्त समय पर अतिरिक्त जिम्मेवारियां निभाने हेतु साधन सम्पन्न कराए जाएं।

(ग) एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पजीकृत फेरा कम्पनियों के विरुद्ध एम०आर०टी०पी० आयोग में लम्बित मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। एम०आर०टी०पी० आयोग एक न्यायिक कल्प निकाय है और इसे एम०आर० टी०पी० अधिनियम, 1969 एम०आर०टी०पी० आयोग विनियम, 1991 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित पद्धति को अपनाना अपेक्षित है। जांचों के निपटान में लगने वाला समय विषयों की प्रकृति, पक्षकारों के आचरण आदि पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) नई औद्योगिक नीति की शर्तों में एम०आर०टी०पी० आयोग की संरचना में कोई मौलिक परिवर्तन किए जाने का विचार नहीं है। तथापि, कार्मिक तथा ढांचों की अतिरिक्त आवश्यकता का आयोग के परामर्श से मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण

फेरा कम्पनियों के विरुद्ध एम० आर० टी० पी० आयोग में लम्बित मामलों की सूची

क्रम संख्या	प्रतिवादी का नाम	आर० टी० पी०/यू० टी० पी० जांच संख्या	आरोप संक्षेप में	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स गुड ईयर इण्डिया लिमिटेड-दिल्ली	प्रतिवादी संख्या 2 आर० टी० पी० ई० संख्या 1/71 में पी० संख्या 7/86	प्रतिज्ञा उल्लंघन के लिए अभियोजन नोटिस 1 आर० टी० पी० ई० आरोप था "कीमत निर्धारित करने की सहमति पर कार्रवाई"	सुनवाई की अगली तारीख 13 से 17 जनवरी, 1992
2.	मैसर्स गुड ईयर इण्डिया लिमिटेड-दिल्ली	प्रतिवादी संख्या 2 आर० टी० पी० ई० संख्या 13/78 में पी० संख्या 8/86	यथोपरि	यथोपरि
3.	मैसर्स गुड ईयर इण्डिया लिमिटेड-दिल्ली	आर० टी० पी० ई० संख्या 13/78 में पी० ए० संख्या 8/86	यथोपरि	यथोपरि
4.	मैसर्स मोटर इण्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर	आर० टी० पी० ई० संख्या 8/82	भेदभावपूर्ण आपूर्ति, विचार करने से इन्कार बिक्री पर प्रतिबंध तथा कीमतों की हेराफेरी	सुनवाई की अगली तारीख 19.9.1991
5.	मैसर्स बेयर्स (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई	आर० टी० पी० ई० संख्या 121/88	बिक्री पर प्रतिबंध, क्षेत्र का आबटन और पुन: बिक्री की कीमत का रखरखाव	सुनवाई की अगली तारीख 27.2.1991

1	2	3	4	5
6.	मैसर्स बेयर्स (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई	आर० टी० पी० ई० संख्या 122/88	भेदक छूट देना	सुनवाई की अगली तारीख 4.3.1992
7.	मैसर्स बेयर्स (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई	आर० टी० पी० ई० संख्या 145/88	यथोपरि	सुनवाई की अगली तारीख 19.9.91
8.	मैसर्स यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली-1	यू० टी० पी० ई० संख्या 61/84	उपहार देने की स्किीम को शुरू करना।	कलकत्ता उच्च-न्यायालय द्वारा रोकादेशः उसी तारीख से स्थगित
9.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	यू० टी० पी० ई० संख्या 239/88	उनके उत्पाद "फेयर एंड लवली क्रीम" के बारे में भ्रामक दावे	सुनवाई की अगली तारीख 5.3.1992
10.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	यू० टी० पी० ई० संख्या 129/89	पीले रंग के डिटेर्जेंट पाऊडर की उपेक्षा कराना (अधिकतर छोटे पैमाने के सेक्टर में विनिर्मित)	सुनवाई की अगली तारीख 1.10.91
11.	मैसर्स इन्गर्सल रैंड (इण्डिया) बम्बई		महिन्द्रा जीप परट्रेलर तथा कम्प्रेसर इन्जन सहित लगे ड्रिलिंग सज्जा का इस्तेमाल तथा आपूर्ति के उद्देश्य से अनुचित व्यापार प्रथा में लिप्त होने का आरोप	जांच अधिकारी की रिपोर्ट अपेक्षित

महारानी बाग से नोएडा तक यमुना नदी के ऊपर पुल

4103. **श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महारानी बाग से नोएडा तक यमुना नदी के ऊपर एक अतिरिक्त पुल बनाने का विचार है क्योंकि विद्यमान निजामुद्दीन पुल शीघ्र ही ढहने वाला है, और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कब से काम आरंभ हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) यमुना नदी पर बना निजामुद्दीन पुल ढह जाने के कगार पर नहीं है। दिल्ली प्रशासन, जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में यमुना नदी पर पुलों की आयोजना और निर्माण के लिए एजेंसी के रूप में कार्यरत है, के अनुसार महारानी बाग के समीप यमुना नदी पर एक पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी एकदम प्रारंभिक और विचारणीय स्थिति में है और इसकी व्यवहार्यता अभी निश्चित की जानी है। अत: इसके कार्यान्वयन की कोई तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

रुग्ण औद्योगिक एककों को कार्यक्षम बनाना

4104. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी**
श्री अनादि चरण दास } : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु क्षेत्र के एककों सहित ऐसे रुग्ण औद्योगिक एककों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें इन्हें कार्यक्षम बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) इस समय, राज्यवार, रुग्ण औद्योगिक एकक कितने हैं; और

(ग) उन्हें कार्यक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर क्या उपाय किए गए अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चुनाव चिन्ह

4105. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेश्वरालु : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "साईकल" आन्ध्र प्रदेश में किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को दिया गया एक पंजीकृत चुनाव चिन्ह है;

(ख) क्या हाल ही में हुए आम चुनाव में आन्ध्र प्रदेश में चुनाव में निदर्लीय उम्मीदवारों को 'मोटर साईकल' और 'स्कूटर' जैसे मुक्त चुनाव चिन्ह भी आबंटित किए गए थे;

(ग) क्या 'साईकल' से मिलते-जुलते इन दोनों मुक्त चुनाव चिन्हों ने मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो अगले चुनावों के दौरान मतदाताओं के मन से भ्रम दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जहां तक मुक्त प्रतीक के रूप में "स्कूटर" का सम्बन्ध है, 'साईकल' प्रतीक से उसकी कोई समानता नहीं है। 'साईकल' और 'मोटर साईकल' में कुछ समानता हो सकती है किन्तु फिर भी उनमें स्पष्ट भेद है और यह बात, निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती है कि मतदाताओं को इनसे भ्रम हुआ था।

(घ) निर्वाचन आयोग ने अब मुक्त प्रतीक 'मोटर साईकल' के डिजाइन को पुनरीक्षित कर दिया है जिससे इन प्रतीकों के भेद और अधिक स्पष्ट हो जाएं।

राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारियों को दी जाने वाली अवकाश यात्रा रियायत सुविधा

4106. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह बैंक कर्मचारियों के लिए भी अवकाश यात्रा रियायत को सितम्बर, 1991 तक बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा की गयी या की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा किसी निर्धारित ब्लॉक वर्ष के लिए उपलब्ध है और किसी सरकारी कर्मचारी का सेवा में आने की तारीख का छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में बैंक कर्मचारी के बैंक की सेवा में आने की तारीख से ब्लॉक वर्ष की गणना की जाती है और इसलिए यह ब्लॉक वर्ष अलग-अलग कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगा। उपर्युक्त के संदर्भ में बैंक कर्मचारियों के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत की वैधता अवधि को बढ़ाने का प्रश्न प्रासंगिक नहीं होगा।

एशियाई देशों के पुनर्वास में कोलम्बो योजना की भूमिका

4107. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालीस वर्ष पूर्व शुरू की गई कोलम्बो योजना अभी भी विकासशील एशियाई देशों के पुनर्वास में अपनी भूमिका निभा रही है;

(ख यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोलम्बो योजना के क्रियाकलाप में भारत की क्या भूमिका रही है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के समक्ष पेश आ रही आर्थिक कठिनाइयों के संबंध में कोलम्बो योजना से जुड़े राष्ट्रों से कोई सम्बन्ध स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उन राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग और तकनीकी सहायता, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास जो इस समय योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु है, पर सूचना तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिए कोलम्बो योजना एक उपयोगी मंच है। इस योजना के अन्तर्गत विकासशील एशियाई देश, अति विकसित गैर-क्षेत्रीय सदस्य देशों से तकनीकी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के अतर्गत भारत जैसे विकासशील देश भी अन्य सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(ख) कोलम्बो योजना के प्रारम्भ से ही भारत ने कोलम्बो योजना की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत को कुछ कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आने वाले देशों से सहायता मिली है तथा अनेक विकासशील सदस्य देशों को सहायता प्रदान भी की है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि कोलम्बो योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की सहायता के लिए द्विपक्षीय आधार पर बातचीत की जाती है। अतः इसे पूर्णतः इस योजना के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता है। गत तीन वर्षों में इनके ब्यौरे सलग्न विवरण "I' और "II' में देखे जा सकते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने जापान और ब्रिटेन जो कि कोलबो योजना के भी सदस्य देश हैं, से देश के समक्ष आर्थिक कठिनाइयों के बारे में सम्पर्क किया है और इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल रही है।

विवरण-1

कोलंबो योजना के देशों से प्राप्त सहायता

भाग—क

कोलंबो योजना के देशों में प्रशिक्षित अधिकारी

देश	1988-89	1989-90	1990 91
1. यू० के	1180	1258	1360
2. जापान	60	68	74
3. आस्ट्रेलिया	शून्य	3	18
4. न्यूजीलैण्ड	शून्य	शून्य	1

टिप्पणी :— प्रशिक्षण स्लाटों के अतिरिक्त, जापान सरकार ने लघु तकनीकी सहायता परियोजनाओं, विकास अध्ययनों विशेषज्ञ सेवाओं और उपस्कर आपूर्ति के रूप में भी कुछ तकनीकी सहायता प्रदान की है।

विवरण-2

देशों को प्रशिक्षण स्लाटों का आवंटन

सं॰ देश	1990-91	1989-90	1988-89
1. अफगानिस्तान	22	22	22
2. बंगला देश	30	30	30
3. भूटान	50	25	25
4. बर्मा	25	25	22
5. फिजी	15	15	15
6. इन्डोनेशिया	38	37	35
7. कोरिया	7	7	7
8. ईरान	8	7	5
9. लाओस	15	15	15
10. मलेशिया	23	22	20
11. मालदीव	13	12	10
12. नेपाल	50	50	50
13. पपुआ न्यू गुयाना	6	6	6
14. फिलीपीन्स	36	35	32
15 श्रीलंका	25	23	20
16. थाइलैण्ड	6	6	6
जोड़	369	337	320

अजमेर अरबन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड में अनियमितताएं

[हिन्दी]

4108. **प्रो॰ रासा सिंह रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दि अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, केसरगंज, अजमेर (राजस्थान) किस श्रेणी के अन्तर्गत आता है;

(ख) इस बैंक की जमा राशि, परिचालन पूंजी राशि तथा बैंक के सदस्यों की संख्या का ब्यौरा क्या क्या है।

(ग) क्या निदेशक मंडल के चुनाव नियमों के अनुसार आयोजित किये गये हैं;

(घ) क्या बैंक अपने खातों की प्रति वर्ष लेखा परीक्षा कराता है तथा खातों का विवरण

नियमित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजता है;

(ङ) इस बैंक में प्रति वर्ष कितना लेन-देन होता है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और उनके मंत्रालय को इस बैंक में अनियमितताओं और गबन के संबन्ध में कोई शिकायत मिली है;

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध के सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ज) सरकार ने ऐसे बैंकों पर नियंत्रण रखने तथा लोगों की मेहनत की कमाई/जमा राशि बचाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दि अजमेर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि० को एक कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह पुनर्वास कार्यक्रम के तहत है। बैंककारी विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे लाइसेंस जारी नहीं किया है।

(ख) 30-6-91 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल जमाराशियां 231.37 लाख रुपये थीं और इसके 9794 नियमित सदस्य थे। 30-4-1991 की स्थिति के अनुसार इसकी शेयर पूंजी 16.08 लाख रुपये थी।

(ग) से (ङ) वर्तमान निदेशक मण्डल का नियमों/उपनियमों के अनुसार दिनांक 21-10-1988 को चुनाव हुआ था। प्रत्येक वर्ष बैंक खातों की लेखा-परीक्षा होती है और भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमाणित की गयी प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं। 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार ऋणों और अग्रिमों की कुल बकाया राशि 223.93 लाख रुपये है।

(च) से (ज) भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक में कुप्रबन्धन संबन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी उनके द्वारा जांच की जा रही है। प्रतिबन्ध रखने के विचार से समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक अनियमितताओं और धोखाधड़ियों से बचने के लिए बैंकों को मार्ग निर्देश जारी करता है।

भोपाल की बैरागढ़ स्थित स्टेट बैंक आफ इन्दौर शाखा में अनियमितताएं

[अनुवाद]

4109. **श्री अन्नूभाई वेलामुख** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1990 से अब तक भोपाल की बैरागढ़ स्थित स्टेट बैंक आफ इन्दौर शाखा के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध इन्दौर जोनल कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो बैंक द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस शाखा को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(च) क्या वर्ष 1987 से 1991, आज तक ग्राहकों को ऋण देने में अनियमितताओं धोखे-बाजी के कुछ मामले उजागर हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि मार्च, 90 से आज की तारीख तक की अवधि के दौरान दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें (I) क्षेत्रीय/शाखा प्रबन्धक द्वारा गैरागढ़ शाखा परिसर के मालिक से तथाकथित रिश्वत देने और (II) शाखा प्रबन्धक द्वारा किसी फर्म के नाम से कथित कारोबार की गतिविधियों के सम्बन्ध में हैं।

(ग) और (घ) बैंक ने इस मामले में आवश्यक जांच आरम्भ कर दी है।

(ङ) इस सम्बन्ध में जारी की गई हिदायतों के अलावा, बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए शाखा में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की है।

(च) और (छ) बैंक के अनुसार 1987 और 1991 में आज की तारीख तक शाखा में कोई धोखाधड़ी अथवा धोखाधड़ी के अवसर प्रदान करने वाली अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

महाराष्ट्र में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

4410. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार "कृषि और ऋण ग्रामीण राहत योजना, 1990" के अन्तर्गत आज तक कितने किसानों को लाभ मिला है;

(ख) महाराष्ट्र के लिए इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृति की गई थी और आज तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है; और

(ग) शेष राशि कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत ऋण राहत का जिला-वार या पृथक रूप से वर्गवार ब्यौरा नहीं मिलता। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हिताधिकारी कृषक, कारीगर, बुनकर हैं। 12-8-91 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सभी ऋण संस्थानों द्वारा योजना के तहत किसानों सहित ऋण राहत प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 28,75,337 थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक को क्रमशः 134.13 करोड़ रुपए और 40.31 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी और जारी की गई है जो राज्य में सहकारी बैंकों की कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के पचास प्रतिशत शेयर के रूप में थी। नाबार्ड के ऋण राहत के राज्य सरकार के पचास प्रतिशत मांग के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और महाराष्ट्र भूमि विकास बैंक को ऋण के रूप में क्रमशः 134.13 करोड़ रुपए और 40 31 करोड़ रुपए की रकम मंजूर और जारी की है। नाबार्ड ने महाराष्ट्र राज्य में क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों को भी क्रमश: 12.75 करोड़ की मंजूरी दी है और 0.3? करोड़ रुपए जारी किए हैं। आशा की जाती है कि शेष राशि को चालू और आगामी वित्त वर्ष में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के भुवनेश्वर—कटक—जगतपुर सेक्शन पर चार लेन वाली सड़क का निर्माण

4111. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के भुवनेश्वर—कटक—जगतपुर सेक्शन पर चार लेन वाली सड़क बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब से शुरू हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) जी, हां। लगभग 11? करोड़ रु० की लागत वाली इस परियोजना को प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग ऋण के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है हाल ही में ऋण के हस्ताक्षर किए जाने हैं। अत: कार्य के शुरू होने की तारीख के बारे में अभी से बताना सम्भव नहीं है।

हथकरघा उद्योग का संवर्द्धन

[हिन्दी]

4112. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग के संवर्द्धन के लिये एक नयी नीति बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत सरकार ने हाल ही में लघु, अति लघु एवं ग्रामीण उद्यमों के संवर्धन और उन्हें मजबूत बनाने के लिये नीतिगत उपायों की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा क्षेत्र के सम्बन्ध में भी कुछ नीति पहल को शामिल किया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हथकरघा संवर्धन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बनाये रखने और हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से लघु स्तरीय औद्योगिक नीति में निम्नोक्त घोषणाएं की गई हैं।

2. क्षेत्रीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं को पुनः बनाया जायेगा। निगमित/सहकारी क्षेत्र के बाहर के अधिकांश बुनकरों को शामिल करने के लिये कवरेज सम्बन्धी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

3. मौजूदा योजनाओं को तीन मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत दुबारा बनाया जायेगा तथा उन्हें उचित रूप से संशोधित किया जायेगा :—

(क) **परियोजना पैकेज योजना** : इस योजना के अन्तर्गत उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सुविधाओं में सुधार के लिए क्षेत्र-आधारित परियोजनाएं बनाई जाएंगी।

(ख) **कल्याण पैकेज योजना** : कल्याण योजनाओं की संख्या और उनके लिए स्वीकृत निधियों की मात्रा को पर्याप्त रूप में बढ़ाया जायेगा।

(ग) **संगठन विकास पैकेज** : मौजूदा राज्य अभिकरणों में बेहतर प्रबन्ध प्रदान करने के लिये संगठनात्मक विकास योजना के अन्तर्गत शेयर पूंजी की भागेदारी योजना को पुनः तैयार किया जाएगा।

4. जनता वस्त्र योजना जिस पर बुनकर प्रायः न्यूनतम जीविका स्तर पर गुजारा करते हैं को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा और इसका प्रतिस्थापन बहु-प्रयोनीय परियोजना पैकेज योजना से किया जाएगा जिसके अन्तर्गत करघों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण बेहतर डिजाइनों के लिये प्रावधान, रंजकों और रसायनों का प्रावधान और विपणन सहायता के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएंगी।

5. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन एच डी सी) के लिए एक व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है। हैंक यार्न और रंजकों तथा रसायनों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सहकारी क्षेत्र में कताई क्षमता को बढ़ाया जायेगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम दोनों ही अर्थात् कपास उपजकर्ता कताई मिल्स तथा बुनकर कताई मिल्स के लिये बीज राशि के रूप में और अधिक सहायता प्रदान करेगा।

6. हथकरघा उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रचार, प्रदर्शनियों तथा डिजाइन प्रयोग के द्वारा डिजाइन और उत्पाद विकास की योजना का गहन क्रियान्वयन किया जायेगा। हथकरघा उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना बनाई जायेगी जिसके अन्तर्गत निम्न मूल्य की मदों के स्थान पर निर्यात बाजार के लिए उपयुक्त उच्च मूल्य की मदों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा बेहतर डिजाइनों के निवेश, प्रौद्योगिकी उन्नयन, रेशम तथा टसर बुनाई के लिए कपास बुनकरों को प्रेरित करके किया जायेगा। निर्यात बाजारों के लिये उपयुक्त उत्पादों के लिये करघों के आधुनिकीकरण हेतु विशेष परियोजनाएं बनाई जाएंगी।

राजस्थान में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

[हिन्दी]

4113. **श्री रामनारायण बैरवा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से कौन-कौन-सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या इनमें से कई परियोजनाओं का कार्य विश्व बैंक से समय पर सहायता न मिलने के कारण रूका पड़ा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस मामले में विश्व बैंक के प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राजस्थान सरकार के साथ भागीदार राज्य के रूप में अनेक बहुराज्यीय परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वयन के अधीन है। इन परियोजनाओं की सूची सलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) विश्व बैंक की सहायता राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। प्रारम्भ में राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाता है। इसलिए, विश्व बैंक से समय पर सहायता न मिलने के कारण परियोजनाओं का काम रूक जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार (ग) और (घ) भाग के सम्बन्ध में प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

राजस्थान में परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सहायता (अमेरिकी मिलियन डालर)
1.	व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना	280.0*
2.	प्रथम तकनीशियन शिक्षा परियोजना	260.0*
3.	राज्य सड़क परियोजना	256.572*
4.	बांध सुरक्षा परियोजना	153.0*
5.	एन ए ई पी–I परियोजना	53.40*
6.	टी डब्लू डी पी (मैदान)	67.44*
7.	एन ए आर पी–II	97.14*
8.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना	225.097
9.	राष्ट्रीय बीज परियोजना–III	154.268*
10.	एन सी डी सी–III	280.471*
11.	राष्ट्रीय डेरी–II	367.244*

*ये आंकड़े समस्त परियोजनाओं के लिए हैं। राजस्थान के हिस्से के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

"बंचिंग" के मामलों में वेतन निर्धारण

[अनुवाद]

4114. **श्री श्री जी० देवराय नायक**
श्री वी० कृष्ण राव
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवायें (संशोधित वेतन) नियम, 1986 के नियम 7 के नीचे टिप्पणी 3 समूह (बंचिंग) क मामलों में वेतन निर्धारण पर विचार करता है;

(ख) क्या उक्त प्रावधानों के अनुसार एक अधिकारी जो एक ग्रेड में 6 से 10 वें चरण तक का वेतन ले चुका है, संशोधित ग्रेड में उसके वेतन निर्धारण पर वह एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का हकदार है;

(ग) क्या वेतन निर्धारण, 1 जनवरी, 1986 को देना था और ऐसा अधिकारी अपनी वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 1987 को ही ले सकता था;

(घ) क्या उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उस अधिकारी को, जिसके वेतन वृद्धि की वास्तविक तिथि जनवरी के बाद का कोई महीना है, एक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता बल्कि एक या कुछ महीनों का ही लाभ मिल पाता है;

(ङ) क्या सरकार का इस विसंगति को दूर करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) 1.1.1986 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियतन के मामलों पर केन्द्रीय सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के नियम 7 के अन्तर्गत विचार किया जाता है। जहां उक्त नियम 7(1) के अधीन वेतन नियत करने में ऐसे सरकारी कर्मचारियों का, जो संशोधन पूर्व के वेतनमान में पांच लगातार प्रक्रमों से अधिक पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वेतन एकत्रित (बंच्ड) हो जाता है तो इस नियम के नीचे टिप्पणी 3 में ऐसी स्थिति में वेतन बढ़ाए जाने की व्यवस्था है।

(ख) उक्त टिप्पणी 3 में से ऐसे मामलों में 1.1.1986 से एक वेतनवृद्धि के बराबर वेतन में वृद्धि किए जाने की व्यवस्था है।

(ग) बंचिग सहित वेतन बढ़ाये जाने के सभी मामलों में अगली वेतनवृद्धि वेतन बढ़ाए जाने की तारीख से बारह महीने पूरे होने पर देय होती है।

(घ) 1.1.1986 से वेतन बढ़ाए जाने के मामलों में वेतनवृद्धि का लाभ मामला-दर-मामला अलग-अलग होता है चूंकि वह संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतनवृद्धि की तारीख पर निर्भर करता है। वेतन बढ़ाए जाने के पीछे मूल धारणा पुनरीक्षित वेतनमान में नियत वेतन में विसंगति दूर करना है।

(ङ) और (च) ऊपर (क) से (घ) में स्पष्ट किये गये अनुसार वेतन बढ़ाये जाने से कोई विसंगति नहीं होती है बल्कि इससे विसंगति दूर की जाती है।

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर में अनियमितताएं

4115. **श्री राम बदन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 1991 तक देश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में राज्यवार तथा शाखावार कितने-कितने मामलों में जालसाजी/अनियमितता बरती गई है;

(ख) प्रबन्धकों ने दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) इस सम्बन्ध में 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक मामले में कितनी राशि

वसूल कर ली गई है तथा कितनी राशि वसूल की जानी है; और

(घ) प्रबन्धकों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक राज्य-वार शाखा-वार आधार पर किसी बैंक में हुई धोखाधड़ियों से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखता है। गत तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 1991 तक स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में हुई धोखाधड़ियों/अनियमितताओं की संख्या नीचे दी गई :—

वर्ष	धोखाधड़ियों/अनियमितताओं की सं०	(लाख रुपए) राशि
1988	13	14.20
1989	16	9.11
1990	17	337.85
1991 (30.6.91 तक)	4	76.15

(ख) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :

	1988	1989	1990	1991
1. दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	—			—
2. सेवा से बर्खास्त/सेवामुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	2		3	—
3. कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चल रहा है।	5	5	5	5
4. कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।	64	36	27	25 (31 मार्च तक)

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। प्रणाली और प्रक्रियाओं सम्बन्धी हिदायतों को दोहराया गया है/या संशोधित किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में घाटा

4116. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1990-91 में घाटा हुआ है और उन्हें कितना घाटा हुआ;

(ख) इन बैंकों द्वारा वर्ष 1990-91 में ऋण घाटे और अशोध्य ऋणों के लिए क्या प्रावधान किया था; और

(ग) इन बैंकों का इक्विटी पूंजी आधार क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 18 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लिए अपने-अपने खातों को अन्तिम रूप दे दिया है और मात्र एक बैंक, यानि यूको बैंक ने 42.96 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। दो बैंकों ने अपने खातों को अभी अन्तिम रूप देना है।

(ख) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते के प्रपत्रों के अनुसार, जिसकी सभी बैंकों को अनुपालना करनी होती है, और बैंकर्स के बीच प्रचलित परम्पराओं और प्रथाओं के अनुसार बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और ऋणों की हानियों के लिए किए गये प्रावधानों को प्रकट करने से कानूनी संरक्षण दिया गया है।

(ग) 31.3.91 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का ईक्विटी आधार यानि प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रुपये थी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले

4117. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कितने मामले सरकार की जानकारी में लाये गये; और

(ख) सरकार ने दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) दिनांक 1-4-91, से 31-7-91 तक के पिछले चार महीनों में 983 मामले पंजीबद्ध किये गये थे।

(ख) इस अवधि में 1040 मामलों में फैसले सुनाये गये थे, 425.79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और 41.42 लाख रु० की भारतीय मुद्रा तथा 44.60 लाख रु० की विदेशी मुद्रा को जब्त करने के आदेश दिये गये थे।

कापर इलेक्ट्रोलाइट इनगाट्स ट्रेडरों पर छापे

4118. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में "रेड्स प्वाइंट टु कापर स्कैम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कॉपर इलैक्ट्रोलाइट इनगॉट्स के विभिन्न व्यापारियों पर छापे के दौरान विदेशी मुद्रा अनियमितताओं के कितने मामलों का पता चला;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। जून और जुलाई, 1991 के दौरान, सीमाशुल्क समाहर्तालय (निवारक) मुम्बई, और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने मुम्बई और दिल्ली स्थित ताम्बे की इलेक्ट्रोलाइट सिल्लियों, तार की छड़ों, पीतल के स्क्रैप और अन्य अलौह-धातुओं के आयातकों के विभिन्न परिसरों तलाशी ली। इन तलाशियों के परिणामत: इस मामले में आगे और जांच-कार्य/न्यायनिर्णयन की कार्यवाही जारी है।

अर्कोनम में नौसैनिक हवाई अड्डा खोलना

4119. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्कोनम में नौसैनिक हवाई अड्डा कब तक खोल दिए जाने की सम्भावना है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितने व्यक्तियों की जमीन अधिग्रहीत की गई है तथा कुल कितनी जमीन अर्जित की गई है;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) क्या सरकार का शेष व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) नौसैनिक हवाई अड्डा, अर्कोनम का प्रथम चरण 1991 के अन्त तक उपयोग के लिए तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए 535 व्यक्तियों की 943.40 एकड़ निजी भूमि अर्जित की जा चुकी है। इसके लिए अब तक कुल 1295.50 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है (इसमें 352.10 एकड़ भूमि राज्य सरकार की है)।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक पूर्व भू-स्वामियों के परिवारों के प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति के हिसाब से कुल सात व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है और पात्र एवं डाक्टरी आधार पर स्वस्थ पाए गए 19 व्यक्तियों को नौसेना में भर्ती कर लिया गया है।

(घ) से (च) मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार, विस्थापित परिवारों के सदस्यों को रोजगार मुहैया कराने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबद्धता नहीं की जा सकती। फिर भी, उन परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने के मामले में समुचित रूप से विचार किया जाएगा जिनकी भूमि अर्जित कर ली गई है बशर्ते इसके लिए रिक्तियां उपलब्ध हों और वे जिस पद के लिए आवेदन करते हों उसके लिए निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हों।

बुरहानपुर ताप्ती मिल्स का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

4120. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बुरहानपुर स्थिति एकक, बुरहानपुर तापती मिल्स, दिसम्बर, 1987 में आग लगने से क्षति ग्रस्त हो गया था;

(ख) क्या उपर्युक्त मिल्स के आधुनिकीकरण के योजना प्रारूप को राष्ट्रीय कपड़ा निगम, इन्दौर द्वारा विकास पूंजी निवेश की सीमा के अन्तर्गत कुछ परिवर्तन और सुधारों के साथ स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय कपड़ा निगम, नई दिल्ली के पास भेज दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम, नई दिल्ली ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस प्रयोजन हेतु 29 करोड़ रुपये का ऋण लेने का आवेदन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा यह ऋण कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। प्रस्ताव पर एन॰टी॰सी॰ (धारक कम्पनी) नई दिल्ली से बोर्ड की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करी

[अनुवाद]

4121. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया**
श्री बलराज पासी
श्री महेश कुमार कनोडिया
श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने नशीले पदार्थों पर नियंत्रण सम्बन्धी पाकिस्तान के संघ मंत्री के साथ भारत-पाकिस्तान सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के सम्बन्ध में विस्तृत बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) यह बैठक, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार तथा तस्करी को रोकने के लिए आपसी सहयोग पर दोनों देशों के शासकीय प्रतिनिधि मंडलों को बाद में हुई 30 और 31 जुलाई, 1991 को द्विपक्षीय बैठक के आधार तैयार करने के लिए आयोजित की गई थी।

निर्यात-आयात बैंक

4122. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात-आयात बैंक का विचार स्वदेशी दाम के साथ सम्बद्ध जानकारी संवेष्टित करने तथा सफल और टहने हुए निर्यात को वित्तपोषित करने के लिए अपनी भूमिका का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबन्ध में निर्यात-आयात बैंक ने कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे निर्यात में कितनी वृद्धि होगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने हाल ही में दो नये ऋण देने के कार्यक्रमों को भारतीय रिजर्व बैंक को उसके अनुमोदनार्थ भेजा है। ये कार्यक्रम है :—(I) विदेशी मुद्रा पोत-लदान पूर्व ऋण (एफ०सी०पी०सी०) और (II) फारफेटिंग।

(ग) एफ०सी०पी०सी० कार्यक्रम भारतीय निर्यातकों को निर्यात उत्पादनों के लिए आवश्यक निविष्टियों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा पोत-लदान पूर्व वित्त के स्रोत से सम्बद्ध है। एफ०सी०पी०सी० से अन्तर्गत उधार ली गई विदेशी मुद्रा निधि स्वत: वापसी की प्रकृति के समान हैं, क्योंकि एफ०सी०पी०सी० के उधारों की अदायगी निर्यातों से विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन में से ही वापस की जा सकती है।

"फारफेटिंग" एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए मध्यम और दीर्घावधि में प्राप्त होने वाली निर्यात प्राप्तियों को अल्पावधि में वसूल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय फारफेटिंग एजेंसियों के माध्यम से निर्यात से होने वाली प्राप्तियों को भुनाना है।

(घ) यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त नये ऋण देने के कार्यक्रम, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कर दिये गए तो इनसे निर्यात में वृद्धि होगी। यद्यपि ऐसी वृद्धि का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

[हिन्दी]

4123. श्री राजवीर सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितनी दर निर्धारित की गई है तथा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई थी,

(ख) क्या सरकार का विचार इस राशि दर में वृद्धि करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए प्रति कि०मी० आवश्यकता निकाली जाती है। ये मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ सड़क के भूतल की लम्बाई और चौड़ाई, यातायात संघनता, भौतिक और मौसम संबन्धी परिस्थितियों जैसे विभिन्न तथ्यों पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ से क्षति और विशेष मरम्मत के लिए प्रावधान रखे जाते हैं। यद्यपि वास्तविक आवंटन संसाधनों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए 1989-90 और 1990-91 के दौरान निम्नलिखित निधियां आवंटित की गई :

वर्ष	आवंटन (लाख रु०)
1989-90	14355
1990-91	15312

(ख) और (ग) प्रति वर्ष रख-रखाव निधि की आवश्यकता की गणना वर्तमान सामग्री और श्रम की दर तथा बाढ़क्षति इत्यादि के कारण मरम्मत की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार की जाती है। हालांकि वास्तविक आवंटन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाता है।

इथोपिया में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

4124. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोपिया ने अपने देश में छोटे और मझले उद्योगों, विशेषत: कृषि उद्योगों, सिले सिलाये वस्त्रों, चमड़े के वस्त्रों और निर्माण कार्य के क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए भारत को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर चाय का आयात

4125. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर चाय का आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे इस चाय को उच्चकोटि की चाय में परिवर्तित करके तथा डिब्बा बन्द करके उसका निर्यात कर सकें; और

(ख) यदि हां; तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार को ऐसे सुझाव मिले हैं। फिर भी, सरकार की नीति यह है कि मूल्य वर्धन के उद्देश्य से और केवल निर्यात में दृढ़ता पूर्वक चाय के आयात के सम्बन्ध में अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है। घरेलू खपत के लिए चाय के आयात की अनुमति नहीं है।

पुस्तकों का आयात

4126 **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खुला सामान्य लाइसेंस के क्षेत्र को व्यापक बनाने का है ताकि आयात के लिए सभी श्रेणी की पुस्तकों को इसमें शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विषय विशेष में विशिष्टता प्राप्त ज्ञानप्रद पुस्तकों के आयात को उदार बनाने तथा पुस्तकों, सावधिक पत्रिकाओं एवं शिक्षण सहायता सामग्री के आयात को युक्तियुक्त बनाने के लिए सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) आयात निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जरूरत पड़ने पर सभी सम्बन्धित कारकों और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इसमें आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। जब कभी भी नीति में परिवर्तन किए जाते हैं तो उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

साल्बोनी (पश्चिम बंगाल) में बैंक नोट मुद्रणालय

4127 **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में साल्बोनी में नये बैंक नोट मुद्रणालय जिसके लिए कुछ वर्ष पहले भूमि अधिग्रहित की गई थी का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और यह कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यह परियोजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सिविल निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। उपस्करों की आपूर्ति के लिए आदेश प्रस्तुत करने संबन्धी कार्य किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण के जून, 1993 तक पूरा होने और सम्पूर्ण परियोजना के 1994-95 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेशम के धागे का निर्यात

4128. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम के धागे का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक राज्य से कुल कितनी मात्रा में रेशम के धागे का निर्यात करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पुराने मंडोवी पुल का पुनर्निर्माण

4129. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पुराना मंडोवी पुल कब टूटा था,

(ख) पुराने मंडोवी पुल की मरम्मत पुर्ननिमाण के लिए निविदा ठेका किसको तथा कब दिया गया था तथा दिया गया ठेका कितनी धनराशि का है,

(ग) ठेके में निर्धारित समय सीमा कितनी है तथा कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा न किये जाने पर ठेके में कितने जुर्माने की व्यवस्था है,

(घ) ठेकेदार को अब तक कुल कितनी धनराशि मिल चुकी है, और

(ङ) पुराना मंडोवी पुल कब तक बनकर तैयार होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर बना पुराना मंडोवी पुल 5.7.86 को ढह गया था।

(ख) पुल के पुनर्निर्माण के लिए मैसर्स गैमन इण्डिया लिमिटेड, बम्बई को 11.6.1987 को 477 लाख रु० का निविदा-ठेका दिया गया था।

(ग) काम के पूरा होने के लिए ठेके में निर्दिष्ट समय-सीमा, मानसून अवधि को छोड़कर 18 महीने थी। ठेके में निर्दिष्ट जुर्माने की राशि ठेका मूल्य की अधिकतम 10 प्रतिशत है जो परि-समापन क्षति के रूप में है।

(घ) 16.7.1991 तक ठेकेदार को 348.24 लाख रु० की राशि का भुगतान किया गया।

(ङ) पुराने मंडोवी पुल के जून, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

चाय का निर्यात

4130. **डा० ए० के० पटेल**
श्री शंकर सिंह बघेला } : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960, 1970, 1980, 1985 और 1990 में निर्यातित चाय की मात्रा और उसका मूल्य कितना है;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान किन प्रमुख देशों को निर्यात की गई; और

(ग) सरकार का चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विश्व में नये बाजार की खोज के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) इन वर्षों में निर्यात की गई मात्रा और मूल्य नीचे दिए गये हैं;

वर्ष	मात्रा (मि० कि०ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1960	193.06	119.99
1970	202.34	149.80
1980	224.78	432.55
1985	214.94	703 59
1990	199.66*	1028 20
		*अनुमानित

(ख) इन वर्षों में जिन प्रमुख देशों को चाय निर्यात की गई वे हैं--ब्रिटेन, आयरलैण्ड, नीदरलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, सोवियत संघ, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, जापान, ए०आर०ई०, सूडान ट्यूनिशिया, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया।

(ग) सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों में भारतीय चाय के खोए हुए योगदान को पुन: बहाल करने के लिए चाय बोर्ड और सरकार ने उपयुक्त उपाय किए हैं ताकि भारत से चाय के निर्यात में वृद्धि हो और विदेशी मुद्रा आय अधिकतम हो। महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल है :

(क) बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा ब्रिटेन में दार्जिलिंग तथा असम लोगों अभियान आरंभ किया जाना।

(ख) विकसित औद्योगिकीकृत देशों तथा पश्चिमी एशिया में पैकेट चाय, चाय थैलियों और इन्स्टैन्ट चाय जैसी मूल्यवर्धित चाय के निर्यात संवर्धन पर जोर देना। इस प्रयोजन के लिए चाय बोर्ड न केवल अलग-अलग पैकर ब्राण्डों के लिए संवर्धनात्मक सहायता दे रहा है बल्कि वह ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान कर रहा है ताकि अलग-अलग पैकर अपने-अपने ब्राण्डों का विज्ञापन कर सकें।

(ग) रुपये के अवमूल्यन के साथ-साथ एफ०ओ०बी० मूल्य के 30-40 की दर से एक्जिम स्क्रिप देने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय के अपेक्षतया अधिक प्रतियोगी होने की आशा है और इससे अधिकाधिक चाय निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

(घ) चाय उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजन से अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के उपाय किए गए हैं जिससे कि घरेलू खपत पूरी करने के बाद निर्यात के लिए अपेक्षतया अधिक चाय उपलब्ध कराई जा सके।

बिहार के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

[हिन्दी]

4131. श्री नवल किशोर राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सीतामढ़ी जिले में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार के पिछड़े हुये ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो वे कहां-कहां खोली जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 30.6.1991 की स्थिति के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 57 शाखाएं कार्य कर रही थी। इन शाखाओं की बैंक वार अवस्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) से (घ) नवीन शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत बैंक शाखाओं का खोला जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में लाइसेंस जारी कर नियंत्रित करता है। अतः इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि बिहार के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली जाएगी।

विवरण

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम	बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	बैरीगनिया	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	अनहारी
	बलमाद		बेलाही-नीलकंठ
	चकौती		धनारी
	दस्ता		डुमरा
	हरारी दुलारपुर		गिसारा
	जगधर		गोविन्द
	मधुबनबसाहा		पिथोजिया
	महसोल		माधोपुर बतूरी
	परिहार		मेहसौल
	पुपरी (जनकपुर रोड)		महनि मण्डल
	सीतामढ़ी		रीगा
	सीतामढ़ी		रूमीमैयदपुर
			शिवाहर

	सीतामढ़ी
इलाहाबाद बैंक	आखता
	बनगांव
	बथनाहा
	महिन्दवाड़ा
	मरपारकलां
	पचटकी जादऊ
	सीतामढ़ी
	सोनबरसा
बैंक आफ बड़ौदा	अदौरी
	अमवाकलां
	हरपुरवा
	हिनरोलवा बिशनपुर
	महेमिया
	मझोलिया
	पताही
	सीतामढ़ी
बैंक आफ इण्डिया	भासर-मछहा
	मीठा धरमपुर
	हिरोता डुमा
	कटैया
	परिवाहा
	सम्साराम
	सीतामढ़ी
	सीतामढ़ी
	सुरसण्ड
इण्डियन बैंक	नरवाड़ा
पंजाब नेशनल बैंक	बनौला
	डुमरी कलां
	गौरा
	पण्डौल
	कचोर
सिंडिकेट बैंक	कमलदा

रुई का निर्यात

[अनुवाद]

4132 **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान रुई के निर्यात हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : 1991-92 के कपास मौसम के दौरान कपास के निर्यात के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी गुजरात की परियोजनाएं

[हिन्दी]

4133. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित कौन-कौन सी परियोजनाएं और योजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं, और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त और सरकार के पास लम्बित परियोजनाएं और स्कीमें उनकी स्थिति सहित नीचे दी गई है :—

(I) राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए 9 स्कीमें (सूची संलग्न विवरण I में दी गई है)। इन प्रस्तावों पर आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(II) बढ़ाई गई केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित 167 स्कीमें (सूची संलगन विवरण II में दी गई है)। केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि, जो अभी नहीं हुई है, हो जाने के बाद ही इन पर अनुमोदन के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

(III) राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित निर्माण कार्यों के 25 प्राक्कलन (सूची संलगन विवरण III में दी गई है)। संसद द्वारा अनुदान-मांग पारित कर दिए जाने के बाद इन्हें हाथ में लिया जाएगा।

(IV) गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तुत की था :—

(क) नर्मदा नदी जलमार्ग का विकास,

(ख) हजीरा नहर में तापी नदी का विकास,

(ग) अन्य अन्तर्देशीय जल परिवहन स्कीमें, और

(घ) घाहेज और घोघा के बीच रो-रो फैरी सेवा के प्रचालन के लिए लैंडिंग सुविधाएं प्रदान करना।

आठवीं योजना को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण उपर्युक्त प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण-I

(I) राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

1. एन एच-6 कलकत्ता—नागपुर धूले का गुजरात में एन एच-8 को जोड़ते हुए धूले-सूरत-हजीरा तक विस्तार	160 कि०मी०
2. गांधीनगर-अहमदाबाद-गोधरा-दाहोद-इंदौर-भोपाल	250 कि० मी०
3. नालिया-जामनगर-ओखा-पोरबन्दर-वेरावल-दीर-भावनगर कारजन बडोदरा के समीप एन एच-8 से जोड़ते हुए	900 कि० मी०
4. राजकोट-जामनगर-बादीनार पोर्ट	150 कि० मी०

1	2	3
5.	भुज-रावडा-इण्डियन ब्रिज-धर्मशाला भारत के बार्डर तक एन एच-15 का विस्तार	170 कि० मी०
6.	कांडला से मांडवी-नलिया-नारायण सरोवर तक एन एच-8ए का विस्तार	206 कि० मी०
7.	बदोदरा सिनार-वतरंग-व्यवरा-अहवा-सापूतारा-नासिक रोड एन एच-8 को एन एच-3 के साथ जोड़ते हुए	245 कि० मी०
8.	एस एच-14 पर पालनपुर लिंक रोड से एन एच-8 पर गांधीनगर-अहमदाबाद ।	150 कि० मी०
9.	सुईग्राम-सिघाडा रोड लिंक	40 कि० मी०
	कुल :	2230 कि० मी०

विवरण-II

(II) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अनुमोदन के लिये गुजरात राज्य की लम्बित स्कीमें

क्रम सं०	जिला	सड़क के नाम और सड़क श्रेणी सहित कार्य का नाम
1	2	3
1.	कच्छ	अन्जर मुन्द्रा सड़क एस एच पर बुडाला गांव के समीप पहुंच मार्गों के साथ पुल का निर्माण
2.	मेहसाना	शंखेश्वर बेचाराजी पर रूपेन नदी पर एक पुल का निर्माण
3.	मेहसाना	धीनोजपीठा-सूरज काडी रोड़ पर रूपेन नदी पर पुल का निर्माण
4.	बदोदरा	उमेटा-सिहरोट-बदोदरा पर सिहराहगांव के समीप मीनी नदी पर पुल
5.	पंचमहल	अलीराजपुर-देहोड-जालोड बांसवाडा रोड खण्ड पर मौजूदा डिप्स के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, दाहोद से गाबोदेड पंचमहल जिला सीमा तक
6.	साबर कांठा	अमरान ऊनियर रोड पर वतरक नदी पर पुल का निर्माण
7.	सूरत	किम कोसम्बारोड 3/6 से 3/8 कि० मी० में किम नदी पर पुल का निर्माण
8.	वलसाड	तटीय राजमार्ग खण्ड 1। रोली खाडी के लीलापुर जंक्शन तक पहुंच मार्गों सहित रोली खाडी पर पुल ।

1	2	3
9.	बदोदरा	भोज रेलवे स्टेशन पर सेहेरा के समीप मदरक नदी पर पुल। अम्बादा धिकारिया सेहरा हंडपा कंधारोड (एम डी आर)
10.	खेडा	पल्ली बालासीनोर-वीरपुर-दोगामदा माड रोड गोधरा रोड (एम डी-आर) पर पोर्ता मजारी नदी पर एक मिसिंग पुल का निर्माण।
11.	खेडा	पल्ली बालासीनोर वीरपुर दोगमदा मदरोल-गोधरा रोड (एम डी-आर) पर मिसिंग छोटे पुल का निर्माण।
12.	अमरेली	ओखा पोरबन्दर वेरावल भावनगर रोड खण्ड पर 6 कोडीपार गांव के समीप नदी पर पुल का निर्माण वेरावल ऊना तिम्बडी रोड सी एच-6
13.	अमरेली	अरकोट अमरेली राजूला जाफराबाद रोड एस एच-34 पर धातारवाडी नदी पर पुल का निर्माण।
14.	अमरेली	अमरेली सिटी बाईपास बावन्त लाठी अमरेली धारी कोडीपार रोड के समीप बाडी-थेबी नदी पर पुल का निर्माण। (ए एच 33)
15.	राजकोट	मोरबी बाईपास पर एन एच 8ए मोर्बी-नवलई (एम एच) पर मछू नदी पर मिसिंग पुल का पहुंच मार्गों सहित निर्माण।
16.	राजकोट	बोडा बेडी गांव 7/10 से 8/0 कि० मी० के समीप पधारी-सुरपदाड सिरासरा लोखिका रोड (एम डी आर)
17.	राजकोट	बाकनेर-कायियागढ़-थान रोड (एम डी आर) पर मछू नदी पर पुल का निर्माण
18.	राजकोट	जेतपुर-मेवासा रोड एनएच कि० मी० 0/0 से 1/0 (एम डी आर) के समीप मधारडी कॅरजवे पर पुल का निर्माण जेतपुर-मेवासा रोड
19.	राजकोट	महादेविय काजवे 2/0 से 3/0 कि० मी० (एम डी आर के स्थान पर पुल का निर्माण।
20.	राजकोट	जेतपुर चानिया रोड गालोलिया नदी (एम डी आर) पर थानगढ़ गांव के समीप पुल का निर्माण।
21.	राजकोट	जेतपुर-चानिया बाडिया रोड, थानगढ़ गांव के समीप भोलिया पर पुल का निर्माण।
22.	राजकोट	बांकानेर-जाडेश्वर लाजाई रोड 4/0 से 5/0 कि० मी० के बीच असोई नदी पर पुल का निर्माण।

1	2	3
	डिप्स के स्थान पर पुलों का निर्माण	
23.	जामनगर	जामनगर-लालपुर पोरबन्दर रोड एसएच 27 कि० मी० 3/8 से 4/0 कि० मी० 4/0 से 4/6 कि० मी० 4/8 से 5/0 कि० मी० 5/8 कि० मी० से 6/0 कि० मी० 11/0-2 कि० मी० 29/2-4, कि० मी० 30/6-8
24.	जामनगर	राजकोट-कालवाड रोड (1) रूपवती नदी पर (2) मुरसंगाडो नदी पर
	मौजूदा संकरे पुल	
25.	जामनगर	गोमती पर पुल का निर्माण (गोमती क्रीक साथ में राजकोट जामनगर द्वारका ओखा रोड राज्य राजमार्ग कि० मी० 227/4 से 229/1 (एसएच-25)
26.	जामनगर	राजकोट जामनगर द्वारका ओखा रोड राज्य राजमार्ग कि० मी० 223/4 से 224/6 (एसएच-25) पर रूकमणी क्रीक पहुंच मार्गों के साथ पुल का निर्माण।
	विशिष्ट पुल	
27.	जामनगर	वोनकला (आराला) पर मनवाड जमोधपुर सयाना रोड (एमडीआर)
28.	जामनगर	जामनगर लालपुर पोरबन्दर रोड एसएच पर धांधार नदी पर पहुंच मार्गों के साथ पुल का निर्माण।
	डिप्स के स्थान पर पुल का निर्माण	
29.	जामनगर	जामनगर-लालपुर पोरबन्दर रोड पर पुलों का निर्माण (एसएच-27) कि० मी० 30/28, कि० मी० 52/4-6, कि० मी० 55/8 से 56/5, कि० मी० 61/8 से 62 (0), कि० मी० 63/6-8
30	सुरेन्द्र नगर	लो लेवलकाजवे के स्थान पर छोटे पुल का निर्माण कि० मी० 63/0-6 वीरमगांव मालिया रोड एस एच-7 पर
31.	सुरेन्द्र नगर	हलवाड-मोरवी रोड एसएच-22 पर कि० मी० 53/06 के बीच लो लेवल काजवे के स्थान पर छोटे पुल का निर्माण
32.	कच्छ	अन्जार सिटी के बाहर भूज अन्जार और अन्जार गांधी धाम रोड को मिलाते हुए बाईपास का निर्माण

1	2	3
33.	कच्छ	मांडवी टाउन के बाहर बाईपास का निर्माण साथ में मूच मांडवी और मांडवी कोठारे रोड को जोड़ते हुए पुल का निर्माण
34.	मेहसाना	ककोल-छजल-मेहसाना रोड के चौड़ा करके चार लेन का बनाना और एबाद को मजबूत बनाना कि० मी० 19/8 से 25/4 कि० मी० 26/4 से 27/0 कि० मी० 31/8 से 36/8
35.	मेहसाना	विशनगढ़ खेरालू आम्बाघाट रोड कि० मी० 34/0 से 78/0 को दोहरी लेन में चौड़ा करना और मजबूत बनाना
36.	मेहसाना	वीरमगढ़ मडल पसर सपी रोड कि० मी० 118/0 से 140/0
37.	मेहसाना	मेहसाना बोडला नोघरा रोड कि० मी० में 12/0 से 25/0 को दोहरी लेन में चौड़ा करना।
38.	मेहसाना	पेटन-उन्जा रोड कि० मी० 4/0 से 26/0 को चौड़ा करना और मजबूत बनाना।
39.	मेहसाना	पाटन सिद्धपुर खेरलू सड़क राज्य राजमार्ग सं० 10, (पाटन से) को 0/0 से 36/0 तक चौड़ा करके दो लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।
40.	मेहसाना	पाटन चांसमा सड़क को 76/0 से 92/4 तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।
41.	मेहसाना	विसनगर ऊंजा सड़क को 0/0 से 25/0 तक चौड़ा करना सुदृढ़ करना।
42.	मेहसाना	मेहसाना जिले की सीमा तक काडीपोल-सानन्द को 0/0 से 25/0 तक चौड़ा करके दो लेन बनाना।
43.	वदोदरा	वदोदरा-सारली सड़क राज्य राजमार्ग सं० 158 राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के बाईपास तक 3.50 कि० मी० लम्बाई (चौड़ा करके चार लेन बनाना)।
44.	वदोदरा	वदोदरा कांडेवाडी-सड़क राज्य राजमार्ग सं० 87 कि० मी० 6/2 से 9/5 तक (रा० रा० 8 बाईपास जंक्शन में) 3.30 कि० मी० लम्बाई। चौड़ा करके चार लेन बनाना।
45.	वदोदरा	रा० रा० 8 बाईपास तक वदोदरा-आजवा सड़क (चौड़ा करके चार लेन बनाना)
46.	वदोदरा	वदोदरा म्युनिसिपल सीमा बकोडिया बाई पास जंक्शन (चौड़ा करके चार लेन बनाना)।

1	2	3
47.	वदोदरा	वदोदरा-डभोई सड़क राज्य राजमार्ग सं० 11 कि० मी० 6/2 से 8/2 तक
48.	वदोदरा	म्युनिसिपल सीमा से जम्बुआ रा० रा० 8 जंक्शन तक (पुराना रा० रा० 8 कि० मी० 127/2 से 129/3 तक)।
49.	वदोदरा	वदोदरा पादरा सड़क को गंभीर जंक्शन तटीय राजमार्ग तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।
50.	वदोदरा	वदोदरा दभोई बोडेली छोटा उदयपुर फेरकुआं राज्य राजमार्ग सं० 11 को 105/0 से 133/4 कि० मी० तक चौड़ा करके दो लेन बनाना।
51.	वदोदरा	वदोदरा हलोल सड़क को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।
52.	वदोदरा	वदोदरा सावेली सड़क को चौड़ा करके दो लेन बनाना और सुदृढ़ करना।
53.	खेड़ा	उमेटा असोदर सड़क को 6/0 से 14/0 कि० मी० तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।
54.	भरूच	ई० एस० एच० वापी धर्मपुर वसाडा मांडवी नेतरंग गोधारा-लूनावाडा मालपुर-मोडासा श्यामलाजी खण्ड को कालाघियाघी से नेतरंग तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।
55.	पी महल	हलोल गोधरा सड़क को चौड़ा और सुदृढ़ करना।
56.	पी महल	कावंत-छोटा उदयपुर, डी बारिया पिपलोद, लिम खेड़ा लिमडी चाकलिया सड़क राज्य राजमार्ग 62 लिमखेड़ा से लिमडी खण्ड 155/9 कि० मी० से 130/0 कि० मी० तक।
57.	सूरत	सूरत नाना वारछा कामरेज सड़क (10/8 से 18/10 कि० मी० तक (चौड़ा किए गए तल पर अस्थाई डब्ल्यू बी पी)
58.	सूरत	सूरत डुमास सड़क (6/2 से 17/2 कि० मी० (चौड़ा करना, भू-कार्य, भूमि अधिग्रहण सहित सेमी ग्राऊट तथा सी डी कार्य।
59.	सूरत	सूरत सचिन-नवासारी सड़क (10/2 से 23/2 कि० मी० तक (वर्तमान सड़क को चौड़ा करके चार लेन बनाना। केवल सैलिंग बैटेलिंग तथा भू-कार्य।
60.	वलसाड	सांजन नरगोल सड़क को 0/0 से 14/2 कि० मी० तक चौड़ा और सुदृढ़ करना।
61.	वलसाड	भिलाद सांजन अंबर गांव सड़क को 0/0 कि० मी० से 19/2 कि० मी० तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।

1	2	3
62.	वलसाड	दो लेन वाली नवसारी सूपा-बारडोली सड़क को 20/2 कि० मी० से 22/2 कि० मी० तक कलियावाडी चुंगी नाके से ग्रिड जंक्शन खण्ड को चौड़ा करना।
63.	भावनगर	राजकोट भावनगर सड़क 162/0 कि० मी० से 169/0 कि० मी० तक वर्तेराज से भावनगर राज्य राजमार्ग सं० 25 खण्ड को चौड़ा करना।
64.	भावनगर	अहमदाबाद भावनगर लघु मार्ग 136/6 से 168/8 तक (राज्य राजमार्ग सं० 6) को सुदृढ़ करना।
65.	भावनगर	सोगध पालीटाना सड़क (एम डी आर) को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।
66.	जूनागढ़	ऊने गोघाला टाडकेसरिया पहुंच सड़क को दिव तक 0/0 से 9/0 कि० मी० तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।
67.	जूनागढ़	वेरावल शहर से सोमनाथ मन्दिर तक दो लेन वाली सड़क को सुदृढ़ करना और चौड़ा करके चार लेन बनाना।
68.	गांधीनगर	गांधीनगर शहर में राधेजा जक्शन से ववोल गांव तक "छे" रोड को चौड़ा करना।
69.	गांधीनगर	गांधी नगर कोबा साबरमती सड़क के 4/0 से 16/0 कि० मी० पर अतिरिक्त दो लेनों की व्यवस्था करना।
70.	गांधीनगर	कोबा हवाई अड्डा सड़क पर 10/0 से 14/400 कि० मी० तक अतिरिक्त दो लेनों की व्यवस्था करना।
71.	गांधीनगर	अहमदाबाद मेहसाना राज्य राजमार्ग पर 9/0 कि० मी० से 19/800 कि० मी० तक चार लेन बनाना।
72.	गांधीनगर	गांधीनगर बलवा मनसा सड़क को बलवा जंक्शन (राज्य राजमार्ग खण्ड गांधीनगर बलवा 5/0 से 15/0 कि० मी० तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।
73.	गांधीनगर	एम डी आर गांधी नगर राधेजा कलोल सड़क को चौड़ा और सुदृढ़ करना। (i) पेठापुर रुपल सड़क (एम डी आर) (ii) दरव-नार्दीपुर सड़क (ओ डी आर)
74.	अहमदाबाद	एम डी आर अहमदाबाद धामतेज जंक्शन सड़क।

1	2	3
75.	अहमदाबाद	एम डी आर अहमदाबाद घाटलोडिया सड़क को रा० रा० 8-सी तक चौड़ा करना
76.	गांधीनगर	एम डी आर कोबा साबरमती को जोड़ने वाली मोटेरा स्टेडियम सड़क को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना ।
77.	बलसार	एम डी आर वर्तमान इण्टर मिडिएट लेन सड़क को चौड़ा करके चार लेन बनाना उमर गांव स्टेशन से उमर गांव स्टेशन तक ।
78.	बलसार	तटीय राजमार्ग इस चार रास्त अबराम अमालसोड बिलीमोरा-अमालसाड सड़क 10/4 से 25/4 तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना ।
79.	अहमदाबाद भावनगर	अहमदाबाद भावनगर लघु मार्ग खण्ड के (i) सरखेज-धोलका (ii) भावनगर जिले में सड़क के हिस्से को चौड़ा करना तथा सुधार करना ।
80.	राजकोट	(1) राजकोट-जामनगर सड़क को एस आर पी कैम्प 3/2 से 8/2 कि० मी० तक चौड़ा करना और सुदृढ़ करना ।
81.	राजकोट	वही-राजकोट-भावनगर ट्रांबा तक 7/0 से 12/0 कि० मी० तक
82.	राजकोट	लजाई-जादेश्वर पर बांकनेर बाईपास का निर्माण और मधु नदी पर पुल का निर्माण ।
83.	राजकोट	मधु नदी पर राजकोट मोरवी को जोड़ने वाले पुल सहित मोरवी बाईपास, राज्य राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (12 कि० मी० लम्बाई) (राज्य राजमार्ग) का बांकनेर मोरबी खण्ड ।
84.	राजकोट	राजकोट शहर के बाहर राजकोट गोंदल सड़क तथा राजकोट-जामनगर सड़क (10.00 कि० मी० लम्बाई) पर बाईपास का निर्माण ।
85.	राजकोट	अजी नदी (राज्य राजमार्ग) पर पुल के निर्माण सहित राजकोट मोरवी सड़क और राजकोट जामनगर सड़क खण्ड-II को जोड़ने वाली रिंग रोड लम्बाई 6 कि० मी० का निमीण
86.	जामनगर	दो लेन वाली जामनगर बाईपास सड़क राज्य राजमार्ग को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ करना ।

1	2	3
87.	जामनगर	जामनगर खैमालिया द्वारका ओखा सड़क 257/0 से 262/2 कि० मी० तक राज्य राजमार्ग 25 को चौड़ा कर दो लेन बनाना।
88.	जामनगर	झंकार से वाडीनार आमल टर्मिनल सड़क (0/0 से 10/7 कि० मी०) तक को दो लेन सड़क को सुदृढ़ करना।
89.	कच्छ	भुज-मांडवी सड़क (31/0 से 75 कि० मी०) को दो लेन की बनाना तथा सुदृढ़ करना।
90.	सुरेन्द्र नगर	एस एच-7 सड़क पर वीरमगाम-मलिया के बीच 97/6 से 102/2 कि० मी० तक के खण्डों पर हाट मिक्स प्लांट और पेपर फिनिशर द्वारा 6 घनफुट की 37.5 कि० मी० एल बी एम द्वारा सुदृढ़ करना।
91.	सुरेन्द्र नगर	सुरेन्द्रनगर-उधरेज-वाया-पाल्वान-पाटडी बेछरेजी सड़क एस एच-19 के पाटडी से बेछरेजी तक 58/0 से 103/8 कि० मी० तक के खण्ड के कैरिजवे को डबल स्टेन्डड लेन के अनुसार चौड़ा करना।
92.	सुरेन्द्र नगर	एस एच-22 सड़क पर हल्वाद से मोरवी 36/2 से 46/4 कि० मी० तक के कैरिजवे को डबल स्टेन्डड लेन में बदलना।
93.	अहमदाबाद	अहमदाबाद-भावनगर सड़क के धोलका से वटापन तक के खण्ड (40/0 से 70/0 कि० मी०) को 2 लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।
94.	अहमदाबाद	रा० रा० 8 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे से हंसल को जोड़ने वाली सड़क (4/1 से 8/2 कि० मी०) पर कैरिजवे को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ करना।
95.	अहमदाबाद	बागेडरा-धान्धुका रजपुर उमराला सड़क, एस एच-1 पर धान्धुका कस्बे के बाहर बाईपास का निर्माण।
96.	अहमदाबाद	अहमदाबाद मेहमदाबाद सड़क (एस एच) पर अहमदाबाद बाईपास से 10/0 कि० मी० पर कैरिजवे को सुदृढ़ करना और चौड़ा करना।
97.	अहमदाबाद	विलोडा मेघधी-देहगाम-अन्तरसूबा-कापडवंज चिलोडा से जिला सीमा सड़क 19/0 कि० मी० तक कैरिजवे को सुदृढ़ तथा चौड़ा करना।
98.	अहमदाबाद	बरवाला-सारजपुर बेटाड सड़क पर (0/0 से 17/0 कि० मी०) कैरिजवे को सुदृढ़ करना तथा दो लेन का बनाना।
99.	अहमदाबाद	अहमदाबाद-मेहमदाब सड़क पर अहमदाबाद सड़क सीमा (11/0 से 16/0 कि० मी०) तक के कैरिजवे को सुदृढ़ करना तथा चौड़ा करना।

1	2	3
100.	अहमदाबाद	अहमदाबाद-भावनगर सड़क के बागोदरा से धान्धका तक के खण्ड (83/0 से 95/0 कि० मी० एस एच-1) के कैरिजवे को सुदृढ़ करना और चौड़ा करना।
101.	अहमदाबाद	लिम्बडी रंगपुर-बोटाड सिंगल लेन सड़क के कैरिजवे को सुदृढ़ करना और चौड़ा करना तथा अहमदाबाद जिले में 4.5 कि० मी० पर काजवे।
102.	अहमदाबाद	अहमदाबाद जिले में धान्धुका रजपुर लिमडी सड़क पर कैरिजवे को सुदृढ़ और चौड़ा करना
103.	अहमदाबाद	डेहगाम बयाद सड़क (0/0 से 18/0 कि० मी०) के कैरिजवे को दोहरी लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।
104.	अहमदाबाद	अहमदाबाद भावनगर छोटे रूट संकशन पीपली से धोलेरा भावलियारी सड़क पर 93/8 से 133/2 सलेक्टिड 18 कि० मी० राज्य राजमार्ग सं० 6 पर कैरिजवे को सुदृढ़ तथा चौड़ा करना।
105.	खेड़ा	आनन्द जंक्शन (एन एच) से कर्मशाद सड़क (एस एच) तक के कैरिजवे को सुदृढ़ करना तथा चार लेन सड़क में बदलना।
106.	खेड़ा	खेड़ा जिले में कुहा-कथलाल बालासिनोर सड़क (47/0 से 62/0 कि० मी०) के कैरिजवे को सुदृढ़ तथा चौड़ा करना।
107.	खेड़ा	डाकोर-कपाडवंज सड़क (एस एच 0/0 से 30/0 कि० मी०) को राज्यीय राजमार्ग स्तर का चौड़ा करना तथा सुदृढ़ करना।
108.	खेड़ा	आनन्द-सरसा-उमरेठ सड़क (एस एच) को सुदृढ़ तथा चौड़ा करना।
109.	खेड़ा	बसाद-सरसा सड़क एम डी आर कैरिजवे को सुदृढ़ तथा चौड़ा करना।
110.	खेड़ा	आनन्द-भालेज लिंडासड़क (एस एच) तथा कैरिजवे को सुदृढ़ करना।
111.	खेड़ा	नादियाड डाकोर सड़क (एस एच) कैरिजवे को सुदृढ़ करना।
112.	खेड़ा	खेड़ा जिले में गलियाना से गम्भीरा खण्ड में तटीय राजमार्ग को सुदृढ़ करना और चौड़ा करना।
113.	साबरकन्ठा	शामलाजी-भिलोड़ा-इदार सड़क (0/0 से 45/0 कि० मी० के कैरिजवे को सुदृढ़ तथा चौड़ा करना।

1	2	3
114.	साबरकन्ठा	परन्ति गोरा-हरसोल सड़क (एस एच) कैरिजवे को सुदृढ़ तथा चौड़ा करना।
115.	कच्छ	भुज-मुन्दरा सड़क को भारापुर सैनिटोरियम (0/0 10/0 कि० मी०) (एस एच) तक के कैरिजवे को सुदृढ़ करना तथा चौड़ा करना।
116.	कच्छ	भुज-लखपत सड़क (51/0-109/0 कि० मी० एस एच) को सुदृढ़ करना तथा चौड़ा करना।
117.	कच्छ	कोठारा- जखाऊ सड़क को 63/0 से 83 0 कि० मी० तक सुदृढ़ करना चौड़ा करना और एस एच स्तर का बनाना।
118.	कच्छ	भुज-मांडवी सड़क कैरिजवे को प्रथम 5 कि० मी० और भुज कस्बे के चारों ओर रिंग रोड को सुदृढ़ करना और चौड़ा करना।
119.	गांधीनगर	गांधीनगर बीजापुर सड़क बाया पेठापुर मकाखण्ड कैरिजवे को दो लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।
120.	गांधीनगर	गांधीनगर-पेठापुर फतेपुर हैड वर्क्स जंक्शन (4.00 कि० मी०) को सुदृढ़ करना और चार लेन का बनाना।
121.	सूरत	सूरत धुलिया सड़क (7/4-17/2 कि० मी०) को सुदृढ़ करना और चार लेन का बनाना।
122.	वदोवरा	वदोवरा जिले में पदारा करजान सड़क को मिलाने वाले पदारा के बाहर मोड़ का निर्माण।
123.	पी महल	आलोइ सन्तरामपुर राज्य राजमार्ग पर सुखी नदी पर सन्तरामपुर नगर के बाहर बाईपास और पुल का निर्माण।
124.	अमरेली	अमरेली-बगासारा मानेकवाड़ा जूनागढ़ सड़क (एस एच-30) पर बागासारा बाईपास।
125.	भरुच	अंकलेश्वर वालिया सड़क पर अंकलेश्वर से प्रथम पांच कि० मी० तक के कैरिजवे को सुदृढ़ और चौड़ा करना।
126.	भरुच	भरुच अंकलेश्वर सड़क (पुराना रा० रा०) को वदोसंद जक्शन से अगला खाड़ी तक के कैरिजवे को चार लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।
127.	गांधीनगर	राज्यीय राजमार्ग पर सी एच० से सी एच 7 तक दोनों तरफ सर्विस रोड।
128.	गांधीनगर	राज्यीय सड़क पर सी एच० से चैराडी जंक्शन तक दोनों तरफ सर्विस रोड।

1	2	3
129.	अहमदाबाद	अहमदाबाद बाईपास के साथ-साथ 0/0-6/0 कि०मी० तक समानान्तर सर्विस रोड का निर्माण।
130.	अहमदाबाद	अहमदाबाद बाईपास के साथ-साथ (6/0 से 13/230 कि० मी० तक) समानान्तर सर्विस रोड का निर्माण।
131.		आर-3 स्कीम का विस्तार अर्थात् यातायात पद्धति में वृद्धि का अध्ययन।
132.		गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के तड़क संबंधी अध्ययन।
133.		गुजरात राज्य के तीन बड़े नगरों का यातायात दुर्घटना सम्बन्धी अध्ययन।
134.		गुजरात में रा० रा०-88 के राजकोट-पोरबंदर खंड पर यातायात और दुर्घटना संबंधी अध्ययन।
135.		गुजरात राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर गति प्रवाह संबंधी अध्ययन (इसमें एक कार और छोटे उपकरण सम्मिलित होंगे)।
136.		जी ई आर आई 1990-95 में ट्रैफिक इन्जीनियरी सेल।
137.		गांधीनगर, 1990-95 में अनुसंधान विकास और क्वालिटी प्रोमोशन सेल- 1990-95
138.		भार, गति और एक्सल-स्पेसिंग के संबंध में वेहिकुलर ट्रैफिक का पता लगाना।
139.		कार माउंटेड उपकरण, विडियो कैमरा आदि के जरिए रोड-इवेंटरी एकत्र करना।
140.		विभिन्न तकनीकों सहित माडल और प्रोटोस्केल अध्ययनों और प्रयोगशाला अध्ययनों के लिए रिइनफोर्सड मिट्टी कार्य।
141.		विभिन्न मिट्टियों के लिए सीमेंट, पोलिमर्स आदि स्टेवलाइजिंग एजेंट का प्रभाव-अध्ययन।
142.		विभिन्न प्रकार की मिट्टी प्रयोगशाला और फील्ड अध्ययन के लिए सी बी आर पर विभिन्न सोकिंग अवधि का प्रभाव अध्ययन।
143.		जिला प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की विकासशील सुविधाएं।

1	2	3
144.		डायनामिक फरिआक्सिल परीक्षण द्वारा डेमेघ फेक्टर के एक्सल लोड का अध्ययन ।
145.		रेगिस्तानी इलाकों में सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का विकास ।
146.		फिल्मों के जरिए "ट्रैफिक एजुकेशनली रजिस्टर्ड रोड सेफ्टी" का आयात ।
147.		जी ई आर आई, बड़ोदरा में कम्प्यूटर सेंटर की स्थापना ।
148.	साबरकांठा	एच नगर इदर-खेद ब्रह्मा अम्बाजी रोड राज्यीय मार्ग नं० 9 पर हिम्मतनगर के नजदीक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण ।
149.	पी महल	अहमदाबाद गोधरा दहोद इन्दौर सड़क पर पिपलाड के नजदीक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण ।
150.	खेडा	आनन्द सरसा उमरेथ सड़क पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण ।
151.	कच्छ	कच्छ जिले (एस एच) में 23/0 से 57/0 किलोमीटर लम्बे भुज-माण्डवी मार्ग पर कमजोर और सकरे सी डी निर्माण-कार्य का पुर्ननिर्माण ।
152.	सूरत	राज्य राजमार्ग संख्या 66 सूरत-धुलिया मार्ग (भूमि अधिग्रहण सहित एक बड़े और छोटे पुलों को चौड़ा करना) ।
153.	जामनगर	राजकोट, जामनगर खम्बालिय द्वारका रोड राज्य राजमार्ग 25 पर पुलों को चौड़ा करना । 1. पुल नं० 3/71 2. पुल नं० 3/72 3. पुल नं० 1/81 4. पुल नं० 4/81
154.	सूरत	व्यारा-गोडट रोड 1/8 से 2/0 पर पुल को चौड़ा करना (मिन्ढोला पुल) ।
155.	सूरत	खेकला बोरदा रोड को सुदृढ़ करना ।
156.	सूरत	सोनागढ़ बारडीपाडा रोड को सुदृढ़ करना ।
157.		बड़ोदरा-दबोई-छोटा देपुर, फरकरवा राज्य राजमार्ग 11 105/8 से 133/4 को चौड़ा करके दो लेन का बनाना ।

158. मेहसाना-मोडला मोधरा रोड-किलोमीटर 12/0 से 25/0 की बीच की लेन को चौड़ा करना।

159. बानखेर जेदश्वर-लोगवी रोड (4/0 से 5/0 किलोमीटर के बीच) पर असोई नदी के ऊपर पुल का निर्माण।

160. जामनगर लालपुर-पोरबंदर सड़क राज्य राजमार्ग 27 पर घघार नदी की पहुंचो सहित "मिसिंग पुलों का निर्माण।

161. साखी नदी के ऊपर पुल सहित राज्य राजमार्ग नं० 2 (संतरामपुर कस्बे के बाहर डाइवरजन-2 किलोमीटर)

162. मौजूदा अलिराजपुर-दाहोद-गलोद-बासवाडा रोड सेक्शन आर्मोद से गोरबाडा, (पंचमहल जिले तक) के स्थान पर बहुत ऊंचे पुल का निर्माण।

163. दो लेन-मार्ग का निर्माण-अहमदाबाद-भावनगर रोड सेक्शन ढोलका-बटमान किलोमीटर 40/0 से 70/0।

164. अहमदाबाद भावनगर शार्ट कट का सुधार और चौड़ा करना।

(I) सरखेज भाग-ढोलका मार्ग, और

(II) भावनगर में सड़क भाग।

165. ओखा पोरबदर तटीय राजमार्ग-232/4 से 234/0 किलोमीटर के बीच-के ओखा सड़क भाग पर द्वारका के नजदीक रूकमणी क्रीम पर पहुंची सहित पुल का निर्माण।

166. राजकोट-जामनगर द्वारका सड़क भाग, ओखा पोरबंदर तटीय राजमार्ग-226/8 से 229/0 किलोमीटर के बीच, पर गोमती क्रीक पर पहुची सहित पुल का निर्माण।

167. अहमदाबाद बाई-पास के साथ समानान्तर सर्विस-रोड का निर्माण।

(I) 0/0 से 6/0 किलोमीटर और

(II) 6/0 से 13/230 किलोमीटर

विवरण-III

(III) स्वीकृति के लिए लंबित गुजरात के सड़क और पुल कार्यों के लिए प्राक्कलन

क्रम सं०	रा०रा०	कार्य का नाम
1.	8	अहमदाबाद-अजमेर खंड (10 कि० मी०, के 388-491 कि० मी० के बीच चुने हुए 2 लेन वाले कमजोर भागों को सुदृढ़ करना ।
2.	8	अहमदाबाद बाईपास (4 लेन वाली सड़क का 5 कि० मि०) को सुदृढ़ करना ।
3.	8	अहमदाबाद-बंबई खंड पर वाटरक पुल के समीप पुनः सरेखण के लिए जमीन की खरीद ।
4.	8	अहमदाबाद-अजमेर खंड के 494/0 से 50´/0 कि० मी० भाग को सुदृढ़ करना ।
5.	8	अहमदाबाद-बंबई खंड के 305/0-318/0 कि० मी० में मजबूत किनारे की व्यवस्था ।
6.	8	अहमदाबाद-बंबई खंड के 341/0-343/0 कि० मी० भाग को 4 लेन का बनाना ।
7.	8	अहमदाबाद-बंबई खंड के 218/0-229/0 कि० मी० भाग को 4 लेन का बनाना ।
8.	8	अहमदाबाद-बंबई खंड को 284-287 कि० मी० भकमा को 4 लेन का बनाना ।
9.	8	अहमदाबाद-बंबई खंड को 362-367 कि० मि० भाग को 4 लेन का बनाना ।
10.	8	अहमदाबाद बंबई खंड में 249.4 से 259.4 कि० मी० में दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को सुदृढ़ करना ।
11.	8	अहमदाबाद-बंबई खड पर 344-381 (चुने हुए भाग) (15 कि० मी०) में दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को सुदृढ़ करना ।
12.	8 क	114/0-127/0 कि० मी० के भाग में दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को सुदृढ़ करना ।

1	2	3
13.	8 क	182/0-192/0 कि० मी० के खंड में दो लेन वाले कमजोर पैदल पथ को सुदृढ़ करना।
14.	8 ख	150/0 से 160/0 कि० मी० में दो लेन वाले भाग को सुदृढ़ करना।
15.	8 ख	175/0 से 185/0 कि० मी० में दो लेन वाले कमजोर भाग को सुदृढ़ करना।
16.	8 ख	कुटियाना बाई पास का निर्माण।
17.	8 ग	35/0-44/82 कि० मि० में मौजूदा दो लेन वाली सड़क को चार लेन वाले विभाजित कैरजवे में बदलना।
18.	8 ग	0/0 से 5/0 कि० मी० को सुदृढ़ करना।
19.	14	30/0-40/0 कि० मी० के भाग को सुदृढ़ करना।
20.	14	पालनपुर आबू रोड खंड के 140/7 से 144/4 को 4 लेन वाला विभाजित कैरजवे बनाना।
21.	15	160/0-205/0 कि० मी० में दो लेन वाले चुने हुए कमजोर भागों को सुदृढ़ करना।
22.	8 क	गांधीधाम-समखियाली खण्ड को 4 लेन का बनाने के लिए सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल।
23.	8	रा० रा०-8 पर 374/0-2 कि० मी० पर सतनाला पुल का पुन: निर्माण।
24.	8	रा० रा० 8 पर 192-194 कि० मी० में जोदेश्वर के समीप नदी नर्मदा पर दो लेन वाला अतिरिक्त पुल।
25.	8	रा० रा० के 0-8 252 कि० मी० पर सूरत (चलतान) के समीप आर. ओ. बी. का निर्माण।

मकानों से प्राप्त आय पर कर

4134. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयकर चोरी को प्रभावी रूप से रोकने के लिए मकान मालिकों द्वारा प्रति वर्ष आयकर विवरण दर्ज करने को अनिवार्य बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मकानों से प्राप्त आय पर कर चोरी रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गृह-सम्पत्ति से आय प्राप्त करने वाले कर-निर्धारिती को उस स्थिति में प्रत्येक वर्ष अपनी आय-विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती है, यदि गृह-सम्पत्ति से प्राप्त हुई आय सहित उसकी आय उस अधिकतम राशि से अधिक हो जिस पर आयकर प्रभार्य नहीं हो। ऐसे व्यक्तियों की कुल आय पर ध्यान दिए बिना गृह-स्वामियों के लिए आय-विवरणी दायर करना अनिवार्य बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयकर विभाग के जांच-स्कंध की केन्द्रीय सूचना शाखाएं गृह-सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नगर-निगमों, निर्माण-कम्पनियों तथा आवासीय सहकारी समितियों जैसे विविध स्रोतों से सूचनाएं एकत्र करती हैं। तत्पश्चात् उस सूचना का सत्यापन किया जाता है और जिन मामलों में कर-अपवंचन का संदेह हो, उन मामलों में यथोचित कार्यवाही करने के लिए कर-निर्धारण अधिकारियों के पास भेजा जाता है।

सिगरेट निर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

[अनुवाद]

4135. **श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सिगरेट निर्माताओं ने उत्पाद शुल्क की चोरी की है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1991 को प्रत्येक सिगरेट निर्माता पर उत्पाद शुल्क को कितनी धनराशि देय थी;

(ग) उत्पाद शुल्क की चोरी के दोषी प्रत्येक निर्माता से देय राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उक्त सिगरेट निर्माताओं से 1990-91 के दौरान कितना उत्पाद शुल्क वसूल किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, सिगरेट बनाने वाली 14 यूनिटों के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले बनाए गए थे, जिनमें लगभग 248.87 करोड़ रुपये को राशि ग्रस्त थी।

(ख) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार सिगरेट बनाने वाली 15 यूनिटों के विरुद्ध 126.98 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की पुष्ट मांगें वसूली के लिए बकाया पड़ी थीं।

(ग) बकाया पड़ी अधिकांश देय राशियां सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण और विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों से जुड़ी हुई हैं। बहुत से मामलों, में, अधिकरण और न्यायालयों से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया गया है। अधिक राजस्व वाले मामलों की पैरवी करने के लिए विशेष सक्षम वकील नियुक्त किये गये हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित सिगरेट बनाने वाली 15 यूनिटों से 1990-91 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व के रूप में 636.51 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी।

तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक घरानों को स्वीकृत ऋण

4136. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में बड़े औद्योगिक घरानों को कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) क्या यह स्वीकृत धनराशि सभी औद्योगिक घरानों को दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि तमिलनाडु में बैंकों द्वारा बड़े आद्यौगिक घरानों को मजूर ऋण राशि के बारे में सूचना उनकी सूचना पद्धति से प्राप्त नहीं होती है क्योंकि राज्य स्तर पर ऐसे आंकड़े सकलित नहीं किये जाते हैं।

तथापि, तमिलनाडु राज्य में जून 1987, जून 1988 तथा जून 1989 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, उद्योगों के लिए अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की ऋण सीमा तथा बकाया ऋण राशि का विवरण निम्नलिखित था :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ऋण सीमा	बकाया राशि
जून 1987	3094.65	2520.81
जून 1988	4463.52	3485.90
जून 1989	5503.08	4439.32

खाड़ी देशों में व्यापार संभावना

4137. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक व्यापार संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं या किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस समावना का पता लगाने और इसे क्रियान्वित करने के लिए कोई उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल खाड़ी क्षेत्र में भेजा गया है अथवा भेजा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) युद्ध के बाद खाड़ी के पुनर्निर्माण में उपलब्ध अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं ।

(1) युद्ध के पश्चात् खाड़ी में परियोजना निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु एक विशेष दल का गठन किया गया है ।

(2) अन्तर मंत्रालयी उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के जरिए परियोजना निर्यात के लिए सरकार की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जिसमें मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

(3) कुवैत में युद्ध से हुए नुकसान की जानकारी लेने और कुवैत के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री ने कुवैत का दौरा किया था ।

(4) भारतीय विदेश निर्माण परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की पार्टियों को दी गई संविदाओं पर उप-संविदाए प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इन देशों का दौरा किया था ।

(5) परियोजना निर्यातकों के एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने कुवैत और सऊदी अरब के दौरे किए ।

(6) कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में खाड़ी क्षेत्र का दौरा किया ।

(7) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से एक प्रतिनिधिमंडल के इस मास के दौरान खाड़ी क्षेत्र का दौरा करने की संभावना है ।

भारतीय कंपनियों ने पुनर्निर्माण में भागीदारी के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया है उनमें तेल के कुएं और परिष्करणशालाएं सिविल निर्माण पावरलाइन और सम्बन्धित क्षेत्र तथा वस्तु मदों का निर्यात शामिल है ।

निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

4138. **श्री रमेश चन्द तोमर**
श्री भगवान शंकर रावत
श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न एजेंसियों द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों और अप्रैल से जून, 1991 के दौरान पकड़ गए स्वापक, नशीले पदार्थों, सोने, चांदी और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की मात्रा कितनी थी और उनका मूल्य वर्ष-वार और वस्तु-वार कितना है;

(ख) अप्रैल-जून, 1991 के दौरान गिरफ्तार गिये गये/अभियोग चलाये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों और तस्करों के लिए वर्तमान कानून में अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (जून 1991 तक) के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा समग्र देश में पकड़े गये सोने तथा चांदी की मात्रा और उसके मूल्य तथा अन्य निषिद्ध माल के मूल्य का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इसी अवधि के दौरान नशीले औषध द्रव्य सम्बन्धी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश में पकड़े गये विभिन्न स्वापक औषध द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों की मात्रा का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) अप्रैल से जून, 1991 की अवधि के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों और नशीले औषध द्रव्यों सम्बन्धी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किये गये/मुकदमे चलाये गये व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा अलग से नीचे सारणी में दिया गया है :—

	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सं०	मुकदमे चलाये गये व्यक्तियों की सं०
सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा	702	272
नशीले औषध द्रव्यों सम्बन्धी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा	1994	1765

(ग) और (घ) मई, 1989 में यथासंशोधित स्वापक औषध द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के मौजूदा कानून, जिनमें कुछेक मामलों में दूसरी बार अपराध करने पर मृत्युदण्ड और नशीले औषध द्रव्यों से प्राप्त की गई आय से अर्जित की गई परिसम्पत्तियों को जब्त करने की व्यवस्था है, को फिलहाल काफी कड़ा समझा जाता है।

इसी प्रकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों को भी, जिनमें निषिद्ध माल को जब्त करने और विभागीय न्यायनिर्णयनों में अर्थदण्ड लगाने के अलावा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की भी व्यवस्था है, फिलहाल पर्याप्त प्रभावकारी समझा गया है।

नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार, तस्करी और/अथवा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी के धन्धे में ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों को निवारक नजरबन्दी कानूनों, नामत: स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 और/अथवा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्द भी किया जा सकता है।

विवरण-I

वर्ष	सोना		चांदी		अभिगृहीत अन्य निषिद्ध माल का मूल्य
	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	(करोड़ रुपयों में)
1988-89	8086	264.43	26010	16.64	198.80
1989-90	6268	199.50	148461	102.56	243.88
1990-91	5399	183.97	206666	136.92	388.32
*1991-92 (जून तक)	1744	61.40	66644	45.08	109.15

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विवरण-II

(मात्रा किलोग्राम में)

* नशीले औषध द्रव्य	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
अफीम	2271	4887	1989	1294
मारफीन	21	92	8	4
हेरोइन	2784	2402	1739	178
गांजा	42104	50482	38052	33461
हशीश	7921	7165	6899	1031
कोकीन	9	3	2	—
मैथाक्वालोन	1395	858	2282	259
ऐम्फीटामाइन	9	1	—	—
फिनोबरबीटल	—	720	—	—

* आंकड़े अनन्तिम हैं

* टिप्पणी : स्वापक औषध द्रव्यों के सही-सही मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है चूंकि यह इनकी शुद्धता, उद्‌गम स्थान आदि पर निर्भर करता है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में वेतन सम्बन्धी समझौता

4139. श्री भगवान शंकर रावत
श्री दत्तात्रेय बंडारु
श्री रमेश चन्द्र तोमर
: क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेट के प्रबन्धक मंडल और कर्मचारी संघ के बीच कोई वेतन सम्बन्धी समझौता हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उसे लागू कर दिया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उस पर कब तक हस्ताक्षर होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हिन्दुस्नान शिपयार्ड की नाजुक वित्तीय स्थिति के कारण वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को स्थगित करने का निर्णय किया गया है।

कन्याकुमारी और तूतीकोरिन में मुक्त बन्दरगाह

4140. **श्री आर० रामास्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कन्याकुमारी और तूतीकोरिन में मुक्त बन्दरगाह स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने भारत में एक मुक्त पत्तन स्थापित किये जाने की वांछनीयता और व्यावहारिकता की जांच करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति की एक उप-समिति ने तमिलनाडु राज्य सरकार से प्रारंभिक विचार-विमर्श किया तथा उसमें कुछ वैकल्पिक स्थानों पर विचार किया गया था।

रक्षा कैन्टीनों से सामान की बिक्री

4141. **श्री दत्तात्रेय बंडारु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कैन्टीनों में बेचे जाने वाले सामानों पर कोई कर नहीं लिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो इसके कारण राजस्व की कितनी अनुमानित हानि होती है,

(ग) क्या इन कैन्टीनों से केवल सेना के ही कर्मचारी सामान खरीद सकते हैं अथवा अन्य व्यक्तियों को भी सामान खरीदने की अनुमति है,

(घ) वर्ष 1991 के दौरान रक्षा कैन्टीनों द्वारा रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को अब तक बेचे गये सामान का अनुमानित मूल्य क्या है, और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री श्री शरद पवार : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कैंटीन स्टोर विभाग रक्षामन्त्रालय की प्रशासनिक देख-रेख में आने वाला एक विभाग है। यह विभाग निर्माताओं/थोक विक्रेताओं से उपभोक्ता सामान की थोक खरीद करता है और फिर सशस्त्र सेनाओं की यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों को उन्हें बेचता है। केन्द्रीय स्टोर विभाग किसी भी सामान की बिक्री सीधे नहीं करता है। यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनें सरकारी संस्था नहीं होती हैं। वे सशस्त्र सेनाओं की सम्बन्धित विरचनाओं के अधीन होती हैं।

2. केन्द्रीय सरकार के सभी शुल्क, कर और चुंगी कर कैंटीन स्टोर विभाग और यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनों द्वारा बेचे जाने वाले सामान पर लागू होते हैं। इसलिए इस की वजह से केन्द्रीय सरकार को किसी भी प्रकार से राजस्व की हानि नहीं होती है।

3. कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा की गई खरीददारियों तथा यूनिटों की कैंटीनों द्वारा की गई फुटकर बिक्री पर, असम, हरियाणा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां बिक्री कर में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है, विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये गये बिक्री कर और कुछ अन्य शुल्कों/करों से पूरी या आंशिक छूट प्राप्त है। कुछ राज्य सरकारों ने विलासिता के सामान पर बिक्री कर से छूट नहीं दी है। बिक्री कर/शुल्क/अन्य करों में मिलने वाला छूट का प्रतिशत एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थानीय संस्था से दूसरी स्थानीय संस्था और एक सामान से दूसरे सामान पर अलग-अलग होता है।

4. राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा दी गई छूट के कारण उन्हें राजस्व की होने वाली हानि का सही-सही हिसाब नहीं लगाया जा सकता क्योंकि करों से छूट की दरें एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थानीय संस्था से दूसरी स्थानीय संस्था और एक सामान से दूसरे सामान पर भिन्न-भिन्न होती हैं।

5. यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनें केवल रक्षा कार्मिकों के लिए ही फुटकर बिक्री के लिए नहीं होती है बल्कि सिविलियन कर्मचारियों के कुछ अन्य श्रेणी के लोग भी उनसे खरीददारी करने के पात्र हैं। निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं के रक्षा सेवा कार्मिक, भूतपूर्व सैनिक और सिविलियन कर्मचारी यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनों से सामान खरीदने के पात्र हैं।

1. रक्षा मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय तथा निचली सैन्य विरचनाओं के कर्मचारी।
2. रक्षा लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी।

3. छावनी बोर्डों के कार्यपालक अफसर।
4. वायुसेना स्टेशन, हैदराबाद में कार्यरत हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारी, वायुसेना स्टेशन जोरहाट, येलहंका और डुंडीगल (हैदराबाद) के कर्मचारी।
5. भारतीय रक्षा लेखा सेवा के कर्मचारी।
6. सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय और सीमा सड़क महानिदेशालय के कर्मचारी।
7. जनरल रिजर्व इंजीनियरी फोर्स के अफसर और कार्मिक।
8. अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारी जब वे सेना के संक्रियात्मक नियंत्रण में होते हैं।
9. रक्षा सुरक्षा कोर के कार्मिक।
10. कैंटीन स्टोर विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी।
11. राज्यों के प्रादेशिक सेवा में सेवारत कार्मिक और प्रादेशिक सेना के पेंशनर।
12. डाक और तार विभाग के वे कार्मिक जो सेना डाक कोर में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम 15 वर्ष की सेवा कर चुके हों।
13. राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्णकालिक/अंशकालिक कार्मिक और कैडेट।
14. मंत्रिमण्डल सचिवालय के विशेष सेवा ब्यूरो के कार्मिक।

6. कैंटीन स्टोर विभाग से सामान खरीदने के पात्र सिविलियन कर्मचारियों को की गई बिक्री का हिसाब अलग से रखा जाता है। अतः रक्षा कैंटीनों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को बेचे गये सामान का अनुमानित मूल्य बताना संभव नहीं होगा।

हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय को पुणे से स्थानांतरित करना

4142. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय को पुणे से स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उसे कहां स्थानांतरित किया जाना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के अधीन पुणे में क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी का कार्यालय है

(ख) प्रवर्तन कार्यालय का कार्य हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम 1985 को क्रियान्वित करना है। इस अधिनियम और उसके जारी नियमों के क्रियान्वित कों उच्चतम न्यायालय द्वारा पूरी तरह से स्थगित किया गया है। इस प्रकार प्रवंतन कार्यालयों में कोई काम नहीं है। इस समय किराये के भवनों में कार्य कर रहे सभी तीन प्रवंतन कार्यालयों को निकटस्थ बुनकर सेवा केन्द्रों/भारतीय हथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थानों में स्थानांतरित किया जा रहा है जो कि हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय है, ऐसा

किराये फोन आदि पर होने वाले व्यय में बचत करने की दृष्टि से किया जा रहा है। पुणे स्थित कार्यालय को अन्ततः स्थानांतरित करके बुनकर सेवा केन्द्र, बम्बई में स्थापित किया जायेगा।

आयुध फैक्ट्री खड़की, पुणे में व्यवसाय प्रशिक्षुओं को नौकरी में लेना

4143. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्ट्री, खड़की में व्यवसाय प्रशिक्षुओं को नौकरी में रखने की मांग करते हुए जनवरी, 1991 में सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) इस सम्बन्ध में आयुध निर्माणी महानिदेशक को पूर्वट्रेंड अप्रेंटिस का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) स्थिति यह है कि ट्रेड शिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन प्रत्येक निर्माणी को निर्दिष्ट संख्या में लोगों को व्यवसाय प्रशिक्षता उपलब्ध करानी होती है परन्तु आयुध निर्माणी का ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि वह प्रत्येक को प्रशिक्षित होने पर नौकरी दिलाये। यह नई भर्ती के लिए कार्य-भार और रिक्तयां की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र को अशोक विहार से जोड़ने वाले सड़क अधोपुल का निर्माण

4144. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम को वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा अशोक विहार के बीच एक अधोपुल के निर्माण का कार्य सौंपा गया है,

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजना पर कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (च) संवैधानिक दृष्टि से यह मन्त्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार है। अन्य सभी सड़कों/पुलों की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से संबन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से अशोक विहार तक के बीच सड़क अन्डर ब्रिज "अन्य सड़कों" पर पड़ता है और इस पर दिल्ली नगर निगम द्वारा

काम किया जा रहा है। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार पुल की कुल लम्बाई 306.5 मीटर है और इसकी अनुमानित लागत 297.82 लाख रु० है। पहुंच मार्गों पर अभी लगभग 60% काम दिल्ली नगर निगम द्वारा पूरा कर लिया गया है। रेलवे द्वारा अपनी भूमि पर बनाए जाने वाले अन्डर-ब्रिज का काम अभी शुरू किया जाना है। इस परियोजना के पूरा होने के लिए समय सीमा दिसम्बर, 1992 निर्धारित की गई है।

प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने का बैंकों पर प्रभाव

4145. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र का वित्त पोषण किए जाने से वाणिज्यिक ऋणदाताओं को पंगु बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों पर ऋण बांटने के लिए थोपे गये अनिवार्य लक्ष्यों एवं बैंकों को कार्यकुलता प्रभावित हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं है कि बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का वित्त पोषण किये जाने के कारण वाणिज्यिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने के कार्य को पंगु बना दिया है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 40% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना अपेक्षित है। 40% के इस कुल लक्ष्य में ही कुछ उप-लक्ष्य कमजोर वर्गों, कृषि आदि के लिए भी निर्धारित किये गये हैं। ऐसे अग्रिमों के लक्ष्य निर्धारण करने से, जिन पर अग्रिमों की अन्य श्रेणियों पर लागू ब्याज की दरों से अपेक्षतया कम ब्याज की दरें लागू होती है, असंतोष-जनक वसूली कार्य-निष्पादन और बैंकिंग नेट वर्क में तीव्र विस्तार के कारण समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली पर काफी दबाव और तनाव आया है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण और उनकी लाभप्रदता में सुधार के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी-अपनी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(1) संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाकर बैंकों की परिचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना।

(2) आन्तरिक निरीक्षण और नियंत्रण प्रणाली में तेजी लाना।

(3) मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण की क्षमता और गुणवन्ता में वृद्धि लाना।

(4) ग्राहक सेवा और संस्था व्यवस्था में सुधार लाना।

(5) बेहतर ऋण प्रबन्धन, उच्च उत्पादकता, व्यय में मितव्ययता, बैंक देयताओं की वसूली द्वारा वित्तीय अर्थक्षमता को मजबूत बनाना।

(6) चरणबद्ध रूप में नई प्रोद्योगिकी लागू करना।

भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटना ग्रस्त होना

[हिन्दी]

4146. **श्री यशवंत राव पाटिल**
श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना के कितने विमान दुर्घटना ग्रस्त हुए;

(ख) इन दुर्घटनाओं में वायुसेना के कितने कर्मचारी मारे गए; और

(ग) इन विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान 84 दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) 79।

(ग) दुर्घटनाओं को कम से कम रखने का प्रयास निरन्तर चलती रहने वाली कार्रवाई है। प्रत्येक दुर्घटना की जांच, विशेषज्ञों की जांच अदालत द्वारा की जाती है। जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ताकि उस तरह की दुर्घटना दुबारा न हो। जब कभी कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति या कमजोर क्षेत्र का पता चलता है तो उत्पादकों तथा प्रयोक्ताओं के विशेषज्ञों की सहायता से विशेष संयुक्त अध्ययन किया जाता है ताकि समस्या की गहराई से जांच की जा सके और उसमें सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। एक उच्चस्तरीय समिति ने उड़ान सुरक्षा से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच की थी। जांच के बाद समिति ने जो विभिन्न सिफारिशें की हैं सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और उन पर कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है।

तटवर्ती नौवहन की सुविधाएं

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने सरकार को तटवर्ती नौवहन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पहिवहन नीति समिति की तटीय नौवहन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये थी – तटीय प्रचालनों का समन्वय, तटीय बेड़े का आधुनिकीकरण, प्रचालनों की स्वतन्त्रता, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पत्तन सुविधाओं में सुधार, तटीय जहाजों के लिए बर्थिंग प्राथमिकता, भाड़ा दरों में संशोधन और निर्धारण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उन्हें युक्तिपरक बनाना आदि। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की प्रमुख सिफारिशें ये थीं—तटीय नौवहन के विकास के लिए एक अलग निदेशालय बनाना, एस डी एफ सी से अपनी निधियों की 20-25% निधियां तटीय नौवहन के लिए आरक्षित करने और आबंटित करने के लिए पहल करना, तटीय जहाजों के निर्माण/मरम्मत के लिए सक्षम शिपयार्डों का विकास, तटीय कार्गों के साथ-साथ आयात/निर्यात कार्गो में अन्तर करना, मंझोले और महापत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण, तटीय नौवहन को व्यवहार्य बनाने के लिए निर्माण और प्रचालन लागत में कमी करना आदि।

(ग) सरकार ने तटीय नौवहन के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं—तटीय जहाजों के सम्बन्ध में सीमा शुल्क प्रक्रिया का सरलीकरण, तटीय टैरिफ निर्धारित/संशोधित करने के लिए अधिकार देना, जहाजों की आयु और ईंधन की किफायत के संदर्भ में तटीय नौवहन के लिए नया टनेज खरीदने की अनुमति देना और पत्तन देयताओं और पत्तन प्रभारों की रियायती दरें। दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में स्थित थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयला के तटीय परिवहन को एक सुविचारित सरकारी नीति के रूप में सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। तटीय नौवहन से बल्क कार्गो विशेषकर कोयला और पी ओ एल की ढुलाई में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत रुग्ण एककों को धन की मंजूरी

4148. **श्री शंकरसिंह बघेला** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत रुग्ण कपड़ा एककों को धनराशि स्वीकृत किये जाने के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि जारी करने सम्बन्धी दिशानिर्देशों में ढील देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना ऐसे वस्त्र एककों पर लागू होती है जोकि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त है अथवा मध्यम पैमाने के एकक के बतौर वस्त्र आयुक्त के पास पंजीकृत है और जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुछेद 25 (ओ) के अन्तर्गत 5-6-1985 के बाद से पूरी तरह से बन्द घोषित कर दिया गया है अथवा विकल्प के तौर पर एकक को समाप्त करने की प्रक्रिया में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक सरकारी परिसमापक को नियुक्त किया गया हो।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

केरल संभाग में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की देख-भाल

4149. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 टूटी-फूटी हालत में है,

(ख) यदि हां, तो केरल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के सुधार तथा रख-रखाव के लिए कितनी राशि मजूर की गई है तथा कितनी वास्तव में खर्च की गई है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग स० 17 को यातायात के लिये उपयुक्त स्थिति में रखा जा रहा है और वर्षा के कारण होने वाली क्षतियों की मरम्मत की जा रही है।

(ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के विकास के लिये सातवीं योजना और 1990 91 की वार्षिक योजना के दौरान क्रमशः 2[illegible].44 करोड़ रु० और 10 00 करोड रु० की राशि के प्राक्कलन स्वीकृत किए गए थे। उपर्युक्त अवधियों के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव तथा मरम्मत पर खर्च की गई राशियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	विकास	रख-रखाव तथा मरम्मत
	(करोड़ रु०)	(करोड़ रु०)
1985-90 (सातवीं योजना)	46.30	21.15
1990-91 (वार्षिक योजना)	9.81	439

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) में आयुध कारखाना और थल सेना भर्ती व प्रशिक्षण की स्थापना

4150. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में उस्मानाबाद में एक नया आयुध कारखाना और थल सेना भर्ती व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये गये मंहगाई भत्ते पर वसूल किया जाने वाला आयकर

4151. **श्री महेश कुमार कनोडिया**
श्री रमेश चन्द्र तोमर
श्री प्रभू दयाल कठरिया
श्री भगवान शंकर रावत
: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3500 रु० से अधिक मासिक आय वाले अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली मंहगाई भत्ते की किस्तों पर आयकर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उस पर वसूल की जा रही आयकर की दर क्या है;

(ग) क्या मंहगाई भत्ते की इन किस्तों पर अधिकारियों की बचत होने के कारण आयकर में छूट दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर दी जाने वाली आयकर छूट की दर क्या है; और

(ङ) क्या उपर्युक्त भाग (क) के सम्बन्ध में आयकर की दर छूट से अधिक है, तो आयकर की छूट की तुलना में ऊंची दर पर आयकर वसूल किये जाने सम्बन्धी विसंगति को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है जबकि अधिकारियों को मंहगाई भत्ते की इन किस्तों का नकद भुगतान नहीं किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां । किसी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में क्रेडिट की गई मंहगाई भत्ते की किस्तों की उन पर आयकर प्रभारित करने के प्रयोजनार्थ कुल आय में शामिल किया जाता है;

(ख) कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में क्रेडिट की गई तथा उसकी कुल आय में शामिल की गई मंहगाई भत्ते की राशि पर लागू कर की दर कुल आय की राशि पर निर्भर करती है;

(ग) जी, हां ।

(घ) आयकर से छूट की अनुमति छूट के लिए अर्हताकारी राशि के 20 प्रतिशत की दर से दी जाती है ।

(ङ) जिन व्यष्टियों पर 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमांतक दर पर कर को प्रभारित किया जाता है, ऐसे व्यष्टियो के मामले में आयकर की दर तथा छूट की दर एक-समान है । लेकिन जिन व्यष्टियो के मामले में उनकी आय पर एक उच्च सीमांतक दर पर कर प्रभारित किया जाता है, उनके मामले में आयकर की दर छूट की दर से अपेक्षाकृत अधिक है जोकि 20 प्रतिशत ही बनी रहती है । चूंकि सामान्य भविष्य निधि खाते में क्रेडिट की गई मंहगाई भत्ते की किस्तें बचत ही

होती हैं, इसलिए मौजूदा प्रणाली में ऐसी कोई विसंगति नहीं है जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता हो।

सहकारी और निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना करना

[हिन्दी]

4152. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना सम्बन्धी नियम और विनियमों में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजि क्षेत्र में बैंकों के पंजीकरण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना चाहती है;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सहकारी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति उस सबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा मंजूर की जाती है जिसमें बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। बैंकारी विनियमन, अधिनियम, 1949 की धारा 22 (जैसे कि सहकारी समितियों पर लागू है) में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का प्रावधान है कि प्राथमिक ऋण समिति को छोड़कर प्रत्येक सहकारी समिति को भारत में अपना बैंकिंग कारबार आरम्भ करने से पहले इस धारा के अंतर्गत लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास लिखित रूप में आवेदन करना होगा। लाइसेंस के लिए आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक गुणदोषों के आधार पर विचार करता है। इस बारे में कानूनी अपेक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंकों को लाइसेंस देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जो कंपनियां भारत में बैंकिंग कारबार करना चाहती हैं उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित पूंजी अपेक्षाओं और अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने की क्षमता तथा अपने परिचालन इस ढंग से करने होंगे कि उससे जमाकर्ताओं के हितों को हानि न पहुंचाने सम्बन्धी अन्य अपेक्षाओं का पालन हो, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है।

(ङ), (च) और (छ) उपर्युक्त भाग (क) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में ये सवाल पैदा नहीं होते।

केरल के कोझोकोडे में भारतीय स्टेट बैंक का स्थानीय मुख्य कार्यालय खोला जाना

[अनुवाद]

4153 **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोडी में भारतीय स्टेट बैंक का स्थानीय मुख्य कार्यालय (हेड आफिस) खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि कोजिकोड, केरल में स्थानीय प्रधान कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) संगठनात्मक मानदण्डों के अनुसार स्थानीय प्रधान कार्यालय सामान्यतः राज्य की राजधानियों में, उस राज्य में शाखाओं की संख्या को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की केरल में इस समय 203 शाखाएं हैं जबकि स्थानीय प्रधान कार्यालय सामान्यतः 400 से 500 शाखाओं का नियंत्रण करते हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता

4154. **श्री सी० एस० कनोजिया**
श्री वीरेन्द्र सिंह
श्री बलराज पासी
श्री दत्तात्रेय बन्डारू :
: क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित किये जाने वाले कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों का ब्योरा क्या है और वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक परियोजना पर, राज्य वार, कितनी राशि व्यय की जायेगी;

(ख) प्रत्येक राज्य में कृषि और रेशम उत्पादन, शुष्क खेती, जल प्रबन्धन, आदि जैसे गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए दिये जाने वाले अल्पावधि और मध्यावधि ऋण का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के वित्त पोषण का मानदण्ड क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश के कृषि और गैर-फर्म क्षेत्र जिसे वर्ष 1991-92 के दौरान योजनाबद्ध ऋण दिये जाने के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है, का (राज्यवार) ब्योरा संलग्न, विवरण में दिया गया है।

(ख) अल्पावधि और मध्यावधि दोनों तथा गैर-फर्म क्षेत्र के सम्बन्ध में सहकारी बैंकों और

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वर्ष 1991-92 के वास्ते अल्पावधि और मध्यावधि ऋण सीमाओं के पुनर्वित्त के लिए नाबार्ड के प्रावकलन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

ब्यौरा	बजट अनुमान (रुपये करोड़ में)	
	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1. मौसमी कृषि परिचालन (एस ए ओ)	3400×	500
2. मध्यावधि ऋण	15	130
3. मध्यावधि परिवर्तनीय ऋण	150	25
4. मौसमी कृषि परिचालनों के अलावा (फसल का विपणन और एन एफ एस के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की आवश्यकता)	600	200

*राज्यवार बंटवारा सलग्न विवरण II में)

(ग) योजनाबद्ध ऋण बजट को, पूर्व कार्य-निष्पादन और सरकार द्वारा बतायी गई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को देख कर तैयार/निर्धारित किया जाता है। कृषि और गैर-फर्म क्षेत्र परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने का सामान्य मानदंड यह है कि योजनाओं को तकनीकी रूप से संभाव्य और वित्तीय रूप से अर्थक्षम होना चाहिए।

विवरण-I

(सावधि ऋणों) के तहत 1991-92 के दौरान राज्यवार/प्रयोजन-वार राष्ट्रीय बैंक के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

	कृषि क्षेत्र										
	लघु सिंचाई	ऊर्जाकरण	भूमिविकास	फार्म यंत्रीकरण	शुष्कभूमि कृषि	वृक्षारोपण बागवानी	डेयरी विकास	मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	मत्स्य पालन (समुद्री)	भंडारण	वानिकी
चण्डीगढ़				2			7				
दिल्ली				15		10	8				
हरियाणा	1400	249	100	3081	10	150	450	10		20	200
मध्य प्रदेश	11		36	152		17	161	1			1
जम्मू और कश्मीर	40		6	145		75	60	5			
पंजाब	900	300	276	4334		308	2121	158			240
राजस्थान	1900	249	100	2266	10	100	150	15		300	150
अरुणाचल प्रदेश				15		130					
असम	600			73	2	1300	20	75			200
मणिपुर			1	55		5	15	61			
मेघालय						14	6				
मिजोरम				2		8	2				
नागालैंड				2							28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
त्रिपुरा	1			21		68	10		107		
सिक्किम						7	13		1		
बिहार	2000		300	1586	10	130	150		50	10	
उड़ीसा	250	166	55	363	20	120	40	40	150		80
पश्चिमी बंगाल	1150	499	6	725	1	700	25		130		90
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह						15					
मध्य प्रदेश	3300	1496		3625	3	50	400		35	150	500
उत्तर प्रदेश	12000	108	60	5438	5	330	800		170	500	900
दादरा और नगरहवेली				5							
गुजरात	1400	499	10	2266	5	20	1000	60	20	300	140
गोवा	5		3	5		17	10	175			
महाराष्ट्र	9341	2494	476	2240	30	1600	890	117	10	800	1400
आंध्र प्रदेश	5100	2411	250	2356	120	800	400	600		50	400
कर्नाटक	4500	399	300	1813	45	2000	1150	50	75	160	300
लक्षद्वीप											
केरल	1650	299	125	227		2950	400	100	67		
पाण्डिचेरी	45		2	13		2	7	37			1
तमिलनाडु	926	831	50	1178	20	650	1200	500		74	70
कुल	465 9	10000	2156	32000	81	11583	9495	1679	1140	2364	4700

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायो-गैस	मुर्गी पालन	भेड़/बकरी सूअर	अन्य		गैर-कृषि क्षेत्र		कुल
1.	चण्डीगढ़	0			1		1		12
2.	दिल्ली	0	10		40	18	8	16	125
3.	हरियाणा	14	500	150	33	816	550	709	8742
4.	हिमाचल प्रदेश	2	33	13	63	256	79	223	1048
5.	जम्मू व कश्मीर	0	130	25	40	199	200	173	1099
6.	पंजाब	38	700	61	64	1121	546	974	12711
7.	राजस्थान	5	150	50	30	1734	1100	1507	9817
8.	अरुणाचल प्रदेश	0			37	10		8	200
9.	असम	52	20	15	15	708	250	615	4064
10.	मणिपुर					36	17	31	220
11.	मेघालय	0		10	4	95	13	83	225
12.	मिजोरम			13		13	6	11	83
13.	नागालैण्ड		3	8		15	2	13	50
14.	त्रिपुरा	2	4	5	7	227	23	197	712
15.	सिक्किम	0	1	9	2	17		15	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	बिहार	6	50	5	3	3788	100	3292	11520
17.	उड़ीसा	50	600		0	1264	100	1098	4406
18.	पश्चिम बंगाल	36	140	5	10	2508	700	2180	9005
19.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	24		7	18		16	79
20.	मध्य प्रदेश	11	300		18	2726	100	2369	15174
21.	उत्तर प्रदेश	110	200	25	69	7129	650	6196	35310
22.	दादरा और नगर हवेली				1	1	13	1	21
23.	गुजरात	20	170			1349	520	1172	8951
24.	गोवा	2	90		1	68	16	59	451
25.	महाराष्ट्र	342	2000	75	93	2394	1800	2081	29023
26.	आंध्र प्रदेश	127	1600	400	219	2256	1000	1960	22028
27.	कर्नाटक	305	430	250	40	2101	1400	1826	17503
28.	लक्षद्वीप					5		4	9
29.	केरल	43	180	20	2	988	1500	859	9431
30.	पाण्डिचेरी	1				21		18	149
31.	तमिलनाडु	365	1000	400	41	2805	750	2438	13668
	कुल	1532	8335	1539	630	34684	11444	30146	215900

विवरण-II

वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को एस ए ओ ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए अनुमानित लक्ष्य को दर्शाने वाला

विवरण क्रम सं०	राज्य	(रुपये करोड़ में) वर्ष 1991-92 के लिए अनुमानित लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	465
2.	असम	4
3.	बिहार	230
4.	गुजरात	160
5.	हरियाणा	300
6.	जम्मू तथा कश्मीर	7
7.	कर्नाटक	210
8.	केरल	100
9.	महाराष्ट्र	320
10.	मध्य प्रदेश	340
11.	उड़ीसा	115
12.	पंजाब	230
13.	राजस्थान	155
14.	तमिलनाडु	230
15.	उत्तर प्रदेश	450
16.	पश्चिम बंगाल	70
17.	मेघालय	1
18.	नागालैंड	1
19.	त्रिपुरा	1
20.	अंडमान एवं निकोबार	1
21.	पांडिचेरी	2
22.	मनिपुर	8
		3400

पंजाब नेशनल बैंक में स्थानान्तरण नीति

4155. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी संवर्ग के सभी कर्मचारियों को कम से कम दो वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो वेतनमान I से I/II के कितने अधिकारियों ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं किया है;

(ग) उनमें से कितने अधिकारियों को क्रमशः पिछले 5 और 10 वर्षों में दिल्ली जाने में स्थानांतरित किया गया है;

(घ) दिल्ली से एक वर्ष के लिये भी बाहर न भेजे गये ऐसे अधिकारियों को वेतनमान-वार संख्या कितनी है तथा ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) पंजाब नेशनल बैंक में स्थानान्तरण नीति को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख), (ग) (घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

4156. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राज्य वार हथकरघा बुनकरों के लिए दो कल्याणकारी योजनाओं अर्थात् "वर्कशेड-कम-हाउसिंह स्कीम" और "कंट्रिब्युटरिथ्रिफ्ट फन्ड स्कीम" को कार्यान्वित करने में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपलब्धि रही ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के लिए लिए दो कल्याणकारी योजनाओं अर्थात वर्क-शेड-कम हाऊसिंग स्कीम एवं कन्ट्रीब्यूट्री थ्रिफ्ट फंड स्कीम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को गत दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि मंजूर की गई है :—

(1) वर्कशेड-कम-हाऊसिंग स्कीम

क्र० सं०	राज्य का नाम	मंजूर की गई राशि (लाख रुपयों में)	
		1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.75	68.35
2.	असम	20.00	48.665
3.	गुजरात	—	8.775
4.	हिमाचल प्रदेश	1.995	18.00
5.	जम्मू और कश्मीर	—	5.795
6.	केरल	23.00	21.00
7.	मध्य प्रदेश	24.755	11.32

1	2	3	4
8.	मणिपुर	13.26	38.97
9.	उड़ीसा	6.00	6.00
10.	पांडिचेरी	—	0.625
11.	राजस्थान	5.40	—
12.	त्रिपुरा	4.98	3.00
13.	तमिलनाडु	61.325	20.00
14.	पश्चिम बंगाल	28.50	49.50
	कुल	229.965	300.00

(2)	थ्रिफ्ट फंड स्कीम		(रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	15,3[illegible]5.00	15,59,802.00
2.	दिल्ली	72,052.00	27,000.00
3.	कर्नाटक	7,73,082.00	15,00,000 00
4.	मध्य प्रदेश	61,443.00	3,55,882.00
5.	महाराष्ट्र	2,14,200.00	—
6.	उड़ीसा	7,51,750.00	13,24,231.00
7.	तमिलनाडु	66,09,600.00	63,22,400.00
8.	पश्चिमी बंगाल	—	9,00,000.00
	कुल	84,97,462.00	1,19,89,315.00

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान वर्क शेड कम हाऊसिंग स्कीम के अंतर्गत क्रमश: 11073 और 14283 हथकरघा बुनकरों को शामिल किया गया।

कंट्रिब्युटरिथ्रिफ्ट फंड स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्रमश: 1,89 794 और 1,74,110 हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाया गया।

केन्द्रीय सड़क निधि योजना से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को सहायता

4157. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी
श्री मानवेन्द्र शाह } : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्ष वार केन्द्रीय सड़क निधि योजना से उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई,

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य के पहाड़ी जिलों को वर्ष-वार और जिला-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई और ऐसी सड़कों का ब्यौरा क्या है, जिनका निर्माण/विकास किया गया है,

(ग) पर्वतीय जिलों में सड़कों के विकास पर वर्ष-वार और जिला-वार वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई, और

(घ) चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पर्वतीय जिलों को कितनी सहायता दिए जाने का विचार है तथा वे सड़कें कौन सी हैं जिनके निर्माण/विकास का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से उत्तर प्रदेश सरकार को आबंटित की गई धनराशियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	राशि (लाख रु०)
1985-86	20.00
1986-87	—
1987-88	20.00
1988-89	160.00
1989-90	315.00
	515.00

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों से संबंधित किसी स्कीम का अनुमोदन नहीं किया गया था।

(घ) आठवीं योजना अवधि के लिए केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में एक स्कीम अर्थात् "कुमाऊं जिले में 500 लाख रु० की लागत से हल्द्वानी बाई-पास का निर्माण" शामिल है। यह स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं हुई है क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि अभी होनी है।

बैंकों के लिए भवनों का निर्माण

[हिन्दी]

4158. **श्री दाऊदयाल जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कोटा बूंदी और झालावाड़ जिले में कौन-कौन से बैंकों के अपने निजी भवन हैं और कौन-कौन से बैंक किस-किस स्थान पर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं और वे किराए के भवनों में कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन भवनों के रूप में, शाखावार, कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार का बैंकों के लिए निजी भवनों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) सरकार बैंकों की शाखाओं या कार्यालयों के लिये भवन निर्माण नहीं करती हैं। अपने उपयोग के लिये भवन निर्माण के मामले पर बैंकों को स्वयं वाणिज्यिक आधार पर निर्णय लेना होता है।

छापे के मामलों में कर अपवंचना का मूल्यांकन

4159. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार खोजबीन तथा छापों के कितने मामलों में कर अपवंचना का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी पर कोई अभियोग लगाया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) संगत मामलों में कर-निर्धारणों को मुकम्मल करने के पश्चात् कर-अपवंचन का अन्तिम रूप से मूल्यांकन किया जाता है। दिनांक 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार तलाशी तथा अभिग्रहण के मामलों में विचाराधीन पड़े कर-निर्धारणों की संख्या 18, 691 थी।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित मामलों में से चार मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई है।

राजस्थान में कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में बैंक शाखाएं खोलना

4160. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कोटा, बूंदी, और झालावाड़ जिलों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसरण के पिछले दो वर्षों के दौरान कितने बैंक शाखाएं खोलने का विचार है तथा ये शाखाएं कहां-कहां खोली जाएगी;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं; और

(ग) उन बैंकों के नाम क्या है जिनकी शाखाएं उक्त अवधि के दौरान खोली गई हैं तथा ये शाखाए कहां-कहां खोली गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) किसी जिले में बैंक शाखाएं खोलने के लिए कोई विशेष वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। अलबत्ता, शाखा लाइसेंसिंग नीति 1985-90 के अंतर्गत राजस्थान सरकार से प्राप्त पहचान किए गए केन्द्रों की सूचियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटा में 9 केन्द्र, बूंदी में I और झालावार जिलों में 8 केन्द्र विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंकों ने 1985-90 के दौरान सभी आबंटित किये गये केन्द्रों में अपनी-अपनी शाखाएं खोल ली हैं।

(ग) उक्त आबंटनों में से बैंकों ने 1989 और 1990 के दौरान निम्नलिखित केन्द्रों में शाखाएं खोल ली हैं :—

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	गेहूनखेरा
	कुशालपुरा
	अनवलहेड़ा
	चांदपुर
	बान्सा
	जेपला
	मोरखामपुरा
	तालब
	रामगढ़
पंजाब नेशनल बैंक	गरदियाकलान
	कोटडी
भारतीय स्टेट बैंक	सरेडी
सिंडिकेट बैंक	कोटा सब्जीमण्डी
स्टेट बैंक आफ बीकानेर	कोतरी
एण्ड जयपुर	
बैंक आफ इण्डिया	
	कोटड़ा दीप सिंह

खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत संश्लिष्ट/मानव-निर्मित वस्त्रों का आयात

[अनुवाद]

4161. **श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत मानव-निर्मित वस्त्रों और धागों के आयात की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार संश्लिष्ट/मानव-निर्मित वस्त्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये बेचने के लिये इन वस्तुओं को भी मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति देने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में पर्याप्त बुनाई क्षमता विद्यमान तथा असुरक्षित विकेन्द्रीकृत क्षेत्र, जिसमें काफी बड़ी संख्या में कारीगर कार्यरत हैं, बुनाई उद्योग में लगा हुआ है, फैब्रिक्स के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मानव निर्मित फाईबर/यार्न जैसे कच्चे माल के आयात की सुविधा से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा समुचित रूप से हो जानी चाहिए।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण व जमा राशि का अनुपात

4162. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) बिहार में जिलावार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) इन बैंकों में जिलावार 1 अप्रैल, 1990 तथा 1 अप्रैल, 1991 को कुल कितनी राशि जमा थी;

(ग) इन बैंकों ने वर्ष 1990-91 के दौरान सम्पूर्ण बिहार के लिए तथा किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों के लिए अलग-अलग कुल कितने ऋण मंजूर किए; और

(घ) वर्ष 1990-91 के लिए सम्पूर्ण देश, बिहार तथा उपर्युक्त जिलों के लिए अलग-अलग औसत ऋण/जमाराशि का अनुपात कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बिहार में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिलावार संख्या और मार्च 1990 और मार्च 1991 के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) मार्च 1991 में बिहार राज्य के अरेरिया और पूर्णिया जिलों और सम्पूर्ण देश के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमाराशियां, ऋण और ऋण जमा अनुपात को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए)

जिले का नाम	मार्च 1991		
	जमाराशियां	ऋण	ऋण जमा अनुपात
अरेरिया	56	32	57.1
पूर्णिया	106	74	69.8
बिहार	9328	3697	39.6
अखिल भारत	200035	132510	66.2

किशनगंज जिले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह जिला जनवरी 1990 में बनाया गया है।

विवरण

मार्च 1990 और मार्च 1991 के अनुसार बिहार में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिलावार संख्या और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	शाखाओं की संख्या	जमाराशि (करोड़ रु० में) मार्च 1990	मार्च 1991
1. अरेरिया	36	—	56
2. ओरंगाबाद	42	79	102
3. बेगेसराय	80	115	132
4. भोगलपुर	156	257	284
5. भोजपुर	83	319	357
6. दरभगा	60	159	178
7. देवगढ़	42	90	102
8. धनबाद	161	828	923
9. दुमका	60	72	88
10. गया	102	234	266
11. घिरिडीह	111	204	236
12. गोदा	37	40	47
13. गोपालगंज	27	94	108
14. गुमला	33	60	69
15. हजारीबाग	127	299	358
16. जहानाबादक	39	77	85
17. कटिहार	65	69	76
18. खगड़िया	19	35	43
19. किशनगंज	1	NA	NA
20 लोहारडग्गा	9	18	23
21. माधपुर	35	31	38
22. मधुबनी	54	105	117
23. मुंगेर	86	240	278
24. मुजफ्फरपुर	97	290	329
25. नालंदा	40	124	148
26. नवादाह	26	62	69
27. पालममाऊ	63	133	152

1	2	3	4
28. पश्चिमी-चम्पारन	48	107	116
29. पश्चिमी-सिंहभूम } 30. पूर्वी-सिंहभूम }	166	707	793
31. पूर्वी चम्पारन	82	129	146
32. पटना	250	1442	1582
33. पूर्निया	88	140	106
34. रोहतास	90	268	294
35. सहरसा	76	67	78
36. साहबगंज	56	67	74
37 समस्तीपुर	69	147	166
38. सारन	70	219	255
39. सीतामढ़ी	57	71	85
40 सिवान	48	180	216
41. वैशाली	45	131	150
42. रांची	117	536	603
		उपलब्ध नहीं	

बिहार के हथकरघा बुनकरों को लच्छेदार धागे (हैंकयार्न की आपूर्ति

4163. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार के हथकरघा बुनकरों के लिए कितना हैंकयार्न प्रदान किया गया है;

(ख) बिहार में सूत उत्पादन करने वाले एककों को वर्तमान क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) बिहार में बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा प्रदान किये गये सूत, रंगाई का सामान और रसायनों का मूल्य कितना है;

(घ) बिहार में प्राथमिक/शीर्ष सहकारी समितियों को वर्ष 1990-91 के दौरान प्रदान की गई अतिरिक्त कार्य चालन पूंजी कितनी है;

(ङ) बिहार में प्रत्येक बुनकर को सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता कितनी है;

(च) बिहार में शीर्ष सहकारी समितियों को वर्ष के दौरान बाजार विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई सहायता कितनी है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा कितने मूल्य का बिहारी हथकरघा उत्पादन का निर्यात किया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) चूंकि यार्न का एक राष्ट्रीय बाजार है और इसका व्यापार अधिकांशत निजी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, इसलिए किसी विशेष राज्य में हैंक यार्न की उपलब्धता/बिक्रियों की मात्रा बता पाना संभव नहीं है।

(ख) भारत सरकार ने बिहार में सहकारी क्षेत्र में मौजूदा कताई क्षमता का विस्तार करने के लिए वर्ष 1990-91 में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है क्योंकि बिहार सरकार से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने बिहार में बुनकरों और उनकी एजेंसियों को 379.61 लाख रु० मूल्य के यार्न तथा 2.56 लाख रु० मूल्य के रंजक और रसायनों की सप्लाई की है।

(घ) से (च) भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार में सहकारी अथवा निगमित क्षेत्र में किसी भी राज्य हथकरघा एजेंसी को शेयर पूंजी सहायता अथवा बाजार विकास सहायता के रूप में कोई वित्तीय सहायता रिलीज नहीं की है। फिर भी, वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बिहार सरकार को 539.75 लाख रु० की राशि रिलीज की है ताकि हथकरघा कपड़े की विपणन क्षमता में सुधार लाया जा सके तथा राज्य में बुनकरों को सतत रोजगार प्रदान किया जा सके।

(छ) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने वर्ष 1990-91 के दौरान किसी भी प्रकार के कपड़े का कोई निर्यात नहीं किया है।

कोचीन पत्तन न्यास में स्वीकृत पदों की संख्या

4164. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 को कोचीन पत्तन न्यास में विभागवार क, ख, ग और घ सवर्गों में कितने पद स्वीकृत थे;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 को विभागवार और संवर्गवार कितने पद रिक्त थे;

(ग) 1 अप्रैल, 1991 को विभागवार और संवर्गवार कितने पदों पर पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोग नियुक्त थे;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान भर्ती द्वारा विभागवार और संवर्गवार कितने पद भरे गये ;

(ङ) क्या इस न्यास में कोई स्थाई अथवा तदर्थ भर्ती बोर्ड अथवा चयन समितियां कार्य कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इन बोर्डों/चयन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें प्रधानमन्त्री के 15 सूची कार्यक्रम के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व कितना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सूचना संलगन-विवरण I में दी गई है।

(ख) सूचना संलगन विवरण-II में दी गई है।

(ग) सूचना संलगन विवरण-III में दी गई है।

(घ) सूचना संलगन विवरण-IV में दी गई है।

(ङ) कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1964 के नियम 15 और 16 के तहत स्थायी तौर पर कर्मचारी चयन समितियां/विभागीय पदोन्नति समितियाँ गठित की गई हैं।

(च) कर्मचारी चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों के संघटन की जानकारी विवरण-V पर दी गई है। तथापि, उपर्युक्त समितियों में अल्पसंख्यक धर्मों का कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है।

विवरण-I

कोचीन पत्तन न्यास में 01.04.1991 की स्थिति के अनुसार ग्रेड क, ख, ग और घ के विभाग-वार स्वीकृत पदों की संख्या

क्र०सं०	विभाग का नाम	ग्रेड क	ग्रेड ख	ग्रेड ग	ग्रेड घ	कुल
1.	सचिव का नाम	12	7	148	95	262
2.	लेखा	11	7	309	26	353
3.	ट्रैफिक	10	12	910	543	1475
4.	चिकित्सा	15	1	156	151	323
5.	मेरीन	57	5	604	565	1231
6.	सिविल इंजी०	33	17	497	433	980
7.	मेकेनिकल इंजी०	22	14	1230	590	1856
8.	सी ई एवं ए (फिशरीज हारबर और स्टोरज)	4	6	94	45	149
	योग :	164	69	3948	2448	6629

विवरण II

01.04.1991 को विभाग वार और ग्रुप वार रिक्त पदों की संख्या

क्र०सं०	विभाग का नाम	ग्रेड क	ग्रेड ख	ग्रेड ग	ग्रेड घ	कुल
1.	सचिव का विभाग	—	1	8	2	11
2.	लेखा	1	—	7	—	8
3.	ट्रैफिक	1	—	38	57	96
4.	चिकित्सा	1	—	3	1	5
5.	मैरीन	8	1	63	117	249
6.	सविल इंजी०	—	1	58	81	140
7.	मैकेनिकल इन्जी०	—	--	171	156	327
8.	सी ई एवं ए (फिशरीज हारबर और स्टोरज)	—	—	6	2	8
	योग :	11	3	354	476	844

विवरण-III

01.04.1991 की स्थिति के अनुसार विभाग-वार और ग्रुप-वार उन पदधारियों की संख्या जो अन्य पिछड़े वर्गों अ०जा० और अ०ज०जा० से सम्बन्धित हैं।

विभाग	ग्रुप क			ग्रुप ख			ग्रुप ग			ग्रुप घ				योग	
	अ० जा०	अ० ज० जा०	अन्य पिछड़ी जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०	अन्य पिछड़ी जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०	अन्य पिछड़ी जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०	अन्य पिछड़ी जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०	अन्य पिछड़ी जा०
सचिव	2	2	1	2	—	1	13	5	41	9	4	20	26	11	63
लेखा	1	—	—	3	—	3	40	11	118	2	6	8	46	17	129
ट्रैफिक	4	2	—	2	2	1	132	53	241	62	8	408	200	65	650
चिकित्सा	4	—	4	—	—	—	22	7	22	20	6	83	46	13	109
मैरीन	—	1	8	—	1	2	48	18	185	40	10	188	88	30	383
सिविल इंजी०	5	—	7	—	—	4	38	15	162	70	25	217	113	40	390
मैकेनिकल इंजी०	2	—	3	2	—	3	121	36	610	52	14	230	117	50	846
सी ई एवं ए (फिशरीज हारबर और स्टोरज)	—	1	2	1	1	2	13	7	54	4	3	39	18	12	97
योग :	18	6	25	10	4	16	427	152	1433	259	76	1193	714	238	2667*

*ये आंकड़े केवल लगभग हैं क्योंकि अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का कोई प्रमाणित रिकार्ड नहीं रखा जाता।

विवरण-IV

1990-91 के दौरान भर्ती द्वारा भरे गए पदों की विभाग-वार और ग्रुप वार संख्या।

क्र०सं०	विभाग का नाम	ग्रेड क	ग्रेड ख	ग्रेड ग	ग्रेड घ	कुल
1.	सचिव	—	—	—	—	—
2.	लेखा	—	—	—	—	—
3.	ट्रैफिक	—	—	29	37	66
4.	चिकित्सा	—	—	7	9	16
5.	मैरीन	—	—	—	11	11
6.	सिविल इंजी०	—	—	1	28	29
7.	मैकेनिक इंजी०	—	—	13	107	120
8.	सी ई एवं ए (फिशरीज हारबर और स्टोरेज)	—	—	1	3	4
	योग :	—	—	51	195	246

सभी पद सीधे भर्ती द्वारा भरे गए थे।

विवरण-V

कोचीन पत्तन न्यास में कार्यरत कर्मचारी चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का संघटन।

श्रेणी I और II के पदों के लिए

अध्यक्ष — बोर्ड का अध्यक्ष

सदस्य — 1. बोर्ड का उपाध्यक्ष

2. उस विभाग का प्रमुख जहां पर पद रिक्त है।

3. बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित एक और विभाग प्रमुख।

4. अध्यक्ष द्वारा नामित अ०जा०/अ०ज०जा० का सदस्य।

श्रेणी III और IV के पदों के लिए

अध्यक्ष — बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एक विभाग प्रमुख।

सदस्य — 1. बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित दो अधिकारी।

2. अध्यक्ष द्वारा नामित अ०जा०/अ०ज०जा० का एक सदस्य।

ताजी झींगा मछलियों के निर्यात की संभावना

4165. **श्री मान्ये गोवर्धन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजी झींगा मछलियों का प्रतिवर्ष कितना वाणिज्यिक उत्पादन होता है;

(ख) इस उत्पाद की निर्यात क्षमता कितनी है तथा इसका किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है; और

(ग) उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) प्रति वर्ष अनुमानत : 4000 एम० टी० ताजी झींगा मछलियों का उत्पादन होता है ।

(ख) यू० के०, स्पेन, यू० एस० ए०, नीदरलैण्ड, जर्मनी, बेल्जियम, यू० ए० ई०, सिंगापुर, मलेशिया; जापान आदि में ताजी झींगा मछलियों की अच्छी मांग है ।

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) विभिन्न तटवर्ती राज्यों में स्थित अपने क्षेत्रीय केन्द्रों के द्वारा झींगा मछलियों के पालन को चढ़ावा देता है । जगह के चुनाव से लेकर मछलियों के उत्पादन तक उधार सुविधाओं का उपयोग करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा इसके अतिरिक्त फार्म निर्माण के बारे में तकनीकी सहायता देना, पोखरा तैयार करना, बीज प्राप्त करना, चयनात्मक संग्रहण, पोखरा प्रबन्धन, बीमारी नियंत्रण, पूरक शुल्क, विपणन इत्यादि में इन शाखा कार्यालयों से जुड़े तकनीकी कर्मचारी, झींगा मछली के पालन की शुरूआत करने में किसानों की सहायता करते हैं । एपीडा प्रॉन अंडज उत्तिपत्तिशाला के नए फार्मों के विकास तथा बीज एवं चारे की खरीद के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है ।

आयुध कारखानों में सुपरवाइजरों के पदों की समाप्ति

4166. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **रक्षा मंत्री** 3 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपरवाइजर "बी" (टी) के पद को अभी तक चार्जमैन ग्रेड-II (टी) में विलय नहीं किया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सुपरवाइजर बी० (टी) के पद के अधिकारी एक दशक से अधिक समय से इस पद पर बने हुए हैं;

(ग) क्या इससे भविष्य में ऊंचे पदों पर होने वाली पदोन्नतियां अवरूद्ध हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या तात्कालिक कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हां ।

(ख) पर्यवेक्षक "ख" (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों में मौजूदा गतिरोध का कारण इस प्रकार का विलय न किया जाना नहीं माना जा सकता ।

(ग) और (घ) कुछ पर्यवेक्षक "ख" (तकनीकी) कर्मचारियों ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास में एक याचिका दायर की थी जिसमें पर्यवेक्षक "ख" (तकनीकी) के पद को चार्जमैन-2 (तकनीकी) के रूप में पुनर्निमित किए जाने और तदनुसार मिलने वाले लाभ दिए जाने का अनुरोध किया गया था । अधिकरण ने इस याचिका को खारिज कर दिया । अधिकरण ने आवेदकों के इस तर्क को भी नामंजूर कर दिया कि उनके पद को इस प्रकार पुनर्निमित नहीं किए जाने के कारण उनकी पदोन्नति के अवसरों पर भी प्रभाव पड़ा है । इसी तरह की एक अन्य याचिका केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता में विचाराधीन है ।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) के उत्तर के दृष्टिगत यह प्रश्न फिलहाल नहीं उठता ।

मसाला बोर्ड को वित्तीय आबंटन

4167. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड को वित्तीय आबंटन में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान वर्ष वार कितना आवन्टन किया गया;

(घ) उक्त वर्षों के दौरान मसाला बोर्ड द्वारा इलायची, काली मिर्च, लौंग और जायफल की खेती के विकास के लिये कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ङ) इनकी खेती की विकासात्मक गति-विधियों को बढ़ाने हेतु कौन से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1088-89 से 1990-91 तक मसाला बोर्ड को किए गए वर्ष वार आबंटन और वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्तावित आबंटन नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रु०)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	जोड़
1988-89	392	256	648
1989-90	403	246	649
1990-91	437	199	636
1991-92 (प्रस्तावित)	620	235	855

(घ) मसालों के विकास के लिए मसाला बोर्ड द्वारा प्रयुक्त की गई राशियां नीचे दी गई हैं

(लाख रु०)

को खर्च की गई राशि

वर्ष	इलायची	मिर्च	लौंग	जायफल
1988-89	348.99	8.00	शून्य	शून्य
1989-90	408.72	12.00	शून्य	शून्य
1990-91	345.20	10.00	शून्य	शून्य

केरल और कर्नाटक के पश्चिमी घाट विकास अभिकरणों से प्राप्त निम्नलिखित राशियों में यह व्यय शामिल है।

(लाख रु० में)

1988-89	32 29
1989-90	53.92
1990-91	32.75

(ङ) मसाला बोर्ड केवल इलायची के सम्बन्ध में विकासात्मक क्रियाकलाप शुरू कर सकता है। इलायची (छोटी और बड़ी दोनों) के विकास के लिए मसाला बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे :—

(1) अधिक उपज देने वाली, रोग मुक्त और स्वस्थ पौधों का उत्पादन तथा सप्लाई।

(2) पुनर्रोपण।

(3) विस्तार क्रियाकलाप।

(4) उपजातीय सुधार, कीट रोग प्रबन्ध, कृषि-विज्ञान की पद्धतियां, कटाई के बाद के कार्य आदि से सम्बन्धित अनुसंधान।

अन्य मसालों के सम्बन्ध में उत्पादन तथा विकासात्मक क्रियाकलाप कृषि मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर खर्च की गई धनराशि

4168. श्री टी० जे० अंजलोस : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षा और बाढ़ से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनकी मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान, केरल के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वारिश और बाढ़ का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अन्य अनुरक्षण खर्च के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित राशि खर्च की गई :—

वर्ष	राशि
1988-89	257.3 लाख रु०
1989-90	166.9 लाख रु०
1990-91	161.89 लाख रु०

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में नियुक्तियां

4169. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में नियुक्तियां की गई हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इन मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों का अस्तित्व स्थायी प्रकार का है, और इनमें होने वाली रिक्तयों को समय-समय पर भरा जाता है। इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में 99 गैर-सरकारी निदेशक पदासीन हैं और 81 पद रिक्त हैं। सरकार का यह प्रयास है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मण्डल में कम से कम एक गैर सरकारी निदेशक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से हो। इस समय 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में प्रत्येक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक-एक निदेशक है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	बैंक का नाम	अ. जा./अ. ज. जा. के गैर सरकारी निदेशक के नाम
1.	बैंक आफ इण्डिया	श्री शमशेर सिंह दुल्लो
2.	बैंक आफ बड़ौदा	श्री बाहुरा एक्का
3.	यूको बैंक	श्री आर. टी. रायम्बौ
4.	केनरा बैंक	श्री ओम प्रकाश शंकरानन्द कनागली
5.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	श्रीमती मल्ला जाम्मा
6.	इलाहाबाद बैंक	श्री एम० नरायनप्पा
7.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री मदन वर्मा
8.	आंध्रा बैंक	श्री राजकुमार नागरथ
9.	कारपोरेशन बैंक	श्री राजगुरु दयाराम तुलसीराम
10.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	कु० सेलजा कुमारी
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	श्रीमती करतार देवी
12.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	श्रीमती संतोष चौधरी

वाणिज्यिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण

4170. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986 के आसपास लगभग 10 बिलियन डालर का ऋण वाणिज्यिक ब्याज दर पर लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह धनराशि किस ब्याज दर पर उधार ली गई थी;

(ग) इस ऋण राशि का भुगतान कब तक किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रास्फीति की दर

4171. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988, 1989, 1990 के दौरान और 30 जून, 1991 को वार्षिक मुद्रास्फीति की दर क्या थी;

(ग) मुद्रास्फीति बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) मुद्रास्फीति की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1981-82=100) के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में 1983 से 1990 के दौरान बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर 4.1 प्रतिशत और 12.6 प्रतिशत के बीच घटबढ़ होती रही है।

(ख) मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 1988 में 5.4 प्रतिशत, 1989 में 7.8 प्रतिशत, 1990 में 12.6 प्रतिशत और 29 जून, 1991 (30 जून, 1991 के निकटतम) को 10.2 प्रतिशत थी।

(ग) अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबाव बनने के कारण हैं (I) राजकोषीय असंतुलनों के परिणामस्वरूप मुद्रापूर्ति तथा नकदी बाहुल्य में अधिक वृद्धि होना और जिससे प्रभावी मांग बढ़ती है; (II) भुगतान संतुलन की स्थिति पर लगातार दबाव की वजह से वांछित मात्रा में आयात न कर पाने की सरकार की असमर्थता और घरेलू उत्पादन में गिरावट के कारण संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति और मांग में असंतुलन; (III) अर्थव्यवस्था में परिणामी मुद्रास्फीतिकारी संभावनाएं।

(घ) मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों में सख्त राजकोषीय अनुशासन बरतना मौतिक पूर्ति के विस्तार पर नियंत्रण रखना, आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति और मांग की अधिक प्रभावी व्यवस्था करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाना और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल है।

तट-व्यापार कानून में छूट

4172. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विदेशी माल-वाहक समुद्री जहाजों को भारतीय बन्दरगाहों के बीच माल की ढुलाई को रोकने संबंधी तट-व्यापार नियम में छूट देने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस छूट से भारतीय जहाजरानी निगम की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) उन नौवहन लाइनों के मामले में जो पर्याप्त संख्या में ट्रांशिपमैंट कन्टेनर लाती हैं, तट-व्यापार कानून में अस्थायी रूप से छूट देने के बारे में एक नीतिगत निर्णय लिया गया है । इस प्रकार की अस्थायी छूट से भारतीय नौवहन निगम पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ।

कम्पनियों द्वारा निर्यात वचनबद्धता को पूरा करना

4173. **श्रीमती सुमित्रा महाजन**
श्री भगवान शंकर रावत
श्री महेश कुमार कनोडिया
श्री गुरुदास कामत
: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो विदेशी सहयोग के लिए आवेदन करते समय की गई वचनबद्धता के अनुसार अपने निर्यात लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये हैं; और

(ख) इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी लाईसेंसिंग प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पांच सौ रुपये के करेंसी नोटों की तस्करी

4174. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भारत-पाकिस्तान के रास्ते से खाड़ी के देशों को पांच सौ रुपये के करेंसी नोटों की तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा करेंसी नोटों की तस्करी रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों और किये गये अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि भारत-पाक सीमा का राजस्थान क्षेत्र 500/- रुपये के अंकित मूल्य की भारतीय मुद्रा सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के लिए बराबर एक संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है । वर्ष 1990 और 1991 (8.8.91 तक) के दौरान इस क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दर्ज किये गये मामलों की संख्या और पकड़े गये 500/- रुपये के अंकित मूल्य के नोटों की राशि का ब्यौरा नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

वर्ष	मामलों की संख्या	पकड़े गये 500/- रुपये के अंकित मूल्य के नोटों की राशि रुपयों में
1990	3	2,30,000
1991* (8.8.91 तक)	6	28,20,500

* ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) सीमा शुल्क अधिकारी भारतीय मुद्रा सहित निषिद्ध माल की तस्करी के प्रति सतर्क रहते हैं।

खेतान इण्डिया लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री

4175. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतान इण्डिया लिमिटेड अपने ट्रेड नामों पर बेची जाने वाली चीजों जैसे डेजर्ट कूलर आदि कलपुर्जों को उपलब्ध न करा कर उपभोक्ताओं को खुले बाजार में व्यापारियों द्वारा शोषित होने के लिये छोड़कर व्यापार में गलत व्यवहार अपना रहा है,

(ख) क्या खेतान इण्डिया लिमिटेड कल-पुर्जों के साथ-साथ अपने उत्पादों को भी उपभोक्ताओं को सीधे बेचने से इन्कार करता है,

(ग) क्या जांच तथा पंजीकरण महानिदेशक और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार आयोग उपरोक्त मामलों की जांच करने का विचार रखते हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने महा-निदेशक (जांच एवं पंजीकरण) को यह पता लगाने के लिए आदेश दिया है कि क्या खेतान इण्डिया लि० अपने द्वारा बेची गई वस्तुओं को अपने ट्रेड नाम से निर्मित अतिरिक्त पुर्जों को जैसे उपभोक्ताओं को डेजर्ट कूलर का किट न उपलब्ध करा कर अनुचित व्यापार प्रथा कर रही है। ऐसे मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अर्द्ध-न्यायिक कल्प निकाय होने के नाते एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए शक्ति प्राप्त है।

भदोही (उत्तर प्रदेश) में कालीन उद्योग

[हिन्दी]

4176. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भदोही, उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

फुटबाल खिलाड़ियों से आयकर की वसूली

[अनुवाद]

4177. **श्री मुकुट वासनिक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय और विदेशी फुटबाल खिलाड़ियों ने देश के विभिन्न फुटबाल (साकर) क्लबों से अत्यधिक आमदनी के बावजूद भी अपनी आयकर बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खिलाड़ियों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आयकर विभाग के जांच-स्कंध द्वारा इस सूचना के आधार पर प्रारंभिक पूछताछ की गई थी कि फुटबाल के कुछ खिलाड़ी कलकत्ता की सॉकर क्लबों से प्राप्त हुई अपनी आय की घोषणा शायद आयकर के प्रयोजनार्थ नहीं कर रहे हैं ।

(ग) एक विदेशी फुटबाल खिलाड़ी के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अधीन दिनांक 18 जनवरी, 1991 को एक तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कतिपय अपराध-आरोपणीय दस्तावेज अभिगृहीत किए गए । की गई पूछताछ के परिणामों को उचित कार्यवाही करने के लिए संबंधित कर-निर्धारण अधिकारियों के पास भेज दिया गया है ताकि इस प्रकार की आय पर कर लगाया जा सके ।

लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण वस्त्र और जूट एकक

4178. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में मार्च 1991 तक लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण वस्त्र और जूट एककों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इन उद्योगों को पुन: चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन स्थिति के अनुसार दिसम्बर, 1988 के अन्त तक लघु क्षेत्र में कुल 19,497 वस्त्र

एकक तथा 132 पटसन एकक रूग्ण हैं। ऐसा बताया गया है कि रूग्ण वस्त्र तथा पटसन एककों के राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(ख) इन उद्योगों का पुनरूद्धार करने के लिए उठाए गए कदमों में रूग्ण एस० एस० आई० एककों की पुन: स्थापना, अर्थक्षमता मानकों, आरम्भिक रूग्णता के साथ-साथ संभाव्य रूप से अर्थक्षम रूग्ण एककों के मामले में पुनर्वासन पैकेज के क्रियान्वयन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से राहत और रियायतों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को व्यापार मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी करना शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थक्षम रूग्ण लघु एककों के पुनरूद्धार के लिए पुनर्वासन पैकेज बनाने के लिए सचिव, औद्योगिक विभाग की अध्यक्षता के अंतर्गत सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितियां भी स्थापित की हैं।

भूतपूर्व शासकों के कीमती सामान

4179. **श्री के० वी० थामस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व भारतीय शासकों के कीमती गहनों और अन्य सामान की देश से तस्करी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन्हें देश में ही सुरक्षित रखे जाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) और (ख) सीमाशुल्क अधिकारियों के पास उपलब्ध आसूचना से इस बात का पता नहीं चलता है कि भूतपूर्व शासकों के गहनों और सामान की देश से बाहर तस्करी हो रही है। तथापि, नाभा के भूतपूर्व राजशाही परिवार द्वारा किसी अन्य भारतीय को बेची गई तीन विंटेज कारों का जाली कागजातों के आधार पर अभी हाल ही में युनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया था।

सीमाशुल्क विभाग अन्तरराष्ट्रीय संगठनों सहित प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आसूचना तथा नई कार्यप्रणालियों की अद्यतन जानकारी का लगातार आदान-प्रदान करके तस्करी की गतिविधियों के खिलाफ चौकस रहता है।

कम्पनियों का पंजीकरण

4180. **श्री रवि राय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनियां के पंजीकरण में इस वर्ष तेजी से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) 1989-90 में 21,597 की तुलना में 1990-91 के

दौरान कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की संख्या 22,341 थी जो 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसका वर्गीकरण तीव्र वृद्धि के रूप में नहीं किया जा सकता।

(ख) 1989-90 एवं 1990-91 के दौरान पंजीकृत कम्पनियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90 के दौरान पंजीकृत कम्पनियों की संख्या	1990-91 के दौरान पंजीकृत कम्पनियों की संख्या
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1351	1322
2. असम	141	81
3. बिहार	613	422
4. गुजरात	1413	1702
5. हरियाणा	356	351
6. हिमाचल प्रदेश	87	81
7. जम्मू और कश्मीर	74	12
8. कर्नाटक	863	950
9. केरल	316	354
10. मध्य प्रदेश	586	573
11. महाराष्ट्र	4757	4908
12. मणिपुर	10	3
13. मेघालय	16	6
14. नागालैंड	11	4
15. उड़ीसा	227	319
16. पंजाब	685	596
17. राजस्थान	470	508
18. तमिलनाडु	1972	2024
19. त्रिपुरा	1	1
20. उत्तर प्रदेश	1156	1180
21. पश्चिमी बंगाल	2125	2536
22. सिक्किम	—	—

1	2	3
23. अरुणाचल प्रदेश	9	8
24. गोवा	57	85
25. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—
26. चंडीगढ़	274	267
27. दादरा एवं नगर हवेली	7	5
28. दिल्ली	3968	3977
29. दमन एवं दीयु	5	2
30. लक्षद्वीप	—	—
31. मिजोरम	2	3
32. पांडिचेरी	45	[illegible]1
योग	21597	2[illegible]341

कर्नाटक में रक्षा औद्योगिक परियोजनाएं

4181. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में कुछ और रक्षा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का कर्नाटक में कुछ रक्षा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ।

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पुर्तगाली बैंक द्वारा स्वर्ण आभूषणों की वापसी

4182. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली बैंक ने गोआ के स्वर्णभूषण तथा अन्य सुरक्षित वस्तुएं स्टेट बैंक आफ इण्डिया को लौटा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इन वस्तुओं की वर्तमान कीमत क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पुर्तगाली बैंक द्वारा लौटाये गये इस सोने का उपयोग करने की कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक को बैंकों नेशनल अल्ट्रामेरिनों, लिस्बन से ऋणों और सुरक्षित अभिरक्षा मदों के बदले गिरवी रखी गई बहुमुल्य वस्तुओं के सीलबन्द पैकेट प्राप्त हुए हैं ।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, इन पैकेटों में रखे स्वर्णाभूषणों का अनुमानित मूल्य 10 करोड़ रुपए बताया जाता है ।

(घ) और (ङ) अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक और चेयरमैन, बी० एन० यू० के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार इन पैकेटों को ऋणकर्ताओं/जमाकर्ताओं या उनके कानूनी वारिसों को दिया जाना है ।

"नाबार्ड" द्वारा पुनर्वित्त पोषण सहायता

4183. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी**
श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ट्रैक्टरों की सम्पूर्ण मरम्मत/कल-पुर्जों को बदले जाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान और 1991 के दौरान अब तक दी गई पुनर्वित्त पोषण सहायता की वर्ष-वार तथा राज्यबार धनराशि क्या है; और

(ख) योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि इसकी मनिटरिंग प्रणाली तथा आंकड़ा सूचना प्रणाली से, नाबार्ड द्वारा ट्रैक्टरों की सम्पूर्ण मरम्मत/कल-पुर्जों को बदलने के लिए प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता के बारे में सूचना नहीं मिलती है । तथापि, गत 3 वर्षों के दौरान फार्म यंत्रीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा दी गई पुनर्वित्त सहायता इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राशि
1988-89	158
1989-90	225
1990-91	338

कपास की निर्यात नीति में संशोधन

4184. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कपास की निर्यात नीति में कोई परिवर्तन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग

4185. **श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग सूत की कमी और सूत फाहा (काटन लिन्ट) के ऊंचे मूल्यों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) देश के कुछ कपास उपजाने वाले क्षेत्रों में मौसम सम्बन्धी प्रतिकूल दशाओं और नाशी जीव के भयंकर आक्रमण के फलस्वरूप वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के दौरान कपास के उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट आने के फलस्वरूप कपास की कीमतों में वृद्धि हो जाने के बावजूद मौसम के दौरान मिलों को पूरी तरह से कपास उपलब्ध थी। मौसम के दौरान कपास की मांग और पूर्ति की स्थिति में उतार-चढ़ाव होने के कारण वस्त्र मिलों के सामने पेश आए किसी गंभीर संकट के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं।

बैंक आफ महाराष्ट्र में धोखाधड़ी का तथाकथित मामला

4186. **प्रो० राम कापसे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक आफ महाराष्ट्र में 121.71 करोड़ रुपये के तथाकथित धोखाधड़ी के मामले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबन्ध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि बैंक के पास ऋण प्राप्त खातों के एक समूह में रुग्णता के लक्षण दिखाई दिए और बैंक ने 1985 में 34.42 करोड़ रुपए की कुल राशि और वसूली होने तक की बाद की अवधि के ब्याज के लिए मुकदमा दायर किया था। तदुपरान्त, बैंक के एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें बैंक आफ महाराष्ट्र में कुछ ग्राहकों और बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के आदेश दिए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसके बाद दो मामले दर्ज किए हैं और मामले की जांच प्रारम्भ कर दी है।

करेंसी नोटों की कमी

4187. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार/अभिधानों (नामों) के करेंसी नोटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को उनके मांग पत्रों की तुलना में परिमाण तथा मूल्य के रूप में सप्लाई किए गए नये नोटों के प्रतिशत अनुपात के बारे में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मांग पत्र की तुलना में सप्लाई का प्रतिशत अनुपात	
	परिणामवार	मूल्य-वार
1988-89	42	38
1989-90	51	29
1990-91	50	31

इस कमी का कारण भारतीय रिजर्व बैंक की नए नोटों की बढ़ती हुई मांग तथा इस मांग को पूरा करने में वर्तमान इकाइयों की सीमित क्षमता है।

(ग) करेंसी/बैंक नोटों की मांग तथा सप्लाई के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) देवास तथा नासिक में विद्यमान दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों में काम की दो पारियाँ शुरू की गई हैं।

(2) सरकार ने दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेस—एक सालबोनी (पश्चिम बंगाल) तथा दूसरी मैसूर (कर्नाटक) में स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(3) एक रुपए, दो रुपए तथा पांच रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की जगह आवस्थाबद्ध तरीके से सिक्के ढालने का निर्णय लिया गया है ताकि इस तरह बच रहने वाली क्षमता का उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के मुद्रण के लिए उपयोग किया जा सके।

गेहूं का निर्यात

4188. **श्री रवि राय** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापार एजेंसियों को अन्य देशों को गेहूं का निर्यात करने के लिए ग्राहकों का पता लगाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान गेहूं का निर्यात करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस वर्ष के लिए, 10 लाख एम० टी० गेहूं के निर्यात लक्ष्य की तुलना में एस० टी० सी०/एम० एम० टी० सी० ने 2.98 लाख एम० टी० गेहूं का निर्यात पहले ही कर लिया है तथा अन्य 3.65 लाख एम० टी० गेहूं के निर्यात के आदेश उनके पास हैं।

भारत-इटली संयुक्त व्यापार परिषद के अन्तर्गत कार्य दल

4189. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी**
श्री महेश कुमार कनोडिया } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-इटली संयुक्त व्यापार परिषद के तत्वाधान में एक कार्य दल गठित करने का प्रस्ताव है ताकि दोनों देशों के बीच भारी संख्या में संयुक्त उद्यम लगाने और लाइसेंसिंग समझौते करने की प्रणाली को सरल बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ऐसे कार्यदल का गठन कब तक किया जायेगा; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है और इटली को किन-किन मदों का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारत-इटली संयुक्त व्यापार परिषद की 18 जून, 1991 को मिलान इटली में आयोजित छठी बैठक में एक कार्यदल गठित करने का निश्चय किया गया, था जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में इटैलियन संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाना है अब उक्त कार्य दल गठित कर दिया गया है और यह दोनों के बीच आर्थिक सहयोग के विस्तार के लिये कार्य करेगा।

राज्यों में उच्च न्यायालयों की खंडपीठें

4190. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी**
श्री बलराज पासी } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की खंडपीठों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों से उच्च न्यायालयों की

खंडपीठों की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : (क) अपेक्षित जानकारी सलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के बारे में नागालैंड और मिजोरम सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठें संबन्धित राज्य की राजधानी में स्थापित की जा चुकी है। सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक अवसरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति हो जाने के पश्चात् मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानियों में ऐसी न्यायपीठें स्थापित की जाएंगी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के परामर्श से क्रमश: उत्तरी बंगाल और पोर्ट ब्लेयर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के बारे में पश्चिमी बंगाल की सरकार और अंदमान और निकोबार द्वीप के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अन्य राज्य सरकारों मे कोई विनिर्दिष्ट और सम्पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

क्र०सं०	उच्च न्यायालय का नाम	वह स्थान (राज्य जहां उच्च न्यायालय की न्यायपीठ विद्यमान हैं)
1.	इलाहाबाद	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
2.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर और इन्दौर (मध्य प्रदेश)
3.	मुंबई	नागपुर और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) पणजी (गोवा)
4.	पटना	रांची (बिहार)
5.	राजस्थान	जयपुर (राजस्थान)
6.	गुवाहाटी	कोहिमा (नागालैंड) एजोल (मिजोरम)

कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

4191. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुछ पद अभी भी रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इन पदों को भरने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) 2-8-91 को अपर न्यायाधीशों के दो पद रिक्त हुए थे। 5-6-91 को स्थायी न्यायाधीश का एक पद रिक्त हुआ।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार से 19-8-91 को सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। ऐसी सिफारिशों पर प्राथमिकता के आधार पर सदैव कार्रवाई की जाती है। किन्तु यह बताना संभव नहीं है कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा।

हल्दिया पत्तन का विकास

4192. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हल्दिया पत्तन के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : हल्दिया गोदी परिसर के विकास के लिए वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल की गई स्कीमें इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	1991-92 के लिए परिव्यय
		(करोड़ रु०)
1.	अतिरिक्त जनरल कार्गो बर्थ	4.90
2.	ट्रेक्टर टगोंसे युक्त दूसरी तेल जेटी का निर्माण	19.25
3.	अयस्क एवं कोल हैंडलिंग संयत्र का सुधार	0.23
4.	सड़कों का निर्माण	0.25
5.	गोदियों में अग्नि शमन व्यवस्था	0.68
6.	राज्य सरकारों की स्कीमों के साथ "लिंक" करके गोदी और आवासीय क्षेत्र के अन्दर जल आपूर्ति प्रबन्ध	0.32
7.	आधार भूत सुविधाओं में सुधार	1.05
8.	क्वार्टरों का निर्माण	1.25
9.	रेलवे यार्ड और अन्य सुविधाओं का विस्तार	0.20

1	2	3
10.	मौजदा कंटेनर टर्मिनल का विस्तार	1.20
11.	मौजूदा तेल जेटी को सुदृढ़ करना	0.10
12.	निकर्षक "चुर्णी" को बदलना	0.20
13.	"रिप्लेसमेंट" के अन्तर्गत तीन लोकोज की खरीद	0.86
14.	टग "अहिल्या" को बदलना	2.00
15.	टग "द्रोपदी" को बदलना	2.00
16.	ग्रेब ड्रेजर की खरीद	0.50
17.	बर्थ का निर्माण	0.05
18.	टग "कुन्ती" को बदलना	0.10
19.	प्रदूषण रोधक उपकरणों की खरीद	0.48
20.	चल उपकरणों के लिए पार्किंग स्थल	1.00
21.	कोल हैंडलिंग सयंत्र के दो स्टेकर-व-रिक्लेमर को बदलना	0.30
	योग	37.00

विदेशी जल-यान निर्मात्री कंपनियों को आर्डर

4193. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम तथा अन्य गैर सरकारी भारतीय जहाजरानी कंपनियों को विदेशी जलयान निर्मात्री कंपनियों का माल तैयार करने के आर्डर देने की अनुमति है,

(ख) यदि हां, तो कितने जलयानों के लिए आर्डर दिये गये हैं,

(ग) इनमें कुल कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है,

(घ) वर्तमान में भारतीय जलयान निर्मात्री कंपनियों की आर्डर-पुस्तिका की क्या स्थिति है, और

(ङ) विदेशी जलयान निर्मात्री कंपनियों को आर्डर देने के क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 के दौरान, विदेशी शिपयार्डों को 7 वाणिज्यिक जहाजों के निर्माण के आर्डर दिए गए थे। 1990-91 के दौरान वाणिज्यिक जहाज निर्माण का कोई आर्डर नहीं दिया गया था।

(ग) 1989-90 में दिए गए आर्डर के कारण कुल 82.074 मिलियन अमेरिकी डालर और 104.19 मिलियन जापानी येन (जे वाई) की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

(घ) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली डाक एंड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड की आर्डर बुक स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	यार्ड	जहाजों की संख्या	जहाजों की श्रेणी
1.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2	दो क्रूड आयल टैंकर जिनमें प्रत्येक की क्षमता 85,200 डी डब्ल्यू टी है।
2.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	15	26,450 डी डब्ल्यू टी का एक बल्क कैरियर दो बल्क कैरियर जिसमें प्रत्येक की क्षमता 42,750 डी डब्ल्यू टी है। नौ आफ शोर प्लेटफार्म। तीन आफ शोर पेट्रोल वैसल्स।
3.	हुगली डाक एंड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड	18	चार-फिशिंग ट्रालर दो-टग्स एक-लैंडिंग फैरी चार-पैसंजर वैसल्स एक-फायर फ्लोट एक ग्रैब हापर ड्रेजर दो-मूरिंग बोट्स दो-लाइट वैसल्स एक-लाइट हाउस टेंडर वैसल।

(ङ) विदेशी शिपयार्डों को आर्डर देने की अनुमति निम्न कारणों की वजह से दी गई है :—

(1) भारतीय यार्डों की अपर्याप्त देशी क्षमता।

(2) भारतीय यार्डों की लम्बी डिलिवरी अवधि।

(3) अधिक पूंजी की लागत।

(4) 75-85,000 डी डब्ल्यू टी से अधिक बड़े जहाज जो भारतीय बेड़े के लिए अपेक्षित हैं, को निर्मित करने की क्षमता की कमी।

(5) अमोनिया कैरियर्स, एथीलीन कैरियर्स, होवर क्राफ्ट्स, सैल्यूलर कंटेनर वैसल्स आदि जैसे विशिष्ट जहाजों के निर्माण के लिए पर्याप्त स्तर की तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता न होना।

कोचीन शिपयार्ड में विमान वाहक पोत का निर्माण

4194 **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान-वाहक के निर्माण के लिए कोचीन शिपयार्ड की क्षमता और रूप-रेखा का अध्ययन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोचीन शिपयार्ड का उपयोग विमान वाहक सहित युद्ध-पोतों के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नया वायुयान वाहक पोत निर्माण करने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । तथापि कोचीन शिपयार्ड में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग युद्धपोतों जिनमें भा० नौ० पो० विराट भी शामिल है, की मरम्मत आदि के लिए किया जा रहा है ।

"चार्ज-क्रोम" एकक

4195. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के "चार्ज क्रोम" एकक, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने और निर्यातोन्मुखी होने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा चार्ज क्रोम एककों को, चार्जक क्रोम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दी गई या दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और **(ख)** चार्ज क्रोम के

अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट बिजली की कमी तथा उच्च उत्पादन लागतों के कारण चार्ज क्रोम का निर्यात करने वाली 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई०ओ०यू०) के निर्यातों के मूल्य में गिरावट आई तथा उनकी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग रुक गया ।

(ग) पूंजीगत मालों का कर-मुक्त आयात तथा कच्चे मालों तथा उपकरणों की अन्तरराष्ट्रीय मूल्य पर आपूर्ति सहित निर्यात की वे सभी सुविधाएं जो 100% निर्यातोन्मुख एककों (ई० ओ० यू०) को उपलब्ध हैं वे चार्ज क्रोम का विनिर्माण करने वाले एककों की 100% निर्यातोन्मुख इकाईयों को उपलब्ध रही हैं । दिनांक 8.1.91 से 2.7.9 के दौरान उनके निर्यातों पर पूरी दर पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता लागू की गई । निबल विदेशी मुद्रा आय के 30% की दर से एक्सिम स्क्रिप प्रदान करने की अनुमति सहित उत्प्रेरकों का एक पैकेज, हाल ही में सभी 100% निर्यातोन्मुख एककों के लिए घोषित किया गया है ।

उड़ीसा में बालासोर-जलेश्वर ओ०टी० रोड़ के निर्माण कार्य हेतु धनराशि

4196. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालासोर-जलेश्वर ओ० टी० रोड़ पर केन्द्रीय सहायता से जो कार्य

किया जा रहा है वह निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) इस परियोजना की लागत कितनी है और इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई,

(घ) अब तक स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है, और

(ङ) अब तक कितना कार्य किया जा चुका है तथा इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 232.00 लाख रु० थी जिसमें से 199.97 लाख रु० केन्द्रीय सहायता के रूप में हैं।

(घ) केन्द्रीय सहायता की 199.97 लाख रु० की पूरी राशि 1989-90 तक जारी की जा चुकी है, अत: चालू वर्ष 1991-92 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1991 तक, कार्यों के बारे में जो वास्तविक प्रगति हुई है वह इस प्रकार है :—

(1) 25.50 कि०मी० में भूमि कार्य।

(2) 36.50 कि०मी० में मोरम सोलडरिंग।

(3) 9.00 कि०मी० में स्लोप प्रोटेक्शन।

(4) पुलिया—9

(5) छोटे पुल—5

(6) मैटेलिंग एण्ड ब्लैक टापिंग

(क) इकहरी लेन	—	17.75 कि०मी०
(ख) इन्टरमीडिएट लेन	—	3.20 कि०मी०
(ग) दोहरी लेन	—	1.00 कि०मी०

राज्य लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि शेष कार्यों को मार्च, 1992 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सड़क निर्माण के लिए अत्याधुनिक मशीन और उपकरण खरीदने हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4197. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार राज्य सरकारों द्वारा सड़कों और पुल के निर्माण स्तर में सुधार करने और परियोजनाओं का समय पर पूरा करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की खरीद करने में उनकी सहायता करती है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) ऐसी मशीनों/उपकरणों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा है, और

(घ) इस संबंध में संघ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों में स्वीकृत ऋण सहायता की राशियां नीचे दी गई है :—

(राशि लाख रु० में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
हरियाणा	—	44.32	—
तमिलनाडु	16.50	16.50	—
गुजरात	—	19.00	62.80
हिमाचल प्रदेश	26.15	15.05	27.20
राजस्थान	32.00	—	—
असम	24.50	—	—
	99.15	94.87	90.00

(ग) और (घ) वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा सरकार से 5 रोलर और 15 मिनी हाट मिक्स प्लांट जिनकी कुल लागत 83.20 लाख रु० है, की खरीद का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 2 ड्रम मिक्स प्लांट, 2 पेवर फिनिशर, 2 वाइब्रेटरी रोलर, 2 फ्रंट एंड लोडर और 2 टिप्पर खरीदन के लिये 230 लाख रु० की राशि का एक अन्य प्रस्ताव वर्ष 1990-91 में प्राप्त हुआ था। सीमित निधियों और राज्य लोक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध मशीनों के कम उपयोग के कारण इन प्रस्तावों पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका।

स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना

4198. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराधों की सुनवायी हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इन न्यायालयों की स्थापना की गई है और उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) केरल में इन न्यायालयों की स्थापना किन स्थानों पर की जायेगी;

(घ) क्या इन न्यायालयों की स्थापना करने हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत से स्वापक औषधि के व्यापार को समाप्त करने हेतु वित्तीय सहायता दी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) यथा संशोधित स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, की धारा 36 के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों के द्वारा अपराधों की सुनवाई की व्यवस्था है।

(ख) महाराष्ट्र, मणिपुर तथा गोवा राज्यों ने मामलों की सुनवाई हेतु स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है।

(ग) केरल उच्च न्यायालय ने थोदापुज्हा तथा वाडाकरा में विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नही है।

(च) औषध दुरुपयोग नियंत्रण के लिए सयुक्त राष्ट्र निधि निम्नलिखित के लिए 1989 से पांच वर्षों की अवधि के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(I) नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रवर्तन उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए (II) प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए (III) अवैध अफीम उत्पादन को मानीटर करने के लिए (IV) औषध दुरुपयोग निवारण शिक्षा (V) औषध पर निर्भरता के निवारण तथा उसके उपचार और (VI) एसे व्यक्ति जो पहले नशा करते थे के पुनर्वास तथा सामाजिक पुनएकीकरण के लिए।

मसालों का निर्यात

4199. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मसालों के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो मसालों की विभिन्न मदों का देश-वार कितना निर्यात होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार द्वारा मसालों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान मसालों के निर्यात का लक्ष्य अस्थायी तौर पर 115,000 एम०टी० निर्धारित किया है, जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान 97,291 एम०टी० का निर्यात किया गया था। देश वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। जोन वार निर्धारित लक्ष्य नीचे गये दर्शाए हैं :—

जोन	मात्रा (एम०टी०)
1. अमेरिका	16629
2. आस्ट्रेलिया एवं ओसीनिया	1155
3. पश्चिमी यूरोप	16807
4. पूर्वी यूरोप	20700
5. पूर्वी एशिया	38083
6. वाना	20571
7. अन्य	965
	115,000

मसाला बोर्ड ने भारत के मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. मसाला तेल एवं राल, मसाला मिश्रण एवं समिश्रण जैसी मूल्य वर्धित मदों का निर्यात तथा ब्रान्ड-उपभोक्ता पैकों के निर्यात को भी बढ़ाना।

2. बाजार संवर्धन के लिए चुनीदा बाजारों को प्रतिनिधिमंडल/अध्ययन दल भेजना।

3. व्यापार विकास के लिए भारत में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

4. चुनींदा अन्तरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

5. भारतीय मसालों के विभिन्न ब्रान्डों को लोकप्रिय बनाने तथा भारतीय ब्राण्डों के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड ने एक ब्रान्ड संवर्धन योजना आरम्भ की है।

6. मसालों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रम चलाना।

7. भारतीय मसालों को और अधिक साफ-सुथरा बनाने के लिए उत्पादकों को शिक्षित करने तथा क्वालिटी उन्नत बनाने हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित करने जैसे विभिन्न उपाय करना, ताकि आयातकों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

विनिमय दर समायोजन तथा विस्तारित आर ई पी योजना से मसालों का निर्यात बढ़ाने में और प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

रबड़ का निर्यात

4200. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के निर्यात में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संघ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्) : (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ के सम्बन्ध में मांग आपूर्ति अन्तर अभी तक बना हुआ है। अतः अभी रबड़ निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपास का आयात-निर्यात

[हिंदी]

4201. श्री रामपूजन पटेल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक वर्ष कपास के आयात-निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कपास की बजाय सूती वस्त्रों की निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो कपास का ही निर्यात किये जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक के कपास मौसम के दौरान कपास के निर्यात के ब्योरे निम्नलिखित अनुसार हैं :—

कपास मौसम (सितम्बर-अगस्त)	मात्रा लाख गांठ में 170 कि॰ग्रा॰ प्रति गांठ	मूल्य करोड़ रु॰ में
1988-89	0.76	72.14
1989-90	13.71	610.52
1990-91	11.88	560.10

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के कपास मौसमों के दौरान सरकार द्वारा कपास का कोई आयात नहीं किया गया।

(ख) जी हां।

(घ) कच्ची कपास के निर्यात के लिए कोटों को रिलीज करने के उद्देश्य घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर करना, कपास उपजकर्त्ताओं को लाभकारी कीमतें प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थाई सप्लाईकर्त्ता के रूप में भारत की उपस्थिति बनाए रखना है।

भारतीय न्यायिक सेवा

*4202. **श्री रामनारायण बैरवा**
श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम्) : (क) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर अक्तूबर, 1988 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में सहमति नहीं हुई थी। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव छोड़ दिया गया।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई-पासों का निर्माण

4203. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से गुजरने वाले कितने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई-पासों के निर्माण करने की स्वीकृति पहले ही दे दी गई थी,

(ख) क्या इन बाई-पासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और,

(ग) क्या सरकार का विचार जयपुर से गुजरने वाले सीकर-अजमेर-राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई-पासों का निर्माण करने का है और यदि हां, तो कब ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8, 11 तथा 12 पर 9 बाई-पासों अथवा बाई-पास खण्डों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इनमें से पांच बाईपास पहले ही पूरे किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चार अन्य बाईपासों के लिए भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है।

(ग) जयपुर से गुजरने वाली सीकर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग सम्पर्क सड़क पर बाईपास का निर्माण करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार किया जाएगा, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर "ट्रकमार्ग" बनाना

4204. श्री राम नारायण बैरवा : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल कितनी दुर्घटनायें हुई,

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये और क्या उनके परिवारों को कोई हर्जाना दिया गया,

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसी दुर्घटनायें खासकर किस कारण होती है और इस बारे में क्या एहतियाती कार्यवाही की गई,

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ ट्रकवेज बनाने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं और उनमें मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
1988	1548	467
1989	3237	1278
1990	3642	1493

मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने सम्बन्धी मामला राज्य सरकार और जनरल एश्युरेन्स कारपोरेशन से सम्बन्धित है और इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कोई ब्यौरे नहीं रखे जाते ।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में ड्राइवरों का दोष, वाहनों में मैकेनिकल दोष पैदल यात्रियों के दोष खराब मौसम, यातायात परिस्थितियां, खराब सड़कें इत्यादि शामिल हैं । दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ वाहनों की सक्षमता/ड्राइवर लाईसेंस के लिए मोटर वाहन अधिनियम मे और सख्त प्रावधान, सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन, ड्राइवरों के आराम के लिए सुविधाएं, राष्ट्रीय राजमार्गों की कमियों इत्यादि को दूर करना शामिल है ।

(घ) और (ङ) जी, हां । यह एक सतत् प्रक्रिया है और जब भी आवश्यकता समझी जाती है धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक ले बाईज उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से सहायता

4205. श्री राम नारायण बैरवा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संघ सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु चार सौ करोड़ रुपये की लागत से परियोजना स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से सहायता

प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में संघ सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार इस समय विश्व बैंक की सहायता के लिए एक कृषि विकास परियोजना तैयार कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य एक स्वीकार्य कृषि नीति के समनुरूप, विकास के लिए उन्नत नीति को प्रोत्साहन देना और विशिष्ट प्राथमिकता वाले निवेशों के वित्तपोषण में सहायता करना है। परियोजना लागत को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राज्यों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए निर्धारित निधियों को दूसरे कामों में लगाना

[अनुवाद]

4206. **श्रीमती सुमित्रा महाजन**
श्री बलराज पासी
श्री महेश कुमार कनोडिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 आज तक के दौरान बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत का काम शुरू करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रक्षिप्त की गई धनराशि तथा संघ सरकार द्वारा दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु राज्य सरकारों को दिये गये धन को दूसरे कामों में लगाने के मामले संघ सरकार की जानकारी में आए हैं और,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर संघ सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बाढ़ क्षति मरम्मत के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा परियोजित राशि और वास्तव में रिलीज की गई राशि की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) किसी राज्य सरकार द्वारा राजमार्गों की मरम्मत के लिए प्रदान की गई धन राशियों को किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु खर्च करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा परियोजित राशि		दी गई राशि	
		90-91	91-92 (अद्यतन)	90-91	91-92 (अद्यतन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	620.72	600.00	570.00	5.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	355.29	—	40.00	18.00
3.	असम	392.35	100.00	145.57	40.00
4.	बिहार	530.00	500.00	489.07	—
5.	चंडीगढ़	4.87	—	2.55	0.05
6.	दिल्ली	—	—	25.64	—
7.	गोआ	22.07	—	23.84	0.05
8.	गुजरात	1343.12	371.00	519.15	33.00
9.	हरियाणा	61.34	—	41.04	1.00
10.	हिमाचल प्रदेश	724.61	—	361.89	46.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	364.87	—	93.65	1.00
12.	कर्नाटक	319.50	204.65	143.09	3.00
13.	केरल	263.24	265.00	122.00	13.00
14.	मध्य प्रदेश	367.28	57.43	251.66	41.00
15.	महाराष्ट्र	1064.72	865.72	532.07	38.00
16.	मणिपुर	75.00	50.00	24.38	14.00
17.	मेघालय	96.07	46.00	43.24	8.00
18.	नागालैंड	—	—	—	—
19.	उड़ीसा	513.26	—	173.27	3.00
20.	पांडिचेरी	—	0.50	—	—
21.	पंजाब	271.86	92.38	139.69	32.00
22.	राजस्थान	234.17	—	203.62	24.00
23.	तमिलनाडु	156.43	—	123.69	29.00
24.	उत्तर प्रदेश	1011.00	—	282.08	101.00
25.	पश्चिम बंगाल	730.00	800.00	398.29	72.00
	योग :	9522.37	3952.48	4749.48	527.50

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की उत्तर प्रदेश स्थित कपड़ा मिलों में श्रमिक असंतोष

4207. **श्रीमती सुमित्रा महाजन**
श्री बलराज पासी
श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों में श्रमिक असंतोष तेजी से पनप रहा है;

(ख) क्या इन मिलों में विशेषकर कानपुर में उत्पादन रुक गया है अथवा बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मिल-वार उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने क्या विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कानपुर की मिलों में, अथर्टन मिल को छोड़कर जहां कि वाणिज्यिक कारणों से उत्पादन में कटौती की गई है, निरंतर उत्पादन हो रहा है। कानपुर मिल्स के सम्बन्ध में मुख्य व्याकुलता यह है कि वस्त्र उद्योग में सामान्यत: अपनाये जा रहे क्षेत्र-सह-उद्योग मानकों की तुलना में वहां के कामगार बहुत कम उत्पादकता वाले मानकों का अनुसरण कर रहे हैं।

(घ) इस मामले को मजदूर संघों तथा उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के साथ उठाया जा रहा है ताकि क्षमता उपयोग/श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए शीघ्र ही उपयुक्त कदम उठाये जा सकें।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों को आवास सुविधा

[**हिन्दी**]

4208. **श्री राम बदन** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सभी राष्ट्रीकृत सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों को आवास, जल और बिजली जैसी सुविधायें दी जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन सूती कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं जिनमें श्रमिकों को ये सुविधायें दी गई हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) गुजरात में स्थित राष्ट्री वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही 7 वस्त्र मिलों में आवास, जल और विद्युत की सीमित सुविधाएं उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एन० टी० सी० द्वारा चलाई जा रही उन मिलों के नाम नीचे दिये गये है जहां ये सुविधायें प्रदान की गई है :—

(1) अहमदाबाद जुपीटर मिल्स, अहमदाबाद।

(2) जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद।

(3) राजनगर टेक्सटाइल मिल्स न० 1, अहमदाबाद।

(4) राजनगर टेक्सटाइल मिल्स न० 2, अहमदाबाद।

(5) अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद।

(6) पेटलाड टेक्सटाइल मिल्स, पेटलाड।

(7) हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद।

गुजरात के राष्ट्रीकृत कपास मिलों का बन्द होना

4209. **श्री राम बदन** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ कपास मिलें जिनका गत वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकरण किया गया था, बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य में बन्द पड़ी ऐसी मिलों के नाम क्या हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इन मिलों में हुए हानि-लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको सौंपी गई कोई भी वस्त्र मिल पिछले कुछ वर्षों के दौरान बन्द नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हीरों का निर्यात

4210. **श्री राम बदन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरों के निर्यात में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात में हीरा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान वर्षवार हीरों के निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। पिछले कुछ वर्षों में हीरों का निर्यात 1989-90 तक निरन्तर बढ़ा। केवल वर्ष 1990-91 में ही निर्यातों में कमी आई।

(ख) वर्ष 1990-91 में निर्यातों में कमी विदेश बाजारों में मन्दी की स्थितियों के कारण हुई जिससे मांग में भी कमी आई।

(ग) और (घ) सरकार ने हीरा उद्योग को सरलता से कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए हैं। रुपये का अवमूल्यन होने से भी निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।

(ङ) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार तराशे हुए और पालिश हुए हीरों का निर्यात 1987 और 1988 के कलैंडर वर्षों में निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	(करोड़ रु० में)
1987	2256.72
1988	3648.97

आजमगढ़ और इलाहाबाद से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

4211. **श्री राम बदन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में मोहम्मदपुर और इलाहाबाद से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बहुत खराब है ?

(ख) यदि हां, तो इस राजमार्ग की मरम्मत और उसके विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग के उपरोक्त खंड को चौड़ा करने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) केंद्र सरकार का सम्बन्ध मूलतः राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों से ही है। मोहम्मदपुर से इलाहाबाद तक की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है बल्कि राज्य सड़क "नेटवर्क" का एक हिस्सा है। इसलिए इसके विकास और अनुरक्षण का दायित्व अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सम्बन्ध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

[अनुवाद]

4212. **श्री भवन लाल खुराना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इनका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा विश्व बैंक द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारत के वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी 26 जून, 1990 की विश्व बैंक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय बैंकिंग प्रणाली के कार्य-निष्पादन का भी विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं। प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं को कम करना, प्राथमिकता क्षेत्रों के अग्रिमों को कम करना और ब्याज दर को उदार बनाना। सरकार ने वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन, कार्य और प्रक्रिया सम्बन्धी सभी पहलुओं की जांच करने के लिए श्री एम० नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया हैं।

स्वीकृति हेतु लंबित राजस्थान की परियोजनायें

[हिंदी]

4213. **डा० दयाल जोशी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो स्वीकृति हेतु लबित हैं, और

(ख) सरकार ने प्रत्येक मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : सरकार के पास लंबित, राजस्थान की विभिन्न सड़क और पुल स्कीमों का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति इस प्रकार है :—

(I) राज्य सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की चार स्कीमें तथा आर्थिक और अन्तर-राज्यीय महत्व के कार्यक्रम के तहत शुरू करने के लिए 13 स्कीमें : इन प्रस्तावों पर आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(II) 33 स्कीमों को बढ़ी हुई केन्द्रीय सड़क निधि में से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि हो जाने के बाद ही इन पर कार्यवाही की जाएगी जो कि अभी नहीं हुई है।

(III) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य के लिए 15 प्राक्कलन। संसद द्वारा अनुदान मांगों को पारित कर दिए जाने के पश्चात् ही इन पर कार्यवाई की जा सकती है।

फील्डगन फैक्टरी द्वारा सिविल निर्माण कार्य

[अनुवाद]

4214. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्टरी बोर्ड ने कानपुर स्थित फील्डगन फैक्टरी को, कम व्यय करने और व्यय में किफायत करने सम्बन्धी आदेशों के बावजूद भारी मात्रा में सिविल निर्माण कार्यों को करने की अनुमति दे दी है,

(ख) क्या फील्डगन फैक्टरी कानपुर ऐसे निर्माण के दौरान दो दशक पूर्व ही रोपे गये वृक्षों और पौधों को गिरा रहा है,

(ग) क्या सिविल ठेके ऐसी पार्टी को दिये गये हैं जिसे फैक्टरी प्रबंधकों ने कभी काली सूची में डाल दिया था, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) हाल ही में तीन पेड़ों को काटा गया है ताकि प्रशासनिक भवन को कोई क्षति न हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

4215. **श्री मुकुल वासनिक**
श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने रक्षा उपकरणों का गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्यात किये जाने के लिए कोई मार्गनिर्देश तैयार किये हैं,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और गैर-सरकारी क्षेत्र रक्षा सम्बन्धी जरूरतों को पूरी करने और साथ ही रक्षा उपकरणों के निर्यात के क्षेत्र में किस सीमा तक आगे आया है,

(ग) क्या रक्षा उपकरणों के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार का कोई बोर्ड गठित करने और एक व्यापक नीति बनाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स कारपोरेशन आफ इण्डिया ने रक्षा उपस्करों के निर्यात के संबंध में निजी क्षेत्र के लिए कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं बनाए हैं परन्तु इस नियम की सेवाएं रक्षा से सम्बन्धित सामान का निर्माण करने वाले निजी क्षेत्र के निर्माताओं समेत अन्य निर्माताओं के लिए उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए ऐसे उपकरणों, उनके हिस्से-पुर्जों तथा प्रणालियों का उत्पादन और आपूर्ति भी कर रहा है जिनका उपयोग अंततः कुछ घातक मदों के उत्पादन में होता है। रक्षा से संबंधित सामान का निर्माण करने वाले निजी क्षेत्र के निर्माता अपने सामान का निर्यात सामान्य निर्यात-आयात नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत पहले ही कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के निर्यातकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा एजेंसियों द्वारा निर्मित सामान का निर्यात करने के लिए उनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर घाटी में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में जमाराशि

4216. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में आने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) इन बैंकों में बैंक-वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) बैंक-वार इन शाखाओं में 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितनी राशि जमा की गई;

(घ) क्या इन बैंक शाखाओं में जमा-राशि घटती जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का इन शाखाओं को बन्द करने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार कश्मीर घाटी में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की शाखाओं तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) कश्मीर घाटी के लिए बैंक-वार जमाराशियों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु दिसम्बर, 1988, दिसम्बर, 1989 तथा दिसम्बर, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कश्मीर घाटी में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां नीचे दी गई है :—

को समाप्त वर्ष	जमा राशियां (करोड़ रुपए)	वृद्धि का प्रतिशत
दिसम्बर, 88	700.43	—
दिसम्बर, 89	777.60	11.0
दिसम्बर, 90	838.72	7.9

(घ) और (ङ) उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि कश्मीर घाटी में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में जमाराशियों में गिरावट नहीं आई है, परन्तु वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण संवृद्धि दर में गिरावट आई है।

(च) और (छ) हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक का किसी भी शाखा को बन्द करने का इरादा नहीं है परन्तु कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जम्मू में अपने क्षेत्रीय कार्यालय को बैंक की शाखाओं को अस्थाई आधार पर स्थान बदलने का निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया है।

बैंकों में हाट-लाइन कनेक्शन

4217. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा की दृष्टि से अधिक खतरे वाली बैंक शाखाओं को स्थानीय थानों से हाटल-लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान निर्देशों के अनुसार बैंकों की सभी करेंसी चैस्ट शाखाओं तथा अधिक सुरक्षा जोखिम वाली शाखाओं से कहा गया है कि वे सबसे नजदीज के पुलिस स्टेशन के साथ हाट-लाइन कनेक्शन रखें। उपर्युक्त निर्देश बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था पर कार्य दल की सिफारिशों के अनुसरण में है। कार्यदल ने सिफारिश की थी कि जब कभी इस आशय का अनुरोध प्राप्त हो डाक तथा तार विभाग को बैंक शाखाओं और पुलिस स्टेशनों के बीच उदारतापूर्वक हाट लाइन मंजूर करनी चाहिए। वाणिज्यक बैंकों ने उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए शाखाओं का पता लगा लिया हैं और उपर्युक्त सिफारिशें कार्यान्वियन के अलग-अलग चरणों में है।

कुवैत को खाद्य उत्पादों का निर्यात

4218. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत को भारतीय खाद्य उत्पादों का निर्यात जिसे खाड़ी में हुए युद्ध के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, को अब पुनः आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में निर्यात किये जा रहे खाद्य उत्पादों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य उत्पादों का अन्य अरब देशों जैसे ईरान, इराक और सऊदी अरब को भी निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कुवैत और अन्य अरब देशों जैसे ईरान, ईराक एवं समुद्री अरब को निर्यात किए जा रहे खाद्य-उत्पादों में ताजा/साधित फल एवं सब्जियां, अचार, चटनी और पापड़ मांस तथा कुक्कुट उत्पाद आदि शामिल है।

उच्च आय वर्ग द्वारा आयकर अदायगी में कमी

4219. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान एक लाख रुपये से ऊपर की आय वाले कितने लोगों ने आयकर विवरण भर के दिया;

(ख) या कई वर्षों से उच्च आय वर्ग द्वारा आयकर अदायगी में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक के लिए एक लाख रुपये तथा उससे अधिक की आय वाली आयकर विवरणियों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	विवरणियां
	(लाख रुपए में)
1988-89	1.71
1989-90	2.32
1990-91	2.38 (अनन्तिम)

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ.) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

आयकर अधिकारियों द्वारा हड़ताल

4220. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "इन्कम टैक्स स्ट्राइक आन एरेस्ट आफ यू०पी० आफिसियल" शीर्षक छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिकारियों की तलाशियों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कारंवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) एक मामला दर्ज किया गया है और स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

(ग) संघ सरकार ने उन सभी राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाया है, जो तलाशी संकार्यों के दौरान आयकर अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई हैं।

दिल्ली में स्लेज कैरिज सर्विसिज चालू करना

4221. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चुने हुए मार्गों पर आरामदेय (लक्जरी बसों) के लिए स्टेज कैरिज सर्विसिज चालू करने के प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में हैं,

(ख) इन बसों को कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है, और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार ने दिल्ली प्रशासन से यह सिफारिश की है कि वह दिल्ली परिवहन निगम की बसों की तुलना में, अधिक किराया ढांचे वाली तथा अधिक आरामदायक बसों के लिए विशेष स्टेज कैरिज परमिटों की एक स्कीम शुरू करे ताकि ऐसे यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की ओर लाया जा सके जो इस समय अपने निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं। इसके उत्तर में दिल्ली प्रशासन ने निजी प्रचालकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए? चूंकि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या से अधिक थी, अत: लाटरी का ड्रा निकाला गया। इसी बीच, निजी प्रचालकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ स्थगन आदेश जारी कर दिया कि उक्त ड्रा के परिणाम को न तो अन्तिम रूप दिया जाए और न ही उसे घोषित किया जाए।

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में पेंशन योजना

4222. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय स्टेट बैंक के सभी सहयोगी बैंकों में पेंशन योजना लागू करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय स्टेट बैंक के सभी सहयोगी बैंकों, जिनसे भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप बनता है, में पेंशन योजना कब तक लागू कर दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद को छोड़कर भारतीय स्टेट बैंक की शेष अनुषंगी बैंकों के कर्मचारियों को पहले ही सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में अंशदायी भविष्य निधि और उपदान का लाभ उपलब्ध है। स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में एतिहासिक कारणों से उन कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना भी लागू है जो 30 सितम्बर, 1959 से पहले बैंक में नियुक्त हुए। इनमें अन्तर्ग्रस्त वित्तीय देयताओं को देखते हुए बैंक कर्मचारियों के लिए तृतीय सेवा निवृत्त लाभ के रूप में पेंशन की मांग को सरकार ने व्यवहार्य नहीं पाया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकरण

4223. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जिन शाखाओं का अब तक कंप्यूटरीकरण किया गया है उनकी बैंक-वार संख्या क्या है;

(ख) 1991-92 के दौरान, बैंक-वार कितनी बैंक-शाखाओं के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रयोजन से 1991-92 के लिए, बैंक-वार कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यन्त्रीकरण/कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत अब तक कवर की गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या, 1991-92 के दौरान इसके अन्तर्गत कवर की जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की संख्या और 1991-92 के लिए इस प्रयोजन हेतु, आबन्टित अनुमानित धनराशि को दर्शाने वाली बैंकवार स्थिति, जैसी की सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित की गई है, सम्बन्धी संलगन विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	बैंक का नाम	अब तक मशीनीकृत/कम्प्यूटरीकृत किये गये शाखाओं की संख्या	वर्ष 91-92 के दौरान मशीनीकृत/कम्प्यूटरीकृत करने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की संख्या	इस उद्देश्य के वास्ते वर्ष 9192 में आवंटित अनुमानित राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	314	307	2900.00
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	41	1	90.50
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	33	21	109.00
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	21	1	73.00
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	26	3	6.50
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	19	1	55.00
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	11	1	40.00
8.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	28	2	43.00
9.	इलाहबाद बैंक	54	1*	Nil
10.	बैंक आफ बड़ोदा	121	40	340.00
11.	बैंक आफ इण्डिया	111	1	25.00
12.	बैंक आफ महाराष्ट्र	38	11	40.00

*खरीद लिए गये हैं

1	2	3	4	5
13.	केनरा बैंक	102	1	87.30
14.	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	83	29	102.35
15.	देना बैंक	34	2	50.00
16.	इण्डियन बैंक	77	1	80.00
17.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	75	10	300.00
18.	पंजाब नेशनल बैंक	103	1	@
19.	सिंडिकेट बैंक	58	1	50.00
20.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	61	@	@
21.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	15	10	50.00
22.	यूको बैंक	35	43	@
23.	आंध्रा बैंक	21	10	30.00
24.	कारपोरेशन बैंक	19	4	51.25
25.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	26	Nil	Nil
26.	ओरयंटल बैंक आफ कामर्स	18	1	41.32
27.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	34	22	75.00
28.	विजया बैंक	25	10	24.00

@अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

केरल से निर्यात

4224. **श्री ई० अहमद** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान केरल से किन-किन मदों का निर्यात किया गया तथा उनके पोत पर्यन्त निःप्रभार मूल्य कितना था;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान केरल से विभिन्न मदों के निर्यात में कोई कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) निर्यात के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। किन्तु केरल से काजू, मसालों, काफी, कयर उत्पादों समुद्री उत्पादों, सूती माल, चाय, आदि का निर्यात होता है।

बंद कपड़ा मिलें

4225. **डा० सुधीर राय**
श्रीमती वसुन्धरा राजे } : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में 30 जून, 1991 को बन्द कपड़ा मिलों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या इनमें से कुछ कपड़ा मिलों को पुनः चालू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रक्रिया के कारण सरकार को कुल कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ङ.) कपड़ा मिलों के बन्द होने से कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(च) इन श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण I संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण II संलग्न है।

(घ) शून्य।

(ङ.) इन वस्त्र मिलों के बन्द होने के कारण 1,53,462 कामगार बेरोजगार हो गए हैं।

(च) सरकार इन कामगारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान नहीं करती। फिर भी सरकार ने प्रभावित कामगारों को 3 वर्ष की अवधि तक के लिए राहत प्रदान करने के लिए कामगार पुनर्वासन निधि योजना बनाई है ताकि वे अपने लिए वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर सकें।

विवरण-I

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य-वार बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की संख्या निम्नोक्त अनुसार है:—

आंध्र प्रदेश	6
बिहार	1
गुजरात	33
हरियाणा	2
कर्नाटक	8
केरल	1
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	12
राजस्थान	4
तमिलनाडु	17
उत्तर प्रदेश	8
पश्चिम बंगाल	6
दिल्ली	1
योग :	101

विवरण II

जून, 1991 के दौरान पुन: खोली बनाई गई सूती/मानव-निर्मित फाईबोर वस्त्र मिलें :—

1. सरवर्या टेक्सटाइल लिमिटेड
वंटीथाडी अग्रमारम, विजयानगरम
पिन-531203

2. राजगोपाल टेक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०
मुक्काकुड़नायूकानु, त्रिचूर,
पिन-680581

3. स्दान मिल्स लिमिटेड
(यूनिट · कूरला स्पिनिंग और वीविंग मिल्स)
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुरला,
बम्बई, पिन-400070

4. स्वान मिल्स लि०
टोकरसे जिवाराज रोड, शिवरी,
बम्बई, पिन-400015

5. दि नरसिम्हा मिल्स प्रा० लि०
नरसिम्हा नेकन पलायम,
पो० ओ० कोयम्बतूर,
पिन-641031

6. मेक इण्डिया प्रा० लि०
7-41-ए अवनाशी रोड,
चिनीयम्पलायम, पो० ओ० कोयम्बतूर,
पिन-641062

7. महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स लि०
परवई पसूमलाई पो० ओ० मदुरै
पिन 6`5064

8. बौरिया काटन मिल्स कम्पनी लि०
बनी जिला, हावड़ा
पिन-711305

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 51 प्रतिशत से अधिक निवेश की अनुमति का प्रस्ताव ।

[हिन्दी]

4226. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में 51 प्रतिशत से अधिक निवेश करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जिन्हें देश में निवेश करने की अनुमति दिए जाने की सम्भावना है, का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) किस प्रकार यह विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार करने में सहायक होगा; और

(घ) ऐसी वर्तमान कम्पनियों, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश है, जिससे अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाती है, के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यातोन्मुख उद्यमों के क्षेत्रों में 51 प्रतिशत से अधिक की विदेशी ईक्विटी पर विचार किया जाएगा। जब भी इस आशय के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तब विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है।

(ग) विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी अन्तरण और निर्यातों को बढ़ावा देने की नवीन संभावनाओं जैसे लाभ प्राप्त होंगे। इससे हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति को सुधारने में मदद मिल सकती है।

(घ) 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी वाली कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) में निर्धारित प्रावधानों और हमारी नीति के अनुसार नियंत्रित की जाती रहेंगी।

विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत जारी की गई विदेशी मुद्रा पर शुल्क

[अनुवाद]

4227. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत जारी की गई विदेशी मुद्रा पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाने के कारण, विदेशी मुद्रा का रुपयों में मूल्य बढ़ जाने के कारण अधिकांश अनिवासी भारतीय और पर्यटक अधिक लाभ कमाने के लिए इसे बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं। चूंकि कानून के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के अनधिकृत रूप से बेचने पर सजा दी जाती है, इसलिए यदि कोई अनिवासी भारतीय अथवा पर्यटक विदेशी मुद्रा को बेचते हैं तो उन्हें सजा दी जाएगी।

(ख) चूंकि अधिक लाभ कमाने के लिए अनिधिकृत रूप से विदेशी मुद्रा बेचने वाले अपराधियों को सजा देने के लिए कानून के अन्तर्गत पर्याप्त प्रावधान हैं, इसलिए मौजूदा कानूनों में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वस्त्र उद्योग पर ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्ध

4228. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वस्त्र उद्योग पर ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका वस्त्र उत्पादों की लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का वस्त्र उद्योग को ऋण प्रतिबन्ध से मुक्त करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को कम करने के उपायों की श्रृंखला के एक भाग के रूप में मई, 1991 में बैंकों को यह परामर्श दिया गया था कि 9 मई 30 सितम्बर, 1991 की अवधि के लिए कारगर निकासी का अधिकार पिछले तीन वर्षों के दौरान 9 मई से 30 सितम्बर तक की अवधि में वास्तविक उपयोग के चरम स्तर के 100% तक अथवा 8 मई, 1991 को नकदी ऋण की जो सीमा व्याप्त थी, इनमें से जो कम हो, तक समिति होगा। इस सीमा निर्धारण से अधिक किसी भी प्रकार की निकासी अनियमित होगी और बैंकों का ऐसे अतिरिक्त ऋणों पर ब्याज की अधिक दरें लगाना औचित्य पूर्ण है।

चूंकि ब्याज लागत कुल लागत का एक संघटक मात्र है इसलिए ऋण पर प्रतिबन्ध लगाने संबन्धी उपाय का स्वत: ही वस्त्र उत्पादों के उत्पादन की समग्र लागत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वस्त्र उद्योग को ऋण प्रतिबन्धों से मुक्त रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम्पनी विधि बोर्ड

4229. **श्री प्रकाश बापू बसंतराव पाटील** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक स्वतन्त्र कम्पनी विधि बोर्ड गठित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इसका आधार क्या है, और

(ग) नये कम्पनी विधि बोर्ड का दर्जा क्या होगा ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रगाराजन कुमारमंगलम) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड का गठन 31.5.1991 को किया गया है।

(ख) उच्चाधिकार प्राप्त समिति (सच्चर समिति) की सिफारिशों पर एक स्वतन्त्र कम्पनी विधि बोर्ड का गठन किया गया था ताकि न्यायिक विचार वाले आवेदन पत्र पर तीव्र तथा प्रशासनिक कुशलता के साथ कार्यवाही करने के लिए एक अन्त: स्थापित प्रणाली उपलब्ध की जा सके।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बोर्ड को प्रदत्त न्यायिक तथा न्यायिक कल्प कार्यों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड एक स्वतन्त्र प्राधिकरण है और विधि के प्रश्नों पर इसके आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली पर सोने की जब्ती

4230. **श्री प्रकाश बाबू वसंतराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एक विमान पर 40 लाख रुपये मूल्य का सोना पाया गया और जब्त किया गया था जैसा कि 28 जून 1991 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में समाचार था;

(ख) यदि हां, तो जब्त किये गये सोने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने मामले में आगे क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) 26 जून, 1991 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयर इंडिया के एक वायुयान की तलाशी ली जो कि टोकियो से बैंकॉक होता हुआ यहां पहुंचा था और उसमें से लगभग 41.12 लाख रुपये के मूल्य का 10.850 किलोग्राम वजन का विदेशी मूल का निषिद्ध सोना बरामद किया गया तथा उसे अभिगृहीत कर लिया गया था। अभिगृहीत सोने को इस वायुयान के एक वाल पैनल में छिपाया हुआ था। अब एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

[हिन्दी]

4231. **श्री केशरी लाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों और छोटे किसानों को ऋण मंजूर करने के निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में, जिलावार इन लोगों को कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किये गये;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर किये गये ऋणों की तुलना में इस वर्ष मंजूर किये गये ऋण की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसे ऋणों की मंजूरी करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों और छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत और समन्वित ग्रामीण

विकास कार्यक्रम जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत निरन्तर आधार पर ऋण मंजूर करते हैं।

(ख) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी सूचना प्रणाली से उपर्युक्त वर्गों के उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती है; अलबत्ता, उन्हें तीन स्थूल वर्गों अर्थात् किसानों, लघु उद्योगों और सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। जिलों के लिए तैयार किये जाने वाली वार्षिक ऋण योजनाओं के अन्तर्गत भी कारीगरों, कृषि मजदूरों और छोटे किसानों के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। तथापि, सभी संस्थाओं द्वारा इन तीन स्थूल वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश में वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988, 1989-90, 1990-91 के लिए निर्धारित लक्ष्य और उनकी प्राप्ति की सूचना नीचे दी गई है।—

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	1988		1989 90		1990-91 (31.12.90) तक	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. कृषि	852.74	862.52	1179 09	1030.16	1363.36	726.41
2. लघु उद्योग	220.56	242.56	255.04	240 2[illegible]	289.51	161 72
3. सेवा क्षेत्र	239.75	282.73	272.75	259.00	30.52	161.52
	1313.05	1387.91	1706.88	1529.42	1683.39	1049.65

व्यापार विकास प्राधिकरण की उपलब्धियां

4232. **श्री केशरी लाल :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे आर्थिक और वाणिज्यिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी. हां।

(ख) और (ग) व्यापार विकास प्राधिकरण अपने उद्देश्य के अनुसार निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह निर्यात विशेषत: लघु क्षेत्र से बढ़ाये जा रहे हैं, इसके 60% सदस्य इनमें हैं। इसने कुछ चुनींदा बाजारों को यृष्ट उत्पाद बढ़ाने के लिए कई तकनीकें विकसित हैं, जैसे—विदेश में अग्रणी विभागीय स्टोरों के साथ भारत संवर्धन, क्रेता-विक्रेता बैठकें, विदेश में विशिष्ट व्यापार मेलों में भाग लेना, सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रम, उत्पाद विकास एवं रूपान्तरण आदि।

इसने पूरे विश्व से वाणिज्यिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक व्यापार जानकारी केन्द्र स्थापित कर दिया है ताकि भारतीय निर्यात-समुदाय को जानकारी दी जा सके। अनुसंधान अध्ययन जैसे भारत के निर्यात का अल्पकालीन पूर्वानुमान देश में विभिन्न राज्यों से निर्यात संवर्धन के लिए कार्य योजनाएं आपूर्ति एवं मांग अध्ययन, निर्यात संभावना जोनों के लिए संभाव्यता अध्ययन विदेश बाजार सर्वेक्षण आदि भी प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण ने 52 निर्यात विकास कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें चुनींदा थ्रष्ट उत्पाद तथा बाजार शामिल हैं। इससे, अन्य क्रियाकलापों के साथ-साथ, 432-68 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात-व्यापार हुआ है।

नया मंडोवी पुल

[अनुवाद]

4233 **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये मंडोवी पुल के लिए निविदा किस तारीख को जारी की गई;

(ख) ठेकेदार का नाम क्या है और दिए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) ठेके में उल्लिखित समय सीमा क्या है और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने के लिए ठेके में किस दंड का उल्लेख है;

(घ) ठेकेदार को अब तक कितनी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ङ) पुल कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) नए मंडोवी पुल के निर्माण के लिए 21-2-1987 को निविदा दी गई थी।

(ख) ठेकेदार का नाम मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड है और ठेके की राशि 957 लाख रु० है।

(ग) कार्य पूरा होने की निर्दिष्ट समयावधि 3 वर्ष थी और परिसमापन क्षति के रूप में जुर्माने की अधिकतम राशि ठेका मूल्य की 10 प्रतिशत है।

(घ) 22-7-91 तक ठेकेदार को 1422.11 लाख रु० की राशि का भुगतान किया गया।

(ङ) पुल के मई, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

हाथरस, उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग को सूत की आपूर्ति

[हिन्दी]

4234. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथरस (उत्तर प्रदेश) में कालीन उद्योग को दूर के स्थानों से सूत लाने जैसी कुछ मूलभूत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हाथरस में ही सूत उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मोटे तौर पर हाथरस में हथकरघा की सूती दरियां, कालीन, गलीचे आदि बनाने के लिए यार्न की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। हाथरस में स्थित एन० टी० सी० का एक एकक हाथरस के बुनाई उद्योग के लिए जरूरी अपशिष्ट रूई और मोटे काउन्ट से यार्न का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र में राज्य सहकारी और निजी क्षेत्र की कताई मिलों ने भी निजी व्यापारियों के जरिए हाथरस में बुनाई उद्योग को यार्न की बिक्री करने के लिए अपने निजी प्रबन्ध किए हुए हैं तथापि, सरकार के ध्यान में जब कभी भी ऐसे विशिष्ट मामले लाए जाते हैं तो वह उन पर विचार करने की इच्छुक रहती है।

राज्यों द्वारा नियत सीमा से अधिक धन राशि का निकाला जाना

[अनुवाद]

4235. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों ने अपनी विभिन्न विकास योजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मे अपनी नियत सीमा से अधिक धनराशि निकालने हेतु संघ सरकार से अनुमति मांगी थी;

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान संघ सरकार द्वारा तमिलनाडु को कितनी धनराशि का आबटन किया गया;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा उक्त धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च किया गया जिनके लिए इसका आबंटन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में संघ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकारों का लेन-देन ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम द्वारा शासित होता है जिसके अन्तर्गत :

(I) कोई भी राज्य सरकार उसके लिए विनिर्दिष्ट अर्थोपाय सीमा तक आहरण करने के लिए प्राधिकृत है; और

(II) यदि कोई राज्य सरकार सात क्रमिक कार्य दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट में बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस राज्य सरकार की ओर से भुगतान करना बन्द कर देता है।

कुछ राज्य सरकारों नामत केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने उनके राज्यों के लिए अर्थोपायों की सीमा में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया है।

(ख) तमिलनाडु को निवल केन्द्रीय सहायता 1988-89 की वार्षिक योजना के लिए 386.43 करोड़ रुपए तथा 1989-90 के लिए 428.25 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता पूरी योजना के लिए एक मुश्त ऋण तथा एकमुश्त अनुदान के रूप में आबंटित की जाती है जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सहित कुछ विशिष्टतया निर्धारित स्कीमों के लिए व्यय के लक्ष्य को पूरा करने की शर्त के अधीन होती है। तमिलनाडु सरकार ने 1988-89 और 1989-90 में 1201.93 करोड़ रुपए तथा 1393 करोड़ रुपए तथा 1396.71 करोड़ रुपए के संशोधित योजना परिव्ययों की तुलना में क्रमशः 1296.00 करोड़ रुपए तथा 1466.00 करोड़ रुपए के कुल योजनागत व्यय को सूचना भेजी है तथापि, जैसा कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/अलग से निर्धारित स्कीमों में संशोधित योजना परिव्यय में आबंटनों की तुलना में व्यय में कुछ कमी दिखाई थी, अतः राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता में से 1988-89 के लिए 9.14 करोड़ रुपए तथा 1989-90 के लिए 2.48 करोड़ रुपए की अनुपतिक कटौती कर दी गई थी।

ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन, कानपुर में कथित भ्रष्टाचार और अनियमिततायें

[हिन्दी]

4236. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की एक इकाई ब्रिटिश इन्डिया कार्पोरेशन, कानपुर में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में संघ सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव ब्रिटिश इन्डिया कार्पोरेशन के निदेशक मंडल, जो पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है को पुनर्गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायतों की जांच करने और उन पर अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए इन्हें बी० आई० सी० लि० और उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

(ग) जी नहीं, फिर भी बेहतर कार्यकारी समन्वय के लिए बी० आई० सी० के बोर्ड में कानपुर टेक्सटाइल मिल के महाप्रबन्धक तथा चम्पारन शूगर वर्क्स के कार्यकारी निदेशक को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क दुर्घटनाएं

4237. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या **जल भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान देश में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई;

(ख) मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति हुई; और

(घ) दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों तथा घायल हुए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा, सड़क दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वाले व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को सीधे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। यह मुआवजा बीमा कम्पनियों द्वारा दिया जाता है।

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये उपाय

4238 **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये कोई प्रभावी उपाय किये हैं या करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) आयात और निर्यात की सतत समीक्षा की जाती है तथा जब और जहां जरूरत होती है इसमें परिवर्तन किए जाते हैं और उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

हाल ही में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की गई। इस सम्बन्ध में ब्यौरे दिनांक 4 जुलाई 91 की सार्वजनिक सूचना संख्या 173-आई० टी० सी० (पी० एन०) तथा 14 अगस्त, 1991 की सार्वजनिक सूचना सं० 189 से 192-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 में है। सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विदेशी मुद्रा जब्त करना

4239. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राजधानी में कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी;

(ख) यह मुद्रा किन देशों की थी; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 31-8-90 से 31-7-91 तक की अवधि में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली में लगभग 61.47 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी। जब्त की गई मुद्रा यू० एस० ए०, यू० के० जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, हालैंड, हांगकांग, थाइलेंड, मलेशिया, स्पेन, कनाडा, कतार संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, इटली, बेहरीन, स्विटजरलैंड, ओमान की थी।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी, न्यायनिर्णयन कार्रवाई और अभियोजन जैसी समुचित कार्रवाई की जाती है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा लाभांश/ब्याज की अदायगी न किया जाना

4240. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि पब्लिक लिमिटेड निर्यात कम्पनियां निवेशकर्त्ताओं की उनके द्वारा निवेश को गयी धनराशि पर लाभांश/ब्याज नहीं देती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसी कुल कितनी शिकायतें मिली और उनमें से कितने लोगों को इसकी अदायगी की गई है;

(ग) क्या सरकार की ऐसी कोई एजेन्सियां हैं जो फिलहाल इन शिकायतों को दूर करने में सक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निवेशकर्त्ताओं की इस सम्बन्ध में सहायता करने के लिये कोई प्रभावी एजेन्सी बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक गठित कर दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कम्पनी पंजीयक को वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान लाभांश की अदायगी न किये जाने और लाभांश व रंट प्राप्त न होने की 3720 शिकायतें प्राप्त हुईं। कम्पनी कार्य विभाग ने इन शिकायतों को कम्पनियों के साथ उठाया है और 31 मार्च, 1990 के अन्त तक लम्बित 258 शिकायतों को छोड़कर सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया था। व्यक्ति जमाकर्त्ताओं द्वारा 1 सितम्बर 1989 से आवेदन-पत्र दायर करने के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम की धारा 58 क की नहीं उप धारा (५) के लागू हो जाने के बाद कम्पनी विधि बोर्ड को 31 मार्च, 1991 तक जमा राशि का अथवा उसके एक भाग का भुगतान न करने अथवा ब्याज का भुगतान न करने से सम्बद्ध 18,154 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन आवेदन-पत्रों में से 12 201 आवेदन पत्रों का निपटारा किया जा चुका है और 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार 5953 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं।

(ग) (घ) (ङ) और (च) कंपनी अधिनियम, 1956 में निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु अनेक प्रावधान हैं। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों की रक्षा हेतु भारतीय प्रतिभूमि एक्सचेंज बोर्ड का गठन किया है।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना

4241. श्री गिरधारी लाल भार्गव
श्री फूल चन्द्र वर्मा
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 से 30 जून, 1991 तक की अवधि में मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और इसी अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) उपरोक्त सूचकांक के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है; और

(ग) 01 जुलाई, 1991 से देय महंगाई भत्ते की किस्त का कर्मचारियों को नकद भुगतान सरकार द्वारा कब तक किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) पहली जनवरी, 1991 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि लगभग 4.8% रही। जून, 1991 को समाप्त महीने के लिए औद्योगिक कामगारों (सामान्य) (आधार 1960=100) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1030 है जबकि दिसम्बर, 1990 को समाप्त महीने के लिए यह 981 था।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की राशि की गणना चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार की जाती है जिसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में 608 के आधार-आंकड़े से ऊपर की प्रतिशत वृद्धि को हिसाब में लिया जाता है। इसके अनुसार, 3500/=रु० प्रतिमाह तक वेतन लेने वाले कर्मचारियों को 100% निराकरण, 3501/=रु० से 6000/=रु० के बीच वेतन ले रहे कर्मचारियों को 75% और 6000/=रु० प्रतिमाह से अधिक वेतना लेने वाले कर्मचारियों को 65% निराकरण, सीमान्त समायोजन के अधीन स्वीकार्य है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

समाचार पत्रों पर व्यय

4242. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा समाचार पत्रों पर खर्च की गई धनराशि का गत तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सप्ताह में पांच दिन कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार और इससे सम्बन्ध कार्यालय सप्ताह के सातों दिनों के लिए समाचार पत्र खरीद रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस खर्च में मितव्ययता बरतने के लिए शनिवार और रविवार को समाचार पत्र न खरीदने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों में दिए गए उपबंधों के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के पास इस आशय की पूर्ण शक्तियां हैं कि वे अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं और अन्य पत्र-पत्रिकाओं सहित गैर-सरकारी प्रकाशन खरीद सकते हैं। ऐसी मदों पर होने वाले व्यय का हिसाब किसी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। चूंकि इसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि जैसे व्यापक विषयों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों से अवगत कराना है, अत: अवकाश के दिनों समाचार-पत्रों को न खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

कृषि क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में खुसरो समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

4243. **श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुसरो समिति ने कृषि क्षेत्र को हर वर्ष 50,000 करोड रुपये की ऋण-सहायता देने की सिफारिश की हैं;

(ख) यदि हां तो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि द्वारा देश के किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधा की औसत राशि क्या है; और

(ग) खुसरो समिति की कृषि क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) खुसरो समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी कि प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्र को कोई राशि विशेष दी जानी चाहिए।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वाणिज्यक बैंकों (1988-89) द्वारा प्रति ऋण कर्ता को संवितरित प्रयत्क्ष कृषि ऋणों की औसत राशि 6548 रुपए थी, इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने 1732 रुपए की राशि का संवितरण किया था जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (1989-90) के लिए यह राशि 3499 रुपए थी।

(ग) खुसरो समिति ने देश की ग्रामीण ऋण प्रणाली की समीक्षा की थी और अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी ऋण प्रणाली का पुनरुद्धार और इसे मजबूत करने की सिफारिशें की थीं सारे देश को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय विकास योजना कार्यक्रमों को तैयार करने, व्यवसाय विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने और ऋण देने की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों पर कारंवाई शुरू की गई है। राज्य सरकारों से भी उन सिफारिशों पर कारंवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है जो उनसे संबंधित हैं।

बंकिंघम नहर का राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में विकास

4244. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा शहर और मद्रास शहर को जोड़ने वाली बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, जिसका भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकास किया जाएगा,

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में इस कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) उस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है. और

(घ) विकास का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-लघु औद्योगिक इकाइयों पर बैंक ऋण की बकाया राशि

4245. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 1990 के दौरान और 1991 में अब तक बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए कितने गैर-लघु औद्योगिक इकाइयों को चुना गया है;

(ख) इन इकाइयों पर कितना बैंक ऋण बकाया है; और

(ग) उक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान सूचना प्रणाली के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए पता लगाए गए गैर-लघु उद्योग एककों के सम्बन्ध में आकड़े एकत्र नहीं किए जाते।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पचास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, जिससे कुल बैंक ऋणों का 95% भाग कवर हो जाता है, मध्यम और बड़े उद्योगों (अर्थात गैर-लघु उद्योग) पर बकाया ऋण की रकम इस प्रकार है :—

की स्थिति के अनुसार	(करोड़ रुपए)
	(रकम)
24 मार्च, 1989	32,185
23 मार्च, 1990	38,262
22 मार्च, 1991	44,425

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को कहा है कि वे अपने सभी उधार खातों की आवधिक रूप से समीक्षा करे। जब कभी किसी खाते में किसी अनियमितता का पता चलता है, अग्रिम को नियमित करने के उपाय किए जाते है, और अगर ये उपाय कारगर न हों तो, इन ऋणों की वापसी की मांग की जाती है और उधारकर्ता और गारंटर, यदि कोई हो तो, से वसूली करने के लिए कानूनी कारंवाई करने समेत विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

तमिलनाडु में किसानों को बैंक ऋण

4246. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में बैंकों द्वारा किसानों के लिए कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किए गए और वस्तुतः उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गयी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किसानों द्वारा कितनी धनराशि की अदायगी की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जून 1989 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए किसानों को संवितरित अग्रिमों की राशि निम्नलिखित है : —

वर्ष	करोड़ रुपए
जून 1987	506
जून 1988	612
जून 1989	519

(ख) जून 1989 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली के आंकड़ निम्नलिखित हैं :—

		(करोड़ रुपए)
समाप्त वर्ष	मांग	वसूली
जून 1987	612	40
जून 1988	701	44
जून 1989	801	31

सैनिकों को पैदल सेना युद्ध भत्ता

4247. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पैदल सेना में सेवारत सैनिकों को पैदल सेना युद्ध भत्ता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उपर्युक्त भत्ता किसी तिथि से दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिरक्षा कर्मियों की पेंशन तथा सेवा शर्तों संबंधी नीति की समीक्षा

4248. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रतिरक्षा कर्मियों की पेंशन तथा सेवा शर्तों से संबंधित नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है,

(ख) क्या प्रतिरक्षा कर्मियों की सेवा निवृत्ति की आयु घटाने और उन्हें सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल तथा अन्य अर्ध-सैनिक और पुलिस बलों में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) क्या इससे रक्षा बजट में बढ़ते पेंशन-भार को कम करने में सहायता मिलेगी, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) रक्षा सेना कर्मिकों की पेंशन के बारे समग्र नीति की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसे कार्मिकों के लिए निर्धारित सेवा अवधि सहित उनकी सेवा की शर्तों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के आदेश पहले से ही मौजूद हैं।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण-जमाराशि अनुपात

4249. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण जमा राशि अनुपात में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें केरल सरकार से प्राप्त किसी ऐसे अभ्यावेदन की जानकारी नहीं है। परन्तु, संयोजक बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित राज्य स्तरीय बैठकों में ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने तथा बैंकों से अधिकतम सस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सुझाव दिये जाते हैं। यह भी बताया जा सकता है कि केरल के लिए अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 65.2 प्रतिशत था जो अखिल भारत के 65.5 प्रतिशत अनुपात के लगभग था।

आन्ध्र प्रदेश में रक्षा कालेज तथा आयुध कारखाने खोलना

4250. **श्री के० वी० आर० चौधरी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में आन्ध्र प्रदेश में कोई रक्षा कालेज खोलने अथवा आयुद्ध कारखाने स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में इस समय आयुध निर्माणियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा के समीप एक जलस्थलीय युद्ध-पद्धति प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि को अधिग्रहीत करने का कार्य चल रहा है।

विदेशी पूंजीनिवेशकों को 100 प्रतिशत इक्विटी देने का प्रस्ताव

4251. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी पूंजी निवेशकों को 100 प्रतिशत इक्विटी देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी राष्ट्रों से निवेश करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव कब से प्रभावी होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों तथा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की यूनिटों में पहले ही 100 प्रतिशत विदेशी इंक्विटी की खुली अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विदेशी निवेश के प्रस्ताव विदेशी कंपनियों से प्राप्त होते हैं, न कि विदेशी राष्ट्रों से। ऐसे प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और उनका निपटान नीति के आधार पर किया जाता है।

लोक अदालतें

4252. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले**
श्री गोपीनाथ गजपति } : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित की गई लोक अदालतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) इन अदालतों का क्षेत्राधिकार क्या है;

(ग) क्या देश में कुछ और ऐसी अदालतें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों । संघ राज्यक्षेत्रों में जुलाई 1991 तक आयोजित लोक अदालतों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । लोक अदालतें, नियमित रूप से गठित न्यायालय नहीं हैं । वे सुलह के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक प्रयास हैं । लोक अदालतें, देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों तथा जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

(ख) लोक अदालतों में जिस प्रकार के मामले लिए जाते हैं उनमें, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अर्जन, विवाह सम्बन्धी मामले, सिविल वाद और न्यायालय की अनुमति से प्रशमनीय छोटे आपराधिक मामले सम्मिलित हैं ।

विवरण

राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या

(तारीख 31-7-1991 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर)

क्र०सं०	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	आयोजित लोक अदालतों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	85
2.	असम	41
3.	बिहार	18
4.	गोवा	7
5.	गुजरात	484
6.	हरियाणा	257
7.	जम्मू-कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	492
9.	केरल	7
10.	मध्य प्रदेश	226
11.	महाराष्ट्र	798
12.	मणिपुर	4
13.	मेघालय	3
14.	उड़ीसा	1,000
15.	पंजाब	2
16.	राजस्थान	253

1	2	3
17.	सिक्किम	3
18.	तमिलनाडु	93
19.	त्रिपुरा	3
20.	उत्तर प्रदेश	1,030
21.	पश्चिमी बंगाल	13
22.	चंडीगढ़	2
23.	दिल्ली	14
24.	पांडिचेरी	12
	कुल योग	4 848

कपास का उत्पादन

4254. **श्री विजय नवल पाटिल : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वस्त्र उत्पादन की स्थिति कैसी है;

(ख) क्या कपास की अपर्याप्त पूर्ति और निषेधात्मक मूल्यों के कारण वस्त्रों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(ग) यदि हां, तो घरेलू उपयोग में लाने और निर्यात के प्रयोजन से कपास का और अधिक उत्पादन करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) कपड़े और यार्न के उत्पादन में वृद्धि होने की प्रवृति दृष्टिगत हो रही है, यद्यपि कपास के उत्पादन में गिरावट आने के कारण कपास की आपूर्ति की स्थिति कुछ कठिन हो गई थी और इसके कारण कपास की कीमतों में भी वृद्धि हुई लेकिन फिर भी मौसम के दौरान मिलों को पूरी तरह से कपास उपलब्ध होती रही। वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के दौरान कपास की मांग और पूर्ति की स्थिति में उतार-चढ़ाव होने के कारण वस्त्र मिलों के सामने पेश आए किसी गंभीर आर्थिक संकट के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) कपास के उत्पादन में सुधार लाने के लिए अभिज्ञात किए गए विभिन्न उपायों में शामिल है कपास उपजकर्त्ताओं को प्रमाणित बीजों की उपलब्धता, गहन कपास विकास कार्यक्रम में तेजी लाना, प्रमुख कपास उपजाने वाले राज्यों में ऐसे महत्वपूर्ण जिलों को अभिज्ञान करना जहां कि विशेष कपास उत्पादन कार्यक्रम बनाकर प्रयासों को संकेन्द्रीत किया जा सके, पौधों की देख रेख के उपायों में सुधार लाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाना आदि।

भविष्य निधि पर ब्याज की दर

[हिन्दी]

4255. **डा० रमेश चन्द्र तोमर** }
डा० सी० सिलवेरा } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दर में वृद्धि करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को उपलब्ध कर-लाभों को ध्यान में रखते हुए, 12 प्रतिशत वार्षिक वर्तमान ब्याज-दर उचित समझी गई है।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान

4256. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3500 रु० से अधिक मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की किश्तें उनके भविष्य निधि खाते में जमा करा दी जाती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तें नकद रूप में देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत, 3500/- रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1.7.90 से तथा उससे आगे देय महंगाई भत्ते की किस्तों का नकद भुगतान नहीं किया जाता है बल्कि उसके बजाय वे किस्तें उनके सम्बन्धित भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाती हैं।

(ख) और (ग) 1.7.91 से दी जाने वाली महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त सितम्बर, 1991 के वेतन के साथ देय है। इस किस्त के भुगतान के तरीके का निर्णय भी इसके देय हो जाने पर ही किया जाएगा।

वाहनों और मशीनरी पर मूल्यह्रास

[अनुवाद]

4257. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार समुदाय द्वारा 1991 के पहले तीन महीनों में वर्ष 1990-91 के लिए मूल्यह्रास का दावा करने हेतु बड़े पैमाने पर वाहनों की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में खरीदे गए ऐसे वाहनों/मशीनरी आदि पर केवल आनुपातिक मूल्यह्रास देने की बजाय पूर्ण मूल्यह्रास दिये जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) राजस्व के घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) मूल्यह्रास का दावा करने के निमित्त कारोबार में लगे व्यक्तियों द्वारा खरीदे गये वाहनों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस प्रयोजनार्थ कोई प्रथक रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) वित्त (सं० 2) विधेयक, 1991 के खन्ड 11 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया है कि एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए इस्तेमाल-शुदा परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास को, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास की राशि के 50% तक सीमित किया जाए।

दिल्ली में व्यापारियों द्वारा करों की चोरी

4258. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में बेईमान व्यापारी अपनी रोकड़ बही में नकद बिक्री दर्शाते हैं जबकि वास्तव में यह बिक्री उधार के आधार पर की जाती है और वे ऐसे बिलों को बाद में धनराशि की वसूली करने के लिए अपने पास रखे रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर तथा बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में ऐसे बेईमान व्यापारियों का पता लगाने के लिए संगठित अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि नहीं तो व्यापारियों को इस प्रकार काले धन को श्वेत धन में बदलने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ख) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के प्रयोजनों के लिए नकद बिक्री और उधार बिक्री समतुल्य मानी जाती है, क्योंकि बिक्री कर, नकद बिक्री तथा उधार बिक्री दोनों पर लगाया जाता है।

गत तीन वर्षों में दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच के लिए, लिए गए मामलों में इस प्रकार की कार्य प्रणाली का कोई भी मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ग) और (घ) (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमा शुल्क विभाग की निपटान दुकानों में वस्तुएं उपलब्ध न होना

4259. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग की निपटान दुकानें आम जनता को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए बेचने के बजाय बड़ी मात्रा में वस्त्र, साड़ियों और अन्य सामान सरकारी संस्थाओं और एन० सी० सी० (राष्ट्रीय कैडेट कोर) को बेचती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आम जनता को अधिक से अधिक वस्तुएं बेचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इन दुकानों के अधिकतर बन्द रहने तथा वहां सामान न मिलने के कारण जनता को अत्यधिक असुविधा होती; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में, विशेष रूप से दिल्ली में सीमा शुल्क विभाग की निपटान दुकानों के कामकाज में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) जब्तशुदा वस्त्रों, साड़ियों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को मुख्य रूप से थोक आधार पर पंजीकृत सहकारी समितियों और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघों को बेच दिया जाता है जो उन्हें सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के जरिए खुदरा आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को आगे बेच देते हैं। इस तरह के माल को सशस्त्र सेनाओं/पुलिस/अर्द्धसैनिक बलों की कैंटीनों में भी बेचने के लिए रखा जाता है। थोड़ी सी मात्रा में उपभोक्ता माल को, "जो पहले आवे सो पहले पावे" के आधार पर सीमा शुल्क की खुदरा दुकानों के जरिए खुदरा आधार पर भी बेचा जाता है। जल्दी से जल्दी रकम प्राप्त करने, अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण माल को खराब होने से बचाने, भण्डारण के स्थान का ईष्टतम उपयोग करने आदि की दृष्टि से थोक आधार पर बिक्री को प्रमुखता दी जाती है। थोक बिक्री से बचे हुए माल को छोड़कर, सीमा-शुल्क की खुदरा दुकानों को ऐसे माल की नियमित आधार पर सप्लाई करने का और कोई स्रोत नहीं है। तथापि, थोक आधार पर बेचा गया माल भी आम जनता के पास अन्य माध्यमों, अर्थात राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघों आदि के जरिये पहुंच जाता है।

हाल हीं में, ये अनुदेश जारी किये गये हैं कि टेलीविजन, वीडियो कैसेट रिकार्डरों कलाई की घड़ियों आदि जैसी उच्च मूल्य की वस्तुओं के अवशेष को आम जनता के लाभ के लिए हर रोज बिक्री आरम्भ होने के समय पर खुदरा दुकान के बाहर लगाये गये नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।

आगरा जिले में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

[हिन्दी]

4260. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा जिले के कितने स्थाई निवासी सशस्त्र बलों के तीनों स्कन्धों में अपना सेवा काल पूरा करने के उपरान्त वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान वर्षवार सेवानिवृत्त हुए;

(ख) इनमें से कितने सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्वास किया जा चुका है,

(ग) क्या सरकार का विचार इन सेवानिवृत्त कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने का कोई योजना बनाने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जिला सैनिक बोर्ड, आगरा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1988, 1989 व 1990 के दौरान सेवानिवृत्त हुए आगरा के स्थाई निवासियों में सशस्त्र सेना के तीनों स्कंधों के कार्मियों की संख्या वर्षवार क्रमशः 480, 523 587 है।

(ख) पुनर्नियोजित किये गए सेवानिवृत्त कार्मियों का ब्योरा नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	पुनर्नियोजित	स्व-रोजगार में लगे	कुल
1988	106	06	112
1989	72	11	83
1990	59	17	76

(ग) और (घ) सरकार के पास सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों को आवास उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सेना कल्याण आवास संगठन द्वारा आगरा में सेवारत व सेवा-निवृत्त सैनिक कार्मिकों तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों की पत्नियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से एक स्व-वित्त योजना चलाई गई है। इस संगठन ने वर्ष 1989 तक 50 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है तथा अभी 24 मकानों के निर्माण का कार्य चल रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम के बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली

4261. **श्री शिव शरण वर्मा**
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा } : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1988 के दौरान हड़ताल में भाग लेने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था,

(ख) अभी तक कितने कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल कर लिया गया है, और

(ग) शेष कर्मचारियों को बहाल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक बहाल किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 3,125 कर्मचारी।

(ख) 2,956 कर्मचारी।

(ग) शेष बर्खास्त कर्मचारियों ने बहाली के लिए आवेदन नहीं दिये हैं।

रुपए का मूल्य

4262. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 को आधार वर्ष मानते हुए रुपए का वर्तमान मूल्य कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम में मापित भारतीय रुपए का मूल्य, आधार 1971 के अनुसार जून, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) में 18.5 पैसे बैठता है।

शिवकासी के विकास हेतु विश्व बैंक से सहायता

4263. **डा० आर० कृष्णा० गोविन्दाराजुलु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवकासी के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार को विश्व बैंक से कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो चालू की जाने वाली परियोजनाओं सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 3002 लाख अमरीकी डालर के समकक्ष औद्योगिक

विकास संघ के ऋण के वास्ते विकास ऋण करार पर विश्व बैंक के साथ 16.9.1988 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में स्थलों और सेवाओं, गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम, यातायात प्रबन्ध और परिवहन जैसे घटक शामिल हैं। यह परियोजना जल आपूर्ति, सड़क तूफान के पानी के लिए नालियां, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, बाजार, दुकानें लोक स्वास्थ्य, ट्रक टर्मिनल और बस अड्डे, सड़क निर्माण आदि जैसी सेवाओं को प्रदान करने और उनके अनुरक्षण के लिए उपस्कर और सिविल निर्माण कार्यों को वित्तपोषित करने के जरिए नगरपालिका सेवाओं की सहायता करने के लिए नगर-पालिका शहरी विकास निधि को भी वित्तपोषित करती है। शिवकासी स्थानीय निकायों में से एक है जिसे इन नगरपालिका सम्बन्धी सेवाओं के लिए यह निधि मिलती है।

रत्नागिरी जिला (महाराष्ट्र) में कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए ऋण

[हिन्दी]

4264. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कृषि पर आधारित उद्योगों को 75% तक का ऋण उपलब्ध करवाते हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में डेयरी विकास और मुर्गी-पालन के लिए ऋण हेतु आवेदन करने वालों की संख्या कितनी है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा कृषि पर आधारित उद्योगों को, जो लघु उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के हकदार हैं, दिये गये ऋण और अग्रिमों को अन्य बातों के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में माना जाता है और ऐसे अग्रिम उदार मार्जिन सम्बन्धी अपेक्षाओं के योग्य हो जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान हिदायतों के अनुसार बैंकों द्वारा 25,000 रुपये और उसके समेत ऋण-सीमा पर किसी भी प्रकार के मार्जिन की मांग नहीं की जानी चाहिए। 25,000 रुपये से ऊपर की ऋण-सीमाओं के मामले में, ऋण के प्रयोजन और मात्रा और मात्रा के आधार पर 15% से 25% के बीच मार्जिन लिया जाता है

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली में अस्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या से सम्बन्धित जिला-वार आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। अलबत्ता, उन आवेदकों, जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, रत्नागिरी जिले में डेयरी विकास और मुर्गी-पालन के लिए ऋण मंजूर किये गये हैं, से सम्बन्धित जिला-वार आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

उड़ीसा को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय अनुदान

4265. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य को दी जा रही प्रति व्यक्ति केन्द्रीय अनुदान राशि में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार राज्य को अधिक केन्द्रीय सहायता आबंटित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध करती रही है । उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है और यह निर्धारण इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समूची राशि में से, संशोधित गाडगिल फार्मूला आदि जैसे मानदण्ड के आधार पर किया जाता है । इस प्रकार केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के बारे में उड़ीसा सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया ।

रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलना

[अनुवाद]

4266. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त जिले में उन जगहों के नामों का बैंकवार विवरण क्या है जहां इन्हें खोला जाना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना एक सतत प्रक्रिया है, जो इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंसों के जरिए संचालित होती है । अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में बैंकों की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धनराशि तथा ऋण

4267. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की बैंकवार कुल संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक बैंक में अधिकारी, लिपिक, गैर-लिपिकीय कर्मचारियों का अनुपात क्या था; और

(ग) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार प्रति अधिकारी और प्रति कर्मचारी जमा राशि और ऋणों का बैंकवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त सूचना संलगन विवरण में दिया गया है ।

विवरण

31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणी-वार/बैंक-वार कर्मचारियों की संख्या—

तथा प्रति अधिकारी एवं प्रति कर्मचारी जमाराशियां और अग्रिम दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	कर्मचारियों की संख्या				अनुपात	
		अधिकारी	लिपिक	अधिनस्थ स्टाफ	कुल	अधिकारी	लिपिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	6324	10273	5344	21941	1	1.62
2.	आन्ध्रा बैंक	5399	7561	3469	16429	1	1.40
3.	बैंक आफ बड़ौदा	11995	22245	10233	44473	1	1.85
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3734	9524	3989	17247	1	2.55
5.	बैंक आफ इण्डिया	11451	29273	12511	53245	1	2.55
6	कार्पोरेशन बैंक	2592	5101	1311	9004	1	1.97
7.	सेंट्रल बैंक	16347	22591	12047	50985	1	1.38
8.	केनरा बैंक	12804	28481	9824	51109	1	2.22
9	देना बैंक	4136	8087	4242	16455	1	1.96
10.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	7772	15034	5592	28398	1	1.93
11.	इण्डियन बैंक	7985	13226	4101	25312	1	1.66
12.	बैंक आफ इण्डिया	3129	6393	2899	12421	1	2.03
13	पंजाब नेशनल बैंक	14528	29828	14468	58824	1	2.05
14.	पजाब एड सिंध बैंक	3846	5825	2681	12352	1	1.51
15.	ओरियटल बैंक आफ कामर्स	2819	5245	2321	10385	1	1.86
16.	सिंडिकेट बैंक	9649	22149	7228	39026	1	2.29
17.	यूको बैंक	9114	18178	7991	35483	1	1.95
18.	यूनियन बैंक	9808	14813	8228	32849	1	1.51
19.	यूनाइटेड बैंक	5750	11170	5514	22434	1	1.94
20.	विजया बैंक	3637	7213	2667	13517	1	1.98

क्रम सं०	बैंक का नाम	अधीनस्थ स्टाफ	जमा राशियां (लाख रु० में) प्रति अधिकारी	प्रति कर्मचारी	अग्रिम (लाख रुपए में) प्रति अधिकारी	प्रति कर्मचारी
1	2	9	10	11	12	13
1.	इलाहाबाद बैंक	0.84	101.56	29 27	51 47	14 83
2.	आन्ध्रा बैंक	0 64	65.47	22 6[illegible]	34.96	12 09
3.	बैंक आफ बड़ौदा	0 85	102 20	33 00	75 00	20 00
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1.06	91 00	20 00	48.00	11.00
5.	बैंक आफ इण्डिया	1.09	152.79	32 89	98.18	21 13
6.	कार्पोरेशन बैंक	0.51	72.86	20.97	36 04	10 38
7.	सैंट्रल बैंक	0.74	78.22	25.08	39.52	12.67
8.	केनरा बैंक	0.77	98.23	24.61	55.24	13.84
9	देना बैंक	1 03	79.11	19 87	40.26	10 11
10	इण्डियन ओवरसीज बैंक	0.72	73.00	20 00	40 00	11.00
11.	इण्डियन बैंक	0 51	85 49	26 97	5[illegible].05	17.37
12.	बैंक आफ इण्डिया	0.93	65 03	16.36	36 34	8 98
13.	पंजाब नेशनल बैंक	0.99	96 00	23 00	5[illegible].00	13.00
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.70	70.54	21 96	36.55	11.38
15.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	0.82	10[illegible] 00	29 00	52 00	14.00
16	सिंडिकेट बैंक	0.75	68.50	17 79	38.71	10 05
17.	यूको बैंक	0 86	98 53	25.86	63.50	16.67
18.	यूनियन बैंक	0.83	73.00	22.00	36 00	11 00
19.	यूनाइटेड बैंक	0 96	82 12	22 59	45 10	11.56
20	विजया बैंक	0.73	69.88	18.80	45.57	12.26

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

4268. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े समुदायों के विकास के लिए बैंकों द्वारा राज्यों को वर्ष-वार और राज्य वार कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पिछड़े समुदायों के हिताधिकारियों की संख्या और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा उन्हें दी गई धनराशि सम्बन्धी सूचना अलग से प्राप्त नहीं होती है ।

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 (फरवरी 1991 तक) बैंकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समेत हिताधिकारियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण I, II, और III में दी गयी है ।

विवरण—I

1988-89 के दौरान आई आर डी पी के तहत राज्यवार वास्तविक और—वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या			
		उपलब्ध		
	कुल लक्ष्य	कुल	अ० जा०	अ० ज० जा०
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	234905	298135	112697	35479
अरुणाचल प्रदेश	18554	10280	—	10280
असम	69690	62172	5057	14172
बिहार	430492	471599	136968	83139
गोवा	4282	4964	58	—
गुजरात	14472	131244	16055	50047
हरियाणा	45802	58388	18565	—
हिमाचल प्रदेश	21174	25597	13341	2644
जम्मू और कश्मीर	28030	26347	2806	—
कर्नाटक	137794	156176	39016	4490
केरल	84054	87006	29678	2465
मध्य प्रदेश	300717	420983	85677	137782
महाराष्ट्र	226410	252241	57603	43153
मणिपुर	5630	5699	17	3261
मेघालय	8547	4398	—	4398
मिजोरम	7160	6397	—	6391

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक ऋणों की राशि		
	कुल	अ० जा०	अ० ज० जा०
1	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	10034.65	3530.37	925.83
अरुणाचल प्रदेश	144.30	—	144.30
असम	2491.43	172.66	460.88
बिहार	15204.43	3913.65	2016.79
गोआ	215.57	1.50	—
गुजरात	3118.80	319.91	946.90
हरियाणा	1889.79	582.21	—
हिमाचल प्रदेश	612.72	265.74	51.48
जम्मू एवं कश्मीर	903.31	94.55	—
कर्नाटक	5572.47	1335.19	122.44
केरल	3234.51	1022.93	64.30
मध्य प्रदेश	13538.33	2637.13	3686.35
महाराष्ट्र	9302.56	1942.36	1069.14
मणिपुर	47.20	.22	3.08
मेघालय	70.06	—	70.06
मिजोरम	13.99	—	5.15

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल लक्ष्य	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	उपलब्ध	
		कुल	अ० जा०	अ० ज० जा०
1	2	3	4	5
नागालैण्ड	9093	3686	—	3686
उड़ीसा	169845	223462	51774	71536
पंजाब	40133	61139	32878	—
राजस्थान	149596	191301	62410	37447
सिक्किम	1712	1958	118	625
तमिलनाडु	224928	257203	122808	4388
त्रिपुरा	8272	27702	3482	9000
उत्तर प्रदेश	610842	688242	317637	2620
पश्चिम बंगाल	233938	287113	94961	16175
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1742	2030	—	227
चण्डीगढ़	—	—	—	—
दादरा व नागर हवेली	385	388	13	377
दिल्ली	2360	2686	900	—
दमन और द्वीव	732	634	30	88
लक्षद्वीप	370	408	—	408
पांडिचेरी	1985	3034	849	—
अखिल भारत	3193546	3772212	1205723	544284

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक ऋणों की राशि		
	कुल	अ० जा०	अ० ज० जा०
1	6	7	8
नागालैंड	118.67	—	118.67
उड़ीसा	3689.19	891.95	764 37
पंजाब	2058.87	1627.32	—
राजस्थान	4607.13	1180.20	573.17
सिक्किम	80.06	4.72	25.55
तमिलनाडु	8487.48	3918.90	136.31
त्रिपुरा	1021.83	145.49	221 43
उत्तर प्रदेश	25414 04	10011.93	84.47
पश्चिम बंगाल	11014.35	3075.37	436.59
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	83.86	—	9.05
चण्डीगढ़	—	—	—
दादरा व नागर हवेली	14.19	0.44	13.58
दिल्ली	54.21	18.87	—
दमन और द्वीव	33.05	0.72	3.32
लक्षद्वीप	17.84	—	17 84
पांडिचेरी	73.92	17.40	—
अखिल भारत	123162 00	36221 76	11971.05

विवरण-II

1989-90 के दौरान आई आर डी पी के तहत राज्यवार वास्तविक—और वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की संख्या			
		उपलब्धि		
	कुल लक्ष्य	कुल	अनु० जा०	अनु० ज० जा०
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	214229	255228	95872	28568
अरूणाचल प्रदेश	18275	8532	—	8532
असम	58589	61146	3787	12289
बिहार	429239	449853	145882	79787
गोवा	3887	3858	86	—
गुजरात	88228	182465	15585	35485
हरियाणा	21118	55657	17318	—
हिमाचल प्रदेश	7558	38417	15328	2742
जम्मू व कश्मीर	18555	14375	1548	—
कर्नाटक	134888	148275	36231	4147
केरल	72843	74858	23884	2711
मध्य प्रदेश	284875	325995	78896	183198
महाराष्ट्र	229475	248859	51473	44844
मणिपुर	1694	3716	2	1881
मेघालय	5882	2328	—	2328
मिजोरम	7615	4982	—	4982

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक ऋणों की राशि कुल	अनु० जा०	अनु० जन० जाति
1	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	7623.76	3141.90	83 .15
अरुणाचल प्रदेश	33.67	—	123 31
असम	865.24	156.63	320.44
बिहार	11346.56	4080.81	1516.66
गोवा	210.82	1.97	—
गुजरात	3148 52	391.36	988.46
हरियाणा	1216.50	600.22	—
हिमाचल प्रदेश	10.33	310.67	54.78
जम्मू व कश्मीर	340.89	62.50	—
कर्नाटक	3879.16	1310.35	121.85
केरल	2578.77	887.94	71.93
मध्य प्रदेश	8112.12	1956.00	2424.84
महाराष्ट्र	7635.73	2076.24	1293.39
मणिपुर	24.26	0.07	8.39
मेघालय	122.31	—	169.99
मिजोरम	0.30	—	16.47

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की संख्या			
		उपलब्धि		
	कुल लक्ष्य	कुल	अनु० जा०	अनु० ज० जा०
1	2	3	4	5
नागालैण्ड	7995	4932	—	4932
उड़ीसा	148343	185969	42882	55557
पंजाब	17852	56128	29595	—
राजस्थान	136825	159839	51886	29838
सिक्किम	1523	1717	88	566
तमिलनाडु	192337	221589	187888	3462
त्रिपुरा	5994	12275	1629	4762
मध्य प्रदेश	573362	638824	289377	2686
पश्चिम बंगाल	239639	291847	182368	17424
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1984	1939	—	489
चण्डीगढ़	8	8	—	—
दादरा और नागर हवेली	381	387	—	384
दिल्ली	1984	2375	977	—
दमन और दीव	761	726	31	127
लक्षद्वीप	188	289	—	289
पाण्डिचेरी	1823	2889	528	—
अखिल भारत	2988897	3351373	1191489	443866

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक ऋणों की राशि कुल	अनु॰ जा॰	अनु॰ ज॰ जा॰
1	6	7	8
नागालैण्ड	43.70	—	109.54
उड़ीसा	2049.74	169.32	593.80
पंजाब	2180.29	1185.27	—
राजस्थान	3536.52	1275.17	616.41
सिक्किम	50.49	3.62	24.42
तमिलनाडु	7357.18	3827.85	81.92
त्रिपुरा	226 14	170.78	164.52
मध्य प्रदेश	23111.45	12235.59	131.01
पश्चिम बंगाल	9419.33	4311.64	485 55
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	64.25	—	10.83
चण्डीगढ़	INR*	—	—
दादरा और नागर हवेली	12.42	—	12.17
दिल्ली	44.49	28.44	—
दमन और दीव	31.64	8.85	4.77
लक्षद्वीप	7.61	—	9.31
पाण्डिचेरी	32.65	18.94	—
अखिल भारत	95916.84	38791.13	18213 11

विवरण-III

1990-91 के दौरान आई० आर० डी० पी० के तहत राज्यवार वास्तविक—और वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की संख्या			
		उपलब्धि		
	कुल लक्ष्य	कुल	अ० जा०	अ० ज० जाति
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	174916	203391	101350	31485
अरुणाचल प्रदेश	14922	8423	—	8423
असम	43261	50345	5227	11263
बिहार	350469	415814	131803	67315
गोवा	3109	3200	20	—
गुजरात	72030	72426	10922	27549
हरियाणा	17236	34179	14551	—
हिमाचल प्रदेश	6171	17037	8066	1691
जम्मू व कश्मीर	8618	13008	2225	—
कर्नाटक	109482	125027	41276	4249
केरल	59476	60877	27860	2478
मध्य प्रदेश	231944	345514	79597	116367
महाराष्ट्र	187364	214199	57889	37921
मणिपुर	1383	4962	72	2227
मेघालय	4149	3134	3	3131
मिजोरम	6217	3366	—	3366

(रुपए करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक ऋणों की राशि		(रुपए लाख में)
	कुल	अनु० जा०	अनु० ज० जा०
1	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	8018.21	2900.44	935.12
अरूणाचल प्रदेश	62.35	—	113.05
असम	980.80	149.45	400.50
बिहार	12925.23	4106.89	1938 42
गोवा	134.35	1.34	—
गुजरात	2736.81	304.00	829.63
हरियाणा	890.90	462.45	—
हिमाचल प्रदेश	446.63	208.89	35.83
जम्मू व कश्मीर	318.70	—	—
कर्नाटक	3874 00	1371.71	107.96
केरल	2212.56	901.96	78.01
मध्य प्रदेश	8191.78	2480 64	3534 79
महाराष्ट्र	6538.17	1884.00	1153.51
मणिपुर	37.48	0.20	5.74
मेघालय	34 28	—	—
मिजोरम	10.18	—	20.91

(रुपए करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की संख्या कुल लक्ष्य	उपलब्धि कुल	अ० जा०	अ० ज० जाति
1	2	3	4	5
नागालैंड	6528	4429	—	4429
उड़ीसा	114589	149612	36541	48287
पंजाब	14576	35944	18190	—
राजस्थान	111716	135604	40674	27773
सिक्किम	1243	1422	86	402
तमिलनाडु	157041	181842	88846	3611
त्रिपुरा	4894	12222	1727	4112
उत्तर प्रदेश	468144	5988.0	272106	3123
पश्चिम बंगाल	195663	226603	82237	13337
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1554	1660	—	396
चण्डीगढ़	0	0	—	—
दादरा और नागर हवेली	311	311	7	299
दिल्ली	1554	1567	600	—
दमन और द्वीव	622	592	12	131
लक्षद्वीप	150	139	—	139
पाण्डिचेरी	1243	2078	636	—
अखिल भारत	2370575	2897767	1022531	423504

(रुपए करोड़ में)

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	अनु॰ जा॰	अनु॰ ज॰ जा॰
1	6	7	8
नागालैंड	114.45	—	126.10
उड़ीसा	1888.68	704.35	746.80
पंजाब	1102.04	692.92	—
राजस्थान	3391.56	1106.51	623.12
सिक्किम	45.00	3.29	18.30
तमिलनाडु	5095.65	2125.05	85.19
त्रिपुरा	230.47	44.58	114.74
उत्तर प्रदेश	26776 13	15553.64	159.20
पश्चिमी बंगाल	8044.39	2881.74	526.36
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	60.18	—	9.90
चण्डीगढ़	—	—	—
दादरा और नागर हवेली	12.90	0.37	13.99
दिल्ली	50.69	—	—
दमन और द्वीव	27.07	0.84	4.95
लक्षद्वीप	6.42	—	7.31
पाण्डिचेरी	44.16	16.48	--
अखिल भारत	94302.22	37901.73	11589.43

असम में आदिवासियों को रबड़ बोर्ड से सहायता

4269. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के कारबी अंगलोंग जिले में जब से रबड़ बोर्ड ने वहां पर काम करना प्रारम्भ किया है कितने आदिवासियों की सहायता की है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार इन आदिवासी लाभार्थियों को कितनी राज-सहायता दी गई है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने हेक्टेयर भूमि में रबड़ की फसल उगाई गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) रबड़ बोर्ड ने असम में जब से काम करना आरम्भ किया है तब से अब तक लगभग 425 आदिवासी रबड़ उपजकर्ताओं की सहायता की है।

(ख) उपर्युक्त आदिवासी लाभग्राहियों को वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 57.50 लाख रुपये की राशि दी गई है, जिसका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1986-87 तक	2.25 लाख रु०
1987-88	14.24 लाख रु०
1988-89	15.33 लाख रु०
1989 90	16.05 लाख रु०
1990-91	9.63 लाख रु०

(ग) कारबी अंगलोंग में रबड़ उगाए गए क्षेत्र का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

वर्ष	परिमाण (हैक्ट०)
1980	122.78
1981	192 96
1982	14.26
1983	21.62
1984	41.00
1985	35.70
1986	15.69
1987	204.90
1988	208.03
1989	114.79
1990	14.00
योग	985.73

संविधान की नौवीं अनुसूची में हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 को शामिल करना

4270. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा आरक्षण अधिनियम, 1985 की संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हथकरघा पर विशेष रूप से उत्पादन करने के लिए उत्पादों के आरक्षण का मामला सरकार की वचनबद्धता है। ऐसी व्यवस्था हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 में की गई है तथा इसे अधिनियम के अन्तर्गत जारी आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाना था जिसके तहत हथकरघा पर विशेष रूप से उत्पादन के लिए कुल 22 हथकरघा मदों को आरक्षित किया गया था। कानूनी अड़चनों के कारण अधिनियम और आदेश वस्तुतः निष्क्रिय ही पड़े हुए हैं। इन कानूनी समस्याओं से निपटने के लिए संविधान (तिहत्तरवां संशोधन विधेयक 1990, 9वीं लोक सभा के मानसून और शीतकालीन सत्रों में उसके विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिए पेश किया गया था। अन्य कार्य दबाव के कारण इस संशोधन विधेयक को विचार तथा उसका अनुमोदन करने के लिए उठाया नहीं जा सका। संसद के चालू सत्र में इस विधेयक को दुबारा पेश करने से पहले कुछ प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा जिस के संबन्ध में कार्रवाई चल रही हैं।

निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण

4271. **श्री के तुलसीऐया वाण्डायार** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात सम्बन्धी प्रलेखन को सरल बनाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह कब से प्रभावी होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां,

(ख) निर्यातकों द्वारा प्रतिपूर्ति लाभों के लिए दावा पेश करने के सम्बन्ध में सरलीकृत आवेदन प्रपत्र, निर्यात एवं अधि प्राप्ति सम्बन्धी बैंक प्रमाण-पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज दिनांक 31 जुलाई, 1991 की सार्वजनिक सूचना स० 185-आई टी सी/(पी-एन) 90 93 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स प्रदान करने सम्बन्धी सहायक दस्तावेजों मे जो सरलीकरण किया गया है उसे भी दिनांक 14 अगस्त, 1991 की सार्वजनिक सूचना सं० 191-आई टी सी (पी० एन०)/90-93 द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) उपर्युक्त संशोधन इन सार्वजनिक सूचनाओं के जारी होने की तारीखों से प्रभावी हो गए हैं।

विदेशी पूंजी निवेश

4272. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाभांश और रायल्टी के रूप में विदेशी पूंजी निवेश के लिए विद्यमान दिशानिर्देश क्या है,

(ख) क्या विदेशी पूंजीनिवेश से आर्थिक व वित्तीय क्षेत्रों में कोई सहायता मिली है,

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभांश तथा रायल्टी का निवेश होने से विदेशी पूंजी निवेश दुगना हो जाए, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वे विदेशी कम्पनियां जो भारतीय कम्पनियों में ईक्विटी सहभागिता के लिए अनुमत हैं, भारतीय करों के अधीन लाभांश प्रत्यावर्तन की पात्र हैं। वे घरेलू बिक्री के 5 प्रतिशत तक और निर्यातों का 8 प्रतिशत तक रायल्टी का भी प्रत्यावर्तन कर सकती हैं।

(ख) उच्चतर प्रौद्योगिकी को उपलब्ध करने, निर्यातों में वृद्धि करने तथा उत्पादन आधार का विस्तार करने के लिए विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग का स्वागत किया जाता है।

(ग) और (घ) उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में लाभांश अदायगी की अनुमति होगी ताकि ऐसी अदायगियों के कारण व्यय को किसी निश्चित अवधि के पश्चात् निर्यात लाभों के द्वारा सतुलन को सुनिश्चित किया जा सके।

होमियोपैथिक औषधियों का आयात

4273. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होमियोपैथी के बायोकेमिक्स, डाइल्यूशन, मोथू टिक्चर और अन्य विशेष औषधियों का आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण है जबकि इनका निर्माण अपने देश मे भी होता है और इनका निर्यात भी किया जा रहा है;

(ख) उन होमियोपैथिक औषधियों का ब्यौरा क्या है जिनके आयात की अनुमति दी गई है लेकिन इन औषधियों को निर्माता देशों में नहीं बेचा जाता है, और

(ग) क्या सरकार का भारी आर्थिक सकट को ध्यान में रखते हुए इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इन होम्योपैथिक औषधियों के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोग/स्टाक और बिक्री के लिए सभी व्यक्तियों को दी जा रही है, ताकि वांछित स्तर और क्वालिटी की ऐसी औषधियों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ऐसे आयात विदेश में विनिर्मित होम्योपैथिक औषधियों के पूरक हैं।

(ख) डा० विलिमर स्कवावे गम्म एन्ड कं०, पश्चिमी जर्मनी द्वारा विनिर्मित सिनेरैरिया मेरिटिमा सक्कस देश में आयात की जा रही है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डिबेन्चरों पर ब्याज दर की वापसी

4275. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिबेन्चरों पर ब्याज दर वापस लिए जाने से बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या धन विनियोग वाली (ब्लू चिप) कम्पनियां अब बैंकों की बजाय पूंजी बाजार को प्राथमिकता देंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार धन विनियोग वाली (ब्लू चिप) कम्पनियों द्वारा अपनी अधिशेष निधियों को बैंकों में जमा करने के लिए उन्हें आकर्षित करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बीमा कराने के लिए प्रीमियम

4276. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में सम्पत्ति मालिकों को बीमा कराने के लिए अधिक प्रीमियम देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में प्रीमियम में कितनी वृद्धि की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अफीम और मार्फिया की तस्करी

[**हिन्दी**]

4277. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गत एक वर्ष से अफीम और मार्फिया की तस्करी में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की अफीम व मार्फिया जब्त की गई और किन-किन जगहों से कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफीम और मार्फीन के अवैध व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विभिन्न औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियां अवैध गति-विधियों को रोकने के लिए सतर्कता बनाए रखती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पकड़ी गई अफीम और मार्फीन की मात्रा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	अफीम कि० ग्राम	मार्फीन कि० ग्राम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1988	3304	23	600
1989	4855	92	831
1990	2114	6	367
1991 (जुलाई तक)	1427	4	615

चूंकि अफीम और मार्फीन का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है और उसकी प्रतिशतता/शुद्धता पर निर्भर करता है, पकड़ी गई अफीम और मार्फीन के मूल्य को दर्शाना सम्भव नहीं है। अफीम निम्न-लिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से पकड़ी गई थी :—दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, और इसकी कुछ मात्रा गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, असम, बिहार, और तमिलनाडु से भी पकड़ी गई थी जबकि मार्फीन महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार से पकड़ी गई थी।

पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अकारण गोलाबारी किया जाना

[अनुवाद]

4278. **श्री तारा चन्द खण्डेलवाल**
श्री प्रतापराव बी० भोंसले } : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जुलाई, 1991 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में पाकिस्तानी ट्रुप्स अनप्रोवोक्ड फाइरिंग ऑन इण्डियन पोजीशंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) गोलाबारी के दौरान कितने लोग मारे गये;

(घ) क्या पाकिस्तान सरकार को इस संबन्ध में विरोध-पत्र दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसी घटनाओं में मारे गये नागरिकों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सरकार ने समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट देखी है। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच नियंन्त्रण रेखा के दोनों ओर से गोलाबारी किए जाने की घटनाएं हुई हैं जिनमें दोनों ओर के कुछ सैनिक हताहत हुए। अधिक ब्यौरा देना उपयुक्त नहीं होगा।

(घ) और (ङ) भारत और पाकिस्तान के सैन्य संक्रिया महानिदेशक दूरभाष पर प्रति सप्ताह एक दूसरे से सम्पर्क करते हैं। दोनों ओर से इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया है कि सीमा पर गोलाबारी और तनाव को बढ़ने न दिया जाए।

(च) से (ज) पुंछ सेक्टर में जुलाई 1891 के दौरान गोलाबारी की घटनाओं में हमारा कोई नागरिक नहीं मारा गया।

नशीली दवाओं की तस्करी के संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

[हिन्दी]

4279. **श्री प्रकाश बी० पाटील** :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए वर्षवार कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा पार से स्वापक औषध तथा मनः प्रभावी पदार्थों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1988	244
1989	100
1990	46

(ख) इन सभी मामलों में स्वापक औषध तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत जांच तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्रवाई की गई थी।

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[अनुवाद]

4280. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया को कई बड़ी कम्पनियों के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड को कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इनमें कई बड़ी कम्पनियों के विरुद्ध प्राप्त हो रही शिकायतें भी शामिल हैं। भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड को पिछले 4 महीनों से लेकर 5 महीनों के दौरान प्रतिमाह 700 कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 में गलती करने वाली कम्पनियों से निवेशकों के हितों की रक्षा करने का प्रावधान है इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपयुक्त मामलों में कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

आयात निर्यात के प्रेषित माल की चोरी

4281. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **जल भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन पर विभिन्न रसायनों के आयात तथा निर्यात किए जाने वाले प्रेषित माल की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट मदों की चोरी हो रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ अपराधी गिरफ्तार किये हैं; और

(घ) इस प्रकार की चोरियों की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। चोरी के कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं :—

(i) बेथाबुथोल/नेथोल/अरोमिन कैमिकल पाऊडर,

(ii) सोडियम हाईड्रोसल्फेट (iii) एम्पिसिलिन/एमोक्सिशिलिन ट्राईहाईड्रेट,

(iv) क्लोरोपरोमेजिन हाईड्रोक्लोराईड,

(v) सल्फोमेथाक्शानोल, (vi) थियोफिलिन अनहाइड्रिश बी० पी०-18

(ग) जी, हां।

(घ) अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) गोदियों और दूरस्थ कन्टेनर क्षेत्रों में पुलिस तथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा गश्त लगाना।

(II) जहां तक संभव हो, गोदियों से कन्टेनर यार्डों तक कन्टेनर ट्रैफिक के लिए नामित मार्ग का प्रयोग।

(III) कन्टेनर ढोने वाले सड़क वाहनों के आवागमन पर निगरानी (IV) रात के दौरान कीमती रसायन ढोने वाले वाहनों की मार्ग रक्षा और (V) रसायनों को मजबूत ताले वाली शैड में रखना।

नशीले पदार्थों के नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नीति

4 82. **श्री मुकुल वासनिक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नशीले पदार्थों के नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर अमेरिका के विदेश विभाग की मार्च, 1991 की रिपोर्ट के बारे में जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि औषधीय प्रयोग के लिए भारत अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, परन्तु सरकार के नियंत्रण और निगरानी बढ़ाने के घोषित इरादों के बावजूद अवैध अफीम दुरुपयोग और इसकी बिना लाइसेंस की खेती में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या पर्याप्त संसाधनों के अभाव, नीतियों का कारगर ढंग से संयोजन और कठोरता से क्रियान्वयन न किये जाने के कारण नशीले पदार्थ विरोधी प्रयासों को क्षति पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) तक भारत सरकार को "स्वापक औषध द्रव्यों के नियंत्रण सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय नीति" पर अमेरिका के विदेश विभाग की मार्च, 1991 की रिपोर्ट की जानकारी है। भारत सरकार, वैध अफीम को अन्यत्र इस्तेमाल किए जाने और अफीम-पोस्त की अवैध खेती किए जाने के बारे में रिपोर्ट में की गई कुछेक टिप्पणियों से सहमत नहीं है। काफी लम्बे समय से भारत सरकार द्वारा तैयार की गई नियंत्रण सम्बन्धी एक व्यापक प्रणाली को अन्तरर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वापक औषध द्रव्य विषयक एकल अभिसमय, 1961 के अनुच्छेद 23 को तैयार करने के लिए एक माडल के रूप में अपनाया गया था। यूनाइटेड नेशन्ज फंड फार ड्रग अब्यूस कन्ट्रोल के एक प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसने भारत का 1986 में दौरा किया था भारत में अफीम की खेती और इसके भण्डारण पर कड़ा नियंत्रण रखे जाने की सराहना की थी। अमेरिका में भारत से अफीम मंगाने वाले एक बड़े क्रेता ने फरवरी-मार्च, 1991 में भारत से अफीम उत्पादन और इसकी सुरक्षा के बारे में एक सर्वेक्षण किया था और इस सर्वेक्षण के आधार पर अप्रैल, 1991 में एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें पोस्त की खेती पर नियंत्रण रखने सम्बन्धी भारतीय प्रणाली की सराहना की गई है। संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयों के बावजूद भी, भारत सरकार स्वापक औषध द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देती है और भारतीय प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा प्राप्त परिणामों की आई० सी० पी० ओ० इन्टरपोल तथा अन्तरराष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यौरो द्वारा सराहना की गई है। इन्टरपोल की अनुवर्ती रिपोर्टों से यह पता चलता है कि दक्षिण-पश्चिमी एशिया में उत्पादन होने वाली हेरोइन का लगभग 70 प्रतिशत भाग बालकन के रास्ते से ईरान और टर्की के जरिए यूरोप पहुंचता है न कि भारत के रास्ते। इसका श्रेय मुख्य रूप से भारत में प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कठोर प्रवर्तन सम्बन्धी उपायों को जाता है।

12.00 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) सोवियत संघ में घटनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सोवियत संघ में हो रही घटनाओं के सम्बन्ध में कल सभा जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। मेरे विचार से विदेश मन्त्री जी के पास इसकी जानकारी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कि वह एक वक्तव्य दें।

विदेशी मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि 19 अगस्त, 1991 को सोवियत संघ की घटनाओं के विषय में मैंने इस सदन को 20 अगस्त, 1991 को सूचित किया था। इसके बाद से सोवियत संघ में घटनाचक्र बहुत तेजी के साथ घूमा है। 21 अगस्त को सोवियत संसद के संचालक अध्यक्ष मण्डल ने औपचारिक रूप से यह घोषणा की कि राष्ट्रपति गोर्बाचोव को निकाला जाना गैर कानूनी था तथा उन्हें फिर राष्ट्रपति बनाया है। राष्ट्रपति 22 अगस्त को सवेरे मास्को वापस आ गये। उन्होंने मास्को में राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार पुनः सम्भाल लिया है।

कल हमारे प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति गोर्बाचोव को एक संदेश भेजकर उनकी तथा उनके परिवार के सदस्यों के कुशल-मंगल पर राहत तथा खुशी व्यक्त की है और भारत की सरकार तथा भारत के लोगों की ओर से इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि उन्होंने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में पुनः अपना कार्यभार सम्भाल लिया है। प्रधान मन्त्री ने रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र के राष्ट्रपति श्री बोरिस येल्तसिन को भी एक सदेश भेजा जिसमें उन्होंने सोवियत संघ में संवैधानिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना में उनकी भूमिका की सराहना की है।

सोवियत संघ में जो कुछ हुआ है वह वस्तुतः लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः पुष्टि और लोगों की इच्छा शक्ति की जीत है। यही वे मूल्य हैं जिनके लिए हम स्वयं पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और यही हमारी राजनीति के आधार स्तम्भ हैं।

"खुलेपन" और पुनर्संरचना" की प्रक्रिया शुरू करने में और निरस्त्रीकरण, शांति और सहयोग पर आधारित संसार की दृष्टि देने में राष्ट्रपति गोर्बाचोव की अद्वितीय भूमिका के विषय में माननीय सदस्य जानते ही हैं -- एक ऐसी दृष्टि जिसके हम स्वयं हामी हैं और जो नाभिकीय अस्त्र मुक्त एवं अहिंसक संसार के सिद्धान्तों की दिल्ली घोषणा में प्रतिलक्षित हुई है जिस पर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने 27 नवम्बर, 1986 को हस्ताक्षर किए थे।

राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने पारस्परिक हित और विश्वास पर आधारित मैत्रीपूर्ण भारत-सोवियत सम्बन्धों को, जो न सिर्फ सोहार्दपूर्ण हैं बल्कि समय की कसौटी पर भी खरे उतरे हैं, नये आयाम देने

में एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत सरकार को विश्वास है कि ये सम्बन्ध दिन-ब-दिन और मजबूत होते जाएंगे।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति गोर्बाचोव तथा सोवियत संघ की मित्र जनता के प्रति अपनी सदिच्छाएं व्यक्त करने में यह सदन मेरे साथ है कि उनके समक्ष जो चुनौतीपूर्ण कार्य हैं उनमें उन्हें सफलता मिले।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : देर से आये, सही आये। अगर यह पहले ही कह देते तो क्या हो जाता, हम पहले ही यह कह चुके हैं।

श्री माधव सिंह सोलंकी : हमने पहले कह दिया था।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हमने अपनी विदेश नीति की विशेषताओं को खो दिया है :

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, आपकी ओर से सदन की ओर से गोर्बाचेव, येल्तसिन और सोवियत संघ की जनता का अभिनन्दन किया जाना चाहिए और उनको बहुत-बहुत शुभकामनायें देनी चाहिए।

1204. म० प०

सोवियत-संघ की जनता की बधाई

[अनुवाद]

श्री माधव सिंह सोलंकी : आपकी अनुमति से मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि सोवियत-संघ में हो रही घटनाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित एक समाचार शीर्षक का कल हो रही चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने सदन में उल्लेख किया था तथा स्पष्टीकरण की मांग की थी। मास्को में स्थित अपने राजदूत से हमने स्थिति का पता करवाया है जिन्होंने स्पष्ट रूप से उस बारे में कही गई टिप्पणियों से इन्कार किया है।

[हिंदी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : संसद और सरकार के बीच अंतर रहा है। सरकार ने जो स्टैंड लिया है, सही है, संसद का लगभग यही स्टैंड पहले दिन था। इसलिए मैं समझता हूं आज

फर्नांडीज जी ने जो कहा है कि आपकी ओर से संसद की ओर से उनका अभिनंदन किया जाये, यह ठीक है।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : मनोरंजन भक्त जी ने जो कल कहा था वह बिलकुल ठीक था। अध्यक्ष जी आपकी ओर से भी सदन की ओर से यह होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि हमने पहले ही अवसर खो दिया है। हमें कल ही अपनी शुभ-कामनायें भेज देनी चाहिए थीं। हम समय गंवा रहे हैं। हम अवसर खो रहे हैं। भारत सरकार ने विदेश नीति की विशेषताओं को खो दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, माननीय विदेश मंत्री जी ने यह आशा व्यक्त की है कि इस अत्यन्त चुनोती पूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति गोर्बाचोव तथा सोवियत संघ की मित्र जनता के लिए हमारी शुभकामनायें भेजने में सदन भी इसमें साथ देगा। उनसे इस दृष्टिकोण में हम भी उनके साथ हैं····(व्यवधान) महोदय, मैंने कल ऐसा कहा था। मैं उनके अच्छे प्रमाणपत्र पर निर्भर नहीं हूं····(व्यवधान) · हम जानते हैं कि कौन लोग देशभक्त हैं तथा हम जानते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। मैं उनका प्रमाणपत्र नहीं चाहता····(व्यवधान)··· मैं अपनी शुभ-कामनायें सोवियत संघ की जनता को उस कार्य के लिये भेज रहा हूं जो उनके सामने हैं आपके सामने नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि हमें वैसा करना चाहिये? महोदय, इसी प्रकार से वे देश का तथा देश की जनता का विभाजन करते हैं। तथा वे सभा में भी विभाजन करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैं सिर्फ गीता जी को ही बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, विश्व शान्ति, गुट-निरपेक्षता तथा तीसरे विश्व के देशों के हित में मैं अपने दल की ओर से माननीय विदेश मंत्री जी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में मैं भी शामिल हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे?

पिछले कुछ दिनों से सोवियत संघ में काफी अशांति व्याप्त थी। अब वहां पर संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई है। भारत की जनता तथा संसद ने सोवियत-संघ

की जनता तथा अधिकारियों के साथ विश्व में शान्ति, समृद्धि, परस्पर लाभ तथा सभी के लिए न्याय प्राप्त हो इस दिशा में हमेशा कार्य किया है। सोवियत संघ में संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः कायम होने से भारत की संसद, जनता तथा शासन-तन्त्र सभी प्रसन्न हैं। सभी दलों के सभी सदस्य तथा नेतागण राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचौव, सोवियत संघ की संसद, वहां की जनता के लिए पूर्ण गौरव, शान्ति तथा समृद्धि की कामना करते हैं। सभा में उपस्थित सभी सदस्य तथा नेता उन्हें उनके सिद्धान्तों तथा लोकतन्त्र में उनके विश्वास के लिए तथा उनके देश में उनके सिद्धान्तों तथा लोकतन्त्र की विजय होने पर उन्हें बधाई देते हैं सभा के सभी सदस्यों के इस बारे में एक ही विचार हैं तथा वे चाहेंगे कि उनकी इन सदिच्छाओं को सोवियत संघ के राष्ट्रपति, संसद तथा वहां की जनता को प्रेषित किया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भारत के लोगों से अभिप्राय भारतीयों से है।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने टेलीफोन टैपिंग के सम्बन्ध में माननीय संचार मन्त्री जी द्वारा किये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये।

श्री वी० धनंजय कुमार : अब मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं। महोदय, मामला गम्भीर है। सभा इस मामले को समझ रही है। दिनांक 5 अगस्त को सभा के माननीय नेता ने····

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे उत्तर प्राप्त करना है····

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : समाचार पत्रों में यह उल्लेख किया गया है कि माननीय संचार उपमन्त्री ने दिया है···

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने कोई नोटिस दिया है तथा यदि यह समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है, तो यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। तब यह एक गम्भीर मामला बनता है। कृपया बैठ जाईये। मैं आपसे कक्ष में बात करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, क्या यह समझा जाए कि मामला आपके विचाराधीन है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार : अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने आपसे मुझे कक्ष में मिलने को कहा है तब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : आपको तथा संभवत: संचार मन्त्री श्री राजेश पायलट तथा सम्पूर्ण सदन को संचार मन्त्रालय का यह निर्णय जानकर आश्चर्य होगा कि देश के सभी 46 महत्वपूर्ण शहरों में 1 नम्बर से सभी बहुमंजली इमारतों के पहले, दूसरे तथा तीसरे तल पर कोई भी डाक, पत्र, कार्ड इत्यादि नहीं भेजे जायेंगे। एक सांविधिक आदेश द्वारा दिनांक 29 मई को विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था। उन दिनों हमारे यहां चुनाव चल रहे थे। ऐसे सांविधिक आदेशों को सभा के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है। वह भी नहीं किया गया है। आप उस परिणाम की कल्पना कर सकते हैं जो हम सब को भुगतना पड़ेगा। इन 46 शहरों को जिसमें दिल्ली, मद्रास मुम्बई तथा अन्य शहर इत्यादि है। महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। यदि सरकार इस आदेश को क्रियान्वित करती है तो डाक सेवाओं में काफी अराजकता फैल जायेगी। अतएव इस सम्बन्ध में मै संचार मंत्री जी से एक वक्तव्य चाहता हूं। मेरी यह भी मांग है कि सभापटल पर इसे रखा जाये तथा इसे वापस लिया जाना चाहिए। अन्यथा डाक प्राप्त करना बहुत कठिन हो जायेगा। पहले ही डाक सेवाएं काफी निम्नतम स्तर पर चल रही हैं। इस आदेश के क्रियान्वयन से तो स्थिति और भी खराब हो जायेगी। मेरी यह मांग है कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। खैर यह निर्णय काफी पहले लिया गया था तथा इसीलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने अनेक बार इस सदन में अम्बानी द्वारा लारसन एंड टुबरो पर गुप्त रूप से कब्जा करने के मामले को उठाया था। सभा के नेता द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वित्त मन्त्री जी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : जब हमने मंत्री जी से वक्तव्य देने के लिए कहा था तो उस समय सभा के नेता ने हमें यह आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य देंगे। यह एक अत्यन्त ही गंभीर मामला है। अम्बानी द्वारा लारसन एंड टुबरो पर गुप्त रूप से कब्जा किया जा रहा है तथा वित्त मंत्रालय इस बारे में शान्त है। उन्हें इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान-निकोबार) : महोदय, मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंडमान-निकोबार से सूचना प्राप्त हुई है कि वहां के लोगों को आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से चीनी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को उचित दर की दुकानों से भी चीनी नहीं मिल रही है। आप द्वीपों की भौगोलिक स्थिति को जानते ही हैं। हम देश के सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। लोगों को चीनी नहीं मिल रही है। यह आवश्यक वस्तु है। महोदय, इसलिए मैं सरकार से निवेदन

करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो विशेष कोटा दिया जाए ताकि उचित दर की दुकानों के माध्यम से उसका वितरण का सुनिश्चित किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लोगों को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा और देश के उस हिस्से में कानून और व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वे सभा को यह आश्वासन दें कि चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं उचित दर दुकानों पर वितरित की जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, अम्बानियों द्वारा एल० एंड टी० को गुप्त रूप से अपने हाथ में लिए जाने के मुद्दे पर वित्त मन्त्री जी चुप क्यों हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : वित्तमंत्री जी इस मुद्दे को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप चुप रहें। विगत दो दिनों के दौरान सभा की कार्यवाही का समर्थन करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज भी आप उसी तरह सहयोग देंगे। यदि आप किसी मामले के बारे में चिंतित हैं तो आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं लेकिन तब आप तर्क करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, जवाब देते और चर्चा करते हैं वह भी उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं जो कार्यसूची में शामिल नहीं है। जब आप ऐसा करते है तो अन्य सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए दूसरों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कृपया उन्हें अपनी बात कहने दें, अब श्री पाण्डेय बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर संस्थान के डाक्टर इन दिनों हड़ताल पर हैं संस्थान देश का महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान होने के कारण और एक साथ 400 डाक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण, ओ०पी०डी० में कार्य बिल्कुल ठप्प हो गया है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले हजारों मरीज चिकित्सा सुविधाए न मिलने के कारण अत्यधिक निराश हैं और वे इधर-उधर भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में, मरीजों को निराश न लौटना पड़े, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री किसी प्रकार का दखल नहीं दे रहे है, किसी प्रकार की चिन्ता व्यक्त नहीं कर रहे हैं। बड़े आपरेशनों की बात छोड़ दीजिये, छोटे मोटे आपरेशन्स का काम भी वहां बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरी मांग है कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये और देश में रहने वाले हजारों मरीज जिस तरह से नित्य प्रति इलाज के अभाव में परेशान हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं, उन्हें ठीक से चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी का इस पर वक्तव्य आना चाहिये। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि सभा के लिए यह बहुत ही छोटी बात है····

अध्यक्ष महोदय : यदि यह इतनी ही छोटी बात है तो इसे यहां न उठाएं। सभा को छोटा न करें।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, मैं मवेशियों के वध से सम्बन्धित मामला उठाना चाहता हूं जिसके कारण भारत में मवेशियों की संख्या में कमी आई है।

हमारे राज्य आंध्र प्रदेश से लाखों की संख्या में गाय-बैल और बछड़े ग्रामीण क्षेत्रों से ले जाए जाते हैं और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में उनका वध किया जाता है। अब तक 50 प्रतिशत पशुधन बर्बाद हो चुका है। इससे प्रकृति के परिस्थितिकीय संतुलन को बहुत खतरा पैदा हो गया है। 1970-80 के दौरान प्रत्येक एक हजार व्यक्ति पर 240 मवेशी थे। अब प्रति हजार व्यक्तियों पर मात्र 80 मवेशी हैं। और यदि यही स्थिति जारी रही तो प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों पर मात्र 20 मवेशी होंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डय्या, कृपया आप अब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : देश में डीजल और उर्वरकों की अत्यधिक कमी है। डीजल की कमी के कारण किसानों को अपनी खेती के कार्य में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और परिवहन और खेत की जुताई के लिये उन्हें बैल गाड़ियों पर निर्भर करना पड़ रहा है। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में फेयरप्राइस शॉप्स जिनसे लोगों को शक्कर, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होता है, पूर्व में ये सहकारिता के अन्तर्गत थीं यानी सहकारी समितियों के माध्यम से इन चीजों का वितरण होता था, किन्तु जब से मध्यप्रदेश में भाजपा शासन में आई है, तब से कोआपरेटिव सेक्टर से ये दुकानें छिनकर प्राईवेट सेक्टर में अपने कार्यकर्त्ताओं को दे दी गई हैं जिसके कारण इन प्राईवेट डीलरों ने पिछले वर्ष में सारी सामग्री जनता को प्रदान न कर ब्लैक मार्केट में बेच दी। अधिकारियों और जनता द्वारा रंगे हाथों सामग्री पकड़े

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाने के बावजूद भी मध्यप्रदेश शासन ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरी सरकार से मांग है कि गरीब, आदिवासी और हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की जीवनोपयोगी चीजें उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश सरकार असफल रही है और सहकारी समिति को समाप्त करने का यह षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करे और सहकारी समितियों के माध्यम से इन दुकानों की व्यवस्था करवाई जाए और गरीब आदिवासी तथा हरिजनों को फेयरप्राइस शॉप से जीवनोपयोगी चीजें दिलाई जाएं, और (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश में तापीय विद्युत गृहों में केन्द्र सरकार द्वारा कोयला आपूर्ति में पच्चीस प्रतिशत कटौती किए जाने के कारण कोयले की कमी से भयंकर विद्युत संकट पैदा हो गया है। इसके कारण तापीय विद्युत गृहों में विद्युत उत्पादन गिर गया है। जिस कोयले की आपूर्ति की जा रही है, उसकी गुणवत्ता निम्न स्तर के होने के कारण उससे तापीय विद्युत गृहों के संयंत्र खराब हो रहे हैं। उसके कारण किसी भी दिन समूचा उत्तर प्रदेश अंधकार में डूब सकता है। कोयले के स्टॉक की कमी की स्थिति यह है कि प्रदेश के किसी भी तापीय बिजली घर के पास एक दिन का भी फालतू स्टाक नही है। केन्द्र सरकार उत्तरप्रदेश सरकार के साथ इस मामले में सौतेला व्यवहार कर रही है।

महोदय, कोयले की गुणवत्ता बहुत खराब है। कोयले के नाम पर पत्थर दिया जा रहा है जिसके कारण वहां 800 मेगावाट उत्पादन गिर गया है। बड़े उद्योगों में बिजली कटौती के कारण वे अपने उद्योग बन्द करने को विवश हो गए हैं जिसके कारण बेरोजगारी फैलने की आशंका हो गई है। ओबरा में 19 हजार मीट्रिक टन कोयले की जगह पर सिर्फ 7 हजार मी० टन कोयला अगस्त में मिला है। अनपारा में 10 हजार मी० टन कोयले की मांग थी, जिसके स्थान पर सिर्फ 5400 मी० टन कोयला मिला है। परीछा में 3 हजार मी० टन की जगह पर सिर्फ 600 मी० टन कोयला मिला है प्रदेश में सूखा पड़ रहा है, फसलें सिंचाई के अभाव में सूख गई हैं। बिजली की कमी के कारण उत्तरप्रदेश में कभी भी अंधेरा हो सकता है, उद्योग ठप्प हो सकते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उत्तरप्रदेश के तापीय विद्युत गृहों को अच्छा पर्याप्त मात्रा में कोयला प्रदाय किया जाए।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर से दिल्ली और पटना से दिल्ली के लिए जो रेलगाड़ियां चलती हैं, वे बहुत लेट चल रही हैं। मुजफ्फरपुर से वैशाली एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, पटना से मगध एक्सप्रेस, तिनसुकिया मेल और ए० सी० एक्सप्रेस गाड़ियां काफी देरी से चल रही हैं जिससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

और उसमें जो खानपान की व्यवस्था है, वह बिलकुल खराब है मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं कि इसमें अविलम्ब सुधार होना चाहिए ताकि जो गाड़ियां 3-4 घंटे देरी से चल रही हैं, और चला करती हैं, उनमें सुधार हो। खान-पान की व्यवस्था ठीक हो। धन्यवाद।

श्री भीम सिंह पटेल (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि यहां पर बोलने के लिए क्या नियम हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लाना चाहता हूं। यहां पर नेता-सदन भी बैठे हैं जो हमारे रीवा के बगल के क्षेत्र से ही आते हैं और यहां पर माननीय आडवाणी जी भी बैठे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं और जिस पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में आजकल चल रही है, सभी का ध्यान अम्बेडकर आदिवासी बनवासी न्यायनगर, बैरिहा बांध, रीवां की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर आदिवासी और बनवासियों ने लगभग 1 हजार एकड़ क्षेत्र में, जो जंगल की भूमि है जिस पर एक भी वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा नहीं किया गया; उस पर सूचना देकर वे लोग बस गए और उस भूमि में खेती करने लगे। छः महीने तक उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। वे पहले सूचना देकर बसे थे। उन्होंने वहां पर 40 क्विंटल अलसी का बीज डाला है और 3 कुएं, पहाड़ तोड़कर बनाए हैं। इन लोगों को 18 जनवरी, 1991 को पूर्णतः उजाड़ा गया। इन लोगों की लगभग ढाई हजार साईकिलें, बर्तन, कपड़ा, बगरियां और मुर्गियां आदि पुलिस के साथ सामन्त लोग भी उड़ा ले गए और अभी तक उन्हें कोई सामान नहीं मिला है। वहां पर एक कमिश्नर को यह पता लगाने के लिए भेजा गया कि यह भूमि जोत के काबिल है कि नहीं, वह कमिश्नर शाम 5 बजे तक नहीं पहुंचा और उसके बाद गुन्डे बदमाशों को लेकर जंगल विभाग के लोग पहुंचे और उनको वहां से उजाड़ा और अभी भी लगभग 40 लोग जेल में बन्द हैं। मैंने कल ही बात की है, हम लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। वहां पर लगातार लोगों को बन्द किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि तत्काल कार्यवाही की जाए और जो गलत मुकदमे चलाए जा रहे हैं उसे वापिस लिया जाए। वहां पर हालत गम्भीर हो रही है, बार-बार लोगों को पीटा जा रहा है, किसी का उधर ध्यान नहीं जाता है मैं चाहता हूं कि तत्काल कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, कालाजार का सवाल पहले भी सदन में उठाया जा चुका है। हजारों लोग बिहार में कालाजार से मर चुके हैं, लाखों लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। कई बार यह सवाल सदन में उठाया जा चुका है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार से कहिए कि उसका उन्मूलन पूर्णतः अपने कब्जे में ले। इससे ज्वलंत सवाल बिहार के लिए दूसरा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब भी यह सवाल यहां पर उठाता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे देहातों में यह कहावत है कि अंधे के आगे रोए और अपने अखियन भी खोए, वह कहावत यहां चरितार्थ हो रही है। हम लोग चिल्ला रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है, वहां पर गरीब लोग मारे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, श्री पटेल ने जो सवाल उठाया है मैं समझता हूं कि बिहार के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कालाजार प्लेग के समान है। मैंने उस दिन भी कहा था। 1977 में जब हम लोग उस पक्ष में थे तो श्री राज नारायण हैल्थ मिनिस्टर

थे। हम लोगों ने डब्लू० एच० ओ० से सहायता ली थी, एक-एक सुई का दाम पांच-पांच सौ रुपये है। एक परिवार में एक आदमी को यह रोग पकड़ता है तो पूरा परिवार मर जाता है। पूरे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह फैल चुका है। यह दूसरी महामारी है, जो प्लेग के समान है। बिहार सरकार इसमें अक्षम हो गई है, उसके पास न तो फाईनेंस है, न मैडीकल इक्विपमैंट हैं। भारत सरकार भी सक्षम नहीं है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि डब्लू० एच० ओ० से इसके लिये सहायता ले और यह जो महामारी फैली है, कुछ दिन बाद पूरे देश में फैल जाएगी, अभी से इसके रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाएं।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपने लक्षद्वीप का दौरा किया है। इसलिये आप यह जानते हैं। आप अण्डमान भी गए हैं। जब तक मुख्य भूमि से आपूर्ति नहीं की जाएगी वहां सभी लोग भूखों मर जाएंगे। गृहमन्त्री यहां पर हैं। नागरिक आपूर्ति मन्त्री भी यहां पर हैं। कृपया उन्हें यह पता करने का निर्देश दें कि आवश्यक वस्तुएं वहां उपलब्ध हैं अथवा नहीं। इसे हल्के-फुल्के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह उनकी देख भाल करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस मामले को देखेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपमन्त्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, कृपया आप बैठ जाएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं तो मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला मुख्य रूप से राज्य सरकार का है फिर भी, यदि केन्द्र सरकार उनकी सहायता कर सकती है, तो वह सहायता करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पीठ से कोई आदेश नहीं दे रहा हूं। कृपया समझें। मैंने कहा है कि यह इस तरह नहीं चलता रह सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुख्यमन्त्री ने केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने का निवेदन किया है। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जो विषय कार्य सूची में शामिल नहीं है उस पर भी आप हमेशा मन्त्री से ही जवाब चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : जयपुर में लोग मर रहे हैं। उप मन्त्री जी यहां पर हैं। मुख्यमन्त्री ने केन्द्र सरकार की सहायता मांगी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह मामला उठाने की अनुमति दी है। इस तरह से कार्य नहीं हो सकता। सरकार के पास जाने के भी तरीके हैं। अति वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं और मैं जानता हूं कि यदि वे कुछ भी सम्बन्धित मन्त्री से पूछते हैं तो मन्त्री जी उस पर अवश्य ध्यान देंगे। ऐसा करने के बजाय यदि आप सभा में प्रदर्शन करने लगते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह आप अपना भला कर रहे हैं। अब श्री खुराना बोलेंगे और आप बहुत ही संक्षेप में बोलेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आशा करता हूं कि उप मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुशील पटेल : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने लिखा है, हम लोगों ने भी कई बार पत्र लिखा··· (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, 21 अगस्त की रात को साढ़े सात बजे उग्रवादियों ने पानीपत जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डा० महेन्द्र रंजन और उनके कम्पाउण्डर तेलू राम को, गोलियों से भूना। रात को उग्रवादी आये, उन्होंने डा० रंजन को गोली मार दी लेकिन कम्पाउण्डर ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए एक उग्रवादी को जकड़ लिया। तेलू राम को उग्रवादी के जो साथी थे, उन्होंने उन दोनों को गोली मार कर मार दिया। मेरा एक तो यह कहना है कि डा० रंजन, जिनकी सुरक्षा के लिए पहले एक गार्ड मिला हुआ था एक हफ्ते पहले उसको विदड्रा कर लिया गया, जो हरियाणा की पुलिस का निकम्मापन है, जिसके कारण यह हत्या हुई।···· (व्यवधान)

आज सारा हरियाणा बन्द है। मुझे जो दूसरा पक्ष कहना है वह यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसमें उग्रवादियों द्वारा हत्या का मामला था, कल एक डिमोलेशन का मामला था उसकी तो कल न्यूज ली गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की हत्या होती है, उसमें आडवाणी जी कल वहां गये, हम तीन एम० पी० वहां गए, सारा पानीपत बन्द था लेकिन उसके बारे में एक भी समाचार टेलीविजन की न्यूज में नहीं आया, यह जान बूझकर किया गया।

मेरा निवेदन है कि क्योंकि यह मामला उग्रवादियों का है और आज जिस तरह से उग्रवाद एक के बाद एक हरियाणा में, दिल्ली में फैल रहा है, सरकार की ढुलमुल नीति के कारण कभी यह कहते हैं कि आतंकवादियों से बात करेंगे, इस तरह की इनकी ढुलमुल नीति है। जिन आतंकवादियों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए, वह नीति यह नहीं अपना रहे हैं। इसके बाद एक-एक करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान हो रहा है। यह बलिदान की एक कड़ी और थी इसलिए मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसके बारे में वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : हमारे देश में बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय इस्पात निगम, भारतीय कोयला लिमिटेड और तेल निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के हजारों कर्मचारियों ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया था। हुआ यह है कि जो राशि भविष्य निधि में जमा की गई थी वह भी पेंशन के तौर पर नहीं दी जा रही है। लेकिन गुप्त रूप से तेल निगम यह राशि केवल कागजों पर ही दे रहा है। ऐसी असमान्य स्थिति पैदा हो गई है। मैं सरकार का ध्यान पेंशन के मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि कर्मचारियों का अहार्य अधिकार है और इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी पूरी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.33. म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रबड़ बोर्ड' कोट्टायम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा इन पत्रों को

सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 437/91]

(3) (एक) काफी बोर्ड के वर्ष 1989-90 के सामान्य निधि लेखाओं सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1988-89 के पूल निधि लेखाओं सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 438/91]

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेतन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 439/91]

(3) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तक अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 440/91]

(5) (एक) ऊन अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 441/91]

कम्पनी अधिनियम, 1956, 1988 आदि के अंतर्गत अधिसूचनायें आदि

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 513, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स पार्क टाउन बेनीफिट फंड लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 314, जो 18 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स पम्मल मक्कल नाला फंड लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 303, जो 19 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स केललेज बेनीफिट फंड लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 442/91]

(2) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 363(अ), जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मई, 1991 को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 443/91]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 10क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 364(अ), जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कम्पनी विधि प्रशासन बोर्ड का 31 मई, 1991 के पूर्वाह्न से 6 सदस्यों को लेकर गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 444/91]

(4) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 365(अ), जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की

धारा 2क में उल्लिखित प्रकृति के सभी प्रश्नों पर कम्पनी विधि प्रशासन बोर्ड को विनिर्णय करने का अधिकार दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 445/91]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 366 (अ), जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जून, 1985 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 507(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) का० आ० 368(अ), जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 627 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) सा० का० नि० 287(अ) जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 18 अक्तूबर 1972 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 443(अ), 24 जून, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 344(अ) तथा 31 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 477 को विखंडित किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 288(अ) जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 के कतिपय उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की शक्तियों तथा कृत्यों को मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर के क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 446/91]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी (संशोधन विनियम, 1991 जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 367(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 447/91]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :—

(एक) सा० का० नि० 286(अ), जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय नियमों का विखण्डन किया गया है।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप (संशोधन) नियम, 1991, जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कम्पनी विधि बोर्ड (आवेदन पत्रों तथा याचिकाओं पर शुल्क) नियम, 1991, जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 290(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 448/91]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अन्तर्गत अधिसूचना और नादिया ग्रामीण बैंक, नादिया का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बन्ध-पत्रों का निर्गम तथा प्रबन्ध) विनियम, 1990, जो 25 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3144/सीएडी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 1990, जो 25 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3144/सीएडी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 449/91]

(2) अधिसूचना संख्या 2469/एसआईडी/बीआईपीएफ, जो 8 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 20 नवम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या 3590/पीएफ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 450/91]

(3) नादिया ग्रामीण बैंक, नादिया के 1 जनवरी, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 451/91]

नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : महोदय, मैं श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 247(अ), जो 1 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 278/82—सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 350(अ) से सा० का० नि० 422(अ) जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 24 जुलाई, 1991 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क परिवर्तनों और छूटों के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 452/91]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1952 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 423(अ) से सा० का० नि० 490(अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो 24 जुलाई, 1991 को लोक सभा में वित मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमाशुल्क परिवर्तनों और छूटों के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 453/91]

इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 454/91]

(3) निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण (खण्ड-दो)* के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 455/91]

12.36½ म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव महोदय : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त चार विधेयक, जिनके सम्बन्ध में 2 अगस्त 1991 को सभा में सूचना दी गई थी, सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1991

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1991

(तीन) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1991

(चार) संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1991

12.37½ म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार 26, अगस्त 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार
2. जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा।

* वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड—1) 10-1-1991 को सभापटल पर रखा गया था।

3. निम्न लिखित मंत्रालयों के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान :—

(1) कृषि }
(2) खाद्य } एक साथ चर्चा की जाएगी
(3) ग्रामीण विकास }
(4) रक्षा
(5) विदेश

महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा को यह भी सूचित करता हूं कि अध्यक्ष की कल 22-8-1991) दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति हुई थी कि :—

(एक) उद्योग मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर 26 अगस्त, 1991 को दें।

(दो) उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों के निपटाने के पश्चात् जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प को 26 अगस्त, 1991 को लिया जाए और पारित किया जाये।

(तीन) विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के पश्चात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को इसी क्रम में लिया जाये।

(चार) अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित सभी बकाया मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक सभी प्रश्नों पर 3 सितम्बर, 1991 के बजाय गुरूवार, 5 सितम्बर, 1991 को 6 म०प० पर मतदान कराया जाये।

(पांच) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 को, जिसके लिए 12 घण्टे का समय नियत किया गया था, 9, 10 और 11 सितम्बर, 1991 को उस पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए लिया जाये।

(छः) बी०सी०सी०आई० के मामले पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि बी०सी०सी० आई के मामले पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए सहमति हुई थी। महोदय, इस मुद्दे पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने पर कोई सहमति नहीं हुई थी। यह नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : वहां यह निर्णय नहीं लिया गया था।

श्री जसवन्त सिंह महोदय, नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदलना गलत है और आपके कक्ष में जो कुछ हुआ था वह उसकी गलत प्रस्तुति है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय समय निश्चित कर रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, जो पहले निर्णय हो चुका है वह उसे नहीं बदल सकते हैं । दूसरे, वह स्वयं यह निर्णय नहीं ले सकते कि इस पर चर्चा होगी । (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : हम यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय पर छोड़ते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम केवल दिनांक के बारे में ही सहमत हुए थे.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में हम निर्णय लेंगे । अब मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दीजिए ।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, बी०सी०सी० आई के मामले पर 6 सितम्बर, 1991 को चर्चा की जा सकती है और उसे उसी दिन, यदि आवश्यक हो तो देर से बैठकर चर्चा पूरी की जा सकती है ।

मैं आशा करता हूं कि सभा उपर्युक्त सुझावों से सहमत है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक सबमिशन करना चाहता हूं और मेरा सबमिशन बी०सी०सी०आई० से सम्बन्धित है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में उस बैठक में निर्णय लिया गया था जिसमें आपके दल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मेरी बात सुनिए, मैं इसकी सपोर्ट कर रहा हूं । यहां पर सदस्यों ने एल एण्ड टी टेकआवर के बारे में बात की है, बी०सी०सी०आई० में जो प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है उसमें यह मामला भी जुड़ा हुआ है कि फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से अपना वोट देने का काम करेंगे । इस प्रस्ताव पर बहस होने तक और सदन का फैसला होने तक फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस अपना वोट देने का काम नहीं करेंगे । इसके लिए मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए । हमने इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की हुई है । यदि आप प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तब आप जो कुछ कह रहे हैं उसे अन्य सदस्यों के लिए

समझना कठिन होगा। इसीलिए प्रक्रिया यह है कि यदि सभा के समक्ष उसकी कार्य सूची प्रस्तुत की जाए और उस पर आपको कोई आपत्ति है तो आपको सूचना देनी होगी और तब आप यह सब मुद्दे उठा सकते हैं। यदि बिना कोई सूचना दिए आप यह सब मुद्दे उठाएंगे तब अन्य व्यक्तियों को कुछ समझ नहीं आएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करता हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं दूसरों की बात नहीं सुनूं।

श्री चित्त बसु (बारसात) : कृपया निम्नलिखित मदें अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल की जाएं :

(1) देश के लाखों कृषि मजदूरों की दशा अत्यंत शोचनीय है। अत: संसद द्वारा अविलंब विस्तृत विधान बनाने की आवश्यकता है।

(2) चालू वर्ष के अन्त तक पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : कृपया निम्नलिखित मद अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल की जाएं :

भूतपूर्व सैनिक पिछले अनेक वर्षों से 'एक रेंक एक पेंशन' की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए अब वह आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अत: कृपया इस मद को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : कृपया अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले सभा की अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाएं :

(1) दिनांक 11.10.90 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार माल के पारेषण पर कर लगाने के लिए केन्द्रीय विधान बनाना।

(2) राज्यों द्वारा पहले से ही वसूल किए गए उप-कर को वैधता प्रदान करने के लिए प्रमुख खनिज (वैधीकरण और परिसमापन) विधेयक, 1991 का "अधिनियमन ताकि राज्यों के विशेष रूप से उड़ीसा राज्य के संशाधनों में होने वाली और कमी को रोका जा सके।"

[हिन्दी]

श्री मानकू राम सोढ़ी (बस्तर) : अध्यक्ष जी, अगले हफ्ते की कार्य सूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये।

विशाखापटनम से बेलाडीला पैसेन्जर ट्रेन को नियमित रूप से चलाया जाये यह ट्रेन पहले 16 घंटे में पहुंचती थी अब 24 घंटे का समय लगता है। इसकी गति को तेज किया जाये। इस ट्रेन का हर डिब्बा टूटा-फूटा और गंदा रहता है इसे शीघ्र सुधारा जाये।

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंग्काबालू (धर्मपुरी) : कृपया निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

पी०टी० फाइव स्टार प्राइवेट लि० द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक को 130 करोड़ रुपये की राशि का धोखा देना और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : कृपया निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में विचारार्थ स्वीकार किया जाये।

1. उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयला आपूर्ति की मात्रा में भारी कटौती जनित अनुपलब्धता तथा गुणवत्ता खराब होने के कारण तापीय विद्युत गृहों के संयंत्र क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रदेश अन्धकार में डूब जाने की आशंका है।

2. उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को निरन्तर बढ़ रही गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जावें। नागरिकों को सुरक्षा के लिए शस्त्रों के लाइसेंस पर लगी रोक को हटाया जाये।

श्री मोहनलाल झिकराम (मंडला) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में इस विषय को जोड़ा जाए।

मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट एवं बस्तर जिले में नक्सलवादियों का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा है। पुलिस के पास आधुनिक हथियार व वाहन न होने से तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें और पुल पुलियों के अभाव के कारण उनका पीछा करना अथवा उनको ढूंढ निकालना मुश्किल होता है।

अतः मेरा निवेदन है कि पुलिस बल को आधुनिक हथियार एवं वाहनों की पूर्ण व्यवस्था की जाए। साथ ही मंडला आदि पहाड़ी जिलों में पुल-पुलिया और सड़कों के लिए अलग से विशेष राशि दी जाए, ताकि नक्सलवादियों के प्रभाव को रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, कृपया निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

1. आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हेन्नोवर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर श्रावस्ती नदी पर बने पुल की मरम्मत करने के लिए तत्काल कदम उठाने और उक्त पुल पर भारी वाहनों का आवागमन फिर से शुरू करने की आवश्यकता है।

2. मंगलौर और बंगलौर के बीच दिन में एक गाड़ी चलाने और उक्त दोनों शहरों के बीच चालू की वर्तमान गाड़ियों की गति बढ़ाने की आवश्यकता है।

12.46 म० प०

उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हमें मद संख्या 12 पर चर्चा करनी है जिसके अन्तर्गत एक विधेयक पुर स्थापित किया जाना है। मेरे पास सदस्यों द्वारा इसके विरुद्ध सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इस मुद्दे पर उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति देता हूं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कार्यसूची में मद संख्या 12 में पूजा स्थल, विशेष उपबन्ध विधेयक से सम्बन्धित विधेयक की पुर:स्थापना का उल्लेख है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न और आपत्तियां 4-` पहलुओं के बारे में है। सबसे पहले यह निदेश सं० 19क और 19ख का उल्लंघन है। मेरे सहयोगी श्री राम नाईक बाद में उसके बारे में बोलेंगे। दूसरा यह धन विधेयक से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लघन है और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें धन विधेयक से संबधित उपबंधों का उल्लंघन क्यों है। संविधान में धन विधेयक की परिभाषा····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है मैं इनका विरोध कर रहा हूं, मेरा इतना ही कहना है कि बिल इंट्रोडक्शन की स्टेज में पहले मंत्री महोदय को हाउस से बिल इंट्रोडक्शन की अनुमति मांगनी चाहिए। जब अनुमति मांगेंगे, तब उसका विरोध होगा, यह मैं कहना चाहता था। जब तक अनुमति नहीं मांगी गई है तब तक विरोध किस बात का होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। प्रक्रिया यही होनी चाहिए। लेकिन मैंने इसकी अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : हमें प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

श्री शरद दिघे (बुम्बई-उत्तर मध्य) : सभा के समक्ष कोई बात होनी चाहिए तब व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि विधेयक पुर.स्थापित करने संबंधी मामला सभा के समक्ष है। मुझे उससे पहल सूचना प्राप्त हुई।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : स्पीकर साहब, आप पहले मंत्री जी को इजाजत दे दीजिए, मैं फिर अपनी बात कह दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है श्री पासवान जी और श्री शरद दिघे जी ने जो कहा है मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। यही सही प्रक्रिया है। लेकिन इसमें कुल और अन्य नियम भी शामिल है इसीलिए मैं इन सब बातों का ख्याल रख रहा हूं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सभा का यही मत है। मैं मंत्री महोदय को विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दूंगा।

गृहमंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी भी पूजा स्थल के संपरिवर्तन पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार बनाये रखने का उपबन्ध करने और उससे संबंधित उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि किसी भी पूजा स्थल के संपरिवर्तन पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार बनाये रखने का उपबन्ध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री जसवन्त सिंह : महोदय मैं इस समय विधेयक पुर:स्थापित करने के विशेष पहलू पर आपत्ति कर रहा हूं और व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। विधेयक के गुण और विषय सूची बाद में आती है। मेरी पहली आपत्ति यह है जैसा कि मैंने कहा है कि यह निदेश 19(क) और (ख) का उल्लंघन है, इस पहलू पर मेरे सहयोगी श्री राम नाईक विस्तार से बात करेंगे। इससे धन विधेयक के उपबन्धों का भी उल्लंघन होता है। यह धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 109 का भी उल्लंघन करता है। यदि आप अनुच्छेद 110 (ग), (घ) और (ङ) देखें—मैं सभी तीन प्रावधानों को पढ़ना नहीं चाहता हूं.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप मुझे इस बारे में और जानकारी देंगे।

श्री जसवन्त सिंह : अनुच्छेद 110 (ग), (घ) और (ङ) के उपबंध किसी भी विधेयक से संबंधित हैं जिसमें संचित निधि से धन के भुगतान अथवा धन निकालने की मांग की गई हो, संचित निधि से धन का विनियोग और संचित निधि पर चरित किसी भी व्यय की घोषणा से संबंधित हो। इस विधेयक के उपबंध इस प्रकार के हैं कि विधेयक में उपबन्ध करने के लिए संचित निधि से व्यय करने की आवश्यकता होगी इसलिए जब तक वित्तीय ज्ञापन नहीं है····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अनुच्छेद 110 के किस उपबन्ध का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : मैं अनुच्छेद 110 के उपबन्ध (ग), (घ) और (ङ) का तथा कौल और शकधर द्वारा वित्तीय ज्ञापन के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला दे रहा हूं। मेरा यह नहीं कहना है कि यह (क) श्रेणी का वित्त विधेयक है अथवा (ख) श्रेणी का वित्त विधेयक है। मेरा यह कहना है जिस भी विधेयक में भारत की संचित निधि से धन निकालने की बात हो अथवा कोई

भी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हो, उसके साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए और कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 477 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। यह कहा गया है कि जिस विधेयक में भारत की संचित निधि से व्यय करने की बात हो उसके साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए। इस विधेयक विशष का उद्देश्य भारत की संचित निधि से व्यय होगा। जब तक इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं होगा तब तक पुरःस्थापित करने के चरण पर ही इसका विरोध किया जाएगा।

मेरा दूसरा प्रश्न है···· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य इस मुद्दे पर मुझे कुछ और बताना चाहता है तो मुझे उनसे जानकारी प्राप्त करने में खुशी होगी।

श्री जसवन्त सिंह मेरा दूसरा प्रश्न है कि यह संविधान का उल्लंघन करता है क्योंकि यह हमारी सभा के विधायी अधिकारों से बाहर है।

अध्यक्ष महोदय : आमतौर पर इस मुद्दे को पुरःस्थापित करने के चरण पर लिया जाता है और केवल इसी मुद्दे को इस चरण पर लिया जा सकता है अर्थात् सभा के अधिकार का प्रश्न है। यह कैसे है, कृपया मुझे बताइए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, में विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन न होने के पहलू पर भी पुरःस्थापित करने के चरण पर विचार किया जाता है। इस बारे में निर्णय लेना आप पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : उस बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं केवल विधायी अधिकार के बारे में कह रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : इस सभा के विधायी अधिकार के बारे में मैं आपका ध्यान संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ के राज्यों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष रूप से कौन-सी मदें आती है।

अध्यक्ष महोदय : हां, ठीक है।

श्री जसवन्त सिंह : यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने से संघ के राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन होता है और हम ऐसे विधेयक पर विचार करने से पहले उसे पुरः स्थापित करते हैं तो यह विधान सभा के विधायी अधिकारों के बाहर है। यदि आप मेरे इस तर्क से सहमत हैं तो इस पहलू पर विस्तृत चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वीकार करता हूं कि यदि सूची-दो में यह उल्लेख है तो यह राज्य विधायिका के क्षेत्राधिकार में आता है। मुझे यह बताइए कि कौन-सी मद के अन्तर्गत यह आता है।

श्री जसवन्त सिंह : उदाहरण के लिए, मैं मद संख्या 7 से शुरू करता हूं। मद संख्या 7 में

यह उल्लेख है कि : "तीर्थस्थल, भारत से बाहर के तीर्थस्थलों के अलावा।" हम ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें भारत के तीर्थ स्थलों का उल्लेख है।

अध्यक्ष महोदय : भारत के बाहर।

श्री जसवन्त सिंह : नहीं नहीं, भारत के बाहर नहीं। मेरा यह विशिष्ट प्रश्न है कि जब लोग कैलाश अथवा मक्का जाना चाहते हैं जो कि भारत के बाहर है और भारत सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन मेरा कहना है कि तीर्थयात्रा चाहे वह अमरनाथ की हो चाहे चार धामों की, चाहे पांचवे धाम की जो नेपाल में है, चाहे वह नेपाल की यात्रा हो, वह भारत सरकार के अतर्गत आएगा। भारत के भीतर तीर्थस्थलों का दायित्व संघ के राज्यों पर है। यह मद संख्या 7 में उल्लिखित है। यदि पूजा स्थल तीर्थस्थल नहीं हैं तब वह क्या हैं ? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पूजा स्थल और तीर्थस्थल में भिन्नता के बारे में बताएंगे।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद युनूस सलीम (कटिहार) : यदि मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता हूं तब क्या आप इसे तीर्थयात्रा कहेंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। पहले श्री जसवन्त सिंह को बोलने दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि मेरे प्रिय मित्र ने एक अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं अभी भी मानता हू कि यदि मैं किसी विख्यात दरगाह में जाता हू अथवा गरीब नवाज पर जाता हूं, अथवा तीर्थयात्रा पर जाता हूं तो यह पूजास्थल ही है। मेरा कहना है कि वह पूजा स्थल ही है।

श्री मोहम्मद युनूस सलीम मुसलमान दरगाह पर पूजा नहीं करते। मुसलमान केवल मस्जिद जाते हैं और वहां पूजा करते हैं **(व्यवधान)** आपका कहना है कि प्रार्थना करना पूजा नहीं है। आप प्रार्थना करने और पूजा करन में अतर कीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक जी, आप श्री जसवन्त सिंह की बात में भी व्यवधान डाल रहे हैं। वह स्वयं तर्क-वितर्क कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : यही मुद्दा है। मेरा यही कहना है। ऐसा हो सकता है मस्जिद में जाना तीर्थयात्रा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आशा करता हूं। कृपया इन मुद्दों का नोट कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : इसलिए, मेरा यह कहना है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरे वरिष्ठ और प्रिय मित्र ने जो कहा है कि हर बार वह मस्जिद जाते हैं।

[हिन्दी]

आप नमाज अदा करने जायें।

[अनुवाद]

तब वह संभवतः तीर्थयात्रा नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री जसवन्त सिंह : इसी कारण मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं और उनकी बात का उत्तर देना आवश्यक समझता हूं। अब मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूं।

आप तीर्थयात्रा को पूजा से अलग कैसे कर सकते हैं? 'तीर्थयात्रा' शब्द में पूजा करना अंर्तनिहित है। हम पूजा स्थलों के बारे में विशेष रूप से एक विधान ला रहे हैं। सूची-दो में मद संख्या 7 के अन्तर्गत एक मद है जो भारत के बाहर तीर्थस्थलों के अलावा राज्यों के लिए विशेष रूप से आरक्षित है।

मेरा निवेदन है कि केवल इसी आधार पर हमारी सभा की विधाई क्षमता हमें इस विधान पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देती।

मैं पुनः कहता हू कि मद संख्या 10 के अधीन उपासना के अनेक स्थल कब्रिस्तानों तथा शमशान से जुड़े हैं। मैं इसी मुद्दे पर पुनः जोर देना नहीं चाहता कि जब उपासना देवीकरण का मुद्दा होता है तब आप राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं:

1.00 म० प०

और जब तक आप राज्यों के अधिकारों के प्रति प्रत्यक्ष रूप में उलंघन करने वाले ऐसे विधान लाते समय राज्यों के अधिकारों के प्रति अत्यत सतर्क नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि आप अत्यधिक अन्याय करेंगे।

इस विधेयक के पुरःस्थापन के विरुद्ध मैंने चार बातें कहीं हैं मैं इनमें से दो मुद्दे ही ले रहा हूं।

महोदय, यह संविधान के पृष्ठ 13 पर अनुच्छेद 26 (ख), (ग) तथा (घ) के तहत मौलिक आधकार धर्म के अधिकार के उल्लंघन के बारे में है। इसमें कहा गया है:

"लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी विभाग को—

× × ×

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का;

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार होगा।"

मैं समझता हूं कि हम कहीं पर इस मौलिक अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। निःसन्देह यह एक संवैधानिक प्रश्न है और आप मुझ से यह स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि क्या एक सवैधानिक प्रश्न उठाया जा सकता है लेकिन मेरे विचार से अब यहां पर इसे उठाना सही है।

महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। जम्मू-कश्मीर राज्य को इस विशेष विधेयक के उपबन्धों से बाहर रखा गया है। जम्मू-कश्मीर राज्य में ऐसे उपासना स्थल अनेक हैं जहां पर विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा उपासना की जाती है। मैं समझता हूं कि सभा को यह पता है कि जम्मू-कश्मीर में अनेक मन्दिरों को अपवित्र किया गया है। क्या इस राज्य को अलग रखना बुनियादी तथा मौलिक समानता और संविधान का अतिक्रमण नहीं होगा? इसलिए मैं इन चार कारणों से बहुत संक्षिप्त रूप में पुनः दोहराता हूं कि यह निर्देश 19 (1) तथा 19 (ख) का उल्लंघन है। यह इसलिए भी उल्लंघन है क्योंकि धन विधेयकों से संबंधित वित्तीय ज्ञापन शामिल नहीं किया गया है और तीसरा यह इस संसद की विधाई क्षमता से परे होने के कारण संविधान का उल्लंघन है और चौथा····

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने "7" कहा था।

श्री जसवन्त सिंह : यह 7 और 10 हैं—मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बोल रहा। यह उपासना के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार का भी अतिक्रमण है और महोदय, जम्मू-कश्मीर को अलग रखने के कारण मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित न किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आपका चौथा कारण यह है कि जम्मू-कश्मीर को अलग रखा गया है इसलिए यह सक्षम नहीं है। क्या यह सही है?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : लेकिन प्रयोजन ही निष्फल हो गया है।

श्री जसवन्त सिंह : प्रयोजन हीं निष्फल हो गया है।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं 1991 के विधेयक संख्या 24—उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1991 के पुरःस्थापना का विरोध करता हूं।

महोदय, इस विधेयक में मुगल तथा ब्रिटिश शासन के दौरान हिन्दू मन्दिरों पर हुए सभी अतिक्रमणों को वैध बनाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक जो कि हिन्दू उपासना स्थलों का धार्मिक अपमान करने वालों को ईनाम देना चाहता है····

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : यह भारतीय संसद में सबसे काला विधेयक है। इसलिए मैंने इसके पुरः स्थापन पर आपत्ति की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा बहुत ठीक कहते रहे हैं लेकिन इस बार····

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं इस स्तर को बनाए रखने का प्रयास करूंगा।

यह सबसे निदनीय विधेयक है। इसीलिए मैं इस विधेयक के पुरः स्थापन का विरोध करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरी आपत्ति के कारण ये हैं। मेरा पहला मुद्दा यह है और मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि यह निर्देश 19(क) के अधीन आपके निर्देशों का उल्लघन करता है, इस नियम में कहा गया है :

"इस निदेश के अधीन विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।"

हमने देखा कि इस विधेयक पर 22 अगस्त 1991 की तारीख है। आपको प्रस्ताव का नोटिस सात दिन पूर्व प्राप्त करना चाहिए। अगर यह विधेयक 22 अगस्त 1991 को तैयार हुआ तो आप इसे सात दिन पूर्व कैसे ले सकते हैं ? इस प्रकार आपने इसे सात दिन पूर्व प्राप्त नहीं किया। यह सरकार आपके प्राधिकार का अतिक्रमण करके आपकी अनदेखी करना चाहती है। इसलिए मेरी पहली आपत्ति यह है कि इस मामले में निर्देश 19(क) का उल्लघन हो रहा है।

अब मैं उस निर्देश का उल्लेख करूंगा जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने विधेयक को परिचालित न करने के कारण स्पष्ट करने वाले ज्ञापन में कहा है। निर्देश 19(ख) में कहा गया है कि सदस्यों को दो दिन पहले पूर्व नोटिस भेजा जाए और यह नहीं किया गया है···

इसमें यह भी कहा गया है :

"परन्तु यह भी कि अन्य मामलों में जिनमें मंत्री यह चाहता हो कि प्रतियां परिचालित करने के पश्चात् दो दिन से पहले अथवा उस दिन के परिचालित किये बिना भी विधेयक पुरः स्थापित किया जाये तो वह एक ज्ञापन में पूरे कारण देगा····"

ज्ञापन में कहा गया है :

"विधेयक के महत्व को देखते हुए प्रारूप पर अत्यन्त ध्यानपूर्वक विचार करना तथा जांच करना आवश्यक था। इसके कारण विधेयक तैयार करने में देरी हो गई। इस सम्बन्ध में निहित मुद्दों की महत्वपूर्ण प्रकृति को देखते हुए विधेयक का तत्काल पुरःस्थापन आवश्यक माना गया है। इन कारणों के तहत यह अनुरोध है कि निर्देश 19(ख) के अधीन अनिवार्यता में ढील दे दी जाए।"

महोदय, इस मुद्दे पर देश में गत दो वर्षों से बहस चल रही है। श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाली सरकार भी इसी मुद्दे पर गिर गई थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वह सत्ता में आई तो यह विधान बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति ने भी 11 जुलाई, 1991 को संसद में अपना अभिभाषण दिया। इस प्रकार यह सरकार कम से कम 11 जुलाई, 1991 के बाद विधेयक तैयार करने के कार्य को शुरू कर सकती थी। लेकिन इसने विधेयक को तैयार करने में ही 43 दिन ले लिए। अगर सरकार इस विधेयक को तैयार करने में 43 दिन लेती है तो हमें इसका अध्ययन करने के लिए 2 दिन नहीं लेने चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक को सदस्यों को दो दिन पूर्व दिया जाए। यह निर्देश एक महत्वपूर्ण निर्देश है जो सदस्यों तथा सभा के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए है। हम उस सरकार के पास अपने अधिकार गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं हैं जो इतनी असक्षम है कि वह 43 दिन के अन्दर विधेयक पेश नहीं कर सकी। यह मेरी दूसरी आपत्ति है।

महोदय मेरी तीसरी आपत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें विशेषाधिकार तोड़ने का मामला निहित है और आप इस सम्बन्ध में हमें निर्देश तथा सलाह देते रहे हैं। यह नियमों में भी दिया गया है। सभी जगह यह कहा गया है कि कोई भी मुद्दा जिसे सभा की कार्य-सूची में लाया जाना है उसका पूर्व प्रचार नहीं किया जाना चाहिए।

मैं अब **कौल तथा शकधर** की पुस्तक के पृष्ठ 252 से पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री राम नाईक : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय, : यह सब पर लागू है।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : इस पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत ही संगत बात कह रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : वह ऐसा करें, लेकिन इस पर इस प्रकार वाद-विवाद नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी इतने ही समय की अनुमति दूंगा।

श्री राम नाईक : कौल तथा शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 252 पर "सभा के कार्य से संबन्धित अन्य विभिन्न मामलों का समय से पहले प्रकाशन" शीर्षक के तहत यह कहा गया है :—

यद्यपि संसदीय प्रथा, रीति तथा परिपाटी के अनुसार प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, संकल्पों आदि की सूचनाओं तथा प्रश्नों के उत्तरों और सभा के कार्य से सम्बन्धित अन्य विषयों का, समय से पहले समाचार पत्रों में प्रकाशन, चाहे वह किसी भी कारण से हों, सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमान नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा करना अनुचित है।"

ऐसा अब हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर कोई बाध्यता नहीं है।

श्री राम नाईक : मैं पुनः उद्धरण देता हूं :—

"यदि ऐसा होता है, तो अध्यक्ष महोदय उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अपनी अप्रसन्नता जाहिर करेंगे।"

मैंने आज के **हिन्दुस्तान टाईम्स** में देखा है····

अध्यक्ष महोदय : उस मुद्दे पर मेरा कोई दायित्व नहीं है।

श्री राम नाईक : हमें पहले से ही सूचना मिल जानी चाहिए। सरकार, सदन के सदस्यों की कोई सूचना न देकर, बाहर सूचना भेज रही है। जब सरकार बाहर सूचना देती है तो इसमें हमारा विशेषाधिकार, आपका विशेषाधिकार, हमारा सम्मान और आपका सम्मान शामिल है।

मेरे विचार में, इन तीन मुद्दों पर, इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता अतः विधेयक के पेश किए जाने पर मुझे आपत्ति है।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, हम लोगों को भी अपनी राय व्यक्त करने का मौका दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं।

श्री राम नगीना मिश्र : यह कोई साधारण मामला नहीं है और मैं भी अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। यह पूरे देश का सवाल है और मैं इस पर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे चैम्बर में मिल कर बात कर लें।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, आज का दिन वह होगा जो इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जायेगा। आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : मैं इस बिल के इन्ट्रोडक्शन के सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहता हूं सर।

अध्यक्ष महोदय : आफ्टर नोटिस।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं बोलूंगा और आपसे इजाजत लेकर बोलूंगा। पूरे देश के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : जहां तक विधेयक के पेश किए जाने के विरोध में दो माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये दो मुद्दों का प्रश्न है मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

जहां तक श्री राम नाईक द्वारा उठायें गये प्रक्रियात्मक मुद्दे का सम्बन्ध है कि निर्देशों के अनुसार इसे परिचालित नहीं किया गया, स्वयं श्री राम नाईक ने स्वीकार किया है कि अध्यक्ष के पास इस निर्णय में शिथिलता करने का अधिकार है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय की अपनी मर्जी है।

श्री शरद दिघे : आपने इस निर्णय में ढिलाई दे दी है क्योंकि यह स्पष्ट है कि इस विषय को कार्यसूची में शामिल किया गया है। इसे ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है कि इस ढील से उन पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं क्योंकि निर्णय करने के लिए यह अध्यक्ष महोदय के लिए यह एक वस्तुनिष्ठ विषय है। वे किस आधार पर निर्णय लेते हैं, यह उन पर निर्भर करता है। क्या इससे आपको सुविधा अथवा असुविधा होगी, इस पर हमारे विद्वान अध्यक्ष ने विचार किया है और अन्ततः विधेयक के महत्व, विषय तथा सरकार द्वारा दिए गए विस्तृत विवरण, जो हमें परिचालित किये गए हैं, पर विचार करते हुए नियम में ढील दी गई है।

अतः हम अध्यक्ष के निर्णय का यह कहकर विरोध नहीं कर सकते कि यह ढील उचित प्रकार से नहीं दी गई है अथवा नहीं दी जानी चाहिए थी।

अतः इस चरण में हम उस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर सकते।

यह मेरा पहला निवेदन है।

फिर जहां तक योग्यता का प्रश्न है, आपके स्वनिर्णय के अनुसार, केवल इसी मुद्दे पर पेश करने की इस अवस्था में चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। आपने अपने विवेक से, शायद, इस चर्चा की अनुमति दी है। अथवा, आप इस विधेयक की योग्यता पर पूरी चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। जहां तक इस मुद्दे की योग्यता का सम्बन्ध है, उन्होंने सूची-II मद संख्या-सात ? का उल्लेख किया है और वह विषय तीर्थ-यात्राओं से सम्बन्धित है। किन्तु इस विधेयक का तीर्थ-यात्राओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हम सब खण्डों के साथ, इस विधेयक के विषय के बारे में पढ़ते हैं तो इसका एकमात्र उद्देश्य धर्म स्थानों के परिवर्तन को रोकने से है। इस विधेयक के अधीन एक तारीख विशेष के पश्चात धर्म स्थानों का परिवर्तन प्रतिबन्धित है। इसमें तीर्थ-यात्राओं सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं है··· **(व्यवधान)**। अतः इसमें उस विषय का बिलकुल उल्लेख नहीं है।

इस विधेयक का ध्येय एक तारीख विशेष के पश्चात् धर्म स्थानों के परिवर्तन पर रोक लगाने मात्र से है। अतः इसका उल्लेख उसमें बिलकुल भी नहीं है। आगे, मेरा निवेदन है कि हालांकि सदन के सामने योग्यता के प्रश्न को उठाया गया है, हम पूरे संवैधानिक कानून की अच्छाईयों की

चर्चा नहीं कर सकते । योग्यता सम्बन्धी इन विषयों को संविधान के अधिकाराधीन यहां पर उठाया जा सकता है और तब अन्त में सभी मुद्दों के आधार पर हम अपनी इच्छा से उस विधेयक पर मतदान कर सकते हैं । किन्तु केवल सभा की कानूनी कार्यवाही में सदन की अयोग्यता के आधार पर इस विधेयक को इस अवस्था में प्रस्तुत करने से नहीं रोक सकते ।

अब, जहां तक इस मुद्दे का सम्बन्ध है मैं कौल एण्ड शकधर की संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार का उल्लेख करता हूं, पृष्ठ 515 पर उन्होंने कहा है :—

> "लोकसभा में यह प्रथा स्थापित हो चुकी है कि अध्यक्ष ऐसे किसी व्यवस्था प्रश्न पर अपना विनिर्णय नहीं देता जिसमें यह प्रश्न उठाया गया हो कि विधेयक संविधान की दृष्टि से सभा की विधाई क्षमता के अन्तर्गत आता है या नहीं ।"

हर जगह, सभी विधान सभायों में इस स्थापित प्रथा का अनुसरण किया जाता है । अतः, अध्यक्ष को अपना विनिर्णय तक नहीं देना होता । तब, उनके द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का क्या प्रभाव होगा ? सदन विधेयक के औचित्य के विशेष प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लेता है । सदन निर्णय ले भी नहीं सकता है । अध्यक्ष भी विनिर्णय नहीं दे सकता है । सदन के विचार के लिए केवल सदस्य ही इस विषय में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा संविधान के औचित्य के पक्ष और विरोध में बहस कर सकते हैं । प्रस्ताव पर मतदान करते समय सदस्य इस पहलू को ध्यान में रखते हैं । अतः, आप कह सकते हैं कि प्रस्ताव पर मतदान करते हुए आप विचार करेंगे । किन्तु जहां तक विद्वान अध्यक्ष महोदय का सम्बन्ध है, मेरे विचार में कोई विनिर्णय न हीं दिया जाना चाहिए । इस विधेयक की संवैधानिक वैधता के औचित्य अथवा नियम विरुद्ध होने के बारे में भी सदन को निर्णय नहीं लेना चाहिए । आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं । इस विधेयक पर मतदान करते समय हम इस पर चर्चा करेंगे तथा इस बात को ध्यान में रखेंगे । अन्यथा, जहां तक आपके मुद्दे का प्रश्न है, इसका कोई प्रभाव नहीं है । अतः इस चरण में इस अधार पर इस विधेयक को नहीं रोका जा सकता कि यह सदन की विधायी क्षमता के अन्दर नहीं आता है । विधेयक पर मतदान के समय इस मुद्दे पर केवल सदस्य ही विचार कर सकते हैं । अतः, यह प्रश्न भी नहीं उठता और यह प्रासंगिक नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यदि इस विधेयक को आज ही पारित कर दिया जाता तो हमें प्रसन्नता होती क्योंकि इस प्रकार सब कुछ ठीक प्रकार से हो जाता और आज देश को इसकी तुरन्त आवश्यकता है । श्री जसवन्त सिंह, जिनके लिए मेरे मन में सबसे अधिक स्नेह है, ने कई मुद्दे उठाये हैं । हालांकि वे निर्देश 19 तथा 19(क) का हवाला देना चाहते थे फिर भी वे निवेदन करने का साहस नहीं कर पाये । उन्होंने इसे श्री राम नाईक पर छोड़ दिया । यह आपके निर्णय का मामला है । आपने इसकी अनुमति दे दी है और इस पर कोई शंका नहीं हो सकती है । यह एक प्रकार से आपके निर्णय को चुनौती देना होगा । इसका विधेयक प्रस्तुत करने की विधायी क्षमता या मन्त्री अथवा सदस्य के विधेयक प्रस्तुत करने के अधिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है । एक बार आपकी अनुमति के पश्चात्, कोई प्रश्न नहीं उठता, हममें से कोई आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकता । अतः अनुच्छेद 19 और 19(ग) पर मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

दो प्रश्न उठाए गए है। एक, क्या यह धन विधेयक है और चूंकि यह एक धन विधेयक है, तब वित्तीय ज्ञापन और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कृपया अनुच्छेद 110 देखें। इसीलिए, मैंने श्री जसवन्त सिंह से पूछा था कि क्या यह उनका सर्वोत्तम मुद्दा है। अनुच्छेद 109 जो एक मुख्य अनुच्छेद है जिसके अनुसार :

"धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा।"

धन विधेयक के पारित किये जाने के पश्चात् इसे राज्य सभा में भेजा जाता है। कृपया अनुच्छेद 110 देखें। इसके अनुसार :

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से सम्बन्धित उपबन्ध हैं, अर्थात् —"

उन्होंने इस अनुच्छेद के भाग (ग), (घ) और (ङ) का हवाला दिया है। भाग (ग) के अनुसार :

"भारत की संचित निधि या आकस्मिता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना।"

श्री जसवन्त सिंह के अनुसार इस देश में प्रत्येक विधेयक को धन विधेयक ही होना चाहिए क्योंकि कुछ धन तो खर्च करना ही है। मान लीजिए, किसी को जेल में डाल दिया जाता है। तब जेलर को और अधिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होती है। अतः, श्री जसवन्त सिंह के अनुसार, यह धन विधेयक बन जाता है। (व्यवधान) इस विधेयक को छपाने में भी, धन खर्च किया गया है। अतः, यह एक अन्य धन विधेयक है। क्योंकि इस विधेयक की छपाई में भी धन खर्च हुआ है।

भाग (घ) के अनुसार :

"भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग।"

कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसमें धन-खर्च के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। कानून बहुत स्पष्ट है; संविधान बहुत स्पष्ट है।

भाग (ङ) के अनुसार :

"किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना।"

इस विधेयक का इससे दूर तक सम्बन्ध नहीं है। अतः, मेरे विचार में, हमें इस पर और अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में, वे अपने मुद्दे को वापस ले रहे हैं। (व्यवधान) अन्य मुद्दा है कि बहुत अधिक मेहनत करने के पश्चात् वे तीर्थयात्रियों के बारे में सूची-II की सातवीं प्रविष्ठी पर चर्चा कर रहे हैं।

जहां तक तीर्थ यात्रा का सम्बन्ध है तो इसमें यात्रा अर्थात एक स्थान पर जाने की बात निहित है। इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को उपासना स्थल पर जाने से रोकना नहीं है। इसका अभिप्राय उपासना स्थल पर जाने का है। लेकिन इसे तोड़िए मत। आप वहां जाइए और देवता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए। लेकिन इसके सम्पूर्ण ढांचे को ही मत बदलिए। इस विधेयक का उद्देश्य यही है।

कृपया सातवीं अनुसूची-II की प्रविष्टि-7 को देखिए, यह तीर्थ यात्रा से सम्बन्धित है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने बहुत ध्यानपूर्वक इस शब्द का प्रयोग किया है और सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि को उदारतापूर्वक उत्पन्न करने की कोई संभावना नहीं है। न्यायालयों ने यह पता लगाने के प्रयास किये हैं। जब समक्षता का मुद्दा उठता है तो विधान का उद्देश्य यह होता है कि इस कानून का वास्तविक तात्पर्य क्या है ? यह क्या प्राप्त करना चाहता है ? इससे एक अन्य अर्थ निकल सकता है। जैसा कि श्री दिघे ने उचित ही कहा है, इसमें उपासना स्थलों से निपटने का प्रयास किया गया है और यह किसी को वहां जाने से रोकता नहीं है। यह न तो किसी को उपासना स्थल पर जाने के लिए प्रेरित करता है और न ही हतोत्साहित करता है। यह एक विख्यात शब्द कोष है और हम इस शब्द का अर्थ जानने के लिए अन्य शब्दकोषों का अध्ययन भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र को इसका शाब्दिक अर्थ स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यह शाब्दिक अर्थ भी महत्वपूर्ण है।

कोलिन्स के अनुसार 'तीर्थयात्रा' एक ऐसी यात्रा है जो कोई व्यक्ति धार्मिक कारण से एक पवित्र स्थान पर जाने के लिए करता है। वह जा सकता है उसे यात्रा करने से कौन रोक रहा है ? लेकिन यह विधेयक यात्रा से सम्बन्धित नहीं है। मैं यही कह रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : कहां की यात्रा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक उपासना स्थल की यात्रा।

इसलिए मुद्दा यह है कि संविधान में 'तीर्थयात्रा' शब्द का प्रयोग किया गया। तारकेश्वर एक अत्यधिक प्रसिद्ध स्थान है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह श्री अनिल बसु के निर्वाचन क्षेत्र में है।

मुझे इसमे खुशी नहीं है कि युवा लड़के घड़े लेकर वहां पर पवित्र जल में डुबकी लगाने जा रहे हैं। वे जाएं। मैं उन्हें रोक नहीं रहा। लेकिन अगर कोई कानून बनाया जाना है तो राज्य को वह कानून बनाना है जिससे तीर्थयात्रा का प्रावधान हो। (व्यवधान) इसका शाब्दिक अर्थ यह है। हम सभी वैचारिक अर्थ जानते हैं। यह विधेयक 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक स्थानों की पवित्रता को कायम रखेगा। इन तीर्थ मन्दिरों की तीर्थयात्रा से इसका कोई सरोकार नहीं है। दूसरी ओर इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इन स्थानों की देख-रेख की जाए ताकि वहां की तीर्थयात्रा में व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए इस कानून के तहत 'तीर्थयात्रा' के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं है।

महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों तथा आपसे मेरा अनुरोध है कि प्रविष्ट बिलकुल लागू नहीं हो सकती अपने मित्र श्री जसवन्त सिंह के प्रति मैं अत्यधिक आदर रखता हूं, उन्होंने अपनी जांच में प्रविष्ट 10 का उल्लेख किया हैं : उनके अनुसार प्रविष्ट 10 बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रविष्ट में दफनाने और कब्रगाह तथा दाह-संस्कार और श्मशान के बारे में कहा गया है। हमारा ध्येय इस देश को कब्रगाह और श्मशान बनने से रोकना है। इस विधेयक में कब्रगाह और श्मशान के संबंध में प्रावधान नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि एक कब्रगाह तथा इस विधेयक के बीच परस्पर क्या संबंध है। संभवत: वे गुप्त रूप से अनेक स्थानों को कब्रगाह में बदलने के प्रयास कर रहे हैं। यह खतरनाक बात है। इसी कारण हम इस सरकार पर जोर दे रहे हैं कि वह इस बारे में देरी न करें। मैं कहता हूं कि आप अपना वचन पूरा कीजिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने उस प्रस्ताव पर कार्यवाही की हैं जिसे हमारी पार्टी के श्री जैनुल अबेदिन ने पेश किया था। कुछ भी न करने से देरी से कार्यवाही करना अच्छा है। मुझे खुशी है कि आपने हमारे सदस्य के योगदान को माना है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : जम्मू और कश्मीर के बारे में क्या कहना है ?

[हिन्दी]

आप उस पर भी प्रकाश डालिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : जम्मू कश्मीर को शामिल करना या न करना इससे सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी मुझे एक बात कहनी है। इस विधेयक पर कौन-सी प्रविष्ट लागू है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : सूची I की प्रविष्टि 97। (व्यवधान)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सूची III की प्रविष्ट 28। आप प्रविष्टि 28 को पढ़ सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, प्रविष्टि 28 भी है।

श्री पी० चिदम्बरम् : कृपया पूरी प्रविष्ट पढ़िए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत अच्छा मुद्दा है।

इसका अन्तिम भाग स्पष्ट कर देता है। 97 में कहा गया है कि कोई भी अन्य मामला जो इसमें नहीं दिया गया है। यह तो स्थानों की यथा-स्थिति को कायम रखने का प्रश्न है। उपबन्ध 97 के तहत ससद को पूर्ण शक्ति दी गई है।

महोदय, मेरे विचार से उनका तर्क तो ऐसा है जिसे हम कानून में दयनीय स्थिति कहते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा में इस दयनीय स्थिति पर सोचा है। लेकिन उनकी बात लागू नहीं हो सकती। मैं पुनः अपील करता हूं कि हम सब को यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

श्री हरिन पाठक : इस की संरचना को मत बदलिए बल्कि जम्मू कश्मीर में मन्दिरों को नष्ट कीजिए। क्या आपका अभिप्राय यह है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया आपस में एक दूसरे से बात मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, हम को भी बोलने का अधिकार है, हम भी चुनकर सदन में आए हैं। यह इतना आसान मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर बोलिए।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं इसी प्वाइंट पर बोल रहा हूं।····(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय, बिल जो माननीय मन्त्री जी द्वारा सदन में पुरःस्थापित किया गया है, उसके कानूनी पहलुओं पर हमारे साथियों ने जो कुछ कहा और हमारे दूसरे पक्ष के लोगों ने जो कुछ कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। बार-बार दोहराने का कोई फायदा भी नहीं है लेकिन उसके आगे जो भावनात्मक पहलू है, उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। भावनात्मक पहलू यह है कि आज चालीस साल की आजादी के बाद इस देश की सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि वह यह कानून पेश करें।····**(व्यवधान)**····आजादी के चालीस साल के पहले इस देश में हिन्दू-मुसलमान के नाम पर जो झगड़े हुए, उससे देश के टुकड़े हुए और फिर आज चालीस साल के बाद फिर देश को तोड़ने के लिए यह काला कानून पेश किया जा रहा है। ····**(व्यवधान)**···· यह भावनात्मक है····**(व्यवधान)**····जहां तक धार्मिक स्थलों का सवाल है, यह रिकार्ड में है कि एक भी मस्जिद को कहीं पर भी नुकसान नहीं हुआ है। इस देश में कश्मीर में पचासों मन्दिर तोड़ दिए गए हैं। मैं आपसे और आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि भावुकता में न आ कर के, वोट के लालच में न पड़ कर के, भारत को एक रखने के लिए देश में साम्प्रदायिक उन्माद पैदा न हो, इसके लिए इस कानून को सदन में पेश करने के लिए कतई इजाजत न दी जाए। ···**(व्यवधान)**····

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र चटर्जी साहब ने जो कहा है मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। अनकान्स्टीचूशनल प्रोवीजन सरकार या कोई सदस्य सदन में ले आता है, तो उस पर आपको व्यवस्था देने का अधिकार है और उसमें कोई अवैधानिकता नहीं होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, इस स्थिति से समूचे देश की जो फैडरल स्ट्रक्चर है, इस देश की जो बेसिक कान्सैप्ट आफ कांस्टीचूशन है, उसको नष्ट करने की साजिश की जा रही है, इस विधेयक के माध्यम से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर उचित समझते हों, तो इसको सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया को राष्ट्रपति जी के माध्यम से राय जानने के लिए भेजें और उसकी कान्स्टीचूशनल वैलिडिटी, एडमिसीबिलटी के बारे में विचार किया जाए। उसके बिना यहां पर कोई उत्तेजनात्मक या जल्दबाजी में आकर कोई कदम उठा भी लिया तो देश के फैडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा और समूचा सदन इस बात का गुनाहगार होगा कि उसने अपने हाथ से,

संविधान की हत्या कर दी और जिस संविधान की सौगन्ध खाकर हम लोग यहां आये हैं उसके खिलाफ हम लोग यहां काम कर रहे हैं और उसको ध्वस्त कर दिया।

तीसरी बात यह है कि हम इस बिल को लाकर ट्रांसग्रेशन आफ पावर द्वारा हम उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना चाहते हैं। यह नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। मेरे मित्र चटर्जी साहब ने पिछली बार इस बात को कहा था और मैं उसको पढ़ रहा था। मैंने पाया कि उन्होंने स्टेट की स्वायत्तता के अधिकारों की रक्षा की बात कही है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि स्टेट की स्वायत्तता की रक्षा करने के बजाए वे उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण की वकालत कर रहे हैं। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, यदि कान्स्टीचूशनल प्रोप्रायटी का मैटर आ जाए तो राष्ट्रपति जी के माध्यम से और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्रीजसवंत सिंह जी ने एक्सपेंडीचर इनवाल्व की बात कही थी और श्री सोमनाथ चटर्जी जी कहते हैं कि इसमें एक्सपेंडीचर इनवाल्व नहीं है। मेरा कहना यह है कि इसमें करोड़ों रुपयों का एक्सपेंडीचर इनवाल्व है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप लिगल प्वाइन्ट के बारे में बात कीजिए।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बिल का एक्ट बन जाने के बाद यह इम्प्लीकेशन होगा कि जो सोमनाथ का मन्दिर 1947 के बाद बना है वह टूट जाएगा और उसके न्यास को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। इससे इस देश की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और देश भर में एनारकी पैदा हो जाएगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैंने आपको इसलिए अनुमति दी कि आप मेरे एक प्रसिद्ध वकील हैं और मैं समझता था कि आप कानूनी मुद्दों पर मेरा ज्ञान बढ़ाएंगे। अन्य मुद्दों पर आप उस समय चर्चा कर सकते हैं जब इनकी बारी आएगी।

[व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां लोग धार्मिक भावना के साथ जाते हैं उसे पिलग्रिमेज कहते हैं और जहां लोग घूमने के भाव से जाते हैं उसे टूरिजम कहते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, जसवंत सिंह जी, राम नायक और मेरे कुछ साथियों ने आज यह आपत्ति उठाई है केवल इसके जो वैधानिक पहलू हैं या प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बात पर आप विचार करें कि आज अगर बिल

सरकुलेट होता और मंगलवार या बुधवार को इन्ट्रोड्यूस किया जाता तो कौन-सा आसमान टूट पड़ता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में जो हमारे नियम बने हुए हैं और आपके निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। अगर कोई 19ए, 19वी को देखें, सोमनाथ जी देखे या उधर से कोई देखे तो उसका एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य यह है कि 19ए में काफी डिसक्रिशन है। जो 7 दिन का नोटिस है उसकी जगह पर आप उसे उसी दिन के नोटिस के आधार पर भी स्वीकार कर सकते हैं, 19वी में जहां कहा गया है।

[अनुवाद]

"कोई भी विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्य सूची में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हो।"

स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि, "कोई भी विधेयक सम्मिलित नहीं किया जाएगा...."

[हिन्दी]

एक प्रकार से मेंडेटरी है और दो प्रोविसो हैं और दो प्रोविसों की शब्दावली में कितना अन्तर है। पहला यह है जिसमें कहा गया है।

[अनुवाद]

"परन्तु विनियोग, विधेयक वित्त विधेयक और ऐसे गुप्त विधेयक जो कार्य सूची में नहीं रखे जाते, सदस्यों को पहले प्रतियां बांटे बिना ही पुरःस्थापित किये जा सकेंगे।"

लेकिन दूसरा प्रावधान पीठासीन अधिकारी पर यह दायित्व डालता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि जब तक ऐसा आवश्यक न हो तब तक सदस्यों के कम से कम दो दिन पहले विधेयक का अध्ययन करने के अधिकार से इंकार नहीं करना चाहिए कि वे निर्णय लें कि क्या विधेयक पुरःस्थापित किया जाए अथवा नहीं। मेरा आपसे कहना है कि इस समय सरकार द्वारा दिया गया ज्ञापन बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, यह किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं देता है, इसमें केवल यह कहा गया है कि विधेयक के महत्व को देखते हुए मसौदे पर सावधानी पूर्वक विचार करना और उसकी जांच करना आवश्यक है।

यदि आज सत्र का अन्तिम दिन होता तब मैं कहता कि 'विधेयक का अध्ययन करने में विलम्ब होगा।" लेकिन अभी सत्र जारी है। यदि विधेयक को मंगलवार अथवा बुधवार को पुरःस्थापित किया जाता तब कोई आसमान नहीं गिर जाता।

इसीलिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस निर्देश विशेष का कुछ उद्देश्य है और वह उद्देश्य यह है कि हमें विधेयक इस प्रकार नहीं लाना चाहिए। यहां तक कि छोटी-सी बहस जो अभी हो रही थी यह दर्शाती है कि हम इससे काफी विक्षुब्ध हैं। मैं विधेयक के अनुषांगिक विषयों को नहीं उठाना चाहता हूं। विधेयक वह समस्याएं उत्पन्न करेगा जो पहले नहीं हैं। जो समस्याएं अभी हैं वह इस विधेयक द्वारा सुलझने वाली नहीं हैं। अनेक ऐसे स्थान हैं जहां 1947 के बाद परिवर्तन हुए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : आप विधेयक की विशेषताओं की बात कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उसकी विशेषताओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसीलिए, मेरा विश्वास है कि यह विधेयक पूर्णत: गलत ढंग से बनाया गया है। यह विधेयक बिल्कुल गलत है। कम से कम मेरा दल इस विधेयक का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सरकार को आज यह विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? इसे दो या तीन दिन बाद पुर:स्थापित क्यों नहीं किया जा सकता है ? कम से कम इस ज्ञापन विशेष में इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसीलिए मेरे सहयोगी श्री जसवन्त सिंह और श्री राम नाईक ने इसका विरोध किया है।

मेरे सहयोगी श्री जसवन्त सिंह ने तीन सूचियों के बारे में जो सभा के विधायी अधिकारों की बात कही है उसका श्री सोमनाथ चटर्जी अथवा श्री शरद दिघे ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी आपने इसे स्वीकार कैसे नहीं किया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने इस बात को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि परसों तक मेरे कुछ विचार थे जैसे कि विधेयक की प्रकृति क्या होगी। आज मैंने देखा है कि यह विधेयक कुछ भिन्न है। मैंने इसे आज सुबह ही देखा है। जिस किसी ने समाचार पत्र पढ़े हैं उन्होंने मुझे बताया है कि समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि विधेयक आज पुर:स्थापित किया जा रहा है। इसीलिए, मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अन्यथा मैं पूरी तरह से तैयार होकर आता और तर्क देता। विधायी कार्य के अधिकार का मुद्दा अति महत्वपूर्ण है जो पुर: स्थापन के चरण पर उठाया जा सकता है, इस बात के बारे में श्री जसवन्त सिंह और विख्यात वकीलों ने संक्षेप में बताया है।

श्री जसवन्त सिंह : क्या आप एक मिनट के लिए अपनी बात रोकेंगे ? मैं यह कहना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा है कि "आपने इसे स्वीकार कैसे नहीं किया ?" मैंने भी बहुत परिश्रम नहीं किया था। मुझे इस विधेयक के पुर:स्थापन के बारे में पता चला। मुझे इस पर कुछ आपत्तियां थीं और वह आपत्ति विधायी सक्षमता के संबंध में थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके कानूनी ज्ञान का सम्मान करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : नहीं महोदय, मैं पेशे से या प्रशिक्षण से या अपनी इच्छा से वकील नहीं हूं। सार्वजानक मामलों का विद्यार्थी होने के कारण जब मेरे नेता ने मुझे कहा कि वह सदन में उपस्थित नहीं होंगे और मुझे सब बातें संभालनी हैं तब मैंने विधायी सक्षमता से सम्बन्धित पहलू पर अपनी असहमति प्रकट की।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी बात समझ आ गई है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसीलिए मैं आपसे इस चरण पर भी अनुरोध करता हूं कि

आप सरकार को आज यह विधेयक पुरःस्थापित न करने की सलाह दें और कहें कि इसे अगले सप्ताह किसी भी समय सभा में पुरःस्थापित किया जाए और तब हमें जो कहना होगा हम उस समय कहेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह विधेयक कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में अंतर्विष्ट मुद्दों और राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने जो कहा उसके अनुसरण में लाया गया है। माननीय सदस्यों ने अन्य जिन पहलूओं का हवाला दिया है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह मुद्दा कानूनी सक्षमता के आधार पर उठाया गया है। मैं श्री जसवन्त सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। जब उन्होंने कहा कि इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है तब मैंने विधेयक में देखा कि क्या इसमें कोई व्यय शामिल है।

अनुच्छेद 110 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि व्यय का कोई प्रावधान हो तो इसके साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए। इसमें कोई व्यय शामिल नहीं है इसलिए मैं नहीं जानता कि अनुच्छेद 110 की बात क्यों उठाई गई है। हमने इस मुद्दे को काफी समझने का प्रयास किया है लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि किस आधार पर अनुच्छेद 110 की बात उठाई गई है।

जहां तक इस माननीय सभा के विधायी अधिकारों का सम्बन्ध है दोनों माननीय सदस्यों, श्री शरद दिघे और श्री सोमनाथ चटर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि यदि हम समवर्ती सूची की मद संख्या 28 का अध्ययन करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन माननीय सदस्य श्री दिघे ने जो कहा है क्या माननीय सभापति अथवा सरकार को उसकी वैधता को न्यायसंगत ठहराना चाहिए।

जहां तक मद का सम्बन्ध है मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि समवर्ती सूची में मद संख्या 28 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निश्चित रूप से यह सरकार को इस प्रकार का विधान लाने की शक्ति प्रदान करता है। यदि इस बारे में कोई संदेह हो तब संघ सूची में मद सख्या 97 में भी इसके लिए प्रावधान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि दोनों आधारों पर यह विधेयक पारित करने के लिए इस सभा की सक्षमता के बारे में कुछ संदेह है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक मुद्दा स्पष्ट नहीं है। हमें इस सभा को यह स्पष्टीकरण देना है कि यह दो दिन पहले क्यों नहीं लाया गया।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने आपको लिखे इस पत्र में विशेष अनुरोध किया था। इस मामले की ओर सरकार का ध्यान गया और हमने सावधानीपूर्वक इस पर विचार करते हुए यह सोचा कि यह ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक है जो उन अनेक बातों का समाधान कर देगा। जो लोगों के मन में हैं। इसीलिए इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया और इसीलिए (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य नहीं (व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : लेकिन महोदय मैं साथ-साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने दस दिन पहले सूचना दी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक पुरःस्थापित करने से दो दिन पहले परिचालित क्यों नहीं किया गया था।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : इस बारे में मुझे यह कहना है कि चूंकि यह विधेयक दोनों सदनों में पारित होना चाहिए इसलिए हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से मद संख्या 92 के प्रावधान को समाप्त करने का अनुरोध किया। मैं केवल यही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि सूचना केवल दस दिन पहले दी गई थी तब यह बात और भी आपत्तिजनक है। **(व्यवधान)**

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : बिल कब आया। **(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने अपनी सहमति दे दी। अन्यथा विधेयक आज पुरः-स्थापन के लिए नहीं लाया जा सकता था। अब इसे कैसे संशोधित किया जा सकता है? सहमति को भूतलक्षी प्रभाव से वापिस नहीं लिया जा सकता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने तरीके से इस पर निर्णय करूंगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक दो दिन पहले परिचालित किया जाना चाहिए था। मैं सभी सदस्यों और मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे नियम के प्रावधानों का भी ध्यान रखें।

दूसरे, मेरे विचार में इस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उल्लेख किया था। मुझे दिनांक 13.8.91 को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि सरकार विधेयक पुरःस्थापित करना चाहती है लेकिन मुझे विधेयक प्राप्त नहीं हुआ था। मुझे केवल सूचना प्राप्त हुई थी।

सम्भवतः सभा के कार्य पर निर्णय लेते हुए सरकार ने विधेयक पर विचार किये जाने के समय को ध्यान में रखा होगा और तभी इस प्रकार सूचना दी गयी तथा मुझे विधेयक नहीं दिया गया। फिर पुनः आवेदन किया गया कि मैं अपने इस स्वनिर्णय का इस्तेमाल करूं और विधेयक को पुरःस्थापित करने की प्रदान करूं मेरा यह विचार है कि यदि विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है तो सदस्यों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और वे इस विधेयक पर विचार किये जाने के समय और खण्डवार विचार किये जाने पर तथा इसे पारित किये जाने के समय विस्तार से चर्चा कर पायेंगे। इसीलिए मैंने अपने स्वनिर्णय को इस्तेमाल किया।

यद्यपि मैंने यहां अपना स्वनिर्णय स्तेमाल किया है फिर भी साथ ही मैं सभी सम्बन्धित लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि भविष्य में इन मामलों में सावधानी पूर्वक कदम उठाये।

जहां तक इस विधायिका का सम्बन्ध है श्री दिघे ने ठीक ही कहा है कि हम इस सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं कि क्या यह विधायिका विधेयक पर विचार करने और पारित करने में समक्ष है लेकिन यह निर्णय पीठासीन अधिकारी अथवा सभा द्वारा नहीं दिया जा सकता है। यह निर्णय तो केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी विधेयक विशेष पर निर्णय लेने का अधिकार किसी विधायिका विशेष को है या नहीं इस सम्बन्ध में सही समय की, आवश्यक धैर्य की और सम्भवत: आवश्यक कानूनी और संवैधानिक ज्ञान की जरूरत होती है। विधेयक के अधिकार क्षेत्र के बारे में भी इस सभा द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। फिर प्रश्न यह है कि जब निर्णय नहीं दिया जा सकता है तो सभा में बाद-विवाद की अनुमति क्यों दी गई।

इस संबंध में पूर्व पीठासीन अधिकारी ने यह निर्णय लिया था कि जब इस तरह के मामले में सभा मे बहस होती है तो सदस्यों को जानकारी दी जाती है तथा वे किसी विशिष्ट तरीके से भी मतदान कर सकते हैं और इस प्रकार एक निर्णय लिया जा सकता है। इस स्थिति को यहां दिये गये निर्णयों से सहमति मिल सकती है। 1957 में दिये गये एक निर्णय को मैं यहां पढ़ रहा हूं। यह स्वय श्री फर्नान्डीज द्वारा उठाये गये एक मुद्दे पर था।

"अध्यक्ष एक विधेयक को अस्वीकृत करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।"

वह बहुत स्पष्ट है।

"अध्यक्ष इस आधार पर एक विधेयक को अस्वीकृत करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि यह संविधान के किसी उपबन्ध विशेष का अनुपालन नहीं करता है। पुनः अध्यक्ष यह भी निर्णय नहीं लेते हैं कि क्या विधेयक सभा के विधाई अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। सभा एक विधेयक के इस अधिकार क्षेत्र के विशिष्ट प्रश्न पर निर्णय नहीं लेती है।"

यद्यपि हम पुरःस्थापन की अनुमति दे रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि मैं वास्तव में इस बात से प्रसन्न हूं कि इस मामले को माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छी तरह उठाया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु जो कुछ वास्तव में हुआ है उसे देखते हुए और जो कुछ मैंने अभी कहा है उसे देखते हुए मैं विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति दे रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम इस विधेयक से स्वयं को संबद्ध नहीं कर सकते हैं। हम इसके पुरःस्थापन का विरोध कर रहे हैं और विरोध में हम सभा से बाहर जाते हैं। (**व्यवधान**)

तत्पश्चात् श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी भी उपासना स्थल के संपरिवर्तन पर रोक लगाने और किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार बनाये रखने का उपबन्ध करने और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय लेते हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आज शुक्रवार है। क्या मध्यान्ह भोजन का अवकाश नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : हम माननीय सदस्यों की सलाह के मुताबिक काम करेंगे। अब हम सभा को 3 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित करते हैं।

1.53 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.03 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.03 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(राव रामसिंह पीठासीन हुए)

आधे घंटे की चर्चा के स्थगन के बारे में घोषणा

सभापति महोदय : मुझे टिहरी बांध परियोजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा के सम्बन्ध में एक घोषणा करनी है। जैसे कि माननीय सदस्य श्री खंडूड़ी को आधे घण्टे की चर्चा को स्थगित करने में कोई आपत्ति नहीं है और जैसे कि पर्यावरण मंत्री ने आग्रह किया है, इसे अगले सप्ताह तक स्थगित किया जाता है। चर्चा की तारीख और समय की बाद में घोषणा की जायेगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए गैर सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 म० प० पर लिया जायेगा।

3.04 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1991-92 उद्योग मंत्रालय-जारी

सभापति महोदय : सभा अब उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर आगे चर्चा करेगी। श्री राम कापसे खड़े थे। श्री राम कापसे।

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, भारत की जनसंख्या विश्व की 15 प्रतिशत है और जहां तक विश्व की बात है उसकी केवल 1.5 प्रतिशत सम्पत्ति ही यहां अर्जित होती है। इससे

एक के बाद एक सत्ता में आयी सरकारों की असफलताओं का पता चलता है। उन्होंने कृषि उद्योग और अन्य चीजों की ध्यान नहीं दिया है। अब सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति लाने का निर्णय लिया है।

औद्योगिक नीति वाले विवरण में सरकार ने कहा है कि उनकी नीति "परिवर्तन के साथ निरन्तरता" वाली होगी। वास्तव में यह एक अल्पकालीन नीति है जो कि उस नीति से हटकर है जिससे इन 35 वर्षों सहायता मिली है।

इसमें पूरी तरह से परिवर्तन किया गया है। मैं राष्ट्रीय औद्योगिक नीति से पढ़ना चाहूंगा, जोकि पहले मौजूद थी। लाइसेंस करने के दो उद्देश्य थे और लक्ष्य सात थे। जितना भी लाइसेंस में शामिल किया गया—सरकार का स्पष्ट मत था—यह देश के हित में था। आज सरकार लाइसेंस नीति के खिलाफ बोल रही है। लाइसेंस नीति का ध्येय निवेशित किये जाने वाले संसाधन का अधिकतम फायदा उठाना था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से निवेशित संसाधनों का आबन्टन करना था, आर्थिक शक्ति के एक जगह इकट्ठे होने से रोकना तथा अन्ततः सरकारी संगठित निजी क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र आदि के मध्य अधिकांश अन्तर क्षेत्रीय संतुलन प्राप्त करना था।

आप लाइसेंस नीति को समाप्त करना चाहते हैं। औद्योगिक नीति के अन्तिम पृष्ठ पर सरकार ने कहा है "लाइसेंस के हटाने के फायदे" विगत में तो वे लाइसेंस नीति के फायदे बताते थे। इसमें काफी विलम्ब के साथ-साथ कई परेशानियां भी थी जिनकी वजह से निराशा पैदा होती थी कीमतों में बढ़ोतरी एवं परियोजनाओं को स्थापित करने में कई अड़चनें आती थी। नई औद्योगिक नीति ने सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया। और अन्य प्राप्त होने वाले लाभ यह है कि खरीददारों को उपलब्ध माल की गुणवत्ता में सुधार होता है क्योंकि कोई भी उत्पादक कर्ता स्पर्धा से सुरक्षित नहीं है। अतः यह काफी कठिन कार्य है। वस्तुतः यह शीर्षासन है। फिर भी वे कहते हैं कि वे परिवर्तन के साथ निरन्तरता बनाये हुए है। वे यह क्यों स्वीकार नहीं करते कि वे असफल रहे हैं और वे इस नीति को बदलना चाहते हैं? फिर हम यह कह सकते हैं कि वे महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं। अतः आप इनके संदर्भ में सोच रहे हैं लेकिन कम से कम हम सच तो बोल रहे हैं। आप को इस नयी औद्योगिक नीति के प्रति किसने प्रेरित किया?

वस्तुत: जब राजगोपालाचारी सरकार की आलोचना करते थे तो वह सरकार को 'लाइसेंस जारी करने वाला राज' कहते थे। सरकार इसके विरुद्ध थी। आज सरकार दूसरी तरह से सोच रही है मैं नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में किये गये कुछ परिवर्तनों का स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही मैं समझता हूं कि वे जल्दबाजी में किये गये हैं। 1977 की औद्योगिक नीति में 1988 की औद्योगिक नीति में जो महत्वपूर्ण बातें थीं उन्हें छोड़ दिया गया है। यह जल्दबाजी में किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पुनः एक व्यापक अध्ययन किया जाये और 1977 या 1980 की औद्योगिक नीतियों में जो भी अच्छा कार्य किया गया है उसे भी शामिल किया जाये जैसे कि 1977 में रोजगार अभिमुख कार्यक्रम के मामले में किया गया था। यह बहुत आवश्यक था। विकेन्द्रीकरण बहुत आवश्यक था।

1980 में उपभोक्ता संरक्षण का प्रयास किया गया था। मैं समझता हूं कि आज जल्दबाजी में वे कई अच्छी बातें जो हमारी औद्योगिक नीति में शामिल थी उन्हें छोड़ दिया गया है और इस पूरे मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए रास्ता खोल रहे हैं मैं समझता हूं कि उन्हें उपभोक्ता उद्योग से अलग रखना चाहिए उच्च तकनीक, आयात विकल्प और विशेष रूप से निर्यातोन्मुख क्षेत्रों में विदेशी पूंजी पर प्रतिबन्ध को तो मैं समझ सकता हूं।

जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह औद्योगिक नीति रोजगार उपलब्ध नहीं कर सकती है। आज की स्थिति क्या है ? यहां तक कि औद्योगिक नीति में भी यह उल्लेख किया गया है कि अस्सी के दशक में गरीबी के स्तर में बहुत कमी आई है लेकिन गरीबों, अशिक्षितों और बेरोजगारों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, उसके लिए क्या प्रयास किये गये हैं ? एक दो बातें ही कही गई हैं। लेकिन नीति में ही कई परस्पर विरोधी बातें हैं जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होगी और इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, पृष्ठ 12 पर नीति में यह कहा गया है कि सार्वजनिक उद्यमों में फालतू लोग हैं। क्या आप सार्वजनिक उद्यमों में रोजगार कम करने वाले हैं ? पृष्ठ 13 पैरा 33 में निम्नलिखित बातें कही गई हैं :

> "इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार वर्तमान सार्वजनिक निवेश सूची की समीक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोण से करेगी यह समीक्षा घटिया किस्म की प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों, लघु एवं गैर सामरिक क्षेत्र के उद्योगों, अक्षम और अलाभकारी क्षेत्रों, ऐसे क्षेत्र जिनका सामाजिक उपयोग और सार्वजनिक उद्देश्य बहुत कम है या नहीं है और ऐसे निजी क्षेत्र जिसमें पर्याप्त विशेषज्ञता और संसाधन विकसित किया गया है, के सम्बन्ध में होगी।"

आपने सार्वजनिक उद्यमों को छोड़ने का विचार किया है। क्या आप उस बेरोजगारी के सम्बन्ध में सोच रहे हैं जो इससे उत्पन्न होगी और क्या आपने इसका प्रबन्ध कर लिया है ? मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ताकि परस्पर विरोधी बातों पर विचार किया जा सके।

औद्योगिक नीति को पढ़ते समय हमें यह लगा कि अधिक बेरोजगारी उत्पन्न करना ठीक नहीं होगा और इसलिए कुछ करने की आवश्यकता है। मैं आपकी सभी बातों का स्वागत नहीं कर रहा हूं। आपको इसका पूरा अध्ययन करना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिंदी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : आपको सच कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गिने-चुने मुद्दों पर समर्थन देंगे।

श्री राम कापसे : यह स्वाभाविक ही है।

जहां तक उद्योगों का संबंध है, एक ही जगह पर केन्द्रित होने की निश्चित संभावना होती है। जहां तक छोटे और लघु उद्योगों का सम्बन्ध है अब आप छोटे लघु, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच स्पर्धा उत्पन्न कर रहे हैं और ये सभी बहुत थोड़ी सहायता से आपस में साथ मिलकर कार्य करेंगे। लेकिन जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है, क्या आप उन उद्योगों की सहायता नहीं करने जा रहे हैं जिनका कुल निर्यात 40 प्रतिशत हिस्सा है।

विपणन के लिये बहुत कम सहायता दी जाती है और उत्पाद शुल्क लगाते समय मैं वित्तमंत्री से मिला था और जहां तक रंग (पेन्ट) उत्पादकों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि छोटे एवं लघु रंग उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क लगाने से पहले उन्हें सम्पूर्ण प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिये। आप करीब 175 करोड़ रुपये पूरे भारत के छोटे और लघु उद्योगों से इकट्ठे करने जा रहे हैं। ऐसे छोटे उद्योगों की संख्या करीब 2000 है जिन पर आप पहली बार उत्पाद शुल्क लगाने का विचार कर रहे हैं।

छोटे और लघु उद्योगों को संरक्षण देने की आवश्यकता है लेकिन इस वित्तीय विधेयक पर आपने उस पर कोई विचार नहीं किया है। मैं पुन: आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन असहाय लोगों के बारे में विचार करें जिन्हें बड़े उद्योगों के साथ स्पर्धा में उतरना होता है और साथ ही आप उन रियायतों को भी वापस लेने का विचार कर रहे हैं जो उन्हें मिली हुई हैं।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम कापसे : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

जहां तक ग्रामीण उद्योगों का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि यदि ग्रामीण उद्योगों में एक करोड़ रुपये लगाए जाएं तो संगठित क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण उद्योगों में चार गुणा अधिक रोजगार उत्पन्न किये जा सकेंगे। इसलिये उन्हें सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण उद्योगों, करीगरों और प्रसंस्करण इकाईयों के लिये विपणन सुविधा और विपणन सम्बन्धी परामर्श सेवा की आवश्यकता है। ऐसी सहायता दी जानी चाहिये। साथ ही बिचौलियों को अलग करने की आवश्यकता है। जनजातीय लोगों की कुशलता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

यह अन्तिम बात मैं कह दूं उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जहां तक पर्यावरण का सम्बन्ध है उसके बारे में अपने दृष्टिकोण का आपने औद्योगिक नीति संकल्प के पृष्ठ 16 पर उल्लेख किया है।

> "शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर जहां की आबादी दास लाख से अधिक है केन्द्र सरकार से औद्योगिक मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी सिवा उन उद्योगों के जो अनिवार्य लाईसेंस की कोटि में आते हैं। ऐसे शहर जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है

उनके संदर्भ में ऐसे उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते जैसे कि इलेक्ट्रानिकस; कम्प्यूटर साफ्टवेयर और छपाई के उद्योग शहर की सीमा से 25 किलोमीटर दूर स्थापित होंगे उन स्थानों को छोड़कर जो पूर्व निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र हैं।"

अब मैं एक प्रश्न करता हूं। मुम्बई के नजदीक नई मुम्बई में पूर्व निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र हैं। वह एम० आई० डी० है। वहां पर शायद ही कोई उद्योग घातक और प्रदूषणकारी है और जब आप ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के मुक्त विकास की बात करते हैं तो क्या स्थिति होगी? मुम्बई या थाणे जिसकी आबादी एक मिलियन हैं उससे 25 किलोमीटर दूर यदि वहां उद्योगों की स्थापना की जाए तो वहां के लोगों को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?

मैं औद्योगिक विकास का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही इन दोनों क्षेत्रों के बीच के लोगों अधिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है और भाग चार के पैरा 39 में उल्लिखित सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उद्योग मंत्री को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे दस मिनट का समय दिया यह आपकी बड़ी कृपा है। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप मुझे सोमवार को भी बोलने की अनुमति दें।

मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों के साथ-साथ औद्योगिक नीति दोनों का का विरोध करता हूं।

जब मैं औद्योगिक नीति का विरोध करने के लिये यहां खड़ा हूं तो इस क्रम में मैं एक अच्छे समायोजक होने का आभास दूंगा। 24-7-1990 को एक प्रेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उस समय राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी। उन्होंने औद्योगिक नीति को प्रकाशित किया था और आज की वर्तमान सत्तासीन पार्टी उस समय उस नीति से बहुत विचलित हुई थी। उनकी अपनी बैठकें हो रही हैं। इस प्रेस रिपोर्ट का शीर्षक था—"लिबर लाइजेशन आफ दे इन्डस्ट्रियल पालिसी इज ए सेल आउट।" यह कांग्रेस इ पार्टी के स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी के कथन से उद्धृत हैं। वर्तमान सत्तासीन पार्टी इस पर विचार कर सकती है। औद्योगिक नीति का उदारीकरण जिसे उस समय राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने प्रस्तुत किया था—पर हमला था। इसके अलावा, महोदय, (व्यवधान)

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : उस समय आपने समर्थन किया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं, हमने इसका समर्थन नहीं किया था।

महोदय, इस औद्योगिक नीति का पहला कदम और उसके नए दृष्टिकोण का संकेत इस अनुदान की मांगों में मिल गया है। मुझे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने दें। कुल मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व और उद्देश्य को कम करने के साथ ही उदारीकरण नीति का वास्तविक अर्थ योजना प्रक्रिया को कमजोर करना है और यह व्यय के सम्बन्धी बजट में भी परिलिखित हुआ है। पहले ही योजना आबंटन 389 से बढ़कर 429 हो गया है। योजना आबंटन में वास्तविक विकास दर शून्य है। यह उद्योग एवं खनिज के लिये आबंटन से भी परिलक्षित होता है।

यदि चिन्ता का विषय रोजगार है, तो मैं उस संबन्ध में आंकड़े दे सकता हूं। ग्रामीण रोजगार के लिये संशोधित अनुमानित आंकड़ा 2000 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष के लिये यह आवंटन 2,100 करोड़ रुपया है। इस बीच मूल्य के बारे में कुछ हुआ है।

उद्योग और खनिज के मामले में, हम योजना प्रक्रिया को भंग करने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का प्रभाव देख सकते हैं। उद्योग और खनिज के लिये वर्ष 1991-92 के लिये 7,107 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं। संशोधित आंकड़ा 7,112 करोड़ रुपये हैं, केवल पांच करोड़ रुपये बढ़ाए गए हैं। मैंने इसका जिक्र अभी-अभी इसलिये किया है कि आपने उद्योग और खनिज के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को नकारना शुरू कर दिया है।

महोदय, यदि मैं इन आंकड़ों का उल्लेख करता रहा तो मुझे अन्य बातों को कहने का समय नहीं मिलेगा। मैं आज ही इसका उल्लेख करूंगा।

एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की रुचि थी वह मौसम विज्ञान संबन्धी उद्योग था। मैं इस मुद्दे पर बाद में तब बोलूंगा जब मैं प्रौद्योगिकी की बात करूंगा।

संशोधित अनुमान 613 करोड़ रुपये था।

[अनुवाद]

वर्तमान आवंटन में 470 करोड़ रुपए की कमी की गई है। उन उद्योगों पर ध्यान दें, जिसका आपने चयन किया है। क्या औद्योगिक पक्ष की ओर आत्मनिर्भरता की बात की गई है? नहीं। उस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग इन्जीनियरिंग उद्योग है। काफी वर्ष पूर्व मुझे याद है, हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर अपने अध्यापक (स्व०) प्रो० महालनोविस के साथ, वाद-विवाद किया था कि हमें मात्र इस्पात उद्योग से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिये। आपको याद होगा कि पहली बार वैज्ञानिक आधार पर जब प्रथम पंचवर्षीय योजना को योजना ही नहीं माना गया उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी, तब मुख्य जोर आधारभूत उद्योगों पर दिया गया। जिसका अर्थ था इस्पात क्षेत्र में भारी निवेश। वे सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों की स्थापना का समय था। उस समय भी हमने सांख्यिकीय संस्थान से जानकारी दी थी कि वास्तव में आत्मनिर्भरता के लिए यह काफी नहीं था। हमारी वास्तविक परीक्षा रूपांकन योग्यता में मशीन निर्माण में निहित है। जब तक हमारे देश के आकार का कोई देश डिजाइन तैयार करने और उपकरण आदि के निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक वह देश औद्योगिक दृष्टि से आत्म-निर्भर नहीं हो सकता। इन्जीनियरिंग उद्योग इसका आधार है इन्जीनियरिंग उद्योग के लिए आपने कितना आवटन किया है? संशोधित अनुमान के अनुसार 505 करोड़ रुपये तथा वर्तमान आवंटन 394 करोड़ रुपये है। हमें आशका है कि कहीं हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेशों के अनुसार तो नहीं कार्य कर रहे हैं। अगर हम आत्म-निर्भरता की बात करते हैं ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र का होना आवश्यक है और आप इन क्षेत्रों पर बजट आवटन को कम कर रहे हैं। यह अन्य अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में भी यही सत्य है। मैं समय की कमी के कारण इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। यह केवल ऐसा ही नहीं है। बजट में आपने क्या किया है? मैं अब कुछ रोज सहायता के आंकड़ों का

उल्लेख करूंगा। क्या आप जानते हैं कि संशोधित अनुमान के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग पर 34 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया गया है? अगले वर्ष के लिए क्या अनुमान हैं? अगर आप ग्रामीण रोजगार पर बल देना चाहते हैं तो इस आयोग के कार्यक्रम का विस्तार करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपने इसके लिए कितना आवंटन किया है। 34 करोड़ रुपये पूर्वराशि ही। राष्ट्रीय कपड़ा निगम जो कि जनता कपड़ा बनाता है, संशोधित अनुमानों के अनुसार जनता कपड़े के लिए 130 करोड़ रुपए की राज सहायता थी। आपने इसमें मात्र एक करोड़ रुपये ही और दिये हैं। जैसा कि पहले ही निश्चित था, इस वर्ष की आपके मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर, आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों का ही अनुसरण किया है।

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 म०प० पर आरम्भ होना है। श्री चटर्जी कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं, अगर सभा सहमत हो तो समय को पांच मिनट बढ़ाया जा सकता है। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य ढाई घण्टे तक चलना है। अत: यह जब भी आरम्भ होगा इसका अर्थ है सभा की बैठक को इतने और समय के लिए ही बढ़ाया जाय।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री निर्मल कान्ती चटर्जी : मैं सोमवार को मन्त्री महोदय के जवाब दिये जाने के पहले बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है। आप सोमवार को बोलेंगे।

3.30 म० प०

15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा उपासना स्थलों की यथा पूर्व स्थिति बनाये रखने हेतु उपाय किये जाने के बारे में संकल्प—जारी

सभापति महोदय : अब हम 2 जुलाई, 1991 को श्री जैनल अबेदिन द्वारा 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रस्तावित संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) हम जैनल अबेदिन द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा रखे गए राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद तथा 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों

की यथापूर्व स्थिति बनाये रखने हेतु संबन्धित संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र तथा राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के अनुसार एक विधेयक पेश किया गया। श्री अंनल अबेदिन द्वारा पेश किये विधेयक की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्य से इसी स्तर पर इस विधयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। करीब दस घंटे का समय इस गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्प की चर्चा में लग चुका है, हालांकि इसे दो घंटे में ही समाप्त हो जाना चाहिए था। सभा ने इसके लिए अधिक समय दिया। हमने लगभग नौ घंटे और 48 मिनट चर्चा की है। अत: श्री चव्हान जी द्वारा आज सुबह पेश किये गये विधेयक को ध्यान में रखते हुए जिस पर वाद-विवाद होने जा रहा है, मैं माननीय सदस्य से सरकार द्वारा की गई पहल को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं नहीं जानता कि उनका रवैया क्या होगा···**व्यवधान**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हमारे कुछ मेम्बर इस पर बोलना चाहते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि अभी यह डिसकशन जारी रहना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : सभापति महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों को, मेरे संकल्प के प्रति जो "गहरी दिलचस्पी दिखाई," के लिए धन्यवाद देता हूं।··· **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : महोदय उन्होंने अनुरोध किया है उन्हें इस बारे में कहना है। लेकिन कुछ सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। अगर वाद-विवाद समाप्त हो जाता है अथवा अगर निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, तो आप उन्हें उत्तर देने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं। क्या वह अनुरोध को मान रहे हैं? इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए।

श्री एम० एम० जैकब : मेरा विचार है कि गैर-सरकारी संकल्प में यह एक सुपरिचित पूर्व-स्थापित परंपरा है **(व्यवधान)**।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हम इस विषय पर बोलना चाहते हैं, हमको कहा गया था कि इस पर बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इस पर बोलने का चांस मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगर सदस्य उसे वापिस लेना चाहे तो क्या स्थति है। उसे भी ध्यान में रखा जाए।

(व्यवधान)

श्री एम० एम० जैकब : सभा को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं केवल···· (व्यवधान)।

सभापति महोदय : सबसे पहले श्री जायनल अबेदिन को अपने विचार रखना चाहिए कि क्या वे विधेयक वापिस लेना चाहते हैं। अगर वह विधेयक वापिस लेना चाहते हैं तब हम सभा की राय लेंगे।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : यह सभा को निश्चित करना है कि क्या वे इस विषय पर आगे चर्चा करना चाहते हैं। अगर वे इस पर आगे चर्चा करना नहीं चाहते तो फिर माननीय मन्त्री इसका उत्तर देंगे और माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करेंगे। पहले; हमें सभा की राय लेनी होगी कि क्या वे वाद-विवाद को समाप्त करना चाहेंगे या वे इस चर्चा को जारी रखना चाहेंगे हैं तो फिर कितना समय दिया जाना चाहिए— एक घंटा' आधा घंटा, दो घंटे ?

सभापति महोदय : क्या सभा की राय इस गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प की है अथवा इस पर आगे चर्चा की जाए ?

[हिन्दी]

यानि इस पर डिसकशन हाउस कन्टीन्यू रखना चाहता है या इसको यहीं पर ड्राप करना चाहता है ?

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय कौन-कौन बोलना चाहता है यह देखिए और उनके लिए आप समय निर्धारित कर दीजिए।···· (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, हमें चेयर की तरफ से आश्वासन मिला था कि हमको बोलने का समय मिलेगा और कई माननीय सदस्य बोलने के लिए तैयार हैं। मेरा निवेदन है कि उनको बोलने का समय दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : खुराना साहिब, सभा सर्वोच्च है। अगर सभा इस संकल्प को नहीं लेना चाहती है तो फिर अध्यक्ष या सभापति यह नहीं कह सकते कि इसे जारी रखा जाना चाहिये।

[हिन्दी]

आप लोग क्या चाहते हैं बताइये।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, एक विधेयक आ गया है और उससे सम्बन्धित है, सरकार अपने एंपरेसमेंट को खत्म करने के लिए यह विधेयक लाई है ये श्रेय नहीं देना चाहते थे कि यह विधेयक प्राइवेट मेंबर की शक्ल में यहां पास हो, मंशा उनकी भी यही है, तो अभी हमको बहस करने का मौका उस विधेयक पर मिलेगा, इसलिए इस डिबेट को यहीं समाप्त करके मुख्य मुद्दे पर, सरकारी विधेयक पर चर्चा करने का अवसर देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, हमने काफी चर्चा कर ली है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण संकल्प भी है। अत: हम इस संकल्प पर वाद-विवाद को समाप्त करने के पक्ष में है।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, मैं श्री चन्द्रजीत यादव के विचारों का समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि हम इस पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं तथा इस पर चर्चा रोक सकते हैं।

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति जी, मैं इस राय से सहमत हूं कि यदि कुछ सदस्य बच भी गए हैं तो जो गवर्नमेंट द्वारा जो बिल आने वाला है, उस पर बहस करते समय उन सदस्यों को समय मिल जाएगा। इसलिए जो साथी बोलना चाहते हैं, हम लोग भी बोलना चाहते हैं, उस समय बोल लेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि अगर हमारे कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो उनको अनुमति देकर, उसके बाद प्रस्तावक महोदय उत्तर दे दें और अगला प्रस्ताव भी आ सकेगा, लेकिन हमारे 2 सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं, जिनको मैंने पिछली बार कहा था कि इस बार आप रहने दीजिए, अगली बार आप बोल लेना, उनको आप अनुमति दे दीजिए, यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : आपका क्या सुझाव है कि इस बिल पर चर्चा कितने समय के लिए एक्सटेंड की जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, अभी साढ़े 5 बजे तक हमारे पास समय है। अगला प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत हो जाए, यह ध्यान में रख कर आप इस बहस का निर्धारण करिए। उद्देश्य यह है कि प्रस्तावक महोदय अपना उत्तर दे दें और प्रस्ताव वापिस ले लें, दूसरा प्रस्ताव भी इंट्रोड्यूज हो जाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि सभा का विचार है कि इस संकल्प को छोड़ दिया जाए लेकिन चूंकि आडवाणी जी ने अपने कुछ सदस्यों को यह आश्वासन दिया है कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा ··

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी पौने 4 बजे हैं, मैं प्रपोज करता हूं कि पौने 5 बजे तक इसको डिसकस करें, अगर आपकी सहमति है तो बताइए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, मैं किसी भी चर्चा को रोकना नहीं चाहता। लेकिन इस संकल्प पर पहले ही नौ बार चर्चा हो चुकी है और श्री आडवाणी जी के पार्टी के माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। वक्ताओं की संख्या अधिक है। मेरे पार्टी के सदस्य भी बोलना चाहते हैं। तब कुछ सदस्यों को ही बोलने की अनुमति किस तरह दी जाएगी? इस चर्चा को जारी रखना होगा। एक पार्टी के केवल दो सदस्यों को ही अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेंगे। तब यह समाप्त ही नहीं होगा। कृपया इस संकल्प की भाषा पर गौर करें।

महोदय, इसमें कहा गया है :

> "यह सभा सरकार से निवेदन करती है कि वह अयोध्या के पूजा स्थल सम्बन्धी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके निपटाने के लिए शीघ्र कदम उठाए और उपयुक्त कानून बनाए····।"

यह अलग है। जहां तक अयोध्या से सम्बन्धित अंश का प्रश्न है वह सरकार की नीति है। है कि नहीं?

श्री एम० एम० जैकब : जी हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक यथास्थिति बनाए रखने की बात है उसके लिए उन्होंने पहले ही विधेयक लाया है जिस पर हमने चर्चा की थी और उसे पुर:स्थापित किया जा चुका है। इसलिए इसे दुहराये जाने से बचने के लिए मैं यह आशा करता हूं कि विधेयक को पारित करने के लिए वे जल्द से जल्द लाएंगे। जहां तक हम सभी का प्रश्न है, केवल एक ही पार्टी को अनुमति देने की बजाय दूसरों को भी बोलने दिया जाए। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि चर्चा होती है तो सभी को बोलना पड़ेगा। क्या 4.45 म० प० बजे गिलोटीन होगा।

एक माननीय सदस्य : गिलोटीन कैसे होगा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए अध्यक्ष पीठ तथा सभा की अनुमति से हम अपना संकल्प वापस ले सकते हैं। (**व्यवधान**).... आज की स्थिति को देखते हुए हमारे सदस्य सभा की अनुमति मांग रहे हैं और जहां तक अयोध्या तथा यथास्थिति बनाए रखने के सम्बन्ध में सरकार का जो दृष्टिकोण है मैं समझता हूं कि इन दोनों विषयों पर हमारे अन्य सहयोगी भी सभा का समय लेना नहीं चाहेंगे।

सभापति महोदय : वर्तमान स्थिति यह है इस चर्चा पर अब तक 9 घंटे 48 मिनट का समय लग चुका है। चर्चा में भाग ले चुके निम्नलिखित दलों के सदस्यों की अब तक की संख्या इस प्रकार है :

भा० ज० पा०	3
जनता दल	3
सी० पी० आई (एम)	3
कांग्रेस	5
सी० पी० आई	1
तेलगुदेशम	1
शिव सेना	1
मुस्लिम लीग	1

वर्तमान स्थिति यही है। अब यह सभा पर निर्भर करती है। यदि आप इसे बीच में ही रोकना चाहते हैं और दूसरे मामले पर चर्चा करना चाहते हैं या आप इसी चर्चा को एक घंटे के लिए और बढ़ाना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर करता है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : यह कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। लेकिन, सोमनाथ जी से कहना चाहता हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ।·· **(व्यवधान)** सभापति महोदय की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया कि हम पौने पांच बजे तक चलाएं। मेरा यह कहना था कि हमारे दो सदस्य बोलें और सभी पक्ष की तरफ से भी बोलें। जैसे अभी स्थिति बताई है वह स्थिति नहीं है। श्री शाहबुद्दीन जी ने कहा था कि पक्ष और विपक्ष से भी सदस्य बोलें तभी हुआ है और सभापति महोदय ने इसीलिए सुझाव दिया है।····**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, आपने पौने पांच बजे तक की रूलिंग दे दी है।

सभापति महोदय : मैंने कोई रूलिंग नहीं दी है। मैंने हाऊस की सेन्स पर प्रपोज किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा से राय मांगी गई थी। यदि सभी सहमत हों तो यह चर्चा 4.45 म० प० बजे तक चलेगी और 4.45 म० प० बजे मंत्री जी उत्तर देंगे तब हम उसे वापस लेने संबंधी कार्यवाही कर सकते हैं और उसके बाद दूसरे संकल्प पर चर्चा होगी।

श्री राम विलास पासवान : मन्त्री जी कब उत्तर देंगे ?

सभापति महोदय : मन्त्री जी 4.45 म० प० बजे उत्तर देंगे, श्री जैकब, यह ठीक है न ?

श्री एम० एम० जैकब : जी हां, महोदय।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम चाहते हैं कि दूसरे संकल्प पर भी शीघ्र ही चर्चा हो। मेरा यह निवेदन है कि भा०ज०पा० से एक, वामपंथी दल से एक और सत्ता पक्ष से एक सदस्य चर्चा में भाग लें। तब हम इसे 4.25 म०प० बजे तक पूरा कर लेंगे। **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि सभी बड़ी पार्टियों से एक-एक सदस्य चर्चा में भाग लें तो हम इसे जल्द ही पूरा कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, दो छोटी पार्टियां हैं उन्हें भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए।

सभापति महोदय : ठीक है। इस तरह प्रत्येक बड़ी पार्टियों से एक सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। कृपया अपना भाषण दस मिनट के अंदर समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : माननीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण संकल्प पर मुझे बोलने का समय दिया गया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज जो देश की स्थिति है, उसको देखते हुए अयोध्या के मामले पर बहुत ही ईमानदारी से सोचने-विचारने की आवश्यकता है।

हम यह बताना चाहते हैं कि राम जन्म भूमि का प्रश्न मन्दिर-मस्जिद का प्रश्न नहीं है। मन्दिर-मस्जिद के प्रश्न पर देश की इतनी बड़ी जनता कभी इतने बड़े संघर्ष से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। राम जन्म भूमि का प्रश्न, राम जन्म भूमि शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमारा लगाव उस भूमि से है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। भूमि का महत्व हम लोग समझते हैं.... (व्यवधान)....इस मामले पर अगर सैयद शाहबुद्दीन को कई बार इस हाऊस में सुना गया है तो मुझे भी सुना जाना चाहिए मैं इस पूरे प्रकरण में सरकारों से, जन-प्रतिनिधियों से और कम से कम राजीव गांधी की सरकार से लेकर चन्द्रशेखर की सरकार तक जितनी भी वार्तायें हुई हैं, सबमें सम्मिलित रहा हूं। इसलिए मैं कुछ ऐसे तथ्य भी सदन के सामने रखना चाहूंगा जो अब तक प्रकाश में नहीं आये हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि जो वार्ताओं की बात आज की जा रही है कि वार्ता के द्वारा हल निकल सकता है, इस सम्बन्ध में मैं बता सकता हूं कि वार्ताओं में बाधा किस के द्वारा पहुंचाई गई, वार्ताओं में किस की असहमति थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब कभी राम जन्म भूमि का प्रश्न उठा तब उसका नेतृत्व हिन्दुओं की ओर से धर्माचारियों के द्वारा हुआ, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया। लेकिन मुस्लिम भाइयों की ओर से उधर के आलिमों ने, मौलवियों ने, धर्माचारियों ने नहीं, बल्कि राजनैतिक नेताओं ने नेतृत्व किया।

मैं बताना चाहता हूं कि 7 अक्तूबर, 1984 को जब हम लोग अयोध्या से लखनऊ जा रहे थे, पदयात्रा के रूप में, करीब बीस हजार व्यक्ति थे तो तीन जगह बीच में पड़ने वाली मुस्लिम बस्तियों में जितने मुस्लिम भाई थे उन्होंने हमारा स्वागत किया था। हमें फल और दूध देकर अभिनन्दन किया और पड़ाव का सारा इन्तजाम किया था। अगर वे राम जन्म भूमि की भावना से असहमत होते तो स्वागत न करके बाधा पहुंचाते। 1984 से लेकर 1986 तक हमारे आन्दोलन का विरोध किसी आलिम ने नहीं किया, किसी इमाम ने नहीं किया, किसी मौलवी ने नहीं किया और किसी धार्मिक नेता ने नहीं किया। अगर उसके लिए सबसे पहले विरोध में आये तो एक राजनीतिक हस्ती हमारे सम्माननीय शाहबुद्दीन साहब आये और उनके साथ कुछ लोग आये।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस राम जन्म भूमि जैसे धार्मिक प्रश्न को राजनैतिक बनाने की कोशिश किस के द्वारा हुई है। यह प्रश्न धार्मिक ढग से हल किया जाये उसके लिए कोशिशें की गई, कई बैठकें हुई कई वार्तायें हुई और उन वार्ताओं में दोनों ओर से धार्मिक लोग जमा हुए। यहां शाहबुद्दीन साहब बैठे हैं। मै उनको याद दिलाना चाहता हूं यहां इण्डियन इन्टरनेशनल क्लब में जब देश के कई इमामों के साथ हमारी बैठक हुई थी तब इमाम जब हमसे सहमत हो रहे थे, हमारी बात को सुनने को तैयार हो रहे थे, शाहबुद्दीन साहब ने उसमें हस्तक्षेप किया था और बात पूरी नहीं होने दी। 20 अक्तूबर सन् 1990 को मैं याद दिलाना चाहता हूं जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में एक सभा बुलाई गई थी आंध्र भवन में, वहां आलिमों की बैठक बुलाई गई थी, हमारी ओर से 19 धर्माचारियों में शामिल हुए थे और मुसलमान भाइयों की ओर से 13 आलिम शामिल हुए थे। उसमें हिन्दुस्तान के ही नहीं, विश्व के जानी मानी हस्ती हमारे आलिम अली मियां नकवी शामिल थे। इस वक्त हाउस में श्री युनूस सलीम साहब नहीं है, वे तब बिहार के राज्यपाल थे और वे भी वहां उपस्थित थे, आंध्र प्रदेश के गवर्नर महामहिम कृष्णकांत जी भी थे। उनकी उपस्थिति में चर्चा चली। उस चर्चा में बात चल रही थी कि बीच में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री सुबोध कान्त जी आये और उन्होंन कहा कि इस चर्चा को रोक दीजिए, कल फिर चलायेंगे और रात को भी चलायेंगे। मुझ से संतोष भारतीय और सुबोध कान्त जी ने कहा कि आपको प्रधान मन्त्री याद कर रहे हैं। मैं उनके साथ प्रधान मन्त्री जी के घर गया और मुझ से उन्होंने कहा कि इस वार्ता से कोई हल निकलने वाला नहीं है। इमाम साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। सवाल यह है कि वार्ता ईमानदारी से करने की बात कहां से आई। परिभाषायें होती हैं लोगों के दिलों में, लोगों की आस्थाओं में, धर्म के तर्क और प्रमाण निहित होते हैं लोगों की आस्थाओं में। अगर हम आज तिरंगे ध्वज का सम्मान कर रहे हैं तो उस सम्मान के पीछे आस्था है, कोई तर्क नहीं है, इतिहास नहीं है। इसलिए हम इतिहास और तर्क पीछे रखकर आस्था को समझें।

सभापति महोदय, राम जन्मभूमि के साथ आज हजारों की आस्था नहीं है, देश के करोड़ों रामभक्त हिन्दुओं और मुस्लिमों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह गोरतलब है। मैं अलामा इकबाल की एक बात कहना चाहता हूं। उनकी नजर क्या है इस मसले पर, वे कहते हैं :

"है आसमां सा बुलन्द राम का वजूद,
अहले नजर समझते हैं उसको इमामे-हिन्द।"

एक ओर अलामा इक्बाल जैसे लोग राम को इमामे-हिन्द मानते हैं और दूसरी ओर मैं पूछना चाहता हूं कि वह हिन्द का इमाम कहां पैदा हुआ ? आज इस सवाल को इस सदन में पूछा गया है कि कहां पैदा हुआ था राम ? यदि वह रामजन्म भूमि नहीं है तो यह सदन और सरकार बताये, हमारे मुस्लिम नेता बतायें कि कहां हैं राम जन्म-भूमि ? जहां बना देंगे, हम वहां पर राम जन्म-भूमि बना देंगे, जहां नहीं होगा, उस जगह को छोड़ देंगे लेकिन आपके पास इसका जवाब नहीं

है। आप तो यह कहते हैं कि बाबरी मस्जिद है लेकिन वह तो राम जन्म भूमि है.... (व्यवधान)

श्री सैय्यद शाहबुद्दीन (किशन गंज) : वह राम जन्म भूमि नहीं है ..

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : सैय्यद शाहबुद्दीन साहब, आप सोचिये, आप यह कहते हैं कि वह राम जन्म भूमि नहीं है, मैं कहता हूं वह है। हम यह कहना चाहते हैं कि आजादी के 44 साल के अन्दर कभी भी हिन्दू नेताओं के द्वारा मुस्लिमों को और मुस्लिम नेताओं द्वारा हिन्दुओं को समझने या समझाने की कोशिश की गई है ? अगर उन लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझने की कोशिश की गयी होती धार्मिक तथ्यों की गन्वेषण की गयी होती और धार्मिक आस्थाओं का विश्लेषण किया गया होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण नहीं आता, और आज 44 साल के बाद ऐसा विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन हुआ यह कि कभी मुस्लिमों की ओर से प्रवक्ता बदलते रहे। * आप जैसे लोग, जिनको मजहब की जानकारी बिलकुल नहीं हैं। मैं कहता हूं कि अगर आज इसी मसले को अली मियां नबी साहब जैसे लोग लेकर आते....

सभापति महोदय : स्वामी जी, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। यह नाम निकाल दिया जाये।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि संदर्भ से जुड़ा हुआ व्यक्ति का नाम अगर नहीं आयेगा तो बात पूरी नहीं हो सकती है। सदर्भित व्यक्ति का नाम आयेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था यदि इस मसले को हल करने के लिए उन उलमाओं, उलेमानों को आगे लाया गया होता जो धार्मिक तथ्यों को समझते हैं, धार्मिक भावनाओं को समझते हैं, धार्मिक आस्थाओं को समझते हैं तो शायद हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं होती। मैं कहना चाहता हू कि धर्म इतिहास नहीं तय करता, धर्म न्यायालय नहीं तय करता। धर्म की परिभाषा कभी भी किताबों में बन्द नहीं होती हैं। धर्म की (व्यवधान)

मैं कानून की बात नहीं करता हूं। मैं धार्मिक आस्थाओं की बात कर रहा हूं (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज डोंट डिस्टर्ब स्वामी जी।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : सैय्यद साहब जाहिर करते हैं कि ये आस्था की बात सुनने वाले नहीं हैं।

श्री सैय्यद शाहबुद्दीन : लेकिन वहां मस्जिद है, यह मैं साबित कर सकता हूं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : अगर मस्जिद है तो मैं आपसे इस सदन में कहता हूं कि शाहबुद्दीन साहब कुराने पाक की कसम खाकर कहें कि उन्होंने वहां नमाज पढ़ा है ? (व्यवधान) मैं

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं कि । गया।

पूजा करता हूं। अगर आप आस्थाओं की बात को देखें तो मैं बात सच कहूंगा, मैं आपकी बात नहीं करता हूं। मैं हाऊस में बैठे हुए सभी बन्धुओं से कहता हूं कि वहां जाकर खुद देखें और देखते रहें कि वहां मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं या हिन्दू आस्था व्यक्त करते हैं? पिछली बहस में श्री ई० अहमद ने एक बात कही थी··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : बैठ जायें, आप प्लीज बैठ जायें। स्वामी जी आप भी बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बैठ जाइए साहिबान। स्वामी जी बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। आप सब अपनी-अपनी जगह पर आइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इन्होंने···* शब्द का प्रयोग किया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने तो सुना नहीं क्या कहा है? अब ऐसे हंगामें में क्या पता चलेगा कि क्या कहा या क्या नहीं कहा?

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : आप उन आपत्तिजनक शब्दों को कटवा दीजिए।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने नहीं सुना कि क्या कहा है।

(व्यवधान)

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : इन्होंने स्वामी जी को···* कहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा बीस मिनट के लिए स्थगित होती है।

3.57 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 4.15 म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

4017 म० प०

लोक सभा 4.17 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, सदन स्थगित होने से पूर्व जो कुछ स्थिति हुई, उसके बारे में पूरा सुनाई हमको नहीं दिया कि क्या कहा गया कि जिसके कारण उत्तेजना पैदा हुई । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रिकार्डस देख कर, उसमें अगर कोई असंसदीय शब्द हो तो उसको निकाल दें, हटा दें और सदन की कार्यवाही को चलने दें ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन की एक परम्परा रही है कि हम लोगों में आपसे वैचारिक मतभेद रहते हुए भी हम सब लोग यहां भाईचारे के समान हमेशा रहे हैं और कटु से कटु शब्द भी सुनते रहे हैं । फिर समय आने पर उसका जवाब भी दिया जाता है । एक वातावरण में, इस सदन की गरिमा रही है कि सदन के भीतर हम चाहे कितना बोल लें लेकिन बाहर जब हम लोग निकलते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं । हमको लगता है कि आज पहली बार ऐसा मौका हुआ, जिस मौके पर स्थिति इतनी दूर तक पहुंच गयी । मैं आग्रह करना चाहता हूं और अपने तमाम साथियों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी साथी अपने किसी साथी को प्रोवोक करने का काम न करे । यदि कोई ऐसा शब्द आ भी जाये तो पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के मुताबिक हम उसका निदान करने की कोशिश करें । यदि पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को छोड़कर, किसी पब्लिक मीटिंग के समान यहां हमने बिहेव करना शुरू कर दिया एक दूसरे साथी के ऊपर टूट पड़ने का काम यहां हमने शुरू कर दिया तो मैं समझता हूं (व्यवधान) मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं बी०जे०पी० को ···(व्यवधान) मैं बी०जे०पी० के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे काफी साथी थे जिन्होंने उस समय, जिस समय यह घटना चल रही थी, हमारे साथी हाथ में हाथ पकड़ कर खड़े थे लेकिन कुछ साथियों ने जो व्यवहार किया, वह अच्छा नहीं था । मैं समझता हूं कि चाहे किसी भी दल का मामला हो, इस तरह के हमारे वैचारिक मतभेद तो चलते रहेंगे, हम अपने विचारों को रखें लेकिन वैचारिक मतभेदों को उतनी दूरी तक ले जाने का काम न करें, यही मेरा आपसे आग्रह है । (व्यवधान)

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : हम लोग यहां पर मौजूद थे ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने सब सुना है ।

श्री सूरज मंडल : अगर सारे लोग बचाव नहीं करते तो निश्चित रूप से····

अध्यक्ष महोदय : नहीं । आप प्लीज बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी जो दो माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूं, आडवाणी जी से भी और पासवान जी से भी। और यहां पर कुछ हुआ होगा, तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं हाउस में नहीं था। क्या हुआ है, अब उसकी चर्चा में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहां पर एक अच्छे ढंग से गरिमा से काम करते हैं अगर कुछ हुआ भी होगा इधर-उधर, गलती से, तो उसको हम भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से हम उसी ढंग से आज भी करेंगे।

अगर कुछ गलत, रिकार्ड पर आया है, तो मैं उसको जरूर देखूंगा और दूर करूंगा। मैं सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि यह देश की सबसे उच्च संसद है, इसकी गरिमा को कोई ठेस न लगे, ऐसा हम व्यवहार करें।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, हम यहां मौजूद थे,....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उसको लम्बा मत कीजिए। आपसे मेरी विनती है कि आप बैठ जाएं।

देखिए, जब यहां पर कोई भी बैठा हुआ हो, इस चेयर के ऊपर और उसके कहने के मुताबिक अगर आप चलते हैं, तो मेरे से आप यह विश्वास ले सकते हैं कि उस काम के अन्दर सुविधा होगी। अगर आप अपनी बात कहते जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा।

यहां पर जो कुछ भी हुआ है, उसको अच्छे ढंग से सुलझाने की कोशिश हुई है। अगर आप उसके अन्दर चर्चा बढ़ाएंगे, तो जो अच्छा माहौल बनाने की कोशिश है, उसमें खलल पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, आप कृपा कर के उसको समझते हुए, उसको मत बढ़ाईए। आप सबके लीडर लोग हमारे साथ थे।

4.24 म० प०

15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा उपासना स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु उपाय किए जाने के बारे में संकल्प-जारी

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार पुनः यह कहते हुए कि यदि मैंने अपनी चर्चा में कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, जिससे सदन के किसी सदस्य की भावना आहत हुई, तो उसका, मैं अपने को जिम्मेदार मानते हुए और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि मैं एक साधु हूं और 27 साल से आध्यात्मिक जीवन बिता रहा था, मुझे कभी भूल से भी यह अहसास नहीं था कि शाहबुद्दीन साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं,

अध्यक्ष महोदय : आप किसी सदस्य का नाम मत लीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामशरण यादव (खगरिया) : अध्यक्ष महोदय, ये शाहबुद्दीन जी से पूछ रहे हैं कि राम की जन्म भूमि कहां थी, इनको क्या पता। राम की जन्मभूमि का तो दशरथ और कौशल्या जी को पता होगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भाई, मैं आपसे फिर और अपील कर रहा हूं, बार-बार उठकर आप अपनी बात मत कहिए। अगर आप इस सदन का काम सुचारू रूप से चले, ऐसा चाहते हैं और आपकी यदि यह इच्छा है और जैसी कि हम सभी की इच्छा है, तो मेरी आपसे फर विनती है कि आप इस प्रकार से, बीच-बीच में, बार-बार उठकर बोलने का प्रयास न करें, टाल दें। इस प्रकार आप, हमारे और सदन के ऊपर कृपा करें।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, एक बार पुन: मैं अपनी चर्चा को आरम्भ करते हुए पूछना चाहूंगा,

अध्यक्ष महोदय : चिन्मयानन्द जी, आप किसी सदस्य का नाम न लें। यह जरूरी नहीं है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : अध्यक्ष जी, मैं वहीं जाना चाहूंगा जहां से बीच में गड़बड़ी हुई थी। दोनों सम्प्रदायों की धार्मिक भावनाओं को समझने की जिस उदार दृष्टि की आवश्यकता थी, उससे काम नहीं लिया गया। अगर हमने उदारता से दोनों मजहबों के सम्प्रदायों के, और दोनों ही क्यों, देश में जितने मजहब हैं, सम्प्रदाय हैं, उनको समझने का अगर प्रयास किया होता,

यह दुर्भाग्य रहा हमारा कि हमेशा हमारे धार्मिक और मजहबी मामलों के प्रवक्ता वे लोग बने जिन्हें धर्म और मजहब का ज्ञान बहुत कम था। आज भी मैं 27 साल की साधना और अध्ययन के बाद आपके बीच में खड़ा हूं तो सदस्यों को लगता है कि हम दशरथ और कौशल्या की तरह बोलने की कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं दशरथ और कौशल्या नहीं बन सकता। लेकिन अपने धर्म के बारे में जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने साधना की है उसके बारे में कहने का अधिकार यदि सदन मुझे देता है, अध्यक्ष जी मुझे देते हैं तो मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि भूमि-भूमि होती है और भूमि के साथ, जन्मभूमि के साथ हमारी क्या भावना जुड़ती है इसको हम आज इस सदन से नहीं चन्द्रशेखर आजाद और भगत सिंह से पूछना चाहेंगे। क्या हमने जन्मभूमि के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ी, क्या जन्मभूमि की पावनता को हम आज नहीं समझ रहे? अगर आनन्द भवन, जवाहर भवन जैसे स्थल हमारे पूजा और श्रद्धा के केन्द्र हो सकते है, अगर गांधी धाम जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वह हमारे लिए पूज्य हो सकते हैं, गुरू नानक देव का जहां जन्म हुआ था वहां गुरुद्वारे का महत्व नहीं है जहां गुरू गोविन्द सिंह का जन्म हुआ था वहां

गुरूद्वारे का महत्व नहीं है, उस भूमि का महत्व है, हम भूमि को महत्व देते हैं उसके साथ खड़ी हुई भावना को महत्व नहीं देते। भूमि की भावना को समझने की कोशिश अगर की जाती तो शायद भवन को लेकर झगड़े नहीं होते। मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि हमें भारत में कहीं नहीं पता है कि श्री राम की जन्म भूमि वहां के अलावा और कहीं पर भी है। अगर मुझे पता होता और मैं जानता होता, हमारे पुराण, धर्म ग्रन्थ. हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ बताया होता कि यहां पर जन्मभूमि और भी हैं तब हम इस बात का दावा नहीं करते।

पिछली बहस में हमारे माननीय सदस्य श्री ई० अहमद ने कहा कि वहां पर जो पुलिस कांस्टेबल अध्ययन करने गया था उसने बताया कि जब मैं जन्मभूमि पहुंचा तो, जन्मभूमि की बात करते हुए वह कहता है कि मैं जन्मभूमि पहुंचा। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अयोध्या और फैजाबाद स्टेशन पे उतरें तो तमाम तांगे वाले, रिक्शा वाले मिलेंगे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं। वे आपको कहते हुए मिलेंगे कि जन्मभूमि चलो, जन्म भूमि चलो, वे कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे जन्म भूमि की सामयिकता पर सन्देह उत्पन्न हो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समय आ गया है, राम जन्मभूमि को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको विशुद्ध धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और देश की आस्था की पुष्टि से देखा जाना चाहिए। इस देश की आस्था आज देश की सरकार से पूछ रही है, देश के रहनुमाओं से पूछ रही है कि अगर गांधी की जन्म भूमि कहीं पर हो सकती है, नानक की जन्म भूमि कहीं पर हो सकती है, गोबिन्द सिंह की जन्म भूमि कहीं पर हो सकती है तो हमारे भगवान राम की जन्म भूमि कहां है। यदि यह सदन, सरकार बता सके, यहां के लोग बता सकें तो मैं अपना दावा वहां से वापिस लेने को तैयार हूं।

मैं बताना चाहता हूं कि सोलहवीं शताब्दी की बात है रहीम खान खाना, उस समय जब सम्राट अकबर का शासन था, देश में एक-दूसरे की समझने की कितनी दृष्टि थी। रहीम खान खाना जा रहे थे तो किसी ने पूछा कि यह हाथी अपने ऊपर धूल फेंकता हुआ क्यों चलता है। हाथी धूल फेंकता हुआ चलता है, क्यों फेंकता है यह रहस्य आज तक कोई नहीं जानता। अब्दुल रहीम खान खाना से पूछ गया :

धूरि धरत निजी सीस पे कहु रहीम केहि काज।
अब्दुल रहीम खान खाना ने जबाब दिया।
जेहि रज मुनि पत्नी तरि सो ढूंढ़त गज राज।

एक नजर थी सोलहवीं शताब्दी की जिसमें मुस्लिम शासन था, इस देश के रहीम खान खाना जैसे लोग दूसरे लोगों की भावनाओं को कितनी गहराई से समझते थे। इस बात की आज जरूरत एक-दूसरे के सैन्टीमैंटस को समझने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका इतिहास क्या कहता है, कानून की किताबें क्या कहती है; आपका न्यायालय क्या कहता है। अगर न्यायालय भावनाओं

की परिभाषा कर सके तो अच्छी बात है, मैं न्यायालय के सामने खड़ा होने को तैयार हूं। अगर संविधान में हमारी सम्पूर्ण भावनाओं को समेटने की क्षमता है तो मैं संविधान के सामने सिर झुकाए खड़ा हूं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को धार्मिक दृष्टि से कहीं भी स्थापित करना चाहते हैं तो उसको राजनैतिक महत्व, राजनैतिक बिन्दू क्यों बना लिया जाता है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है इससे भी धार्मिक भावनाओं का उत्तर नहीं मिल सकेगा, जो आस्था के सवाल आज पूछ रहे हैं कि राम जन्म भूमि कहां है। आज जहां तक मुस्लिम भाइयों का सवाल है अभी भी जब्बार हुसैन जो दोसीपुरा बारासी के रहने वाले हैं। उनका एक पत्र बहुत लम्बा है, इसमें उन्होने यही लिखा है, तमाम पुराण और तमाम मुस्लिम ग्रन्थों का उद्धरण देते हुए, मुस्लिम फतवों का उद्धरण देते हुए, मुस्लिम फकीरों का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा है कि मुसलमान भाइयों को चाहिए कि हिन्दू भावनाओं को समझते हुए इस मसले को एक बार हल करने के लिए उदारतापूर्वक हिन्दुओं के पक्ष में अपना झगड़ा, अपना संघर्ष वापस ले लें। क्या हम ऐसी अण्डरस्टेण्डिंग, ऐसी समझ नहीं बना सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि गंगा कानून के दायरे में नहीं बहेगी, हिमालय पर गिरने वाली बर्फ कानून के दायरे में नहीं गिरेगी। अगर हमें कानून बनाना चाहिए तो हिमालय की पवित्रता को ध्यान में रखकर, गंगा के प्रवाह को ध्यान में रखकर। हम जानते हैं कि वहां मन्दिर भी रहेंगे, मस्जिद भी रहेंगी। मस्जिद की अजान को कोई रोक नहीं सकेगा, मंदिर की घण्टियों को भी कोई रोक नहीं सकेगा लेकिन मदिर की घण्टियों और मस्जिद की अजान में टकराव जिनकी वजह से होता है, उन्हें एक बार आत्मचिन्तन करना चाहिए अपनी ओर देखना चाहिए।

आज जब देश को प्रगति की आवश्यकता है तब देश को कहा जा रहा है कि सन् 1947 की ओर वापस लौटो। मैं कहता हूं, धरती पर खड़ी हुई तमाम चीजें आजाद हो गई, यहां की नदियां आजाद हुई, पहाड़ आजाद हुए, पेड़ आजाद हुए, आज सब को आजादी का हक हासिल है। क्या दुर्भाग्य है उन देवस्थलों का, पूजास्थलों का कि वे आजादी के बाद भी आजादी की हवा मे सांस नहीं ले सकते हैं? आजादी की ऊंचाईयों में खड़े नहीं हो सकते हैं? जीने का अधिकार उन मन्दिरों को आज नहीं है? यह सन् 1947 तक लौटने की बात समझ में नहीं आती है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदन भावनाओं का, उन भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इस मसले को हल करने के लिए आगे आयें।

मैं बताता हूं कि रामजन्म भूमि करोड़ों हिन्दुओं की छाती पर लगा हुआ वह नासूर है, वह घाव है, जिसकी पीड़ा हर रामभक्त महसूस करता है। वह मर्यादा के कारण, शील के कारण, संयम के कारण अपनी आवाज को संयमित रखता है। मुझे विश्वास था आज जब 43 दिन से सदन चल रहा है, मैं सदन में पहली बार आया हूं, इस संसद का सदस्य पहली बार होकर आया हूं, आज तक मैं कभी कुछ नहीं बोला, मुझे उम्मीद थी कि मेरी बात सदन बड़ी गम्भीरता से सुनेगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि सदन के सभी सदस्यों ने बड़ी उदारता से, बड़ी कृपा करके मेरी बात सुनी, मैं सभी लोगों को

धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जहां हमारी बात आपने सुनी हैं, वहीं हमारी बात को समझने की भी कोशिश करें।

आप यह भूल जायें कि हिन्द कभी भी वहां स्थापित प्रतिमाओं को हटते हुए देख सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा, वह नहीं हटते देख सकेगा। 44 सालों से जिस रामलला की पूजा जहां हो रही है अगर वहां से आप उसे हटाएंगे तो मैं कहता हूं न जाने कितने लोग अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, गंगा में छलांग लगा लेंगे लेकिन श्रीराम को अपने स्थान से हटने नहीं देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उस मस्जिद की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वह मस्जिद दुनिया की और मस्जिदों के लिए, कि हिन्दू क्यों लड़े, उसी अयोध्या में एक नहीं 66 से ज्यादा मस्जिदें हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, कभी किसी मस्जिद पर किसी हिन्दू ने आंख उठाई हो तो आप बता दीजिए, आप को कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। हम मस्जिदों की इज्जत करते हैं, हम गर्व करते हैं कि हम एक ऐसे देश के साधु हैं, ऐसे देश के नागरिक हैं, जहां मन्दिर और मस्जिद दोनों की इज्जत होती है। हम अयोध्या को पूरा तत्र मानेंगे, हम पूरा मानते हैं वहां मस्जिदें हैं, उस मस्जिद में अजान हो। एक ही मस्जिद के लिए अगर यह देश लड़ रहा है तो सोचना चाहिए कि वह मस्जिद के लिए लड़ रहा है कि भूमि के लिए लड़ रहा है।

एक बात बताकर हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि भगवान राम से ही जब पूछा, बाल्मीकि रामायण का उद्धरण देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब भगवान राम श्री लंका पर विजय प्राप्त करके लौटने के लिए तैयार खड़े हैं तो छोटे भाई लक्ष्मण के माध्यम से विभीषण कहते हैं कि आप लंकापुरी चलकर देख लें। लंकापुरी की बात जब कहते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि भइया आप लंकापुरी देखने चलें तो उस समय भगवान श्रीराम कहते हैं कि मैं जानता हूं लंका बहुत सुन्दर है मगर—

"अपिस्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।"

तो यह भगवान श्रीराम का वाक्य है कि जननी जन्मभूमि की महत्ता क्या होती है। जन्मभूमि की कीमत वही जानता है, यह जन्मभूमि की कीमत थी, मेरे भाई, कि पूरे विश्व में कोई भूखण्ड माता की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सका। न चीन माता बना, न रूस माता बना, न अमेरिका माता बना लेकिन भारत के भूखण्ड को हमने करोड़ों वर्षों से अपने रक्तों से सींच कर इसको भारत माता कहा। हम जन्मभूमि के महत्व को जानते हैं, इसलिए हम जन्मभूमि के महत्व को विसमित नहीं कर सकते हैं। भवन जिनके लिए महत्वपूर्ण है, वे भवन कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन भूमि एक मिलिमीटर भी हटती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर हम लम्बे समय तक चर्चा कर चुके हैं। मन्त्री जी अब उत्तर दे सकते हैं।

श्री एम० एम० जेकब : अध्यक्ष महोदय, करीब दस घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण चर्चा के समापन के लिए आपने मुझे अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस मुद्दे पर 9 घंटे 40 मिनट चर्चा हुई।

महोदय, पहले मैंने सभा से निवेदन किया था कि प्रस्तावक द्वारा अपना संकल्प वापस लेने के बारे में विचार करें क्योंकि आज सुबह सरकार ने स्वयं ही इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया है।

महोदय, मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम इसके विस्तार में जाएं तथा इसके विभिन्न पहलुओं, जिनका उल्लेख वक्ताओं ने किया है उसका जिक्र करूं यद्यपि मैं कुछ समय लेना चाहता हूं। हम सभी के लिए समयाभाव है।

कुछ समय पहले मुझे यह देख कर आश्चर्य हो रहा था कि सभा में तनाव व्याप्त था। आज ही नहीं, पहले दिन से ही चर्चा गर्म थी। मेरी समझ में यह नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। चाहे कोई किसी भी धर्म में विश्वास करता हो—इस देश में सभी धर्मों का मूल तत्व है—पारस्परिक प्रेम और स्नेह। मैंने ऐसा कोई भी धर्म नहीं देखा है जो घृणा का उपदेश ही देता हो। इसलिए जब सभी धर्मों का आधार पारस्परिक प्रेम, मानवता की सेवा और त्याग ही है यदि यह हम सब भाई बहनों के लिए आवश्यक है तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आता हम कभी भी इस तरह से आपस में लड़ें। यदि आप वास्तव में धार्मिक हैं और यदि आप हमारे धर्म के उद्देश्य के बारे में चिंतित हैं तो हर कीमत पर शांति स्थापित करने का हमारा प्रयास है। हमारे मित्र श्री जायनल अबेदीन ने जो संकल्प प्रस्तुत किया था वह भी धार्मिक स्थलों की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के सम्बन्ध में है।

बहुत पहले इस देश में पूजा स्थलों के समर्थन और विरोध में बहुत प्रचार हुआ है। मैं उन बातों में समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन इस देश में व्याप्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुए तथा इस विशाल देश की सांस्कृतिक विरासत और पृष्ठ भूमि को देखते हुए जो सस्कृति हमने इस देश के वेद और उपनिषदों से तैयार की है और विकसित की है और मानव जाति की महानता को स्वीकार करते हुए हमारे नेता श्री राजीव गांधी ठीक ही विचार किया था कि पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए इस देश में एक कानून बनाना आवश्यक है।

महोदय, यह कोई नई बात नहीं है। यह वो देश है जहां शांतिदूत की हत्या हुई है जहां शांतिप्रिय लोगों को राष्ट्र हित में जीना और मरना पड़ा है; जहां भगवान बुद्ध ने लोगों में शांति

और सौहार्द कायम करने के लिए अपने राज्य को त्याग दिया था। ऐसे देश में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 23,24,25,26 और अन्य कई संबन्धित अनुच्छेदों का ठीक ही प्रावधान किया है। विशेषकर अनुच्छेद 26 में सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार देने तथा पूजा स्थलों की रक्षा करने पर बल दिया गया है। मैं इसके संवैधानिक पहलू की ओर व्याख्या करना नहीं चाहता। हमारे सभी सहयोगी यह जानते ही हैं। लेकिन साधारण सी बात यह है कि संविधान से यह अधिकार प्राप्त होता है, और इस देश में जो लाखों लोग जो शांति पूर्वक रहना चाहते हैं उनकी चिंता के कारण मेरे महान नेता श्री राजीव गांधी ने यह विचार किया कि समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए और बातचीत की पहल करने का उत्तर दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हाल के चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में एक वाक्य यह भी जोड़ दिया कि सभी पूजा स्थलों और विशेषकर अयोध्या के मामले में समस्या का शांतिपूर्ण हल खोजा जाएगा।

इसके तुरन्त बाद 11 जुलाई को राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, चूंकि आप उसे पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लिखित है कि :

"सरकार दोनों संबद्ध समुदायों की भावनाओं को उपयुक्त सम्मान देते हुए रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजने का हर संभव प्रयास करेगी। अन्य अराधना स्थलों के सम्बन्ध में एक विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा जिससे 15 अगस्त, 1947 को वे जिस स्थिति में थे उनकी यथा स्थिति बनाए रखी जा सके ताकि आगे कोई नया विवाद उत्पन्न नहीं होने पाए।"

इसके परिणाम स्वरूप जब ऐसे विधेयक को प्रस्तुत किया गया तो मैंने इस संकल्प के प्रस्तुत-कर्ता, अपने मित्र से निवेदन किया था कि हमने लगातार पांच दिनों में दस घण्टे तक इस सभा में उस पर चर्चा कर चुके हैं। दोनों पक्षों के भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बावजूद भी इस संकल्प के माननीय प्रस्तुतकर्ता इसे वापस लेकर भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ही संकल्प को वापस लेने की इच्छा व्यक्त की।

मैं इस विधेयक पर और नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम इस पर सभा में चर्चा करने जा रहे हैं और एक नया विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज ही सुबह हमने उस नए विधेयक को पुर:स्थापित किया है जिसमें हमने उन्हीं बातों को पूरा करने का प्रयास किया है जिसका वादा हमने पहले किया था।

इसलिए इसे मद्देनजर रखते हुए मैं अपने मित्र से निवेदन करता हूं कि वह सभा के समक्ष प्रस्तुत अपने संकल्प को वापस ले लें। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से भी यह निवेदन करता हूं कि वे समय की आवश्यकता को समझें। जब भारत के लोगों की बहुत-सी आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हमारे सामने कई कठिनाईयां और समस्याएं है और देश की सीमा पर

खतरा मण्डरा रहा है तो ऐसे समय में हमें इन सब बातों को महसूस करना चाहिए और इस देश की एकता और अखण्डता की आवश्यकता को सर्वोपरि समझना चाहिए। इसलिए मैं, एक बार फिर इस संकल्प वापस लेने का निवेदन करता हूं।

श्री आयनल अबेदिन (जंगीपुर) : महोदय, मेरे संकल्प के दो भाग हैं। दूसरे भाग में यह सुझाव दिया गया है कि अयोध्या पूजास्थल को छोड़कर सभी धार्मिक स्थलों और अराधना स्थल जो 15 अगस्त, 1947 तक जिस स्थिति में थे उन्हें उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए एक कानून बनाया जाए। एक विधेयक आज सुबह पुर:स्थापित किया गया है।

संकल्प के पहले भाग में यह सुझाव दिया गया है कि बातचीत के द्वारा अयोध्या विवाद को निपटाया जाए और यदि यह बातचीत से संभव नहीं है तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा से निपटाया जाए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप उससे सहमत हैं। **(व्यवधान)**

श्री आयनल अबेदिन : माननीय मन्त्री से मेरा यह निवेदन है कि जब तक अयोध्या पूजा स्थल विवाद का कोई शांतिपूर्ण हल नहीं निकल जाता तब तक अयोध्या पूजास्थल की यथास्थिति को बनाए रखा जाए।

श्री एम० एम० जैकब : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यथास्थिति बनाये रखी जाएगी। शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और प्रयास जारी रहेगा। बातचीत में सहयोग करने के लिए राज्य सरकार से भी सहायता ली जाएगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको इन सभी बातों का उत्तर देने की आवश्यकता आपको नहीं है।

श्री आयनल अबेदिन : माननीय मन्त्री जी द्वारा अभी-अभी दिये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री आयनल अबेदिन : मैं संकल्प वापस लेता हूं।

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

4.45 म० प०

बेरोजगारी के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री तेज नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये बेरोजगारी सम्बन्धी संकल्प पर विचार करेगी। उस संकल्प पर विचार करने से पूर्व हमें इस संकल्प के लिए चर्चा का समय निश्चित करना है। क्या इसके लिए हम दो घण्टे का समय निर्धारित कर दें ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, फिलहाल इसके लिए दो घण्टे का समय ही रहने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अत: इस संकल्प के लिए दो घण्टे का समय दिया गया है। श्री तेज-नारायण सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"यह सभा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर विचार करती है और सरकार से सिफारिश करती है कि वह इस स्थिति से निपटने के लिए अविलम्ब उपाय करें।"

4.46 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय, आजादी के 42 वर्ष के बाद दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, इस तरह का बिल यहां पर पेश करना पड़ रहा है। सच पूछिए तो आजादी के 42 वर्ष के बाद बेकार नौजवानों की संख्या का सवाल उठाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि,

देश में कई करोड़ नौजवान बेकार है। किसी भी राज्य में आप चले जाइए, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बेकार नौजवानों की टोली न हो। चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो हर एक राज्य में बेकार नौजवानों की भरमार है। यह देख कर भी आश्चर्य होता है कि केवल पढ़े लिखे लोग ही बेकार नहीं हैं, अनपढ़ नौजवान भी बेकार हैं। सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों से अधिक अनपढ़ नौजवान बेकार हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो लोग रोजगार कार्यालयों में अपना नाम लिखवाए हुए हैं, उनकी संख्या करीब-करीब आज 32 करोड़ है। अर्थात् देश की आबादी जो कि 70-75 करोड़ है, उस आबादी के आधे से अधिक नौजवानों की संख्या बेकार है। मैं समझता हूं कि अगर उन लोगों को काम दिया गया होता तो आज देश की स्थिति इतनी खराब न होती, जितनी आज है। मैं तो यह भी कहता हूं कि जो लोग अनपढ़ हैं, उनको काम देने में सरकार किस तरह से असमर्थ है, उनको काम देना तो बहुत आसान काम था। सिर्फ सिंचाई का इन्तजाम देश के पैमाने पर कर दिया गया होता तो मैं समझता हूं कि जो लोग बिना पढ़े-लिखे थे वे खेत-खलिहान में काम करते और अपनी जिंदगी बसर करते, लेकिन अगर डाटा देखा जाए तो

कोई राज्य ऐसा नहीं है, पंजाब-हरियाणा को छोड़ कर जो सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर हो गया हो। अभी इस साल अकाल पड़ा है, देश के आधे राज्य सूखे की चपेट में हैं। आजादी के 42 वर्ष बाद भी देश सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, यदि देश सिंचाई के मामले में आत्म-निर्भर होता तो मैं समझता हूं कि देश में अकाल पड़ने का डर किसी राज्य में नहीं रहता, लेकिन आज सिंचाई का पूरा इन्तजाम नहीं है। इस तरह से आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान वगैरह राज्यों में तबाही है, सब राज्य सूखे की चपेट में हैं। फसल की रोपाई नहीं हो पाई है. धान रोपने का समय समाप्त होने वाला है।

मैं समझता हूं कि देश के आधे राज्यों में धान की रोपनी नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो अगला संकट भोजन पर होगा। एक ही प्रतिशत किसी भी तरफ से देखा जाए तो देश के तमाम राज्यो में कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ जिसकी वजह से आज देश में जवान बेकार हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि जिसमें पढ़े-लिखे लोग बेकार नहीं हो। मैट्रिक, बी०ए०, एम०ए० की बात नहीं है लेकिन डाक्टर और इन्जीनियर देश में बेकार पड़े हैं। डाक्टर और इन्जीनियर को काम दिया जाता तो मैं समझता हूं देश का विकास होता। लेकिन, 42 वर्ष आजादी के बाद हो चुके हैं परन्तु सरकार ने कोई काम नहीं किया। उसकी वजह से आज देश के तमाम नौजवान बेकार हैं। सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। अगर कोई सरकार देश के नौजवानों को काम नहीं देती है तो उन्हें अधिकार हो कि सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करके काम ले सकें। हमने कई बार इस बात को उठाया। लेकिन, 42 वर्ष की आजादी के बाद भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। संविधान के अनुच्छेद-16 में एक अमेंडमेंट हो जाता और उसमें यह कर दिया जाता कि अगर कोई भी सरकार काम नही देती है तो देश के नौजवानों को अधिकार है कि वे मुकदमा दायर करके काम ले सकते हैं। अगर यह अधिकार प्राप्त होता तो कोई भी दुश्मन की सरकार हो तो देश के नौजवान काम लेते। मैं मांग करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद-16 में एक नया क्लाज जोड़ा जाए जिसके मातहत देश के नौजवानों को अधिकार हो कि काम नहीं देने पर मुकदमा कोर्ट में दायर करके काम ले सके। कई तरह के काम हैं, जिन्हें अगर सरकार करे तो उससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। कई राज्यों में कारखाने नहीं हैं। सबसे पहले बिहार में बहुत कम कारखाने हैं। वहां के लाखों, करोड़ों नौजवान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा आदि प्रदेशों में आकर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। अगर वहां इस तरह की व्यवस्था कर दी जाती तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नौजवान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आकर जिन्दगी बसर नहीं करते। आखिर, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। वे जिस राज्य के हैं उस राज्य का विकास करते। किसी भी मामले में भारत सरकार ने कोई भी विकास बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नहीं किया। जितने बड़े-बड़े राज्य हैं तो उनमें भूमि सुधार कानून भी लागू नहीं किया गया। देश की भूमि बड़े-बड़े भूमिपतियों के हाथ में जब्त है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। भूमि हदबन्दी के मुताबिक अगर जमीन गरीबों में बांट दी गई होती तो तब भी बेकारी का सवाल कम होता। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक-एक भूमिपति के पास दस हजार एकड़ भूमि है और वह जमीन परती पड़ी हुई है लेकिन गांव का गरीब देश के कोने में पड़ा रहता है। मैं समझता हूं, अगर हदबन्दी के मुताबिक जमीन नौजवानों को दी जाती है तो प्राकृतिक साधनों के द्वारा अपने परिवार की जिन्दगी पूरी कर सकता है और कम से

कम वह बेकारी से मुक्त हो सकता है । हदबन्दी कानून आजादी के बाद भी लागू नहीं किया गया । वह इसलिए लागू नहीं किया गया कि जिसके पास जमीन थी वह सत्ता में दिल्ली में था । अगर दिल्ली में गरीब का बेटा सत्ता पर बैठा होता तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भूमि हदबन्दी कानून इस देश में लागू होता और जमीन गरीबों में बांटी गई होती । हो सकता है कि राम का भजन करने वाले यह कहें कि गरीब का बेटा आज इस कुर्सी पर नहीं बैठा । यह दूसरी बात है, लेकिन मेरे जैसा आदमी तो दुर्भाग्य कहता है ।

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है, गरीब ही तो बैठा है ।

श्री तेज नारायण सिंह : मेरे जैसा आदमी इसे दुर्भाग्य कहता है । अभी गरीब आदमी गद्दी पर नहीं बैठा है । जिससे आज देश की धरती देश के भूपतियों के हाथ में जब्त है, वे लोग ही शासन कर रहे हैं । गरीब उसे कहा जाता है जो गरीब के पक्ष में काम करे । मैं नहीं समझता हूं गरीब उसे कहा जाता है जो धनी के पक्ष में काम करे । अगर गरीब का बेटा गद्दी पर बैठे और वह भूपतियों की वकालत करे तो वह गरीब का बेटा नहीं कहा जाता है । गरीब का बेटा वह कहा जाता है जिसने धरती पर नाजायज ढंग से कब्जा कर रखा है उसके विरुद्ध आवाज उठाये वह गरीब का बेटा कहलाता है । जिसको न्याय नहीं मिला हो, उसको न्याय देने की बात जो कहता है वह गरीब का बेटा कहा जाता है, भले ही वह किसी का बेटा हो । लेकिन देश के लोग दूसरे अर्थ को ही समझते हैं, इसको नही समझते हैं । अगर देश में भूमि हदबन्दी कानून लागू कर दिया गया होता तो देश का भला हो गया होता । देश का भला करने की बात सब लोग करते हैं, जय श्री राम वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, गांधी और नेहरू का नाम लेने वाले भी करते हैं, लेकिन 42 वर्ष की आजादी के बाद आपने क्या किया । किस ने आपको रोका था गरीबी हटाने से, नौजवानों को काम देने से ? लेकिन ये उसकी बात नहीं करते हैं । अगर 42 वर्ष तक गद्दी पर बैठकर भी कुछ नहीं कर पाये तो फिर हमारी क्यों आलोचना करते हैं । आप 11 महीनों के शासन की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि उस 11 महीने का शासन देखिये । लेकिन यह नहीं कहते हैं कि 42 वर्ष का या 4 महीने का शासन देख लीजिए हमारा तो 11 महीने के शासन का उदाहरण देते हैं, लेकिन 42 वर्ष के शासन का उदाहरण नहीं देते हैं । मै कहना चाहता हूं कि 42 वर्ष के शासन का भी आप उदाहरण दें ।

अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति गिरता है तो वह उठता नहीं है, अगर बच्चा गिर जाता है धरती पर तो वह उठ जाता है । उसी तरह से 11 महीने का शासन जिन्होंने किया वह गिरे तो फिर खड़े हो जायेंगे, लेकिन अगर ये गिरेंगे तो उठेंगे नहीं । आप कितना भी खड़ा होने का प्रयत्न करें, आपकी जिन्दगी बहुत पुरानी जिन्दगी हो गई है, आप नहीं उठ पायेंगे । जिस समय आप जवान थे उस समय कुछ नहीं किया, आपके उस समय हाथ-पैर बड़े थे, आपकी संख्या भी 425 थी, लेकिन आप आज बूढ़े हैं आपको दिखाई नहीं देता है, आप में चलने की शक्ति नहीं है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं । अगर कानून बनाना हो तो वह बनायें तभी देश का कुछ उद्धार हो सकता है, बरना देश का उद्धार जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं हो सकता है ।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : आप भी इसी बहाने राम को याद कर रहे हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार को बेकार नौजवानों को काम देने के लिए भूमि सुधार कानून को लागू करना चाहिए। देश में बड़े-बड़े कल-कारखानों को खोलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रावधान करना चाहिए। अगर कोई भी सरकार बने, अगर देश के नौजवानों को काम नहीं देती है तो उनको अधिकार हो कि वे कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकें और काम ले सकें। ये तीन चीजें रहेंगी तो मैं समझता हूं देश के नौजवानों का भला होगा। नहीं तो उनका भला होने वाला नहीं है। हम उनको कहते रहते हैं कि नौजवानों को भगवान ने बिगाड़ दिया है। भगवान किसी को नहीं बिगाड़ते हैं वे तो सब में हैं। आदमी सोने के समय और जागने पर भगवान का नाम लेता है, जहां भी चलता है वहां भी नाम लेता है। यह दूसरी बात है कि आज राम का नाम जो पहले जंगल में लिया जाता था, दूसरी जगहों पर लिया जाता है। लेकिन हमारे कुरान और हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे घर में अगर कोई 50 से ऊपर हो जाता था, वृद्ध हो जाता था तो वह आदमी परिवार छोड़ देता था, जंगल में चला जाता था और वहीं धूनी रमाता था और वहीं राम के भजन गाता था। लेकिन आज विकास की दुनिया है, दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, नये-नये आविष्कार हो रहे हैं, शायद इसी के साथ यह हो कि आज जंगल में धूनी नहीं रमाई जाती, राम का नाम जंगल में नहीं लिया जाता। अब राम का नाम सदन में लिया जयेगा यह दूसरी बात है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राम के पक्के भक्त, पुजारी जंगल में रहते हैं वहीं राम का नाम लेते हैं, दूसरों से उन्हें कोई मतलब नहीं है।

एक बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। देश के नौजवानों को काम दें, वे काम चाहते हैं, अधिक दिन तक हम उनको नहीं रोक सकते हैं, उनको काम चाहिए।

5.00 म० प०

चाहे जिस तरह से आपको काम देना हो, उनको काम दीजिये। अगर उनको काम नहीं दिया जायेगा तो अधिक दिन तक वह नौजवान इन्तजार करने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे उसमें पढ़े-लिखे या अनपढ़ नौजवान हों। ये सब लोग काम चाहते हैं और इनके लिए सरकार को जल्द से जल्द काम का इन्तजाम करना चाहिये। यदि नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि उन नौजवानों का आपसे मोह भंग हो जायेगा कि यह सरकार उनकी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे किसी भी दल का सांसद हो, या एम०एल०ए० हो, वही यह कहेगा कि मेरा नहीं है, दूसरे का है। इसलिए में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार को बेकार नौजवानों को काम देने के ऊपर जल्द से जल्द विचार करना चाहिये और संविधान में संशोधन करना चाहिये और देश में फैक्ट्रियों व हदबंदी कानून को लागू करना चाहिये जिससे देश के नौजवानों को भी काम दिया जा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बेरोजगारी की समस्या सम्बन्धी इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद दूंगा।

बेरोजगारी की समस्या एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। हम सभी अपने दलगत मतभेदों पर ध्यान न देते हुए इस समस्या से चिन्तित हैं। इस बारे में कोई विवाह नहीं है। इस समस्या की वरीयता तथा महत्व जो कि इस रोजगार कार्यक्रम को मिलना चाहिए उस बारे में कोई विवाद नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि इस समस्या से कैसे निवटा जाए, इसका समाधान किस प्रकार किया जाये ?

जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मुझसे पहले जो विद्वान वक्ता बोल रहे थे, संकल्प प्रस्तुत करते हुए उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि बेरोजगारी की इस समस्या का समाधान करने के लिए इस देश में कुछ भी नहीं किया गया है। परन्तु मैं कहूंगा कि यह बात सच्चाई से काफी अलग है। मैं कहूंगा कि हमारा देश जिस कठिन स्थिति से गुजर रहा है वह उस स्थिति का बखान नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोई संदेश नहीं है कि बेरोजगारी की यह समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। हर रोज बेरोजगारों की सूची में और नाम जुड़ते जा रहे हैं। इसके क्या कारण हैं ? इसके मुख्य कारण हैं (1) मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि होने से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में तेजी से होती हुई वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई दर। केवल अपनी चिन्ता व्यक्त करने तथा एक सरकार अथवा दूसरी सरकार अथवा इस दल या उस दल पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। इससे कुछ समाधान नहीं निकलेगा। सबसे पहले हमें इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिये। जब तक जनसंख्या में तेजी से होने वाली इस वृद्धि को काबू में नहीं किया जाता हम चाहे जो कुछ भी कदम उठा लें, हम पूरी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

वर्ष 1981 में हमारे देश की जनसंख्या 64 करोड़ थी। वर्ष 1991 में यह बढ़कर 84 करोड़ हो गई है।

अतः यदि प्रत्येक दस वर्षों में जनसंख्या में इसी प्रकार से वृद्धि होती रहेगी तो हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं, हम बेरोजगारी की इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं ?

जिस समय हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी उस समय हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी अब यह 50 करोड़ अधिक अर्थात् 84 करोड़ हो गई है। यदि आप बेरोजगार व्यक्ति, शिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार अथवा बेकार आदि सभी व्यक्तियों की संख्या की गिनती करें तो क्या यह 50 करोड़ होगी ? निश्चित रूप से नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि इस ओर से कोई व्यक्ति यह कहता है कि पिछले चार दशकों से कुछ भी नहीं किया गया है, वह कितना गलत कह रहा है ? हमने बहुत कुछ किया है, हमने इस दिशा में काफी काम किया है परन्तु इस कारण से कि इस समय यह समस्या इतनी प्रभावशाली नहीं रही है। परन्तु जो भी हो, यह एक अत्यन्त ही गम्भीर समस्या है बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है तथा इसके समाधान के बारे में भी एक बार पुनः विचार किया जाना चाहिये।

हम सभी, हमारे विशेषज्ञ, राजनैतिक व्यक्ति, नेता, योजना आयोग विशेषज्ञ सभी का यह विचार है कि कृषि-क्षेत्र का विस्तार करके ही हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। मैं भी उनसे सहमत हूं परन्तु कुछ विशेषज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा किये गये शोध से कुछ तथ्य जो सामने आये हैं वे कुछ और ही दर्शाते हैं।

इतिहास को देखने से भी पता चलता है कि कृषि में लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत हैं, हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि से अपनी आजीविका कमाते हैं तथा लगभग अस्सी प्रतिशत व्यक्ति गांवों में रहते हैं। तथा लगभग 70 प्रतिशत व्यवसाय कृषि से सम्बन्धित हैं। परन्तु अभी हाल ही के जो हमारे पास वर्ष 1983-84 तक के आंकड़े मौजूद हैं उससे यह पता चलता है कि केवल 11.7 प्रतिशत पुरुष तथा 0.3 प्रतिशत महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं, वे कृषि-क्षेत्र में कार्यरत हैं। तथा वर्ष 1987-88 के समाप्त होने वाले दशक के अन्त तक कृषि क्षेत्र में केवल 0.74 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं पुनः एक बार यह प्रतिशत बताता हूं। पिछले दशक में अर्थात् वर्ष 1987-88 तक कृषि क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष केवल 0.74 प्रतिशत रोजगार के अवसर दिये गये जबकि हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर का यह केवल एक तिहाई है। अतएव जनसंख्या वृद्धि की दर जो भी हो कृषि क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के हिसाब से उसका केवल एक तिहाई प्रतिशत ही जुड़ा अथवा बढ़ा है। अतः कृषि क्षेत्र में भी अनेक उपाय किये जाने की जरूरत है।

सभी बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम दर्ज कराने के लिए रोजगार कार्यालय में नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर केवल शिक्षित बेरोजगार ही अपना नाम दर्ज कराते हैं। परन्तु इसके अलावा कई बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगार श्रमिक तथा बेकार व्यक्तियों की संख्या भी काफी अधिक है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा बिहार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रो० शीला भल्ला द्वारा अध्ययन किया गया है इन पांचों राज्यों में अध्ययन करने से एक अत्यन्त आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है जिसके अनुसार देश की कुल जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या इन पांचों राज्यों में रहती है। कृषि व्यवसाय में रोजगार प्रतिशत में वास्तव में गिरावट आ रही है।

एक ओर, जैसे फसल ज्यादा होती है उत्पादन बढ़ता है, दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में, रोजगार कम हो जाता है। यह परम्परागत विचार को नकारता है कि उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ रोजगार बढ़ता है। इसलिए कृषि पर रोजगार के अवसर के रूप में पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

जब, हम मशीनीकरण अपनाते है। तो स्वभावतः इससे शारीरिक श्रम जरूरत कम हो जाती है। फिर श्रमिकों के वेतन में वृद्धि भी एक कारण है। जो भी हो, यह एक सर्वसम्मत विचार है कि अगर अधिक सिंचाई होती है और एक से अधिक फसल उगाई जाती है या दो या तीन फसलें उगाई जाती हैं, तो उससे काफी रोजगार पैदा होता है। स्वभावतः उस प्रक्रिया में भी कुछ श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इसलिए, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए प्रतिवर्ष अधिक से अधिक क्षेत्रों को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। और इस प्रक्रिया में भी, जब एक या बहुत सी फसलें होती हैं, तो ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है।

इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी पर आते हुए मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं भी—यहां तक कि समाजवादी देशों में भी—सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। किन्तु वे लोग जो हमारे कालेजों

से आते हैं, विश्वविद्यालयों से आते हैं अधिकांशत: वे सरकारी नौकरियों की आशा करते हैं । और जब वे सरकारी नौकरी पाने में असफल रहते हैं तो वे हताश हो जाते हैं यह हमारा अनुभव रहा है । हम उन पर पूरा दोष नहीं लाद सकते । क्योंकि हमारी व्यवस्था ही ऐसी है । स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे देश में जो व्यवस्था थी वह अधिक नहीं बदली है । वह व्यवस्था जारी है और यह हमारे शिक्षित युवकों में विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं कर सकती कि उन्हें अपने लिए उपयुक्त नौकरियां मिल जाएंगी या उन्हें अपने लिए सम्मानजनक जीविका कमाने के उपयुक्त साधन मिल जाएंगे ।

इसलिए, अब समय आ गया है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुन: विचार करें और सोचें कि इसे किस प्रकार नौकरियां उत्पन्न करने से जोड़ा जा सकता है और किस प्रकार हमारे शिक्षित युवक अपने को बदलती हुई स्थिति में ढाल सकते हैं । मेरा सुझाव है कि शिक्षित युवकों को डिग्री और डिप्लोमा देने से पूर्व, उनके लिए छ: महीने या एक वर्ष का ग्रामीण क्षेत्रों में रहना जरूरी होना चाहिए । इसका खर्च सरकार को वहन करना चाहिए तब वे श्रम को महत्ता को जान पाएंगे उन्हें शारीरिक श्रम के लिए तैयार रहना चाहिए । हमारे देश में यह है कि जो शिक्षित हैं । जो मैट्रिक तक ही पढ़े हैं । वे शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते । ज्यादा से ज्यादा वे श्रमिकों के निरीक्षक बनते हैं ।

इसलिए हमारे युवकों की विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है । वातावरण में और शिक्षा व्यवस्था में तुरन्त एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है ।

इसके बाद, मैं कुछ और मुद्दों के बारे में कहना चाहूंगा ।

महोदय, अब मैं काम के अधिकार पर आता हूं । समस्या काफी गम्भीर है तथा विकराल है । कुछ राजनैतिक दलों ने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया है; काफी जोर शोर से इस पर विचार किया है और वे काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की बात कर रहे हैं । और कुछ लोग तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सोच रहे हैं । बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है । किन्तु हम इसे 'बेरोजगारी भत्ता' न कहें । उन्हें किसी निश्चित न्यूनतम वेतन पर कोई नौकरी दे सकते हैं । हमारी व्यवस्था में यह बहुत कठिन है कि काम के अधिकार से मौलिक अधिकार बनाया जाए । इस पर सभी दलों की सहमति होनी चाहिए । सभी राजनैतिक दलों को साथ बैठकर इस समस्या पर विचार करना होगा । हमारे युवकों के मस्तिष्क में उनके माता पिता तथा हर किसी को यह समस्या बहुत परेशान कर रही है । हम चुनाव के समय या इससे दो या तीन महीने पहले समय गांवों में गए थे । अभी भी हम प्राय: वहां जाते हैं । हमने देखा है कि वहां अत्यन्त दु:खद स्थिति है । प्रत्येक गांव में कई शिक्षित बेरोजगार युवक हैं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । कुटीर उद्योग को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

औद्योगिक नीति पर विचार करते समय, हमें ध्यान रखना है कि कुटीर उद्योग की हम उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । कुटीर उद्योग को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र के हितों की रक्षा की जानी चाहिए । महोदय, बेरोजगार युवकों को उचित या कम ब्याज पर बैंक ऋण दिये जाने चाहिए ।

राज्यों में जवाहर रोजगार योजना काफी जोरों से शुरू की गई है। उड़ीसा सहित कई राज्यों में, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ हद तक निष्फल हो गया है। विधायक जो खण्ड स्तर पर कार्य समिति के सभापति भी हैं, वे ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों की उपेक्षा कर रहे हैं। इन कार्य समितियों में विधायकों के अतिरिक्त सिर्फ खण्ड विकास अधिकारी और दो ओवरसीयर ही सदस्य हैं। अतः इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रोजगार की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

संगठित क्षेत्र में, पिछले एक दशक में नौकरियों के सृजन का कार्य संतोषजनक नहीं था और कृषि क्षेत्र में भी ऐसा ही है। इस के साथ ही हमें जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण रखना है।

नौकरियों के और अधिक सृजन पर विचार करते समय तथा कृषि क्षेत्र में एक अर्थ पूर्ण और प्रभावशाली साधन बनाते समय हमें सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देकर और बेरोजगार युवकों को ऋण देकर तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे श्रमोन्मुख कार्यक्रम शुरू करके कृषि क्षेत्र को रोजगार पैदा करने का कारगर साधन बनाना चाहिए और हमें जनसंख्या वृद्धि को भी रोकना होगा। जैसा मैंने पहले कहा है, विभाजन के समय हमारी जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। पिछले चार दशकों में, हमारी जनसंख्या में 50 करोड़ की वृद्धि हुई है। अगर यही वृद्धि जारी रही तो, हम चाहे जो भी प्रयास करें, बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए प्रभावी प्रयास करने होंगे। भारत जैसे देश में, थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा कहते हुए मैं इस बात से पूरा सचेत हूं कि शायद इस क्षेत्र में, जनसख्या रोकने के लिए थोड़ी बाध्यता होनी चाहिए। यह कार्य एक दल द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठकर इस निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर विचार करना चाहिए और एक समाधान ढूंढना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो प्रस्ताव लाए हैं, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार अविलम्ब कदम उठाए। दूसरा प्रस्ताव एक और माननीय सदस्य श्री रमेश चेन्नित्तला का काम से अधिकार का है। मैं समझता हूं कि दोनों प्रस्तावों को इकट्ठा जोड़ दिया जाता और दोनों पर बहस हो जाती क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। यह सही है कि बेरोजगारी की समस्या दिनोंदिन अत्यन्त गम्भीर होती जा रही है। इसकी गम्भीरता का अन्दाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चर्चा शुरू होने के दौरान श्री तेज नारायण सिंह ने लगभग दस-बारह बार भगवान को याद किया। यह समस्या इतनी गम्भीर हो चुकी है यह हम मानते हैं। वास्तव में जब चुनाव आता है, राजनीति दल मत प्राप्त करने के लिए वादे करते हैं और युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। सत्तारूढ़ दल ने चुनाव में कहा कि दस मिलियन जौब्स, एक करोड़ लोगों को एक वर्ष में रोजगार दिया जाएगा।

इसी लोक सभा में प्रश्न हुआ था। मन्त्री जी से पूछा गया कि कितने लोगों को रोजगार देने वाले हैं आप तो कहते हैं कि केन्द्र सरकार किसी को रोजगार नहीं देगी, पावन्दी लगी हुई

है। मन्त्री जी से पूछा गया तो वे कहने लगे कि हम प्रयत्न करेंगे, प्राईवेट सैक्टर में नौकरियां सृजित की जाएंगी। प्राईवेट सैक्टर ने तो अपने हिसाव से नौकरी देनी होती है। वे तो मशीनीकरण करना चाहेंगे जिसमें मशीनें अधिक लगें और आदमी को कम रोजगार देना पड़े। यह सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती। हर बात को प्राईवेट सैक्टर में डालकर सोचना कि निजी क्षेत्र लोगों को रोजगार भी दे देगा, सिक यूनिटस को भी ठीक करके चला देगा, पब्लिक सैक्टर के बड़े-बड़े उद्योग जो असफल हो रहे हैं उनको भी चला देगा। इस प्रकार से तो सरकार की रोजगार देने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वह सरकार पूरा नहीं कर सकेगी।

हमें इस बात का भी खेद है कि एक विकासशील देश में इन्जीनियर्स बेकार हैं। भारतवर्ष विकासशील देश है और यहां इन्जीनियर्स, ओवरसियर बेकार हैं पढ़े-लिखे तो हर वर्ष लाखों, करोड़ों की संख्या में शामिल होते जा रहे हैं। लगभग चार पांच करोड़ के करीब यह संख्या पहुंच चुकी है और इसमें डिसगाईज्ड अनइम्प्लायमेंट शामिल नहीं है, जिससे वर्ष में कुछ दिन कुछ लोगों को काम मिलता है हम उनको अनइम्प्लायड गिनते हैं। मेरे मित्र जवाहर रोजगार योजना का जिक्र करते हैं कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत रोजगार मिले। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सर्वेक्षण कीजिए कितने लोगों को साल में कितने दिन के लिए जवाहर रोजगार योजना के अधीन काम मिलता है।

माननीय सदस्य कह रहे हैं, जीरो। जीरो तो नहीं लेकिन जिनको मिलता है, कुछ दिनों के लिए मिलता है और उसमें भी जो भ्रष्टाचार है, वह आपके ध्यान में आया होगा। मैं कहता हूं कि सरकार जवाहर रोजगार योजना का सहारा लेकर या निजी क्षेत्र पर बात टालकर अपने दायित्व से नहीं बच सकती। उसे लघु उद्योग व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। जो गांव में लोग अपने हाथ से काम करने वाले हैं, आज गांव का कुम्हार है, माननीय जार्ज फर्नान्डीज जी आये हैं, इन्होंने जब पिछली बार रेल बजट प्रस्तुत किया था तो उसमें कहा गया था कि मिट्टी के बर्तनों में चाय दी जायेगी, कुल्हड़ों में चाय दी जायेगी तो उसमें गांव के कुम्हार से पूछिये, कितनी उनमें खुशी पैदा हुई थी, उसको काम मिलता था। उसका पेशा है, उसका काम करने के लिए वह तैयार है लेकिन कुम्हार के पास अपनी जमीन नहीं होती, बर्तन बनाने के लिए और बर्तन सुखाने के लिए जो लकड़ी चाहिए उस लकड़ी का प्रबन्ध और बारिश से बर्तन खराब नहीं हो जायें तो शैड नहीं होता। अगर इस तरह के रोजगार देने के लिए सरकार सहायता करे कि कुम्हार शैड बना सके, उसको लकड़ी मिले, मिट्टी मिले तो वह स्वरोजगार में लग जायेगा, कुटीर उद्योग में लग जाएगा।

उद्योग नीति पर चर्चा करते हुए बहुत से लोगों ने कहा कि आज सबसे बड़ा चर्मकार बाटा बन गया और सबसे बड़ा लुहार टाटा बन गया। जो काम छोटा आदमी कर सकता है, गांव का मजदूर गांव में बैठकर, अपने घर बैठकर काम कर सकता है, उस काम को हमने डिस्करेज किया है। हतोत्साहित किया है। आज एक अन्धी दौड़ लगी है शहर की ओर, आज हर आदमी शहर की ओर भाग रहा है, रोजगार के लिए जिससे स्लम्प डवलप हो रहे हैं।

गांवों में, पिछड़े क्षेत्रों में फल पैदा होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में फलों की फसल ऐसी है जो निश्चित समय तक रह सकती है, उसके बाद फसल खराब हो जाती है। गांव का छोटा किसान

उसको प्रिजर्व नहीं कर सकता, उसको बचाकर नहीं रख सकता। अगर फलों पर आधारित उद्योग उन क्षेत्रों में लगाये जायें तो वहां के लोगों को वहीं रोजगार मिलेगा, इसमें शहरों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा और लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

एक बात और जिन प्रदेशों में आतंकवाद फैला हुआ है, वहां का हर राजनीतिज्ञ अपने भाषण में कहता है कि बेरोजगारी के कारण ऐसा हो रहा है। बहुत हद तक यह बात सही है। फिर आतंकवाद को हल करने के लिए हम पैकेज डील देते हैं कि इस प्रदेश में ज्यादा आतंकवाद है, यहां इतने रोजगार दिये जायेंगे, नौकरियां दी जायेंगी। इससे क्या हम एक दौड़ शुरू नहीं कर रहे हैं कि दूसरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान जो हैं वह भी आतंकवाद की राह पर चल पड़ें? और फिर उनको भी रोजगार देने के ज्यादा चांस देने के लिए सरकार आगे बढ़े। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बेरोजगारी की समस्या किसी प्रदेश विशेष की नहीं है, सारे देश की है और केन्द्रीय सरकार जो नीति बनाये, जो नीति अपनाए; रोजगार के बारे में वह सारे देश में लागू होनी चाहिए और हर प्रदेश की जो समस्या है, उसको सामने रखकर उस योजना को काम करना चाहिए।

बहुत से लोग केन्द्रीय और प्रदेश की सरकारों में कार्यरत हैं। कुछ उनमें से अपने धन्धे भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, वह नौकरियां छोड़ने को तैयार होंगे। मेरा मन्त्री महोदय से आग्रह रहेगा, सरकार से आग्रह रहेगा कि इस सम्भावना का जरा पता लगाइये कि यदि आप कुछ विशेष सेवा अवधि के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट में कुछ बैनीफिट देकर उनको सेवा निवृत्ति अगर लेने दें तो उनको बैनीफिट मिले, काम मिले तो हो सकता है, बहुत से लोग सेवानिवृत्ति ले लें और फिर नये लोगों को वहां रोजगार आप दे सकते हैं।

मशीनीकरण की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा जो साधन है वह मानव है; इन्सान है इसीलिए आपने मानव संसाधन मन्त्रालयभी बनाया है तो मानव का, इन्सान का जो संसाधन है उसको ठीक ढग से प्रयोग कर सकें, काम करने के लिए, अधिक से अधिक हाथ से काम करने वालों को प्रोत्साहन मिले, ऐसी योजनाएं लेकर आप आगे आइये। वैसे तो आपने बड़ी-बड़ी योजनाएं अपनी उद्योग नीति के अनुसार विदेशी कम्पनियों के लिए, नान रेजीडेण्ट इण्डियन्स के लिए छोड़ दी हैं। अब आप छोटी योजनाओं की ओर ध्यान दीजिए, छोटे और लघु उद्योगों की ओर ध्यान दीजिए जहां पर लोगों को वास्तव में रोजगार मिलेगा।...(व्यवधान)... उसमें भी आपने छोड़ दिया। अगर सर्फ भी टाटा को बनाना है, नमक भी टाटा को बनाना है, साबुन भी आप टाटा से बनवाएंगे तो उसके बाद छोटा उद्योग कौन सा रहा है, वह आप आइडैण्टीफाई कर दीजिए। जरा पता लग जाय कि कौन सा उद्योग है जिसमें छोटा आदमी, जिसके पास इन्वेस्टमैंट के लिए बहुत कम धन है, जो केवल अपना लेबर लगा सकता है, अपने हाथ से काम कर सकता है, उसके लिए कौन सा उद्योग बचा है, वह उद्योग आइडैण्टीफाई जरूर करना चाहिए।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि आपके जो अर्धसैनिक बल हैं, बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस० एस० बी०, आई० टी० बी० पी०, सी० आर० पी० एफ० और सी० आई० एस० एफ० ऐसे जो अर्धसैनिक बल हैं... उनकी भरती के लिए देश के सभी प्रदेशों में लोगों की भरती करिए। आज जहां का मन्त्री होता है या जहां के अधिकारी होते हैं, उन विशेष प्रदेशों में भरती कर ली

जाती है । इसी से सम्बन्धित मैं आपका ध्यान एक समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा । पहले सेना में भरती किसी प्रदेश की आबादी के आधार पर नहीं होती थी। कुछ वर्ष पहले आपने नियम बदला और प्रदेश की आबादी के आधार पर सेना में भर्ती का अनुपात निश्चित कर दिया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के बहुत से लोग सशस्त्र सेनाओं में भरती होकर देश की सेवा करते थे, लेकिन ये चारों प्रदेश छोटे हैं, आबादी कम है और जब आप आबादी के आधार पर भरती करेंगे तो वहां के अनुपात के अनुसार वहां के लोग सशस्त्र सेनाओं में कम भरती हो रहे हैं और परिणाम आपके सामने हैं। इन क्षेत्र के लोगों को अगर आप देश की रक्षा के लिए लगायें, उन्हें हथियारों से प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ आप उनकी संख्या कम कर रहे हैं। आप उनकी संख्या कम कर रहे हैं । तो हथियार उन्हें कहां से मिलते हैं और फिर जिस ढंग से चलता है, वह आपके सामने हैं, फल आपके सामने हैं । मैं चाहूंगा कि इस नीति पर आप पुनर्विचार करें और जो लोग कई पुश्तों से, पीढ़ियों से देश की सेनाओं में, सैनिक बलों में भरती होकर देश की रक्षा करते रहे हैं, उन्हें इनमें मौका देकर प्राथमिकता से आधार पर भरती कीजिए। मेरा यह मानना है कि इस ढंग से आतंवाद पर काफी हद तक आप कन्ट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं । ऐसी स्थिति पैदा करने से उनमें एक भावना पैदा हो गई है कि पहले कहा हमारा इतना प्रतिशत था और अब इतना प्रतिशत हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले यह छः प्रतिशत था, जो अब 0.6 प्रतिशत है । पंजाब का भी यही हाल है, हरियाणा का भी यही हाल है और जम्मू का भी यही हाल है । इन सब राज्यों में आप भरती का आधार बदलें और बदलने के बाद ही आप लोगों को ले सकते हैं । वहां के नौजवान पढ़े-लिखे हैं । वे नौकरी करना चाहते हैं । देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं और जब वे सेना भर्ती के लिए जाते हैं, तो कह दिया जाता है कि स्टेट का कोटा पूरा हो गया ।

मैं यह जानता हूं, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका अन्त क्या होगा । हर प्रस्ताव का जो अन्त होता आया है, वही इसका भी अन्त होगा । लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है और इस बेकारी की समस्या को गम्भीरता से लेकर सरकार ने हल करने का प्रयत्न नहीं किया तो अगले चुनाव में हम में से बहुत लोग चुनाव में लोगों का सामना करने के काबिल नहीं रहेंगे । अब नौजवान बार-बार धोखा नहीं खाएगा, बेरोजगारी से लोग तंग आ चुके हैं । उन लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार आपको कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । जब भारत का संविधान स्वीकार किया, तो हमने इस बात को स्वीकार किया कि हम भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाकर रहेंगे, लेकिन हमारी दिक्कत है जिन देशों से हमने लोककल्याणकारी राज्य की कल्पना की, उन देशों में तो रोजगार मुहैया करना शासन का दायित्व है, स्टेट की गारन्टी है । यदि कोई स्टेट जिस नौजवान को, जिस व्यक्ति को और जिस नागरिक को अपने देश में रोजगार मुहैया नहीं कर पाती है, तो उसके एवज में बेकारी भत्ता देने का प्रावधान है । जहां से हमने लोककल्याणकारी राज्य की कल्पना की, उस देश के संविधान में यह लिखा है, लेकिन हमने एक रास्ता अपने देश का संविधान लागू करने के साथ ही निकाल लिया

और इस धारा को हमने संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में समाहित किया, नतीजा यह हुआ कि हम निरन्तर आश्वासन दर आश्वासन इस देश के नौजवानों और बेकारों को पिछले 40-44 वर्षों से देते चले आ रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मुहैया कराए, लेकिन स्थिति उल्टी होती जा रही है। लेकिन परिस्थिति उल्टी जा रही है, हमारे देश में बेकारी और बेरोजगारी रही है। आज जो भारत सरकार के आंकड़े हैं सरकारी रजिस्टर में, बेकार दर्ज होने वाले नौजवानों की संख्या 4 करोड़ के आसपास हो गई है और उससे भी दुखद पहलू यह है कि उस 4 करोड़ में से 12 करोड़ इंजीनियर्स और डाक्टर्स बेकार हैं जिनके ऊपर शासन, सरकार और समाज का करोड़ों रुपया खर्च करके उन्हें कुशल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करके रोजगार देंगे, ऐसा हम कहते हैं लेकिन उनकी भी हालत खराब है। इसके तमाम कारण हैं और उन कारणों में न जाए बिना मैं कुछ ठोस और बुनियादी सुझाव देना चाहता हूं। हमने इस देश की जो संपूर्ण आर्थिक संरचना की कि जिसमें हम कृषि और उद्योग की तरक्की करते, लेकिन उसको हमने कमजोर और सीमित किया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने औद्योगिक नीति के सिलसिले में इस सदन में कही थीं लेकिन कृषि के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि आज 30 लाख हैक्टेयर भूमि इस देश में ऐसी है जो बंजर है। यदि उसको हम उपजाऊ बनाएं तो एक साथ दो करोड़ नौजवानों को काम दिया जा सकता है। 50 लाख हैक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर सिंचाई की सुविधाएं मुहैया करके हम उसको और अधिक उपजाऊ बना सकते है और उस पर अधिक फसल पैदा कर सकते हैं। इस तरह पांच करोड़ लोगों को अकेले हम कृषि के क्षेत्र में रोजगार मुहैया कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की योजनाओं की विसंगति यह है कि कृषि के क्षेत्र में तरक्की और परिवर्तन करने के लिए कोई नया सोच, नया संकल्प और नयी दृष्टि को ओर हमारा रूझान नहीं गया। इसलिए नहीं गया, क्योंकि आज विडम्बना यह हो गई है कि जिन्होंने पूंजी की बदोलत खेती अपने हाथ में कर रखी है। श्रीमान्, विडम्बना यह है कि आज उन्हीं के हाथ में इस देश के उद्योग भी हैं, उन्हीं के हाथ इस देश की सरकारी नौकरी है और उन्हीं के हाथ में व्यापार और व्यवसाय भी है।

इसलिए कानून बनाना होगा कि जिस दिन हम भारत के संविधान में बुनियादी अधिकारों में रोजगार के अधिकार को रख देंगे, उसी दिन इस देश में एक क्रांति की स्थिति आ जाएगी और जब लोग हल्ला करेंगे तो हमारे देश की आर्थिक नीति में भी बुनियादी परिवर्तन होगा और परिवर्तन यह होगा कि "एक व्यक्ति एक काम" यह सिद्धान्त जब लागू हो जाएगा, तो काम में अपने आप ही विस्तार शुरू हो जाएगा। जिनके परिवारों में इतनी जमीन है, जो सीलिंग की सीमा पर हैं, उनके हाथ में ही सरकारी नौकरियां उन परिवारों में न जाएं। यह प्रतिबन्ध होना चाहिए, यह रोक होनी चाहिए और जिन परिवारों में सरकारी नौकरी है जो व्यक्ति इन्कम टैक्स देने लायक है उनके हाथ में कोई भी व्यापारिक काम या कोई भी उद्योग का काम नहीं होना चाहिए। यह कानून इस देश में बनाया जाना चाहिए और जिस दिन यह कानून बनेगा, उस दिन रोजगार का भी विस्तार होगा और फैलाव होगा, क्योंकि धीरे-धीरे सारा रोजगार कुछ परिवारों में सिमटता चला जा रहा है और उसका कारण यह है कि हमारे देश में पूंजी कुछ लोगों के पास सीमित हो रही है।

इसलिए उद्योग के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण और लघु उद्योगों की बात हम लोग बार-बार कहते हैं उसको भी चलाना होगा और उससे भी जुड़ा हुआ जो तीसरा सवाल है वह यह है कि

नियंत्रित परिवार। हमारे मित्र ने ठीक ही कहा है मैं उनसे सहमति जाहिर करता हूं कि इसको जोर जबर्दस्ती से नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कानून बनाया जा सकता है। हमारे समाज में लड़ाई होती है जो पैदा होता है उसको रोजगार मुहैया कराना यह राज्य की जिम्मेदारी है, तो यह भी राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तुम कितने बच्चे अपने घर में पैदा करते हो। यदि कोई दो से अधिक बच्चे पैदा करता है ता उसको फाइन लगेगा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उसके लिए रोजगार के नये अवसर मुहैया करो। कुछ इस तरह का कानून हमारे देश में परिवार को नियंत्रित करने के लिए बनाना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि एक बुनियादी परिवर्तन इस देश में लाया जाए, जिससे रोजगार के अवसर निरंतर लोगों को प्राप्त हों। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस देश में एक विस्फोटक स्थिति आ जाएगी और इस देश में जिनके पास पूंजी है जबरन वह लोग इस कानून से अलग हट कर हथियार से उसकी पूंजी के ऊपर कब्जा कर लेंगे और एक अराजकता का वातावरण निरन्तर हमारे समाज में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जैसे आज सरकार ने एक विरोध का विधेयक भी सरकार स्वीकार कर लिया है, उसी तरह से विपक्ष का यह विधेयक भी सरकार करे और भारत के संविधान के मूल अधिकारों में रोजगार के अधिकार की गारण्टी को स्वीकार किया जाए, जिससे हम नये सामाजिक, औद्योगिक और कृषि की नयी नीति की ओर बढ़ सकें।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

जहां तक इस देश का संबंध है यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प है। हम जानते हैं कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने यह कहते हुए अपना दुःख व्यक्त किया था कि वे इस देश के लगभग 33 लाख बेरोजगार युवकों के बारे में बहुत चिंतित हैं और कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता उन बेरोजगार युवकों को रोजगार देना होगा। किंतु दुर्भाग्य से यह दुःख अभी भी है। इतना नहीं, इस समय देश में 3 करोड़ से भी अधिक शिक्षित बेरोजगार है। अन्य जो कार्य करने में समर्थ, पुरुष और महिला दोनों हैं उनकी संख्या 13 करोड़ से अधिक है। अतः देश की यह वर्तमान स्थिति है। इसका क्या कारण है? यह स्थिति कैसे पैदा हुई? मेरा विचार यह है कि खराब योजना के कारण, गलत दिशा के कारण, जो सत्तारूढ़ दल, मुख्यतः कांग्रेस दल ने बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिए अपनाई उसके कारण बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ी फिर भी, आप जानते हैं कि हम केवल सरकार को दोष नहीं दे सकते। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आप जानते हैं कि इस देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। अब सात पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्य प्रश्न है कि क्या हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है नहीं। यह एक अलग बात है। किन्तु हमारे योजना निर्माताओं ने यह गणना की कि वर्ष 1990 में इस देश की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ होगी। किन्तु देश की जनसंख्या अब लगभग 85 करोड़ है: अर्थात् 35 करोड़ अधिक है। अगर वर्ष 1990 में जनसंख्या 50 करोड़ रही होती, तो हम इस

समस्या का सामना कर पाते क्योंकि इस बढ़ी हुई 35 करोड़ की जनसंख्या ने योजना बनाने वालों की योजना को परेशान कर दिया है हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जनसंख्या में वृद्धि के कारण असफल हो गई। अगर हम वास्तव में बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा यह समस्या हल नहीं हो सकती। फिर इसका समाधान क्या है ? हमें सबसे पहले जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा और परिवार नियोजन सुनिश्चित करना होगा। अगर परिवार नियोजन कड़ाई से लागू किया जाए तो, धीरे-धीरे बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएगी : परिवार नियोजन को कैसे लागू किया जाए ? हमारे कुछ धर्म परिवार नियोजन के खिलाफ हैं। फिर जनसंख्या में वृद्धि को कैसे रोका जाए ? हमें कुछ और उपाय तलाशने होंगे। मेरे विचार से, वह उपाय है कि इस तरीके से जनसंख्या पर रोक लगाई जाए, जिससे हमारा धर्म भी सहमत हों अर्थात् हमें एक परिवार में बच्चों की संख्या सीमित करनी चाहिए, वह दो भी हो सकती है। तीन भी हो सकती है। परन्तु यदि किसी परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं, तो यह केवल माता-पिता की ही जिम्मेवारी है कि वह उन बच्चों की देखभाल करें। हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र व्यवस्था है। अतः चुनावी प्रक्रिया पर भी कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : क्या यह बेरोजगारी की समस्या का सामाधान करने के लिए है ?

श्री एम० रमण्णा राय : हमारे देश की जनसंख्या में अनियन्त्रित वृद्धि के कारण ही हमें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहां योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है तथा हमें यह देखना चाहिए कि हमारी योजनायें सफल हों। यदि जनसख्या पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो इन पंचवर्षीय योजनाएं बनाना कोई अर्थ नहीं है। यदि किसी माता पिता के दो से अधिक बच्चे हैं, उनसे उनका मताधिकार वापस लिया जाना चाहिए। उन्हें चुनाव में खड़े होने की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। हमारे यहां बहुत से ऐसे संसद सदस्य तथा विधायक हैं जिनके छः से भी अधिक बच्चे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि हम इस प्रकार का कोई संकल्प पारित करते हैं, तो शायद अपनी सदस्यता खोने वाला सबसे पहला सदस्य शायद मैं ही होऊंगा।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलडाणा) : यह संकल्प भविष्य के लिए प्रभावी होगा न कि भूतलक्षी प्रभाव से।

श्री एम० रमण्णा राय : बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए मेरे द्वारा बताया गया मुद्दा अत्याधिक महत्वपूर्ण है। इस समय जिन व्यक्तियों के छः से भी अधिक बच्चे हैं वे भी विधान सभा तथा संसदीय चुनाव लड़ते हैं वे मंत्री भी बन रहे हैं। (व्यवधान) नीति बनाते समय हमारे ध्यान में राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्रहित में हमें जनसख्या पर नियन्त्रण रखना चाहिए। अतः जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक हैं। हमें उन व्यक्तियों से उनका मताधिकार छीन लेना चाहिए जिनके छः से भी अधिक बच्चे हैं तथा उन पर चुनाव लड़ने की रोक

लगाई जानी चाहिए। यह किसी धर्म, हिन्दूवाद तथा ईसाई धर्म के विरुद्ध नहीं है। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा हमारा मताधिकार भी धर्मनिरपेक्ष नीतियों पर आधारित होना चाहिये। अतएव धर्म का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

मताधिकार देने से पहले हमें इस पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। चुनाव-प्रणाली में ही इस तरह के प्रतिबन्ध की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे देश में सरकार जनता को आवश्यक खाद्य वस्तुएं अथवा राशन की वस्तुएं भी नहीं दे रही है। खाद्य पदार्थों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। सरकार को उन व्यक्तियों को जिनकी केवल सीमित बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से भोजन तथा आवश्यक वस्तुएं देनी ही चाहिए। यदि किसी परिवार में केवल दो ही बच्चे हैं तो उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधायें, निःशुल्क शिक्षा तथा रोजगार आदि उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेवारी है। यदि किसी परिवार में दो से अधिक बच्चे हैं, यह पूरी तरह से माता पिता की ही जिम्मेवारी है कि वे अपने बच्चों को भोजन, चिकित्सा सुविधायें तथा अन्य सहायता उपलब्ध करायें। उन्हें सरकार से इन सब वस्तुओं की आशा नहीं करनी चाहिये यदि उनके दो से अधिक हैं। यदि किसी परिवार में केवल दो ही बच्चे हैं तो सरकार को उन्हें रोजगार भी देना चाहिये। रोजगार प्रदान करते समय ऐसे बच्चों को वरीयता भी दी जानी चाहिये। यदि किसी परिवार में दो से अधिक तीन, चार अथवा पांच हैं तो यह माता पिता की ही जिम्मेवारी है कि वे अपने बच्चों को कुछ रोजगार भी उपलब्ध कराएं।

सभापति महोदय : क्या उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए ?

श्री एम० रमन्ना राय : नहीं। बच्चों को दन्डित नहीं किया जाना चाहिये। अपने बच्चों को कृषि मजदूर तथा ऐसे ही अन्य व्यवसाय में जाने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मांगनी चाहिए।

सबसे पहले मतदाताओं की सूची तथा चुनावी प्रक्रिया में कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

श्री ई० अहमद : क्या बच्चों को कोई सजा दी जानी चाहिए ?

श्री एम० रमन्ना राय : बच्चों को कोई सजा नहीं दी जानी चाहिये। केवल ऐसे माता पिता को सजा दी जानी चाहिये जो हमारे देश के बारे में बिना कुछ सोचे विचारे कार्य करते हैं।

यदि हम इस बेरोजगारी की समस्या का वास्तव में समाधान करना चाहते हैं, हमें अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में भी गम्भीरता से सोचना चाहिये। एक परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, इनकी संख्या भी हमें सीमित कर देनी चाहिये। जब तक हम जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, हम बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान नहीं कर सकेंगे।

हमारा एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय यह है कि सरकार कम से कम भोजन, चिकित्सा तथा शिक्षा जैसी न्यूनतम आवश्यकतायें प्रदान करने में समर्थ हो।

हम काफी गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था, हमारे देश में 35 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या फालतू है। हमें पचास करोड़ तक जनसंख्या को सीमित कर देना चाहिये। खैर, इस समय पैंतीस करोड़ जनसंख्या अधिक है। वे भी भारतीय हैं। उनको भी भारतीय के रूप में इस देश में रहने का हक है। उन्हें भी जीने के लिए कुछ दिया जाना चाहिए। उन्हें एक अच्छा, आदर्श जीवन जीने के लिए कम से कम भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधायें इत्यादि दी जानी चाहिए। यह सब केवल तभी संभव होगा जब इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ किया जाएगा यह मुख्य रूप से सरकार की ही जिम्मेवारी है। यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में कोई विधान भी लाया जाना चाहिये। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो देश का विनाश हो जायेगा। अतएव हमें अपने देश को विनाश से बचाने के लिए इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ई० अहमद : सभापति महोदय, इस समय हम एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, आज हमारा देश एक भारी चुनौती का सामना कर रहा है। हम आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रत्येक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। परन्तु मैं यहीं कहूंगा कि जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, बेरोजगारी की समस्या सर्वाधिक गम्भीर है जिसका आज यह देश सामना कर रहा है। आज शासकों, प्रशासकों, राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों तथा प्रत्येक प्रबुद्ध वर्ग के समक्ष यही प्रश्न है कि इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जाये। इसका केवल यही उत्तर है कि और अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायें। बिना रोजगार सृजन किये, हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। इस समबन्ध में सरकार को इस बेरोजगारी की समस्या को कम करने लिए एक योजना बनानी होगी ताकि और अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। हम यह कैसे कर पायेंगे? सच्चाई यह कि योजना आयोग की कुछ रिपोर्टों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यदि आप योजना आयोग के प्रकाशनों को देखें तो आप पायेंगे कि रोजगार की विकास दर प्रत्येक वर्ष कम होती गई है। उदाहरण के लिए रोजगार सम्बन्धी योजना आयोग का प्रकाशन, मई 1990, यदि आप देखें तो आपको यह काफी रुचिकर लगेगा। इसको पढ़ने पर आप पायेंगे कि रोजगार की विकास दर वर्ष 1972-78 के दौरान 2.82 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1977-83 में 2.22 प्रतिशत हो गई है। कृषि क्षेत्र में भी विकास दर 2.32 प्रतिशत से घटकर 1.55 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई है। उत्पादन क्षेत्र में रोजगार की विकास दर वर्ष 1972-78 के दौरान की 5.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1983-88 में 2.10 प्रतिशत हो गई है। हमारे पास तीन क्षेत्र हैं जिनमें हम और अधिक रोजगार प्रदान कर सकते हैं, इनमें पहला क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र है, दूसरा कृषि क्षेत्र है तथा तीसरा सरकारी नौकरी सम्बन्धी क्षेत्र है। सरकारी नौकरी सम्बन्धी क्षेत्र में मैंने यह देखा है कि वर्ष 1972-78 के दौरान विकास दर 3.67 प्रतिशत थी जो कि उससे घटकर वर्ष 1983-88 में 2.5 प्रतिशत हो गई है। इस सम्बन्ध में एक अच्छे परिणाम की आशा हम तभी कर सकते हैं जबकि आगामी वर्षों में यह प्रतिशत बढ़कर 4.69 प्रति हो जाये। पिछले कई वर्षों से

केवल निर्माण तथा खनन क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसरों में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है। यदि आप इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरणों को देखें, तो आप यह स्थिति देख सकते हैं। हमारे देश में अन्य क्षेत्रों में जहां पर कि हमें बेरोजगारी की गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, रोजगार की विकास दर प्रति वर्ष कम होती जा रही है।

6.00 म०प०

यह एक गम्भीर समस्या है जिसके लिए हमें स्वयं कुछ उपचारात्मक उपाय ढूंढने होंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब विदेश मन्त्री जी दिनांक 19 अगस्त, 1991 को "न्यूजवकि" पत्रिका के साथ पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री की भेंटवार्ता के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं जानता हूं कि विदेश मन्त्री जी के वक्तव्य के पश्चात् आप किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं देंगे। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने प्रधानमन्त्री जी का ध्यान अपने साक्षात्कार की ओर आकर्षित कर लिया है अथवा नहीं। उन्हें इस बारे में भी उल्लेख करना चाहिए।

सभापति महोदय : हर कोई यह जानता है कि माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य के पश्चात् इस सदन में किसी भी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाती। जबकि राज्यसभा में निश्चित रूप से ऐसा होता है।

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : यह केवल एक वक्तव्य है। विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने का अवसर मिल सकता है।

सभापति महोदय : अब मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(दो) पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री द्वारा 19 अगस्त, 1991 की 'न्यूजवीक" पत्रिका को दिया गया साक्षात्कार

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : न्यूजवीक पत्रिका के 19 अगस्त, 1991 के अंक में प्रकाशित पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री की कथित भेंटवार्ता पर कई सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी जिससे उन्होंने कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा रहा है और खुदा न करे; यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग का कारण बन सकता है।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के एक विशेष दूत 18 से 21 अगस्त, 1991 तक भारत की यात्रा पर आए थे। वे अपने प्रधानमंत्री की ओर से हमारे प्रधान मन्त्री के लिए यह संदेश लाए थे कि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ईमानदारी से यह चाहती है कि सभी द्विपक्षीय समस्याओं को हल करने के लिए गम्भीर और रचनात्मक बातचीत हो। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ अपनी मुलाकातों में भी उन्होंने यह बात दोहराई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस विशेष दूत को यह बताया गया था कि भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के आधार पर तनाव-मुक्त और अच्छे पड़ोसियों के से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हमेशा कोशिश करती रही है। हम मानते हैं कि ऐसे सम्बन्ध न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लोगों के हित में होंगे बल्कि इस समूचे क्षेत्र की शांति और स्थायित्व के हित में होंगे।

इस विशेष दूत के माध्यम से हमने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के अभिव्यक्त संदेश और न्यूजवीक पत्रिका में उनकी टिप्पणी से उत्पन्न प्रभाव के बीच के स्पष्ट अन्तर पर स्पष्टीकरण भी मांगा था। इसे स्पष्ट करते हुए पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के विशेष दूत ने हमें बताया कि न्यूजवीक पत्रिका ने उनकी भेंटवार्ता को जिस तरह पेश किया है उससे वस्तुतः उस बात का पूरी तरह पता नहीं चलता जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री असल में कहना चाहते थे खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के आपसी सभी मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान के संबन्ध में।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में इस समय जो तनाव चल रहा है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, भारत के पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों में आतंकवाद और विध्वंसकारी कार्रवाईयों को हवा दे रहा है; काश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की बराबर कोशिश कर रहा है और शिमला समझौते का तथा अन्तर्राज्यीय संबंधों के सार्वभौम रूप से स्वीकृत मानदण्डों का उल्लंघन करके भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है। भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में अर्थपूर्ण स्थायी समाधान के लिए यह जरूरी है कि यह सब बातें बन्द हों। सीमापार से आतंकवादियों को और हथियारों को इस ओर पहुंचाने में मदद करने के इरादे से सीमा पर पाकिस्तान की गोलाबारी और सीमा-उल्लंघन की अक्सर होने वाली वारदातों ने हाल ही के महीनों में सीमा पर तनाव को और बहुत अधिक बढ़ा दिया है। बाहरी दुनिया में अपने प्रचार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जब तक जंग की बातें कहने की बजाय पाकिस्तानी नेताओं को इन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे संबंधों के बीच उपस्थित आज के तनाव की जड़ है।

हम ईमानदारी से यह चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का जो संदेश भेजा है उसे ठोस कार्रवाई का रूप दिया जाएगा। स्थिति की वास्तविक सच्चाई ही इसका असली प्रमाण होगी।

मैं मान्य सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम स्थिति पर पूरी सतर्कता के साथ निगाह रख रहे हैं। भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में पाकिस्तान

जो ठोस कार्रवाई करेगा उसका हम भी पूरी रचनात्मकता के साथ प्रत्युत्तर देंगे लेकिन वह बात अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिए कि जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत की एकता, संप्रभुता तथा प्रादेशिक अखण्डता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 26 अगस्त 1991 को प्रात: 11-00 बजे म० प० पर पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है।

6.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 26 अगस्त, 1991/4 भाद्र, 1913 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक: एस. नारायण एंड संस, 7117/18, पहाड़ी धीरज, दिल्ली